दशम माला

मंगलवार, 03 सितम्बर 1991

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

दशम माला, खण्ड-4 पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 37, मंगलवार, 3 सितम्बर, 1991/12 भाद्र, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 651 से 658	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—194
तारांकित प्रश्न संख्या : 659 से 607 और अतारांकित प्रश्न संख्या : 5340 से 5346 और 5348 से 5570	
उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री को सुरक्षा प्रदान किए जाने के बारे में सभा पटल पर रखे गए पत्र	194—200
मंत्री द्वारा वक्तव्य	200—203
राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन श्री पवन सिंह घाटोवर	
विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंध पत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक	203—209
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	203
श्री जार्ज फर्नान्डीज	203—207
श्री गुमान मल लोढा	207
श्री रंगराजन कुमारमगलम	208—209
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक	209
पुरःस्थापित	
नियम 377 के अधीन मामले	209—212
(एक) कुड्डालौर, तमिलनाडु में तिरुपापुलियर रेलवे स्टेशन पर एक सड़क ऊपरि पुल का निर्माण करने की आवश्यकता	
श्री पी० पी० कालियापेरुमल	209—210

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय पृष्ठ

(दो) अर्जीपल्ली, उड़ीसा में गोपालपुर लघु पत्तन का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति 210

(तीन) महाराष्ट्र में ठाणे, डोंबी बिल्ली, कल्याण तथा मुरबाद क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं के समुचित कार्यकरण को बहाल करने की आवश्यकता

प्रो० राम गणेश कापसे 210

(चार) बिहार में गिरिडीह को कोडरमा के साथ जोड़ने के लिए नई रेल लागन बिछाने की आवश्यकता

प्रो० मुमताल अंसारी 211

(पांच) पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर और माल्दा जिलों में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों को सी-डाट एक्सचेंजों में बदलने की आवश्यकता

श्री सुव्रत मुखर्जी 211

(छः) बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर रेल लाइन को बोध गया तक बढ़ाने की आयश्यकता

श्री विजय कुमार यादव 211

(सात) उड़ीसा के आदिवासी बहुल सुन्दरगढ़ जिले में संचार सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता

श्री फिड तोपनो 212

(आठ) बंगलौर के उपनगर, यशवंतपुर में एक नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की आवश्यकता

प्रो० के० वेंकटगिरि 212

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92 212—278

कृषि मंत्रालय,
खाद्य मंत्रालय और
ग्रामीण विकास संत्रालय

श्री रामेश्वर पांटीदार 213—214
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 214—219
श्री एस० मल्लिकारजुनय्या 219—220
श्री जी० वेंकट स्वामी 220—225
श्री चोक्का राव जुब्बाड़ी 225—228
श्री सैयद मसुदल हुसैन 228—230

विषय		पृष्ठ
	श्रीमती बासवराजेश्वरी	230—234
	श्री प्रेमचन्द राम	234—237
	श्री याइमासिंह युमनाम	237—239
	श्रीमती चन्द्रप्रभा ऊर्से	239—242
	श्री अमल दत्त	242—245
	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	245—248
	श्री चुन चुन प्रसाद यादव	248—250
	श्री दिग्विजय सिंह	250—253
	श्री कालका दास	253—255
	श्री बलराम जाखड़	255—278
कार्य मंत्रणा समिति		279
चौथा प्रतिवेदन		

लोक-सभा

मंगलवार, 3 सितम्बर, 1991/12 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कानपुर-लखनऊ रेल लाइन का विद्युतीकरण

*351. **श्री केशरी लाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कानपुर और लखनऊ के बीच रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त विद्युतीकरण कब से शुरू किया जाएगा ;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उच्च घनत्व वाले अन्य मार्गों के विद्युतीकरण की तुलनात्मक प्राथमिकताओं के कारण।

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल : मान्यवर, कानपुर-लखनऊ मार्ग का विद्युतीकरण इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उच्च घनत्व वाली लाइनों को प्राथमिकता दी जा रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उच्च घनत्व वाली लाइनें कौन-कौन सी हैं जिनका विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा कि वे किन मार्गों के बारे में पूछना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न को दोहराएं।

[हिंदी]

श्री केशरी लाल : किन-किन लाइनों का प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण किया जा रहा है ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह प्रश्न कानपुर और लखनऊ के बीच रेल मार्ग के विद्युतीकरण के बारे में है । अगर वह मुझसे यह पूछ रहे है कि अन्य मार्गों को वे क्या प्राथमिकता दे रहे हैं तो यह एक अलग पहलू है। हालांकि यह एक अलग प्रश्न है, फिर भी मैं इस बारे में भी बता सकता हूं। जहां तक कानपुर-लखनऊ मार्ग के विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, तो इस समय यह करना सम्भव नहीं है क्योंकि लखनऊ और कानपुर के बीच अर्थात् कानपुर-उन्नाव लाइन दोहरी लाइन है । किन्तु, इसके विपरीत, लखनऊ से कानपुर की एक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है । इस प्रकार लखनऊ और कानपुर के बीच दोहरी लाइन हो जाएगी । यह मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग है जहां से पूर्वोत्तर, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्र से तथा उपनगरीय यातायात भी गुजरता है, इसलिए इस समय इस मार्ग का विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं है ।

[हिंदी]

श्री केशरी लाल : मान्यवर, उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि उच्च घनत्व वाली लाइनें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ी जायेंगी । मैं उन लाइनों के बारे में जानना चाहता हूं जो मंत्री जी ने उच्च घनत्व वाली सावित की हैं ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : उच्च घनत्व वाले मार्गों को प्राथमिकता दी गई है। इसी तरह से हम नागपुर से होकर हावड़ा से मुम्बई तक विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करेंगे । इसके अतिरिक्त, मध्य रेलवे से होकर दिल्ली और मुम्बई के बीच के कार्य को भी हम पूरा करने जा रहे हैं ।

[हिंदी]

श्री केशरी लाल : कौन-कौन सी लाइनें प्रस्तावित हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : मैंने मुम्बई के रेलवे विद्युतीकरण के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है ।

[हिंदी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने कहा कि लखनऊ-कानपुर की लाइन प्राथमिकता में नहीं आती है तो प्राथमिकताएं किस आधार पर तय होती हैं ? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कानपुर औद्योगिक राजधानी है और दोनों के बीच यातायात बहुत है । आप दूसरी लाइन बनाने की बात बरसों से कह रहे हैं, मगर वह गाड़ी उन्नाव तक रुकी हुई है । दूसरी लाइन अभी तक लखनऊ नहीं पहुंची है । मैं जानना चाहता हूं कि अगर यातायात की सघनता यह प्राथमिकता का आधार है तो लखनऊ और कानपुर के बीच विद्युतीकरण को प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : मैंने सभा को यह सूचित नहीं किया है कि इसे प्राथमिकता नहीं दी गई। किन्तु, इसके विपरीत लखनऊ और कानपुर के बीच विद्युतीकरण के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। आर्थिक क्षमता का भी आकलन किया गया है। किन्तु, इस समय, यह करना सम्भव नहीं है। किन्तु भविष्य में ऐसे विद्युतीकरण की पूरी संम्भावना है।

[हिंदी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि कानपुर से बरेली के लिए बाया बालामऊ विद्युतीकरण कब तक पूरा करने की योजना है? है भी कि नहीं ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : यह कार्य सूची में ही नहीं हैं।

[अनुवाद]

वसही-न्यू मुम्बई रेल लाइन

*652. श्री राम कापसे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसही से न्यू मुम्बई तक रेल लाइन के निर्माण की किसी परियोजना पर कार्य चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) वाशी-न्यू बम्बई रेल लाइन मानखुर्द-बेलापुर रेल लाइन (18 कि०मी०) परियोजना का भाग है। जुलाई 1991 तक कुल मिलाकर 86 प्रतिशत प्रगति हुई है।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : बजट प्रस्तुत करते समय आपने यह आंकड़े दिए थे कि 31-3-91 को प्रगति 83 प्रतिशत थी। दो मास पश्चात्, यह 86 प्रतिशत थी। और बजट प्रस्ताव में आपने उल्लेख किया था कि प्रगति दो कारकों पर निर्भर होती है एक तो अतिक्रमणों को हटाना और दूसरे सी० आई० डी० सी० ओ० द्वारा स्टेशनों का निर्माण। मैं जानना चाहूंगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार की सहायता से सभी अतिक्रमणों को हटा दिया गया हैं ताकि आप इसी वर्ष में यात्री यातायात शुरू कर सकें।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, जुलाई के महीने में महाराष्ट्र सरकार, सचिव, शहरी विकास और हमारे परियोजना अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी। और 1043 अतिक्रमणों में से 158 हटाने शेष रह गए थे। और इस 158 अतिक्रमणों में से 89 सीधे रेखांकन से सम्बन्धित हैं। इस बैठक के दौरान, यह सहमति हुई थी कि 31 अगस्त, 1991 तक राज्य सरकार इन 89 अतिक्रमणों को हटाने की स्थिति में होगी। किन्तु, वर्तमान स्थिति के अनुसार, जिसके बारे में कहा गया है, वे उस कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने हमें दिया है। इसीलिए, इसमें और भी विलम्ब होने की सम्भावना

श्री राम कापसे : जबकि अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रगति पर है, क्या आप इसी वर्ष में यात्री यातायात शुरू कर पाएंगे यह मेरा पहला पूरक प्रश्न है।

दूसरी जिस बात का आपने उल्लेख किया है, कि यह 'सिडको' द्वारा रेलवे स्टेशनों के लिए इमारतें बनाने पर निर्भर करता है। 'सिडको' द्वारा पांच स्टेशन बनाए जाने हैं, वे हैं वाशी, सनपदा, जुई नगर, नरुल और बेलापुर। किन्तु, इनमें से, सनपदा का रेलवे स्टेशन एक कृषि उत्पाद बाजार रेलवे स्टेशन है, जिसकी अनुमति आपने नहीं दी है। अगर आप दूसरी स्वीकृति नहीं देते तो 'सिडको' रेलवे स्टेशन के लिए इमारत कैसे बना सकता है ? मैं जानना चाहूंगा कि रेलवे स्टेशन की इमारत के बारे में क्या प्रगति हुई है। जहां तक इन रेलवे स्टेशनों का सम्बन्ध है, आपकी ओर से क्या हुई प्रगति है ?

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक सिडको एवं रेलवे के बीच समझौते का सम्बन्ध है, चार स्टेशन बनाए जाने हैं। ये व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार है जिसे प्रस्तुत किया गया है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, ये चार स्टेशन हैं वाशी, मनखुर्द, जूइनगर और बेलापुर। इसी बीच, सनपदा का प्रस्ताव भी आया है। मैंने अधिकारियों से इसका अध्ययन करने को कहा है। और इस परियोजना के पूरे होने के बाद ही, उस पर कार्य किया जाएगा।

जहां तक नए निर्माण का सम्बन्ध है, इसका उत्तरदायित्व 'सिडको' ने लिया है और वे अपने स्तर पर इसे पूरा करने का यथा सम्भव प्रयास कर रहे है।

श्री राम कापसे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सभी स्टेशन इसी वर्ष से कार्य करना आरम्भ कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री शरद दिघे : अस्थायी मकानों को हटाने में राज्य सरकार द्वारा सिडको की प्रगति को देखते हुए, जहां तक रेल मंत्रालय का सम्बन्ध है, आपका क्या आकलन है, यह रेलवे कब कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : कार्यक्रम के अनुसार यह मार्च, 1992 में कार्य करना शुरू करेगा। इसका मुख्य भाग, ठाणे में संकरी इकाई पर 1·9 कि०मी० के पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यह सिर्फ अस्थायी मकानों को हटाने और रेखांकन को पूरा करने पर होगा।

श्री राम नाइक : इस लाइन के साथ, अर्थात वाशी से नई मुम्बई के बाद, एक और लाइन है, जिसका चयन सिडको ने किया है वह वह है बेलापुर से पनवेल तक। इसे रेलवे बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया है। हालांकि रेलवे बोर्ड ने इस पर यात्री यातायात शुरू करने की स्वीकृति नहीं दी है मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बेलापुर से पनवेल, जो इसका हिस्सा है पर यातायात की स्वीकृति देने पर विचार किया है ?

श्री मल्लिकार्जुन : बेशक, यह लाइन बन गई है। किन्तु, उपनगरीय गाड़ियां चलाने के लिए इसे बड़ा करने की मांग है। जब कि किनारों पर काम का प्रथम चरण शुरू हो गया है, यह मांगें अब आ रही हैं। इसलिए, इस समय मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री राम नाईक : वे निश्चय ही कह सकते हैं कि सरकार इस पर विचार कर रही है या नहीं। मेरा प्रश्न इससे सम्बन्धित है। मांगें की गई हैं और रेलवे लाइन बन गई है।

श्री मल्लिकार्जुन : रेलवे के पास ई० एम० यू० डिब्बों की कमी है। हमारी भी अपनी समस्याएं हैं। इस पर गहनता से विचार करने के पश्चात् हमें इस पर निर्णय लेना होगा।

श्री राम कापसे : धन सिडको को देना है और वे धन खर्च नहीं कर रहे हैं। किन्तु पनवेल-बेलापुर लाइन, काडवे-तुर्ग रेलवे लाइन के लिए सिडको द्वारा धन खर्च किया जाना है, फिर भी वे इसके लिए स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। हम स्वीकृति के बारे में आश्वासन चाहते हैं।

श्री राम नाईक : यदि यात्री यातायात शुरू नहीं किया जाता तो रेलवे लाइन बनाने का पूरा उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा।

श्री अन्ना जोशी : मेरा प्रश्न सिर्फ सनपदा रेलवे स्टेशन के बारे में है। 'सिडको' इसे बनाएगा और वे सिर्फ रेलवे की स्वीकृति चाहते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि वे स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : यह स्वीकृति देने का प्रश्न नहीं है। हमें उस कार्य की व्यवहार्यता के बारे में विचार करना है और इसके लिए हमने मध्य रेलवे से इसकी जांच करने को कहा है।

[हिन्दी]

रसोई गैस सिलेंडरों की आवश्यकता

*653. **श्री हरिकेवल प्रसाद** :

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष बनाए जा रहे रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या कितनी हैं;

(ख) अब तक कितने रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं;

(ग) प्रतिदिन कितने रसोई गैस सिलेंडरों की आवश्यकता है और इस समय कितने सिलेंडर उपलब्ध हैं; और

(घ) रसोई गैस सिलेंडरों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक औसतन 34.30 लाख सिलिंडर।

(ख) करीब 1 72 लाख ग्राहक।

(ग) और (घ) सिलिंडरों के निर्माण की स्थापित क्षमता एल० पी० जी० के सिलिंडरों की मांग से बहुत अधिक है। अतः कमी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक तरह से सदन को तथ्यों के विपरीत उत्तर देने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, प्रति वर्ष कितने गैस सिलेन्डर पैदा हुए और प्रतिवर्ष कितने निवेदन पत्र पड़े ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : सिलेंडर निर्माताओं की कुल अधिष्ठापित क्षमता 170 लाख सिलिंडर प्रति वर्ष है। 1984-85 तक उन्होंने औसतन 100 लाख सिलिंडर प्रतिवर्ष बनाए थे। उस समय, मांग और आपूर्ति लगभग बराबर थे क्योंकि रसोई गैस के सिलिंडरों का निर्माण लघु उद्योग में आता है, इसके लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं चाहिए। और हमने राज्य सरकारों, आई० डी० बी० आई० व अन्य वित्तीय संस्थाओं को बार-बार यह निर्देश दिए हैं कि नई इकाइयों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, इसके बावजूद देश में नई-नई रसोई गैस सिलेंडर का निर्माण करने वाली इकाइयां खुल गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, हालांकि उनकी अधिष्ठापित क्षमता 170 लाख प्रति वर्ष है, इस वर्ष हम लगभग 25 लाख सिलिंडरों के आदेश दे पाएंगे। हर वर्ष की आवश्यकता की गणना फार्मूले के अनुसार की जाती है जो पंजीकरण योजना, एक उपभोक्ता को जो सिलेन्डर देना, वर्तमान सिलेन्डरों को बदलना और नए कनेक्शन देने पर निर्भर करते हैं। इसलिए सिलिंडर निर्माण उद्योग में अतिरिक्त क्षमता है। हमारे पास वर्तमान कम्पनियों को आर्डर देने का एक फार्मूला है ताकि कम्पनियों की रुग्णता को न्यूनतम किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद : मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि कमी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि वर्षवार कुल कितने आवेदन-पत्र इनको प्राप्त हुए हैं तो मंत्री जी ने इसका उत्तर नहीं दिया है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपको यह भी जानकारी है कि प्रतिवर्ष, यानी लगभग 5-6 वर्षों से जिन लोगों ने गैस सिलेण्डर के लिए आवेदन-पत्र दिया उनके आवेदन-पत्र अभी भी विचाराधीन हैं और उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो कुल कितने आवेदन-पत्र आपको प्राप्त हुए हैं और कितने लोगों को आपने आवंटित किया है? आपने कहा है कि 172, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको कितने आवेदन-पत्र मिले और कितने लोगों को आपने दिया?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप गैस और सिलेण्डर में फर्क कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य को रसोई गैस कनेक्शन और सिलिंडर निर्माण जिससे कि मुख्य प्रश्न संबंधित है उसके बीच थोड़ा-सा भ्रम हो रहा है। सिलिंडरों के निर्माण में, अतिरिक्त निर्माण क्षमता है, और कोई कमी नहीं है। अभी-अभी का पूरक प्रश्न गैस कनेक्शनों के लम्बित आवेदन-पत्रों के बारे में है। देश में इस समय 17 मिलियन गैस कनेक्शन हैं और लगभग 7 मिलियन लोग प्रतीक्षा में है। इस वर्ष हम सिर्फ आधे मिलियन लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं अगले वर्ष एक मिलियन और 1994 से आगे 4 मिलियन को यह रसोई गैस की उपलब्धता, और तथा एल० पी० जी० के आयात से संबंधित बाधाओं पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे सहमत होकर गैस और सिलेण्डर के बारे में अलग-अलग पूछूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने अपने प्रश्न के उत्तर में आखिर में यह बताया है कि हमारे पास सिलेण्डर की कमी नहीं है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन उपभोकताओं के पास 4-4, 5-5 साल से एक गैस सिलेण्डर है उन्होंने दूसरे गैस सिलेण्डर के लिए आवेदन किया है उन्हें आप दूसरा

गैस सिलेण्डर क्यों नहीं दे रहे हैं ? नम्बर 2, आपने बताया है कि आपने एक सौ बहत्तर लाख लोगों को गैस सिलेण्डर दिया है और अभी बहत्तर लाख लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। अकेले मध्य प्रदेश में तीन लाख चौंतीस हजार लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक ओर आप कह रहे हैं कि हमारे पास गैस सिलेण्डर की कमी नहीं है, दूसरी ओर जिनके पास गैस कनेक्शन है वे डबल गैस सिलेण्डर की मांग कर रहे हैं उनको आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसके साथ ही मैं यह भी जाना चाहता हूं (व्यवधान) पिछली सरकार ने संसद सदस्यों की सिफारिश पर जो दस हजार गैस सिलेण्डर अलाट हो गए थे उनको आपने क्यों रद्द कर दिया है ? उन्हें रद्द करने के क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य फिर सिलिंडरों में फर्क कर रहे हैं, अर्थात देश में लघु उद्योगों द्वारा बनाए जा रहे गैस रहित सिलिंडर। देश में गैस सिलिंडर के लगभग 90 निर्माता है। गैस एक अलग प्रश्न है। इस वर्ष हमारे पास लगभग 2094 मीट्रिक टन एल० पी० जी० है और 1994-95 तक इसे 2883 मीट्रिक टन और 2000 ई० तक इसे 4875 मीट्रिक टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। हम एल० पी० जी० का उत्पादन अधिकतम इस सीमा तक बढ़ा सकते हैं क्योंकि एल० पी० जी० हमारे गैस क्षेत्रों में तेलशोधक कारखानों और प्रमाणकों द्वारा उत्पादित की जाती है। देश में एल० पी० जी० का उत्पादन शोधन संयंत्रों की विकास योजनाओं व देश में गैस के उत्पादन से संबंधित है। हम रसोई गैस का आयात भी करते हैं। उसके लिए पत्तनों में कुछ आधारभूत कमियां है। हमें रसोई गैस हेतु पत्तनों पर विशेष पाइप लाइनों सहित विशेष आधारभूत स्थापनाओं की आवश्यकता है। इसमें विदेशी मुद्रा के कारण भी रुकावट है। इसीलिए प्रतिवर्ष रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या बढ़ाना भी कठिन है। इसीलिये मैंने कहा कि इस वर्ष हम केवल पांच लाख और अगले वर्ष 10 लाख कनेक्शन दे सकते हैं। वर्ष 1994-95 के पश्चात् हर वर्ष 40 लाख नये कनेक्शन दिये जायेंगे।

रसोई गैस का वितरण और सिलेण्डरों का निर्माण दो अलग-अलग पहलू हैं। मेरा विचार है कि मैं प्रश्न का जवाब दे चुका हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, हमारे देश में स्थिति यह है कि हमारे पास सिलेण्डर्स है परन्तु गैस नहीं है।

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछली लोकसभा में संसद-सदस्यों द्वारा प्रेषित 10000 गैस कनेक्शन जो स्वीकृत कर दिए गए थे, उनको क्यों रद्द कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, पहले ही आपका प्रश्न बहुत लंबा था।

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय इस बारे में आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इस प्रकार से नहीं।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : सिलेंडर निर्माता पूर्ण रूप से पेट्रोलियम मंत्री की दया और इच्छाओं पर निर्भर करते हैं। निर्माताओं द्वारा एक विशेष उद्योग को दिये जाने वाले सिलेंडरों की संख्या आवंटित करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने वास्तव में क्या मानदंड निर्धारित किये हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं पेट्रोलियम उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त किये जाने वाले सिलेंडरों की संख्या, पंजीकरण योजना, दो सिलेंडर दिये जाने, मौजूदा सिलेंडरों का प्रतिस्थापन और प्रत्येक नये कनेक्शन हेतु जो एक पूरा तथा एक आधा सिलेंडर दिया जाता है उनके आधार पर निर्धारित की जाती है।

श्री दिग्विजय सिंह : मापदंड क्या है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं उस बात पर आ रहा हूं। कृपया धैर्य रखिये। कुल प्राप्ति आदेश, जिसकी जरूरत होती है की गणना करने और इस प्रकार पेट्रोलियम उद्योग की आवश्यकताओं की गणना करने के पश्चात् निर्माताओं को, पहले सप्लाई की गई मात्रा के अनुपात, वितरण करने में समयबद्धता और क्रमबद्धता, जांच और तकनीकी योग्यताओं पर आधारित विक्रेता मूल्य प्रणाली के आधार पर क्रय-आदेश दिए जाते हैं।

लगभग 76 निर्माताओं को, जो इसके योग्य हैं आदेश देने के लिए एक विस्तृत वितरण निर्देशिका है। हम आदेश विक्रेता मूल्य प्रणाली पर लागू निदेशों के अनुसार वितरित करते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक निर्माता कम से कम 20,000 सिलेंडर प्रतिवर्ष प्राप्त करता है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रालय को बोर्डों के विरूद्ध अनियमितताओं संबंधी गंभीर आरोपों से, जो रसोई गैस के वितरण हेतु एजेंसियों के चुनाव के लिए सरकार द्वारा स्थापित किये गये हैं, मंत्रालय को अवगत कराना चाहती हूं। मेरे पास अभी बहुत से ऐसे मामलों के आंकड़े हैं जहां, सरकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी, उन्हें एजेंसी देने से इंकार कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इस प्रश्न से ही संबंधित है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, सिलेण्डरों में गैस ही नहीं होती है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मेरे पास उस महिला के बारे में भी जानकारी है जिससे ऐसी एक एजेंसी लेनी चाही थी, लेकिन मामले की समुचित जांच-पड़ताल किये बगैर ही उसे गैस एजेंसी देने से इंकार कर दिया गया।

मेरा प्रश्न यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित ये बोर्ड एजेंसी वितरित किये जाने के अपने तरीकों के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी है तथा क्या सरकार, जहां ऐसे आरोप लगाये गये हैं, जांच-पड़ताल करेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मुझे खेद है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री पी० सी० चाको : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने बड़ी तकनीकी ढंग से जवाब दिया है। यह बहुत स्पष्ट है कि माननीय सदस्यों ने रसोई गैस सिलेंडरों की कमी के बारे में पूछा है लेकिन प्रश्न में केवल 'सिलेण्डर' शब्द प्रयुक्त किया गया है। वास्तव में माननीय सदस्य ने रसोई गैस की

अतिशय कमी तथा मांग-पूर्ति का अन्तर, सरकार द्वारा उठाये गये कदम और मांग और पूर्ति के अन्तर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा विचारित उपायों के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर कुछ दिन पहले सभा में विस्तार से चर्चा हुई थी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, बाजार में नकली सिलेन्डर्स की बाढ़ आई हुई है, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस बारे में जानकारी है और अगर है तो इसको रोकने की दृष्टि से क्या कुछ उपाय किए गए हैं और उसमें नकली सिलेन्डर्स को पहचान की दृष्टि से आपने कुछ उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, हमारे पास विपणन मार्ग-निर्देश हैं। तेल कंपनियों द्वारा नियमित रूप से तथा कभी अचानक ही स्वतः निरीक्षण और साथ ही उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर भी निरीक्षण किया जाता है। यह हमेशा जारी रहने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक शिकायत की भली प्रकार से जांच-पड़ताल और कई मामलों में अभियोग समेत डीलरशिप की समाप्ति की कार्यवाही भी की जाती है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : असली या नकली सिलेंडर्स के बारे में कुछ बताएं···**(व्यवधान)**··· नकली सिलेंडर्स की वजह से कई महिलाओं की जान गई है···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि उपभोक्ता को नकली सिलेंडर और 'असली' सिलेंडर में फर्क करने में एक कठिनाई पेश आती है। यह मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है। लेकिन हम इसकी जांच अवश्य करेंगे और अगर इस सम्बन्ध में कोई भ्रम है तो हम न केवल माननीय सदस्य को बताएंगे कि इन दोनों में अन्तर किस प्रकार किया जा सकता है, बल्कि आम जनता को भी उसकी जानकारी देंगे। **(व्यवधान)**

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, क्या सरकार को प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस की आपूर्ति किए जाने से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? इस सभा के माननीय सदस्यों ने रसोई गैस कनेक्शनों के लिए आवेदन किया है। उदाहरण के तौर पर मैंने रसोई गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और मैं 15 से भी अधिक दिनों से इन्तजार कर रहा हूं लेकिन मुझे कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। रसोई गैस कनेक्शन अवैध तरीकों से दिए जाते हैं। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, चूंकि सांसदों द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में कुछ गलत-फहमी है अतः मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। संसद सदस्यों द्वारा अनुमोदित बिना बारी के कनेक्शनों के सभी आवेदनों को शीघ्रता से दे दिया जाता है। माननीय कैबिनेट मंत्री ने इसके लिए दो सप्ताह समय

सीमा निर्धारित की है और उसका पालन किया जा रहा है। अतः सांसदों के कोटे के अन्तर्गत आने वाले सभी आवेदन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर निपटाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कोयला निकालना

*654. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर कोयला खानें हैं ;

(ख) इन खानों से प्रति दिन कुल कितना कोयला निकाला जाता है ;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इन खानों से निकाले गए कोयले से कितना मुनाफा हुआ; और

(घ) उन नए स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर कोयले की खोज हेतु कार्य शुरू किया जा रहा है ?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में कोयले की खानें पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, असम तथा मेघालय राज्यों में स्थित हैं।

(ख) वर्ष 1990-91 में कोल इंडिया लि० की खानों से लगभग 6,23,700 टन और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० से 57,875 टन औसतन दैनिक कोयले का उत्पादन हुआ।

(ग) वर्तमान में कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों के वर्ष 1990-91 के लेखे लेखा-परीक्षा आधीन हैं और कमाये गये लाभ के सम्बन्ध में स्थिति लेखों की लेखा-परीक्षा तथा लेखे प्राप्त होने के बाद ही का पता चल सकेगा :

(घ) भारतीय भू-सर्वेक्षण देश के विभिन्न भागों में कोयले के स्रोतों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य निरन्तर रूप में कर रहा है। भारतीय भू-सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों के नए कोयला क्षेत्रों का पता लगाये जाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य हेतु 51 ड्रिलों को तैनात किया। भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए खान अन्वेषण निगम लि० (एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) ने भी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में क्षेत्रीय ड्रिलिंग के कार्य को प्रोत्साहित किए जाने के लिए 22 ड्रिलों की तैनाती की।

[हिन्दी]

डा० लाल बहादुर रावल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जितनी कोयले की मांग है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कभी-कभी इस पर आधारित कारखाने विद्युत गृह बन्द होने की दिशा में पहुंच जाते हैं। देश में पर्याप्त कोयले के भंडार हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस आपूर्ति को सुचारू रूप देने के लिए सरकार की क्या योजना है साथ ही यह भी जानना

चाहता हूं कि जो कभी-कभी अभाव लगता है उसको खत्म करने के लिए क्या कोयले का आयात करने की भी योजना है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : वास्तव में देश में कोयले की कमी नहीं है। हमारे पास अभी लगभग 33 मिलियन टन कोयले का भंडार है। हमारी मुख्य समस्या विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की ढुलाई की है। हमें पहले महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर फिर सामान्य क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यातायात सम्बन्धी समस्याओं के कारण आपूर्ति में कमी रही है। हम रेलवे के सहयोग से इन सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे निकट भविष्य में स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है हम नान कोकिंग कोयले के आयात की अनुमति नहीं देते।

[हिन्दी]

डा० लाल बहादुर रावल : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने कहा कि कोयले की कमी नहीं है और खोज जारी है। मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इस खोज के लिए कोई नई विदेशी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है ताकि कोयले की जो आपूर्ति है वह पूर्ण सम्भव हो सके ? साथ ही क्या कोयला मंत्रालय ने कभी इसके ऊपर भी सोचा है कि जब यह स्रोत खत्म हो जाएगा तो उसका क्या विकल्प हो सकता है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : हम विदेशी तकनीक के साथ आधुनिक तकनीक को लागू करने जा रहे हैं। अगर हमें अपनी उत्पादकता बढ़ानी है तो हमें अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक अपनानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा करते समय मैं सभा को अश्वस्त करना चाहता हूं कि हम यह आश्वासन देंगे कि मजदूर नई प्रौद्योगिकी से प्रभावित न हो। जहां तक हमारे भंडारों के समाप्त होने का सम्बन्ध है, हमें ऐसे किसी खतरे का पूर्वाभास नहीं है क्योंकि 1 जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार हमारे पास 192 बिलियन टन कोयले का अनुमानित भंडार है जो अगले 130 से 150 वर्षों की हमारी जरूरतों को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए।

श्री चन्दुलाल चन्द्राकर : चूंकि कोकिंग कोयले की कमी है, क्यों सरकार धोवन-केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लेगी ? जब तक हम नये धोवन-केन्द्र स्थापित नहीं करते, हमें अधिक से अधिक कोकिंग कोयला आयात करना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हू कि क्या सरकार ने नए धोवन-केन्द्र शुरू करने का निर्णय लिया है।

श्री पी० ए० संगमा : कोकिंग कोयले का उत्पादन वास्तव में कम है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हम कोकिंग कोयले के उत्पादन की तरफ गत समय में शायद अधिक ध्यान नहीं दे पाये। केवल नये धोवन केन्द्र स्थापित करना ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु नई खानें खोलना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि कोकिंग कोयले से प्राप्त राख बहुत अधिक होती है। हम नई खानें शुरू करने हेतु प्रयासरत हैं तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आग से सम्बन्धित है जो झरिया और पूर्व में तथा पश्चिम और मध्य प्रदेश के अन्य भागों में जहां कोकिंग कोयला उपलब्ध है, उत्पन्न हो रही है। हम पिछले 20 वर्षों से चली आ रही आग को रोकने की तकनीक तलाश कर रहे हैं। वह तकनीक शीघ्र ही विकसित होने की उम्मीद है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ली गई परियोजनाओं को लागू न किए जाने के कारण कोकिंग कोयले और नान-कोकिंग कोयले दोनों के उत्पादन में कमी आई है ? चूंकि देश में कोयले के पर्याप्त भंडार हैं और अवैध खदान कार्य से संबंधित गतिविधियां पनप रही है, जिन्हें रोका जाना चाहिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा क्या पूर्वी क्षेत्रों में, विशेषकर जहां कोयले की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, नई परियोजनाओं का कोई प्रस्ताव है ?

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, यह सही है कि परियोजनाओं को लागू करने में बहुत देरी हुई है जिसके परिणामस्वरूप न केवल उत्पादन पर असर पड़ा है बल्कि लागतों में वृद्धि के कारण इन पर अत्याधिक अतिक्ति धन भी खर्च हुआ है। हम इसे इस प्रकार काबू पाने की कोशिक कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से मैं इस समस्या पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा हूं।

जहां तक अवैध खनन का सम्बन्ध है, मैं सोचता हूं कि इसके लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों का सहयोग लेना होगा। हम उनसे सम्पर्क बनाए हुए हैं।

तीसरे, जहां तक नयी परियोजनाओं का सम्बन्ध है, मेरे पास सही आंकड़े तो नहीं हैं। मुझे याद है कि इस वर्ष ईस्ट्रन कोल लिमिटेड के लिए हमने 912 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 नयी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। मैं स्वय भी राजस्व मंत्री तथा संबंधित अधिकारियों से मिलने के लिये कलकत्ता गया था ताकि राजस्व की स्वीकृति तथा अन्य स्वीकृतियां शीघ्र प्राप्त की जा सकें। मुझे इस बात की खुशी है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार हमें सहयोग दे रही है।

श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम : महोदय, हमें यह बताया गया है कि तमिलनाडु के मेट्टूर ताप संयंत्र के लिए उच्च कोटि के केवल सिंगरेनी कोल की ही आवश्यकता है। सिंगरेनी कोल की नियमित सप्लाई नहीं है और अधिकतर समय तो आम सप्लाई भी नहीं मिलती जिसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु के उद्योगों को बिजली नहीं मिल पाती।

मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार, सिंगरेनी कोल के स्थान पर राज्य सरकार को विदेशों से कोयला आयात करने विशेषकर आस्ट्रेलिया से, जहां यह बहुत सस्ता है, की अनुमति प्रदान करेगी।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, सिंगरेनी मेरे लिए बेहद कटु अनुभव रहा है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे तैयार किया गया है। चूंकि यह सिंगरेनी कोयला खान ठीक तरह से काम नहीं कर रही और अपने उत्पादन लक्ष्य से बहुत पीछे है, इसलिए पूरा दक्षिणी क्षेत्र तथा पूरे देश को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हम पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र से कुछ कोयला भेजकर दक्षिणी क्षेत्र की सहायता कर रहे हैं। हम वहां की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते रहे हैं परन्तु हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्णतया पूर्ति करने की स्थिति में नहीं हैं। और मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं।

जहां तक अच्छी किस्म के कोयले के आयात का सम्बन्ध है हम जैसाकि इस समय है, कोकिंग कोल के अतिरिक्त अन्य किसी किस्म के कोयले के आयात की अनुमति नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर्याप्त कोयला भण्डार है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां भारतीय भू-सर्वेक्षण तथा खान अन्वेषण निगम

द्वारा जो ड्रिलिंग कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है, मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों और नये स्रोतों का पता लगाया है और उनसे कितना कोयला प्राप्त होने की सम्भावना है ? वर्तमान में यह कार्य कहां-कहां चल रहा है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य जारी हैं। उनकी सही संख्या तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे पास कुल संख्या तो है परन्तु राज्यवार संख्या नहीं है एक वर्ष में, खोजे गए अतिरिक्त भण्डारों से 4404 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसका मतलब ड्रिलिंग कार्य पूरे जोरों पर है।

श्री मनोरंजन भक्त : देश में कोयले का कुल उत्पादन हर साल बढ़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि ईस्ट्रन कोल लिमिटेड द्वारा 1990-91 वर्ष के मुकाबले में वर्ष 1991-92 का उत्पादन लक्ष्य कम रखा गया है।

चूंकि अपने इस्पात संयंत्र के लिए हम कोकिंग कोल बाहर से प्राप्त कर रहे हैं, क्या यह सम्भव है कि और अधिक धोवनशालाएं हों ताकि राख तत्व कुछ कम हो सकें। हमें आसाम और मेघालय कोल, जोकि मैं समझता हूं कि अच्छी किस्म का कोयला है, प्राप्त करने की सम्भावना का भी पता लगाना चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा : यह सही है कि ईस्ट्रन कोल लिमिटेड में कोयले का उत्पादन कम होता जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि हमारे मौजूदा भण्डार भी समाप्त हो रहे हैं। इसलिए अब हम ईस्ट्रन कोल लिमिटेड के अन्तर्गत नयी परियोजनाएं प्रारम्भ करेंगे। यही बात मैंने कुछ समय पहले संक्षेप में कही थी। हम 912 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ 8 नई परियोजनाएं प्रारम्भ करने जा रहे हैं।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषतः आसाम का सम्बन्ध है हमारे वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि असाम और मेघालय में 10 प्रतिशत तक कोकिंग कोल के भण्डार हैं। इस्पात संयंत्रों की हमारी आवश्कता तो इनसे पूरी हो सकेगी। परन्तु पूर्वोत्तर में ढुलाई सम्बन्धी अनेकों समस्यायें हैं। इन समस्याओं का पता लगाने के लिए हम एक लघु समिति गठित करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि ई० सी० एल० खदानों में कोयला खत्म हो गया है, उससे हम सहमत नहीं हैं। हमारा कहना है कि वहां पर 600 से 1200 मीटर तक गहराई में करीब 27 हजार मिलियन मीट्रिक टन कोयला है, यह अभी नीचे नहीं जा रहा है। उसको निकालने का उचित प्रबंध सरकार नहीं कर रही है और उसकी सेफ्टी का प्रबंध भी नहीं हो रहा है जिसके कारण कोयला आग पकड़ लेता है। अनसाइंटिफिक और स्लाटर माईनिंग के चलते किसानों की जमीन नीचे धंस जाती है। पश्चिम बंगाल में सरकार ने 36 खदान खोली थीं और कहा था कि लैंड रीहैबिलिटेशन वालों को छोड़कर बेकार 20,000 आदमियों को नौकरी देंगे। यह सब भी नहीं हुआ और न ही उनका रीहैबिलिटेशन हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री हाराधन राय : पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ कोल इण्डिया का एक पैकेज हुआ कि

जो गांव धंस रहे हैं, उनको रोकने के लिए साइन्टिफिक मीजर लेने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें ओ० सी० पी० में कोयला लेने के बाद उसको रीक्लेम करने के लिए प्रावधान है। सोनपुर बाजारी पैकेज में यह भी है कि जो गांव इसमें बरबाद हो जाएंगे, उनके रीहैबिलिटेशन की व्यवस्था होगी, उनके परिवारों को नौकरी दी जाएगी, नहीं तो कंपन्सेटरी अलाउंस दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री हाराधन राय : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार उस पैकेज का पालन करने जा रही है और जो बेरोजगारों को नौकरी देने का सवाल है, उसका पालन करने जा रही है या नहीं, इसका जवाब दें। दूसरा प्रश्न यह है कि एक मित्र ने बताया कि कोयला खदानों के लिए विदेशो से मशीनें मंगाई जाती हैं लेकिब उसका इस्तेमाल 30% है। सरकार को मशीन लेने की क्या जरूरत है जहां 70% रुपया ब्लाक हो जाता है ? सरकार सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट स्टोइंग रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम को लागू करे और जमीन की जो जरूरत है उसे पूरा करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको प्रश्न समझ में आ गया है ?

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, माननीय सदस्य एक समझौते का जिक्र कर रहे हैं। हमारे पास बहुम सी परियोजनाएं हैं और बहुत से समझौते हमने किए हैं।

जहां तक विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का सम्बन्ध है पिछली बार मैंने इस माननीय सभा को सूचित किया था कि हम विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक नई योजना शुरू कर रहे हैं जो मेरे विचार में एक बहुत ही अच्छी योजना है और मुझे विश्वास है कि सभा को इससे अति प्रसन्नता होगी। मुझे इसकी इस सत्र के दौरान घोषणा किए जाने की उम्मीद है।

विदेशी कम्पनियों के साथ तकनीकी सहयोग

***655. डा० ए० के० पटेल** :

श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने रेलगाड़ी के डिब्बों तथा ट्रैक्शन मोटर का निर्माण करने हेतु क्रमशः अमरीका की "राकवेल इनकार्पोरेटिड (इन्टरनेशनल)" तथा जापान की "हिताची" कम्पनियों के साथ कोई तकनीकी सहयोग करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो सहयोग करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) ऐसा सहयोग करने की आवश्यकता क्या थी ; और

(घ) क्या ऐसे डिब्बों तथा ट्रैक्शन मोटरों का निर्माण करने के लिए अपेक्षित जानकारी देश में उपलब्ध है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बिजली रेल इंजनों की कर्षण मोटरों के निर्माण के लिए रेलों ने मैसर्स हिताची के साथ तकनीकी सहयोग का करार किया था।

(ख) करार की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी :

ऊष्मारोधन की उच्च क्षमता वाली अधिक शक्तिशाली कर्षण मोटरों के अभिकल्प, नक्शे तथा

उत्पादन-प्रौद्योगिकी सप्लाई करना ; और भारत में निर्माण के लिए पुर्जों तथा कच्चे माल, जुगतों, औजारों तथा जुड़नारों की सप्लाई करना ।

(ग) और (घ) इस प्रकार की मोटर ने निर्माण के लिए अपेक्षित जानकारी देश में उपलब्ध नहीं थी ।

[अनुवाद]

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं इन देशों के साथ हुए अनुबंध की तिथि और कार्य की आज तक की स्थिति के बारे जान सकता हूं ?

श्री मल्लिकार्जुन : अनुबंध वर्ष 1964 में किसी समय किया गया था। फिर इस अनुमोदन किया गया था। पिछले 1970 के दशक के दौरान उन्होंने एक आविप्ररूप तैयार किया था जो उस समय उपयुक्त नहीं था। फिर उसमें सुधार किया गया। वर्ष 1980 में एक आदिप्ररूप तैयार किया गया जो हमारी भारतीय परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल था। इस प्रकार आगे उत्पादन करना शुरू किया गया था। इस हितैची कम्पनी के साथ हमने प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण हेतु एक समझौता किया है। हम पहले ही 108 मिलियन मेन दे चुके हैं।

डा० अमृत लाल कालिदास पटेल : समझौता करने के पश्चात् हमारा देश कब तक इस प्रौद्योगिकी को विकसित करने में समर्थ हो सकेगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : हमारी सरकार और हितैची कम्पनी के बीच एक समझौता हुआ है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स को एक उप-लाइसेंस दिया गया है और उसके लिए कॉम्पटन ग्रीबस भी सहमत हो गई है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स ट्रैक्शन मोटरों का उत्पादन करती है ; उसने बहुत सी ट्रैक्शन मोटरों की सप्लाई भी की है। क्रॉम्पटन ग्रीवस भी उनका उत्पादन करेगी।

श्री शरत चन्द्र पटनायक : क्या सरकार तीव्र शहरी परिवहन प्रणाली के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करने पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्री मल्लिकार्जुन : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास कोई जानकारी नहीं है ; उन्हें एक नोटिस की आवश्यकता है ।

गोवा में पर्यटन विकास

*65<. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि गोवा में पर्यटन क्षमता वाले पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पर्यटन के लिए किसी स्थान का विकास करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। तथापि केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को उनसे मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर और धन की उपलब्धता, गुण-दोष तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गोवा में पर्यटन विकास सम्बन्धी स्कीमों के लिए

41.89 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 1991-92 के दौरान गोवा में पर्यटन आधारिक-संरचना में वृद्धि करने के लिए 26.49 लाख रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये : क्या भारत सरकार के पास गोवा सरकार के लिए प्राप्त कोई वित्तीय सहायता का प्रस्ताव लम्बित है ?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : वास्तव में, इस वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 26.48 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसलिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये : गोवा एक खूबसूरत स्थान है। मेरे विचार में पर्यटन के विकास के लिए भारत सरकार की सहायता की जरूरत है। उन्हें गोवा से आने वाले प्रस्ताव का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कि पर्यटन मन्त्री बहुत सक्रिय व्यक्ति है और उनके पास नए-नए विचार हैं। आज विश्व के कुल पर्यटक यातायात में भारत के पर्यटन का हिस्सा केवल एक प्रतिशत है। मैं गोवा में पर्यटन के विकास के लिए भारत सरकार से नए विचारों के साथ आगे आने का अनुरोध करूंगा। गोवा को एक बहुत अच्छी सांस्कृतिक विरासत में प्राप्त हुई है। गोवा में धार्मिक स्थान ऐतिहासिक स्थान, नदियां, समुद्र तट और पर्वतीय स्थान हैं। अगर इन सभी स्थानों का विकास हो जाए तो गोवा बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। और इस प्रकार से सरकार बहुत विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती है।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : अगर राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होता है तो सम्पूर्ण प्रस्ताव की जांच करने के लिए तैयार है।

श्री अन्ना जोशी : क्या पर्यटन स्थलों का विकास निजी संस्थाओं/निजी व्यक्तियों, अनिवासी भारतीयों अथवा कम्पनियों के माध्यम से करवाए जाने की कोई योजना है; यदि हां, तो क्या सरकार को उससे सम्बन्धित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : मैं इस प्रश्न का पहले कई बार जवाब दे चुका हूं। मैं गोवा के बारे में उनके विचार से पूरी तरह सहमत हूं। यह पर्यटकों के हित की दृष्टि से तथा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। हम गोवा को एक बड़े पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, करेंगे।

जहां तक प्रस्तावों का सम्बन्ध है, हमने भी बहुत बार प्रस्ताव भेजे थे। हमने यात्रा परिपथ प्रस्ताव भी भेजे थे जो वहां स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार से प्राप्त बहुत से अन्य प्रस्तावों पर हम अमल करने जा रहे हैं। हम एक-एक मामले को ले रहे हैं। बहुत बार निजी क्षेत्र में भी कुछ प्रस्तावों पर हमारी स्वीकृति ही मांगी है। अतः यह एक सामूहिक प्रयास है। राज्य सरकार से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

ऐसे बहुत से प्रस्ताव हैं जो हम राज्य सरकारों को देते हैं और ऐसे भी बहुत से प्रस्ताव हैं जो हमें निजी क्षेत्र से भी प्राप्त होते हैं। ये सब मिले-जुले प्रस्ताव हैं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार जो सहायता देती है, इसके लिए कोई नियम कायदे कानून हैं कि नहीं क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा पर्यटन केन्द्र हैं, वहां बुद्ध की भूमि है, वहीं उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ है,

सीतामढ़ी, वैशाली वहां की जननी रही है, लेकिन ये सारे के सारे नैग्लेक्टेड प्लेस हैं जहां रेलवे और वायु-यान की बात छोड़ दीजिए, वहां सड़क का भी विकास नहीं हुआ है। उस परिस्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि जब भारत सरकार कोई सहायता देती है, (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : हां, बस्तर की बात है, सभी जगह की बात है, तो मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि सहायता देने के लिए सरकार की क्या नीति है और इनके विकास के लिए सरकार के पास कोई क्राइटीरिया है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : मुझे इसके लिए नोटिस चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि उन्हें इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो एक जनरल पॉलिसी की बात की बात पूछी है। मैं केवल बिहार की ही बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो जनरल नीति की बात पूछ रहा हूं कि पर्यटन केन्द्रों के विकास की भारत सरकार की क्या नीति है ? यह उत्तर तो मंत्री महोदय की तरफ से आना चाहिए अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : रामविलास जी, 100 करोड़ रुपए जापान से आए हैं, वे बिहार में ही खर्च होंगे।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि गोवा पर्यटन हेतु एक बहुत महत्व-पूर्ण स्थान है और इसकी महत्ता को देखते हुए सरकार ने सम्पूर्ण सातवीं योजना के दौरान केवल 41 लाख रुपए आबंटित किए हैं। अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो इसकी महत्ता को देखते हुए 41 लाख रुपए पूरे पांच वर्षों के लिए न के बराबर है।

मैं यह भी जानता हूं कि राज्य परियोजनाएं और भारतीय पर्यटन विकास निगम की योजनाओं में बहुत अन्तर है। भारतीय पर्यटन विकास निगम की योजनाए अपेक्षाकृत अधिक अच्छी और सुव्यविस्थत हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का पता लगाकर उन्हें अधिक धनराशि आबंटित करेंगे ताकि इसमें उनका योगदान अधिक हो सके ?

श्री माधवराव सिंधिया : यह प्रश्न नीति के सम्बन्ध में है। लेकिन मैं, माननीय सदस्य ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के सम्बन्ध में जो शब्द कहे, उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

पक्षियों के टकराने से होने वाली विमान दुर्घटनाएं

*647. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक** :

श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पक्षियों के टकराने से हुई दुर्घटनाओं का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान इस कारण से माल की कितनी क्षति और राजस्व की कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिससे विमानपत्तनों के आसपास पक्षियों के उड़ते रहने से पैदा होने वाले खतरे से बचा जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०ओ०एच० फारूक) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पक्षी टकराव के कारण कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान पक्षियों के टकराने की घटनाओं की संख्या दी गई है—

वर्ष	1988	1989	1990	1991
पक्षी टकराव	162	138	138	42

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पक्षियों के टकराने से विमानों की मरम्मत पर आई लागत (लाख रुपयों में) के कारण हुए घाटे के ब्यौरे इस प्रकार हैं—

वर्ष	1988	1989	1990
घाटा	240	546	724

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने पक्षियों के टकराने की घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं जिन्हें प्रमुख सिविल हवाई अड्डों पर कृतिक बलों द्वारा अन्य सिविल हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबन्ध समितियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : अध्यक्ष महोदय, विमानपत्तन के आसपास सफाई न होना और विशेषकर वहां कूड़े-कचरे के कारण पक्षी आकर्षित होते हैं। दूसरी तरफ झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को कोई वैकल्पिक स्थान प्रदान किए बगैर उनको वहां से हटाना कठोर और अमानवीय दृष्टि-कोण दर्शाती है, और इसकी गंध के कारण अत: मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मन्त्री सभा को सूचित करेंगे कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनन प्राधिकरण की झुग्गी-झोपड़ियों में स्वास्थ्यकर परिस्थितियों को बनाये रखने के लिए धनराशि प्रदान करने की योजना है विशेषकर जबकि पक्षी के टकराने के कारण जहाज के गिरने और नुकसान के फलस्वरूप आय में हुए करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : नहीं, महोदय।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : चूंकि सभा-पटल पर रखे गए वक्तव्य में यह कहा गया है कि उपायों को लागू करने के सम्बन्ध में हवाई-अड्डे पर प्रबन्ध अधिकारियों को भी शामिल किया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री विशेषकर पर्यावरण की दृष्टि से कुछ विशेष उपाय करने जा रहे हैं ?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : हमने बहुत से उपाय किये हैं। ये उपाय हैं : (1) हवाई अड्डे से वृक्षों को हटाना; (2) हवाई अड्डे से झाड़ियों को हटाना और वहां खेती न करना; (3) हवाई अड्डा क्षेत्र को समतल बनाना; (4) हवाई अड्डा क्षेत्र के भीतर डब घास और वनस्पति रोपण पर नियन्त्रण; (5) विभिन्न इमारतों और हैंगरों में कबूतरों की रोकथाम के उपाय करना, (6) विमान क्षेत्रों से मवेशियों को हटाना और (7) हवाई-अड्डों के पासपास मांसाहारी कूड़े पर नियन्त्रण रखना तथा आधुनिक अवशिष्ट पदार्थों और कूड़े-करकट को संसाधित करने वाली इकाइयों के माध्यम से गिद्ध और पारिया चीलों को वहां से हटाना।

श्री ई० अहमद : महोदय, जवाब में यह बताया गया था कि वर्ष 1988 में 162 पक्षी टकराये और 240 लाख रुपये मरम्मत लागत आई; वर्ष 1989 में 138 पक्षी टकराये और मरम्मत लागत 546 लाख रुपये आई तथा वर्ष 1990 में 138 पक्षी टकराये और मरम्मत लागत 724 लाख रुपये मरम्मत लागत आई। मैं मन्त्री महोदय से वर्ष 1989 और वर्ष 1990 की मरम्मत लागत में अत्यधिक अन्तर का कारण जानना चाहता हूं। क्या यह पक्षी के टकराने के कारण था अथवा किसी अन्य कारण से?

मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दिल्ली और साथ ही त्रिवेन्द्रम में भी पक्षियों के टकराने, जोकि एक सामान्य घटना है, से बचने के लिए उपायों पर विचार कर रही है।

श्री माधवराव सिंधिया : मरम्मत लागत में अन्तर वास्तव में विमानों के विशेष हिस्से तथा किस स्थान पर पक्षी टकराता है, दोनों पर निर्भर करती है। स्वाभाविक है कि प्रत्येक मामले के अनुसार ही इन्जीनियरिंग और पुर्जे बदलने की लागत में अन्तर होगा।

श्री पी० एस० चेतन चौहान : महोदय, दो वर्ष पहले समाचार-पत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि इण्डियन एयरलाइन्स और इण्डियन एयर फोर्स में पक्षियों के टकराने के कारण हुई दुर्घटनाओं में यह देखा गया कि इण्डियन एयर फोर्स की दुर्घटनाओं की अपेक्षा लगभग में पांच गुणा कम थी और इन कारणों में, हो सकता है इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों का देर से आना-जाना; विमानचालकों का प्रकाश संकेतों के प्रति बहुत सतर्क न होना। क्या मन्त्री महोदय इस पर कुछ कार्यवाही करेंगे?

हांग-कांग और सिंगापुर में भी विमान के उड़ने से पहले धमाका अर्थात् बम अथवा पटाखा छोड़ा जाता है। क्या मन्त्रालय कुछ इसी प्रकार का तरीका यहां भी अपनाने पर विचार कर रहा है?

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, माननीय सदस्य को समाचारपत्र द्वारा गलत सूचना मिली है क्योंकि वर्ष 1980 और 1988 के आठ वर्ष के अन्तराल में जितने पक्षी टकराये मेरे पास उसके प्रतिशत-वार विवरण मौजूद हैं। पक्षियों के टकराहट के कारण हुई दुर्घटनाओं की कुल घटनाओं का छियत्तर प्रतिशत इण्डियन-एयर-फोर्स के विमानों का है। जहां तक इण्डियन-एयरलाइन्स का सम्बन्ध है, उसमें यह प्रतिशत केवल 13.5 था और एयर इण्डिया में 0.7 प्रतिशत था।

श्री पी० एस० चेतन चौहान : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : उस पर यहां विचार हो रहा है।

श्री चाईमा सिंह युमनाम : क्या मैं माननीय मन्त्री से पक्षियों के टकराने के अलावा हुई अन्य दुर्घटनाओं की संख्या जान सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए उन्हें एक नोटिस की आवश्यकता है।

श्री माधवराव सिंधिया : ये दुर्घटनायें पक्षियों के टकराने की वजह से नहीं हुई।

बिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा राजस्व की वसूली

*658. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के प्रथम दो महीनों के दौरान विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा राजस्व वसूली में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान कितनी धनराशि वसूल की गई और 1990 की इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) वसूली में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) वसूली तन्त्र को चुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों (अप्रैल-मई, 1991) के दौरान डेसू द्वारा, कुल 102.10 करोड़ रुपए राजस्व (रिवेन्यू) की वसूली की गई जोकि 1990 में उपर्युक्त महीनों के दौरान 80.56 करोड़ रुपए की वसूली से अधिक है।

(घ) राजस्व वसूली की स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं— विद्युत की चोरी/इसके दुरुपयोग के मामलों का पता लगाने के लिए छापों में तेजी लाना, नए कनैक्शन के मामले में पहला बिल जारी किए जाने में लगने वाले समय में कमी लाना, खपत असामान्य रूप से कम पाए जाने पर मीटर की जांच करना आदि।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि डेसू की बिजली की जो चोरी होती है वह कितने परसेंट होती है और यदि एक प्रतिशत की चोरी हो तो कितने करोड़ रुपये का नुकसान होता है ?

श्री कल्पनाथ राय : माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा है कि रैवन्यू राजस्व में बढ़ोतरी हुई है या घाटा हुआ है। पिछले राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने में 15,970 रेडस करवाए गए, उसमें 344 एफ० आर० आर० लौज हुए। बहुत से लोगों को जेल जाना पड़ा और विद्युत के राजस्व की दिशा में बहुत कदम उठाए गए हैं। इससे रैवन्यू में भारी बढ़ोतरी हुई है।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने यह सवाल पूछा है कि कितने प्रतिशत बिजली की चोरी होती है और एक प्रतिशत की चोरी हो तो कितना नुकसान होता है।

श्री कल्पनाथ राय : आपके इस सवाल का मूल प्रश्न से कोई रिश्ता नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना : आपने जवाब में साफ कहा है कि जो बिजली चोरी हो रही है, उसको रोकने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। मेरा यह सवाल है कि वह कितनी चोरी होती है ?

श्री कल्पनाथ राय : चोरी का पूरा हिसाब श्री मदन लाल जी को मालूम है । (**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : यह अभी तक चोरी के हिस्सेवार बने हैं (**व्यवधान**) मेरा यह सवाल है कि एक परसेंट चोरी का कितना रुपया जाता है ? (**व्यवधान**)

ऐसी दिल्ली के अन्दर कितनी कमर्शियल पार्टियां हैं जिन से एक करोड़ रुपये से ज्यादा रुपया डेसू ने लेना है और कब से लेना है ? इसे वसूल अब तक न करने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, आपको यह मालूम ही है कि हमारे यहां एक इण्डस्ट्रियल कंज्यूमर्स है और दूसरा कमर्शियल इण्डस्ट्रिज हैं । आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि जो डेसू के खिलाफ पिछले दो महीने में अभियान चलाया गया उसके कारण 7 इण्डस्ट्रियल फर्निसेज बन्द हो गये, 25970 रेड किये गए जोकि पिछले तीन बरस के इतिहास में कभी नहीं हुआ । (**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : इसमें से 90 परसेंट झुग्गी वालों का लिया गया । (**व्यवधान**) मंत्री जी यह बतायें कि धन्ना-सेठों से कितना पैसा लेना है ? (**व्यवधान**)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिहार राज्य में विद्युत बोर्ड को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तीय सहायता

[**हिन्दी**]

*659. **श्री रामशरण यादव** :

श्री तेज नारायण सिंह : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु गत दो वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ; और

(ख) इस दिशा में अब तक क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान गांवों के इलैक्ट्रिफिकेशन (पम्पसैटों के एनरजाइजेशन सहित) के लिए रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर० ई० सी०) द्वारा बिहार राज्य बिजली बोर्ड को दी गई राशि इस प्रकार है :-

1989-90	—	4552 लाख रुपए
1990-91	—	2641 लाख रुपए

इसके अलावा कुटीर ज्योति कार्यक्रम के लिए 1989-90 में 166 लाख रुपए और 1990-91 के दौरान 43 लाख रुपए अनुदान के रूप मे दिए गए थे ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार में आर०ई०सी० स्कीमों के अन्तर्गत, गांवों के इलैक्ट्रिफिकेशन और पम्पसैटों के एनरजाइजेशन के सम्बन्ध में बिहार राज्य बिजली बोर्ड के लक्ष्यों और उनकी

उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है—

वर्ष	गांव		पम्पसैट	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1989-90	2300	2318	10,000	9,035
1990-91	1500	735	10,000	5,514

एयर इण्डिया को हुआ घाटा

[अनुवाद]

*660. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** :

श्री लोकनाथ चौधरी : क्या नागर और विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की ट्रैवल एजेंसियों द्वारा अपने कार्यालय बन्द कर दिए जाने के कारण एयर इंडिया को भारी वित्तीय घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन ट्रैवल एजेंटों को किन शर्तों पर प्राधिकृत किया गया था ;

(घ) क्या एयर इंडिया ने अपनी उस शर्त में ढील दी थी जिसके अनुसार ट्रैवल एजेंट को पिछले पखवाड़े के अपने व्यापार का हिसाब प्रति माह की 15 और 30 तिथि को देना होता था ;

(ङ) यदि हां, तो तिथियों के सम्बन्ध में छूट कब से दी गई है;

(च) क्या अधिकारियों/कर्मचारियों और ट्रैवल एजेंटों के बीच सम्भवतः हुई किसी सांठगांठ का पता लगाने हेतु कोई जांच आदेश दिए गए हैं; और

(छ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एक मामला ऐसा हुआ कि एक ट्रैवल एजेंट ने अपना कार्यालय बन्द कर दिया और वह फरार हो गया जबकि दो अन्य एजेंटों ने एयर इंडिया को अपनी अदायगियां नहीं की। इस समय उनके विरुद्ध बकाया कुल सकल राशि 130.58 लाख रुपए हैं।

(ग) वे आयटा ट्रैवल एजेंट हैं औम आयटा द्वारा निर्धारित शर्तों और निबन्धनों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) प्राथमिक जांच से पता चलता है कि एयर इंडिया कर्मचारियों और ट्रैवल एजेंटों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। फरार ट्रैवल एजेंट के विरुद्ध भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

एयर इण्डिया/वायुदूत/पवनहंस के विमानों की उड़ान बन्द किया जाना

*661. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :

श्री रमेशचन्द्र तोमर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया, वायुदूत और पवनहंस लिमिटेड के कितने विमानों का उड़ना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) इनकी उड़ान कब से बन्द कर दी गई और किन किन कारणों से ;

(ग) इस कार्यवाही से किन-किन विमान मार्गों/सेवाओं पर प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) निर्धारित रख-रखाव के लिए रोके गए विमानों के अतिरिक्त एयर इंडिया का ऐसा कोई विमान नहीं है जो प्रचालन नहीं कर रहा है। वायुदूत के दो डोर्नियर और दो एव्रो विमान, इंजिनों और कल-पुर्जों के अभाव में लगभग तीन महीने से अधिक समय से प्रचालन नहीं कर रहे हैं। पवनहंस लिमिटेड के 18 वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों को 9 फरवरी, 1991 से स्थायी तौर पर ग्राउंड कर दिया गया है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया और वायुदूत के मामलों में कोई भी मार्ग/सेवाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। पवनहंस लिमिटेड ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध कर लिए हैं।

जलेसर रोड स्टेशन पर रेलगाड़ियों का रुकना

[हिन्दी]

*662. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर-इलाहाबाद-दिल्ली रेल मार्ग पर जलेसर रोड स्टेशन पर रुकने वाली मेल/एक्स-प्रेस/सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की संख्या और नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का वहां पर अन्य रेलगाड़ियों को भी रोकने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1. 4083/4084 दिल्ली-कटिहार महानन्दा एक्सप्रेस।

2. 8101/8102 अमृतसर-हटिया/टाटानगर एक्सप्रेस।

3. 3039/3040 दिल्ली-हावड़ा जनता एक्सप्रेस।

4. 4023/4024 दिल्ली-फर्रूखाबाद कालिंदी एक्सप्रेस।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मौजूदा गाड़ी सेवाएं यातायात की जरूरतों को समुचित ढंग से पूरा करती हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन

*663. **श्री राजवीर सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और उसे कब से लागू किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी भविष्य निधि और ग्रेच्यूटी के लाभ मिलत हैं। पेंशन योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विकलांग व्यक्तियों को रेल किराए में रियायत

[अनुवाद]

*664. **श्री एम० डेनिस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों को रेल किराये में रियायत देती है; और

(ख) यदि हां, तो विकलांग सहायकों (एस्कोर्ट्स) को क्या रियायत दी जाती है, और ऐसी रियायत कितने प्रतिशत दी जाती है और किस गाड़ी (सुपरफास्ट, मेल, एक्सप्रेस आदि) में और किस श्रेणी में दी जाती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। शारीरिक दृष्टि से विकलांग/पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस तथा हाल ही में चलाई गई नयी दिल्ली-बम्बई सेन्ट्रल ए० सी० एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़कर, सभी गाड़ियों में पहले तथा दूसरे दर्जे में यात्रा के लिए 75% की रियायत के पात्र हैं। मदद के लिए साथ जाने वाले व्यक्ति भी इतनी ही रियायत के पात्र हैं।

मुरादाबाद में जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्तियां

[हिन्दी]

*665. **डा० एस० पी० यादव** :

श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद जोन में आरक्षित कोटे के पदों पर जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्तियां किये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मार्च, 1990 में इस आशय की एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में दो व्यक्तियों ने छद्म रूप धारण करके अनुसूचित जनजाति के कोटे में नियुक्ति प्राप्त कर ली है। उत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा यह मामला जांच-पड़ताल के लिए अपने हाथ में लिया गया था। बहरहाल, जांच शुरू किये जाने के बाद, ये दोनों व्यक्ति अप्रैल 1990 से फरार हो गए। तत्पश्चात् इन दोनों को बर्खास्त कर दिया गया।

(ग) जिन रेल कर्मचारियों की इस मामले में मिली भगत थी, उनके विरुद्ध रेल कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है।

भारत पर्यटन विकास निगम में शिकायत-कक्ष का कार्यकरण

[अनुवाद]

*666. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और जून, 1991 तक भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी शिकायत कक्ष और सार्वजनिक शिकायत कक्ष को कितनी-कितनी और किस-किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) इन शिकायत कक्षों में से प्रत्येक ने अब तक कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की;

(ग) क्या सरकार/भारत पर्यटन विकास निगम प्रबन्धन ने इन शिकायत कक्षों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन इस आधार पर किया है कि इनके द्वारा निपटाई गई शिकायतों से भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यकरण में कितना सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार किये गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने निगम कार्यालय में अप्रैल 1988 में एक सार्वजनिक शिकायत-कक्ष और जनवरी, 1989 में एक कर्मचारी शिकायत-कक्ष की स्थापना की थी।

सार्वजनिक शिकायत-कक्ष को प्रारम्भ होने के बाद जून, 1991 तक जनता से 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 13 का निपटान कर दिया गया है।

चूंकि कर्मचारी शिकायत-कक्ष कर्मचारियों के पदोन्नति, स्थानान्तरण, वरिष्ठता, आदि जैसे कार्मिक मामलों से सम्बधिन्त अभ्यावेदनों पर उनकी निजी फाइलों पर कार्रवाई करता है, इसलिए इन शिकायतों के आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(ग) और (घ) कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है परन्तु शिकायतों का निवारण करने के लिए तंत्र की क्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से उपचारी उपाय निरन्तर किये जाते रहते हैं।

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में हवाई अड्डे

*667. **श्री बलराज पासी** :

श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश स्थित गौचर, गोपेश्वर तथा रतूड़ा में प्रस्तावित हवाई अड्डों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्माण के लिए सर्वेक्षण कब पूरा हुआ था और उन पर खर्च के लिए अनुमानतः कितनी राशि रखी गई है; और

(घ) प्रत्येक मामले में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) उत्तर प्रदेश में गौचर, गोपेश्वर और रतूड़ा में हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

(ख) हमारी एयरलाइनों के पास उपलब्ध परिचालनात्मक क्षमता, इस प्रकार के हवाई अड्डों के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन, यातायात संभाव्यता और इस प्रकार के विमान क्षेत्र के लिए परिचालनों की आर्थिक साध्यता इस समय ऐसी नहीं है कि इस प्रकार के हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमति दी जा सके।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य योजना

*668. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए एक उदार स्वास्थ्य योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारियों से लिए जाने वाले अंशदान हेतु क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत क्या-क्या सेवाएं प्रदान की जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी, उसका पति/उसकी पत्नी तथा विधवा आश्रित मां अन्तिम माह के मूल वेतन का एक-बारगी अंशदान करने पर रेलवे अस्पतालों/स्वास्थ्य यूनिटों में निशुल्क बहिरंग तथा अंतरंग उपचार कराने के पात्र हैं। उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों को भेजे गए मामलों में उपचार पर आने वाले खर्च के 50% खर्च की प्रतिपूर्ति, कृत्रिम अंग की एक बार निःशुल्क सप्लाई तथा पेस मेकरों का रेलवे अस्पतालों में प्रत्यारोपण किए जाने पर, मामूली लागत पर उनकी सप्लाई।

एयर इण्डिया/इण्डियन एयरलान्स की उड़ानों में समय की पाबन्दी

*669. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की कौन-कौन सी उड़ानें निर्धारित समय पर संचालित नहीं की जा सकीं; और

(ख) उसके क्या कारण हैं और इनमें समय की पाबन्दी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया की विलम्बित उड़ानों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

मास	इंडियन एयरलाइन्स की निर्धारित उड़ानें	विलम्बित उड़ानों की संख्या	एयर इंडिया की निर्धारित उड़ानें	विलम्बित उड़ानों की संख्या
फरवरी	4470	1363	865	86
मार्च	6850	1955	1032	87
अप्रैल	6556	2009	1238	131
मई	7351	2598	934	129
जून	7077	3408	1171	174
जुलाई	7286	2410	1338	166

(ख) इंजीनियरी खराबियां, मौसम, हवाई अड्डे की औपचारिकताओं में विलम्ब, पक्षियों का टकराना आदि निर्धारित उड़ानों में विलम्ब होने के प्रमुख कारण हैं। दोनों एयरलाइनें विलम्ब के मामलों पर बारीकी से निगरानी रखकर और उपचारात्मक उपाय करके अपनी उड़ानों की समय-पाबन्दी में सुधार करने का निरन्तर प्रयास करती हैं। उठाये गए कदमों के परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स की समय-पाबन्दी की दर में सुधार हुआ है जो कि जून, 1991 में औसतन लगभग 52% से सुधार कर अगस्त, 1991 में लगभग 75% हो गई। एयर इंडिया लगभग 88% औसत समय-पाबन्दी की दर को बनाये हुए हैं।

कोयले पर रायल्टी

*670. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** :

प्रो० रासा सिंह रावत : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर रायल्टी में वृद्धि के प्रश्न पर विचार के लिए कोयला उत्पादक राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह वृद्धि, राज्यों द्वारा कोयले पर उपकर लगाए जाने की पिछली तिथि से प्रभावी होगी; और

(घ) इस वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य को कितना शुद्ध लाभ होने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा अदा की गई तथा संग्रहण की गई रायल्टी तथा उपकर की राज्यवार राशि और रायल्टी की अनुमानित

राशि, जो कि कोयले पर रायल्टी की संशोधित दरों के आधार पर राज्यों को देय होती, और जिसे 1-8-1991 से प्रभावी किया गया है, के सम्बन्ध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु० में)

राज्य का नाम	वर्ष 1989-90 के दौरान को० इं० लि० सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा अदा की गई रायल्टी तथा उपकर की राशि (अनन्तिम)			रायल्टी की कुल राशि जोकि देय होती यदि कोयले पर रायल्टी की संशोधित दरें वर्ष 1989-90 के दौरान लागू की जाती
	रायल्टी	उपकर	जोड़	
1. आंध्र प्रदेश	8.62	46.65	55.27	119.00
2. असम	0.52	उ०न०	0.52	9.58
3. बिहार	27.93	648.59	676.52	541.39
4. मध्य प्रदेश	23.03	22.32	45.35	334.83
5. महाराष्ट्र	6.91	0 83	7.74	96.31
6. उत्तर प्रदेश	6.64	3.34	9.98	26.53
7. उड़ीसा	4.11	42.71	46.82	45.26
8. पश्चिम बंगाल	11.17	279.49	290.66	176.89
जोड़	88.93	1043.93	1132.86	1349.79

बिहार में कोयला चूर्ण का प्रयोग

[हिन्दी]

5340. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग (बिहार) की कोयला खानों से कोयला चूर्ण व्यर्थ ही नदी में बह जाता है;

(ख) क्या सरकार ने इस कोयला-चूर्ण से खाद और कुकिंग कोल का उत्पादन करने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) हजारीबाग जिले की कोयला खानों से नदी में कोयले का कोई चूर्ण नहीं बहता है । किन्तु कभी-कभी कुछ मात्रा में फाइन कोयला

स्लरी नदी में बह जाती है। वाशरी सरकटों को ठीक किए जाने के सम्बन्ध में पहले ही कदम उठा लिए गए हैं ताकि वाशरियों से कोयले का चूर्ण न बहे।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० विभिन्न खानों में उपलब्ध फाइन कोयले से घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाने के लिए कोयले के ब्रिकेटों को उद्यमियों द्वारा निर्मित किए जाने के कार्य को प्रोत्साहन दे रही है। अभी तक कोयले के ब्रिकेटों को निर्मित किए जाने के लिए 898 आवेदकों को कोयले सम्बन्धी स्वीकृति दी गई है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स में कोयले का उत्पादन

[अनुवाद]

5341. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया था और वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी होने के क्या कारण हैं और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) इस सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है—

(मिलियन टन में)

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन
1988-89	30.10	30.13
1989-90	30.90	24.49
1990-91	29.00	23.47

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान लक्ष्य उत्पादन की तुलना में उत्पादन में कमी समय पर भूमि की उपलब्धता में आई कठिनाई, विद्युत की कमी, श्रमिकों की अनुपस्थिति, कानून तथा व्यवस्था की समस्या, आदि के कारण हुई। कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित कदम शामिल हैं—फालतू श्रमिकों की पुनः तैनाती निरन्तर निगरानी, नई खानों का खोला जाना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग और कोयले के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किए जाने के लिए समय पर आगतों तथा संरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध किया जाना।

मध्य प्रदेश में पम्पसैटों को बिजली से चालू करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

5342. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई और कितने सिंचाई पम्पों को बिजली से चालू किया गया तथा कितने गांवों का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के पास प्रतिवर्ष लगभग 4,000 नये गांवों का विद्युतीकरण करने तथा 1,00,000 सिचाई पम्पों को बिजली से चालू करने की क्षमता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस राज्य में विद्युतीकरण की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार का पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में 2980 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था और 85,500 पम्पसैटों को ऊर्जित किया गया था। 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में विद्युतीकरण किए जाने वाले शेष गांवों की संख्या 8165 है।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने विगत में एक वर्ष के अन्दर 4000 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण करने और 1,00,000 पम्पसेट ऊर्जित करने का लक्ष्य प्राप्त किया था।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश के ग्राम विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के लिए 1620 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने और 64,250 पम्पसेटों को ऊर्जित किए जाने के लिए 119.35 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। संसाधनों की समग्र उपलब्धता के आधार पर योजना आयोग द्वारा वार्षिक परिव्यय से सम्बन्धित कार्यक्रम के बारे में निर्णय लिया जाना है।

केरल में विद्युत उत्पादन

5343. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान केरल में बिजली का कितना उत्पादन हुआ तथा बिजली का कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान केरल में ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम की अपेक्षा वास्तविक उप्पादन का ब्यौरा निम्नवत है :—

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	कार्यक्रम	वास्तविक ऊर्जा उत्पादन	कार्यक्रम का प्रतिशत
1988-89	4300	4553	105.9
1989-90	4622	5068	109.6
1990-91	5205	5494	105.6

मद्रास-मदुरै सेक्शन पर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5344. **श्रीमती वासवराजेश्वरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास से मदुरै तक की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगियां ।

कलायनाडु में नया स्टेशन

5345. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पुनलूर के निकट कोटा-मदुराई मीटर गेज लाइन पर क्विलोन शेन कलायनाडु में नये रेलवे स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

5346. **श्री शिव शरण सिंह** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में कितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(ख) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन दोनों जिलों के बचे हुए गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 434 तथा वैशाली जिले में 313 गांवों का विद्युतीकरण अभी किया जाना है।

(ख) और (ग) जिलेवार प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में राज्य प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक आधार पर अन्तिम निर्णय किया जाता है जोकि योजना आयोग द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य पर निर्भर करना है । आठवीं योजना के लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

ईरोड से कोयम्बटूर और त्रिवेन्द्रम तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

5348. **श्री पी० सी० थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरोड से कोयम्बटूर और कोयम्बटूर से त्रिवेन्द्रम तक रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस परियोजना हेतु कोई धनराशि आबंटित की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुवाहाटी हवाई अड्डे पर सुधार कार्य

5349. **श्री ऊद्धव बर्मन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी हवाई अड्डे को सुधारने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) बढ़ती हुई यातायात मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गुवाहाटी में वर्तमान टर्मिनल भवन के विस्तार और सुधार करने की योजना है । इसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के बाद परियोजना के कार्यान्वयन को शुरू किया जाएगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सनपाडा में रेलवे स्टेशन

[हिन्दी]

5350. **श्री गोविन्द राव निकम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मान-खुर्द-वेलापुर रेल लाइन पर सनपाडा में रेलवे स्टेशन का निर्माण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल ऐसा कोई अनुमोदित प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मानखुर्द-वेलापुर रेलवे लाइन की परियोजना रिपोर्ट में प्रारम्भिक चरण में केवल चार स्टेशनों और भविष्य में सनपाडा में एक अतिरिक्त स्टेशन के निर्माण की व्यवस्था है।

जमशेदपुर-बिलासपुर सेक्शन में अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाना

[अनुवाद]

5351. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में जमशेदपुर और बिलासपुर रेलवे सेक्शन पर आने जाने वाले यात्री और मालगाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सेक्शन पर इन गाड़ियों के कारण भीड़भाड़ को कम करने के अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जमशेदपुर और बिलासपुर के बीच कुछ उप-खंडों पर उनकी अनुकूलतम क्षमता से अधिक यातायात हो रहा है ।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के बजट में 35.9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बिलासपुर और अकलतरा (27 कि० मी०) के बीच एक अतिरिक्त लाइन जो तीसरी लाइन होगी, स्वीकृत की गई है ।

बख्तियारपुर जंक्शन पर एक्सप्रेस गाड़ियों को रोकना

[हिन्दी]

5352. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बख्तियारपुर जंक्शन पर डीलक्स नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस तथा अन्य एक्सप्रेस गाड़ियों को रोकने पर विचार कर रही है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 2303/2304 वातानुकूल एक्सप्रेस (डीलक्स) अथवा किसी अतिरिक्त मेल/एक्सप्रेस गाड़ी का बख्तियारपुर में ठहराव देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । 2521/2522 नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस बख्तियारपुर से होकर नहीं जाती है ।

नासिक में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति

[अनुवाद]

5353. **श्री अन्ना जोशी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंगबकेश्वर में कुम्भ मेले के सिंहस्थ पर्व का आयोजन किया जायेगा; और

(ख) वहां पर डीजल, पेट्रोल तथा रसोई गैस की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है और उत्सव के दौरान अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) पेट्रोल, डीजल तथा एल० पी० जी० की पूरी जरूरत को पूरा किया जा रहा है । त्यौहार की मांग से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नासिक जिले के लिए 500 कि०ली० एस० के० ओ० का अतिरिक्त आवंटन किया है ।

हरियाणा में पर्यटन स्थल

5354. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में इस समय पर्यटन स्थलों की संख्या तथा उनसे होने वाली आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अगले पांच वर्षों के दौरान हरियाणा और राजस्थान में और पर्यटन स्थलों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री मल्लिकार्जुनराव खिड़िया) : (क) हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वहां 42 पर्यटक स्थल और 5 बस स्टैण्डों पर केटरिंग सेवाएं हैं। 2990-91 के दौरान इनसे 1378.38 लाख रुपये की आय हुई।

(ख) और (ग) पर्यटन आधारिक-संरचना का विकास करना मुख्यत: सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग उनसे मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर उन्हें वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 1991-92 के लिए, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने हरियाणा के लिए 115 लाख रु० और राजस्थान के लिए 232.50 लाख रु० की वित्तीय सहायता निर्धारित की है।

टिहरी बांध परियोजना के विस्थापितों का पुनर्वास

5355. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध परियोजना से कितने परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ख) श्रेणीवार, 1 अप्रैल, 1991 तक इनके लिए कितने पद सृजित किये गए; और

(ग) प्रभावित परिवारों के कितने व्यक्तियों को 1 अप्रैल, 1991 तक श्रेणीवार रोजगार दिया गया और पुनर्वास किया गया ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) टिहरी बांध परियोजना (1000 मेगावाट) समेत टिहरी जल विद्युत काम्पलैक्स (2400 मेगावाट) के निर्माण से 4693 शहरी और 10406 ग्रामीण परिवार विस्थापित हो जाएंगे।

(ख) निर्माणाधीन टिहरी परियोजना को सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी जल विद्युत विकास निगम (टी० एच० डी० सी०) द्वारा हाथ में लिए जाने पर टिहरी जल विद्युत विकास निगम के अनुमान के अनुसार विभिन्न श्रेणियों (निदेशक मण्डल से निम्नस्तर) में 2346 पद अपेक्षित होंगे, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

पद	संख्या
1. महाप्रबन्धक	5
2. उप महाप्रबन्धक	9
3. वरिष्ठ प्रबन्धक	22
4. प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक	121

पद	संख्या
5. वरिष्ठ इंजीनियर/सहायक इंजीनियर/ कनिष्ठ विशेषज्ञ, भू-वैज्ञानिक आदि	332
6. कनिष्ठ इंजीनियर	571
7. मुख्य सहायक, लेखाकार, हैडक्लर्क, कम्प्यूटर कार्मिक आदि	104
8. ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर, नोटर एंड ड्राफ्टर, स्टोरकीपर आदि	338
9. ट्रेसर, फैरोबाय, चपरासी, ड्राइवर, माली आदि	844
जोड़	2346

(ग) प्रभावित परिवारों से सम्बन्धित सदस्यों की संख्या जिन्हें जुलाई, 1991 तक विभिन्न श्रेणियों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है इनका श्रेणीवार ब्यौरा निम्नवत् है :

श्रेणी	पदों की संख्या
गैर-पर्यवेक्षी	714
पर्यवेक्षी	108
कार्यपालक	16
जोड़	838

पटना हवाई अड्डे पर सुविधाएं

5356. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटना हवाई अड्डे पर जनसुविधाओं, पेयजल और पंखों जैसी आवश्यक सुविधाओं के अभाव और विशेषकर यात्रियों के प्रस्थान कक्ष में की जाने वाली सुरक्षा जांच के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमानों का निर्माण

5357. **श्री गुरुदास कामत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वाणिज्यिक विमानों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के विमानों का निर्माण विदेशी सहायता से किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(घ) इस परियोजना के अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य हेतु चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड लाइसेंस के अधीन डोर्नियर-228 विमानों का निर्माण कर रहा है जिनका प्रयोग सिविल हवाई परिवहन और रक्षा दोनों प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। किसी अन्य वाणिज्यिक विमान निर्माण सुविधा की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सांसदों के अनुरोध पर शायिकाओं का कोटा दिया जाना

5358. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली तथा अन्य स्थानों से सांसदों के अनुरोध पर शायिकाओं/शीटों का प्राथमिकता के आधार पर कोटा देने के लिए जारी मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : संसद सदस्यों से उनकी स्वयं की यात्रा या उनके द्वारा संस्तुत व्यक्तियों के लिए आपात कोटे में से स्थान आवंटन के लिए प्राप्त अनुरोधों को अन्य अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों आदि से प्राप्त मांगपत्रों के साथ-साथ प्राथमिकता दी जाती है।

कलकत्ता, मुंबई और जम्मू के लिए शायिकाओं का कोटा

5359. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटद्वारा को कलकत्ता (हावड़ा), मुंबई और जम्मू के लिए कितनी शायिकाओं का कोटा आवंटित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का, यह देखते हुए कि देश के पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर कार्य करने वाले बड़ी संख्या में सैनिक गढ़वाल के हैं, की सुविधा हेतु इन स्थानों के लिए शायिकाओं के कोटे में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इन स्टेशनों के लिए कोटद्वार में कोई कोटा नहीं है।

(ख) और (ग) कोटद्वार में इन स्टेशनों के लिए टिकटों की बिक्री नगण्य है अतः आरक्षण कोटा का आवंटन औचित्यपूर्ण नहीं है।

उत्तरी दिल्ली में बिजली कनेक्शन

5360. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री उत्तरी दिल्ली में बिजली के कनेक्शनों के बारे ने 13 अगस्त, 1991 को दिए गए अतारांकित प्रश्न सं० 3002 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के केशवपुरम, दिल्ली के कार्यालय में शेष 109 लम्बित पड़े मामलों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में प्रार्थियों द्वारा कौन-कौन सी आवश्यक वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करनी हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के अनुसार, दिनांक 31-7-1991 की स्थिति के अनुसार डेसू के केशवपुरम जिले में लम्बित 109 मामलों में से 29-8-91 तक 75 कनेक्शन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। शेष 34 आवेदनों का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	आवेदनों की संख्या
1.	त्रीनगर	6
2.	शकूर बस्ती	5
3.	शकूर पुर	4
4.	वजीरपुर गांव	4
5.	वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र	3
6.	रामपुरा	2
7.	अशोक विहार	2
8.	सावन पार्क	2
9.	कपिल विहार	2
10.	जोर बाग	1
11.	नमिड़ी कालोनी	1
12.	भारत नगर	1
13.	पीतमपुरा गांव	1
	जोड़ :	34

(ख) और (ग) अपेक्षित वाणिज्यिक औपचारिकताओं तथा कुछ अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के बाद डेसू द्वारा नए कनैक्शन जारी किए जाते हैं। इन अपेक्षाओं का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इन अपेक्षाओं को पूरा किए जाने के बाद शेष 34 आवेदकों को विद्युत कनैक्शन जारी किए जा सकते हैं।

विवरण

(डेसू द्वारा नए घरेलू कनेक्शन जारी किए जाने के लिए पूरी की जाने वाली अपेक्षित वाणिज्यिक औपचारिकताएं तथा अन्य शर्तें)

(क) घरेलू कनेक्शनों के लिए मुख्य वाणिज्यिक अपेक्षाएं

1. निर्धारित फार्म में आवेदन और करार।

2. लाइसेंसधारी वायरिंग कांट्रेक्टर फोरमैन और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित परीक्षण रिपोर्ट ।

3. नियमित कालोनियों के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी० डी० ए०) अथवा दिल्ली नगर निगम (एम० सी० डी०) से और नियमित की गई अनधिकृत एवं अनधिकृत कालोनियों में 1-1-81 के बाद किए गए निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत बिल्डिंग प्लान। नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों/अनधिकृत कालोनियों के मामले में, जहां निर्माण 1-1-81 से पहले किया गया हो, एक हलफनामा अपेक्षित है ।

4. स्वामित्व/कानूनी अधिभोग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।

5. पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र और सम्बन्धित भवन चार मंजिला से अधिक होने और/अथवा लिफ्ट का प्रावधान होने की अवस्था में अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र ।

6. प्रतिभूति राशि जमा किया जाना ।

7. सर्विस लाइन प्रभारों की अदायगी ।

8. विकास प्रभारों की अदायगी ।

(ख) अन्य अपेक्षाएं

1. परिसर में डिस्कनेक्टेड कनेक्शन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की राशि बकाया नहीं होनी चाहिए ।

2. परिसर में विद्यमान कनेक्शनों का दुरुपयोग न किया जा रहा हो ।

3. परिसर में कोई न कोई निवास करता हो ।

4. मकान-मालिक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।

5. अपेक्षित एस्टीमेट प्रभार जमा करा दिए गए हों ।

6. परिसर के सम्बन्ध में कोई गलतबयानी नहीं होनी चाहिए ।

7. सम्बन्धित स्थल में मीटर को अवैध रूप से इधर-उधर न किया गया हो ।

8. करार सम्बन्धी फार्म में कोई असंगति नहीं होनी चाहिए ।

विकलांगों को रोजगार

[हिन्दी]

5361. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में विकलांगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे के उन विभागों के नाम क्या हैं जहां विकलांगों को नियुक्त किया गया है; और

(ग) रेलवे में विकलांग कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ग्रुप "ग" और "घ" संवर्गों में सीधी भर्ती की 3 प्रतिशत रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों के नियोजन के लिए आरक्षित रखी जाती हैं।

(ख) ऐसे व्यक्ति रेलों के सभी विभागों में नियुक्ति के पात्र हैं।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम चम्पारन, बिहार में तेल की खोज पर हुआ व्यय

[अनुवाद]

5362. **श्री महेन्द्र बैठा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के पश्चिम चम्पारन जिले में तेल की खोज के लिए खुदाई कार्य पर आज तक कितना व्यय हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : 31-3-1991 तक 47.07 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

भाखड़ा बांध के विद्युत सेटों की क्षमता बढ़ाना

5363. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाखड़ा बांध के दाहिने किनारे पर लगे विद्युत सेटों की क्षमता बढ़ाने के लिए सोवियत संघ के "टैक्नोप्रोमेक्सपोर्ट" के साथ कोई वस्तु-विनिमय सौदा किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बायें किनारे पर लगे पश्चिमी देशों द्वारा दिए गए जैनरेटरों को आधुनिक बनाने के लिए भी सरकार की "टैक्नोप्रोमेक्सपोर्ट" के साथ एक और समझौता करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भाखड़ा के दायां तट विद्युत उत्पादन मशीनों की क्षमता बढ़ाने और इनके आधुनिकीकरण के लिए व्यापक परियोजना रिपोर्ट और उपस्कर, अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई एवं सेवाओं हेतु मैसर्स टैक्नो-प्रोमेक्सपोर्ट, मास्को, यू० एस० एस० आर० के साथ ठेके पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए राज्य व्यापार निगम को प्राधिकृत किया गया था। तदनुसार 15 जुलाई 1991 को ठेका संख्या 53051/12300 पर मैसर्स टैक्नोप्रोमेक्सपोर्ट के साथ राज्य व्यापार निगम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इण्डो-सोवियत व्यापार योजना के अधीन स्कीम क्रियान्वित की जाएगी और मैसर्स टैक्नोप्रोमेक्सपोर्ट को सभी भुगतान भारतीय रुपए में की जाएगी। ठेके में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी० पी० आर०) उपस्कर, अतिरिक्त पुर्जों की कीमत और सेवाओं, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय सीमा और उपस्कर एवं अतिरिक्त पुर्जों की सुपुर्दगी सम्बन्धी सूची को शामिल किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाखड़ा बांया तट जैनरेटरों की क्षमता पहले ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० द्वारा 1981-85 के दौरान 5 × 90 मेगावाट से बढ़ाकर 5 × 100 मेगावाट कर दी गई है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में प्राइवेट कॉल

[हिन्दी]

5364. **श्री सत्य देव सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का घाटे में चल रहे भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में मितव्ययिता के हित में प्राइवेट कालों की संख्या को सीमित करने के लिए कुछ नियम निर्धारित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के होटल एककों में कर्मचारियों को कार्यालय के टेलीफोनों से निजी टेलीफोन काल करने की अनुमति नहीं है। तथापि, फरवरी 1991, में भारत पर्यटन विकास निगम के निगम कार्यालय ने सभी होटल एककों को सरकारी टेलीफोन कालों सहित खर्चे में किफायत करने के अनुदेश जारी किए हैं जिसमें कार्यालय से की जाने वाली टेलीफोन काल भी सम्मिलित हैं।

होटलों में अतिथियों द्वारा की जाने वाली टेलीफोन काल प्रभार्य होती हैं।

उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

[अनुवाद]

5365. **कुमारी क्रिडा तोपनो** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में विद्युतीकृत और अविद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है; और

(ख) बचे हुए गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में विद्युतीकृत गांवों की संख्या 1363 तथा अविद्युतीकृत गांवों की संख्या 302 है जोकि 1981 की जनगणना पर आधारित है।

(ख) जिलेवार ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यवाही राज्य बिजली बोर्डों द्वारा की जाती है जोकि सम्बन्धित राज्य हेतु समग्र आबंटन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई प्राथमिकता पर आधारित होती है।

बामर लारी कम्पनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण

5366. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अरुर स्थित बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के विस्तार और आधुनिकीकरण का कार्यक्रम विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बिजली वितरण के सम्बन्ध में बिहार और प० बंगाल के बीच समझौता

[हिन्दी]

5367. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम की स्थापना के लिए बिजली वितरण के सम्बन्ध में बिहार और प० बंगाल की सरकारों के बीच दामोदर-बेसिन नामक समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस समझौते पर पुन: विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दामोदर घाटी निगम (डी० वी० सी०) की स्थापना के लिए बिजली के वितरण के सम्बन्ध में बिहार और पश्चिम बंगाल सरकारों के बीच किसी प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। दामोदर घाटी निगम की स्थापना, 1948 के दामोदर घाटी निगम अधिनियम (14) के अधीन की गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास कार्गो परिसर

[अनुवाद]

5368. श्री के० तुलसिऐया वान्डायार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास कार्गो परिसर में अनेक कम्पनियों का माल जमा हो गया है जिसके फलस्वरूप भंडारन स्थान का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो और सरकार कार्गो परिसर से कार्गो की सहज ढुलाई हेतु क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का वहां एक अतिरिक्त कार्गो परिसर बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्तमान कार्गो टर्मिनल में क्रमिक रूप से विस्तार करने की योजना है। लगभग 5,000 वर्गमीटर के ढके हुए क्षेत्र का पहले अतिरिक्त माड्यूल 8वीं योजना अवधि में बनाये जाने की योजना है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलना

[हिंदी]

5369. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक मेहता समिति ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़ेपन का एक कारण उस क्षेत्र में छोटी रेल लाइनों का होना बताया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वाराणसी से छपरा और बलियामऊ तथा सीतापुर से बुढवल शाहगंज छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छपरा-औंड़िहार खंड के आमान परिवर्तन के कार्य को 1993-94 तक पूरा करने का लक्ष्य है। सीतापुर बुढ़वल लाइन के आमान परिवर्तन के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। सर्वेक्षण के परिणाम तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस कार्य के बारे में विचार किया जाएगा। मऊ-शाहगंज खंड के आमान परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव को योजना आयोग के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया था जिन्होंने इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया है।

कोएलवार में रेलवे पुल

5370. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन नदी पर कोएलवार रेलवे पुल बहुत पुराना हो चुका है;

(ख) इस पुल का निर्माण कब किया गया था और इसकी जीवन अवधि कितनी थी; और

(ग) सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यह पुल 1910 और 1920 के बीच बनाया गया था जिसके स्पेन की प्रत्याशित आयु 100 वर्ष थी।

(ग) यह पुल अच्छी हालत में है। इसके नवीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

पांचग्राम स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) पर रेल फाटक पुनः खोलना

[अनुवाद]

5371. **श्री कक्कीन्न पुरकायस्थ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अन्तर्गत पांचग्राम स्टेशन की उत्तर दिशा में एक रेल फाटक है;

(ख) क्या रेल विभाग द्वारा इस रेल फाटक को 1989 में में बन्द कर दिए जाने से दूसरी ओर रहने वाले हजारों लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार का इस रेल फाटक को जनहित में पुनः खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) स्थानीय प्राधिकारियों के अनुरोध पर, उस समपार के बदले में निकट ही एक नए समपार की व्यवस्था करने के बाद, उस समपार को बन्द कर दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अतः, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार समपार की लागत वहन करने की विधिवत सहमति देते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किए जाने के बाद ही, रेलें समपार को पुनः खोलने के बारे में विचार कर सकती हैं।

काटाखाल-बैराबी रेल लाइन को आगे तक बढ़ाना

5372. **श्री द्वारकानाथ दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काटाखाल जंकशन (असम) से बैराबी (मिजोरम) तक जाने वाली रेल लाइन को और आगे तक बढ़ाने और इस पर चलने वाली रेल गाड़ियों की स्थिति में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है, ताकि इस सैक्शन पर बेहतर और पर्याप्त रेल सेवाएं उपलब्ध हो सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह लाइन यातायात की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

कोयले की खानों के लिए उत्पादकता स्तर

5373. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुली खदानों और भूमिगत कोयले की खानों के लिए उत्पादकता स्तर क्या है जिसके नीचे कोयले की खुदाई अलाभप्रद हो जाती है;

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के पास इस प्रकार की कितनी कोयला खानें हैं;

(ग) उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए; और

(घ) कोयले की खानों में आधुनिकीकरण और प्रबन्ध तकनीकों से कितने अधिकतम उत्पादकता स्तर को प्राप्त किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्पादकता (प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन) स्तर को नीचे दिया गया है—

(टन)

कम्पनी	भूमिगत	ओपनकास्ट	समग्र रूप में
कोल इंडिया लि०	0.54	3.34	1.31
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०	0.65	4.76	1.18

यद्यपि उत्पादकता के उस स्तर को, जिसके नीचे कोयला खान क्रियाकलाप अलाभकारी हो जाते

हैं, निर्दिष्ट किया जाना सम्भव नहीं है, किन्तु भूमिगत खनन क्रियाकलापों की उत्पादकता के वर्तमान स्तर तथा कोयले की कीमतों को देखते हुए भूमिगत खानें आमतौर पर लाभ नहीं दे रही हैं। भूमिगत खनन क्रियाकलापों को जारी रखने के उद्देश्य से भूमिगत खानों के प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन को ऊंचा रखना होगा। उत्पादकता के अलावा अन्य मुद्दे जोकि विशेष रूप में उत्पादन लागत को प्रभावित करते हैं वे निम्नलिखित हैं—भण्डारण तथा कल पुर्जों की लागत, विस्फोटक, विद्युत, मूल्यह्रास तथा ब्याज, आदि। इसी तरह के मुद्दे ओपनकास्ट खानों की वित्तीय लाभकारिता, आदि को भी प्रभावित करते हैं। उत्पादकता के वर्तमान स्तर के साथ ओपनकास्ट खानें आमतौर पर लाभकारी हैं, केवल ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां उत्पादित कोयले का ग्रेड निम्न श्रेणी का है और जो कि अधिक गहराई में विद्यमान है।

(ग) उत्पादकता में सुधार किए जाने के लिए उठाए गए कुछ मुख्य कदम नीचे दिए गए हैं—

(1) सुधारात्मक श्रमशक्ति आयोजन जिसमें फालतू कामगारों का पुनः नियोजन शामिल है :

(2) स्वैच्छिक सेवा निवृत्त योजनाओं के माध्यम से श्रम-शक्ति के नियंत्रण में वृद्धि।

(3) भूमिगत खानों में रूफ बोल्टिंग, निरन्तर खनन, पावर स्पोर्ट, लांगवाल पद्धति, मल्टी स्लाइसिंग, प्लास्टिंग गैलरी, तथा जलीय खनन, आदि और ओपनकास्ट खानों में उच्च क्षमता वाली ड्रैग लाइन, शावेल, डम्पर और ड्रिलों की पुनः तैनाती।

(4) पर्याप्त रूप में वर्कशाप सपोर्ट की सुविधा मुहैया करके उपकरणों की उपलब्धता तथा प्रयोग में सुधार तथा मशीनों का सुधारात्मक प्रबन्ध और उपकरणों को समय पर मुहैया किया जाना।

(घ) कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० की वर्ष 1994-95 में समग्र रूप से उत्पादकता अनन्तिम लक्ष्य क्रमशः 1.58 टन तथा 1.55 टन रखा गया है।

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा रिंगों को किराए पर देना बन्द किया जाना

5374. श्री रवि राय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई हाई में गैर-सरकारी कम्पनियों ने हाल में रिंगों को किराये पर देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने मुम्बई हाई में कच्चे तेल के वार्षिक उत्पादन पर गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा रिंगों को किराये पर न दिए जाने के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) करारों के पूरा हो जाने पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक

जैक अप रिग "मिस किट्टी" तथा एक वेधन जहाज "वाइकिंग ड्रीमर" को क्रमशः 31 जुलाई तथा 8 मई, 1991 को भाड़े से हटा दिया गया है।

(ग) और (घ) इन रिगों को भाड़े से हटाने का बम्बई हाई से कच्चे तेल के उत्पादन पर कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उन जैक अप रिगों को चार्टर भाड़े पर लिए जाने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है जिसके लिए करार की अवधि समाप्त हो गई है या शीघ्र ही समाप्त होने वाली है।

आंध्र प्रदेश में कोयला संसाधन

5375. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके मंत्रालय से राज्य में कोयले के संसाधनों का विकास करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में चालू वर्ष के दौरान तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) जी, हां। सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० ने, जोकि भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, आंध्र प्रदेश में कोयले के स्रोतों को विकसित करने के लिए कोयला मंत्रालय की सहायता मांगी है।

(ख) 340.00 करोड़ रु० की योजनागत परिव्यय की राशि (जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार की 11.00 करोड़ रु० इक्विटी के हिस्से की राशि भी सम्मिल है) वर्ष 1991-92 के लिए भारत सरकार द्वारा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० की कोयला की परियोजनाओं को विकसित करने के लिए अनुमोदित कर दी गई है। वर्ष 199-92 के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के कोयला का उत्पादन लक्ष्य 20.50 मि० टन निर्धारित किया गया है। आठवीं पचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान सिंगरेनी कोयला परियोजनाओं को विकसित किए जाने का प्रस्ताव सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के निष्पादन अधीन है।

पर्यटन का विकास

5376. **श्री सुधीर गिरि** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर के विकल्प के रूप में देश में किन्हीं पर्यटक स्थलों का विकास किया है;

(ख) अब तक विकसित किए गए स्थलों के नाम क्या हैं; और

(ग) 1990-91 और 1991-92 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पर्यटक विहार-स्थलों का विकास मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इनका विकास किया जा रहा है। इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कश्मीर के विकल्प के रूप में देश में किसी पर्यटक विहार स्थल का विकास करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-सरकारी लोगों द्वारा विमानों की खरीद

5377. **श्री एस० एम० लालजन बाश** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी लोगों द्वारा हवाई जहाज की खरीद के लिए बनाए गए नियमों में ढील देने का है;

(ख) सरकार के पास कितने आवेदन पत्र स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(ग) उसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) नागर विमानन विभाग को "निजी व्यक्तियों" द्वारा विमान की खरीद से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह विभाग केवल तभी सम्बद्ध होता है जब निजी फर्मों द्वारा हवाई सेवाओं के परिचालन के लिए विमान का आयात किया जाना होता है ।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन का विस्तार

5378. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर रेलमार्गों का विस्तार करने तथा इस मार्ग पर रेल सेवा से सम्बन्धित अन्य संचार सुविधाएं बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खंडवा-दाहोद और खंडवा-खारगोन रेल लाइन

[हिन्दी]

5379. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खंडवा-दाहोद क्षेत्र की जनता की काफी समय से चली आ रही मांग को देखते हुए खंडवा-दाहोद रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) क्या इस से पूर्व खंडवा से खारगोन तक रेल बिछाने हेतु तकनीकी सर्वेक्षण करने की स्वीकृति दी गई थी; और

(ग) उक्त लाइन को बिछाने के बारे में निर्णय कब तक ले लिए जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1985-86 में खंडवा और खरगोन के बीच नई ब० ला० के लिए सर्वेक्षण किया गया था ।

यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पाई गई ।

(ग) इस परियोजना को शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

वाराणसी-छपरा और बलिया-मऊ-शाहगंज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

5380. **श्री राम बदन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जुलाई, 1991 के "नवभारत टाइम्स" में "दो महत्वपूर्ण योजनाएं रुकेंगी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाराणसी से छपरा और बलिया से मऊ-शाहगंज तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मंजूरशुदा योजना को समाप्त कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त योजना को कार्यान्वित करके पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना पर कार्य कब शुरू किये जाने की सम्भावना है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) छपरा-औंडिहार खंड के बड़ी लाइन में बदलने की अनुमोदित योजना पर कार्य चल रहा है । मऊ-शाहगंज का आमान परिवर्तन कार्य एक अनुमोदित योजना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) छपरा-औंडिहार खंड का आमान परिवर्तन कार्य 1993-94 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य बनाया गया है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में चालक दल की संख्या

[अनुवाद]

5381. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों के दौरान विमानों में चालक के साथ चलने वाले चालक दल की न्यूनतम संख्या के सम्बन्ध में कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरी संख्या में और न्यूनतम संख्या में चालकों के दलों द्वारा 1990 के दौरान कितनी उड़ानें भरी गयीं; और

(घ) इसके कारण क्या थे ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय वायुयान नियम, 1937 के अनुसार अपेक्षित कर्मीदल की संख्या इस प्रकार है—

बोइंग-737	—	दो विमानचालक और तीन कर्मीदल सदस्य
ए-320	—	दो विमानचालक और चार कर्मीदल सदस्य
ए-300	—	दो विमानचालक, एक उड़ान इंजीनियर और छः कर्मीदल सदस्य ।

(ग) सभी उड़ानों का परिचालन कर्मीदल की सम्पूर्ण संख्या के साथ किया गया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे बोर्ड में अधिकारियों का स्थानान्तरण

5382. **श्री भीम राव पटेल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मन्त्रालय में अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदोन्नति के क्या मापदण्ड हैं ;

(ख) ऐसे सलाहकारों, संयुक्त निदेशकों, कार्यकारी निदेशकों और निदेशकों की संख्या कितनी है जिनका कार्यकाल समाप्त होने पर भी उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया ;

(ग) इसके श्रेणीवार कारण क्या हैं ;

(घ) कितने अधिकारियों का पदोन्नति के बाद स्थानान्तरण नहीं किया गया ; और

(ङ) उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ग्रुप "ए" की विभिन्न रेल सेवाओं के जो अधिकारी रेलवे बोर्ड कार्यालय में तैनात किए जाते हैं, उनके स्थानान्तरण निम्नलिखित कार्यावधि नियमों द्वारा शासित होते हैं :—

उप निदेशक—3 वर्ष

संयुक्त निदेशक—4 वर्ष

निदेशक/कार्यपालक निदेशक—5 वर्ष

कुछ ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें कार्यावधि का विस्तार सेवा की अत्यावश्यकता को देखते हुए किया जाता है, कार्यावधि सम्बन्धी उक्त नियमों का आमतौर पर पालन किया जाता है । पदोन्नति वर्तमान नियमों के अनुसार की जाती है ।

(ख) से (ङ) चार कार्यपालक निदेशकों/निदेशकों की कार्यावधि पूरी हो जाने के कारण उनके स्थानांतरण के बारे में विचार किया जा रहा है । यह जरूरी नहीं है कि पदोन्नति होने पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया ही जाए ।

सहारनपुर-दिल्ली रेल मार्ग पर हाल्टों का बन्द किया जाना

[हिन्दी]

5383. **श्री राम सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहारनपुर-दिल्ली रेल मार्ग बरास्ता शामली-शाहदरा पर चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों से घाटा हो रहा है ; यदि हां तो उसके कारण क्या हैं;

(ख) क्या इस रेल मार्ग पर कुछ रेलवे स्टेशनों और हाल्टों को बन्द करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे स्टेशनों के नाम क्या हैं और उन्हें कब तक बन्द कर दिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार इन यात्री गाड़ियों को दिन में और माल गाड़ियों को रात में चलाने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केवल शामली-शाहदरा खंड पर गाड़ियों के चालन से होने वाले लाभ का पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस मार्ग पर नुसरतावाद खरखड़ी, अहेरा, बावली, बुढ़पुर खदरावली, गुजराबलवा, सिलावर, सोना अर्जुनपुर और भकला स्टेशनों को बन्द कर दिए जाने का प्रस्ताव है । बहरहाल, इन्हें बन्द किए जाने के सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के साथ विमान सेवा समझौता

[अनुवाद]

5384. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवाएं चलाने के लिए दोनों देशों के बीच किसी द्वि-पक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां, । भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय विमान सेवा करार पर 16 जुलाई, 1976 को हस्ताक्षर किए गए थे । दोनो देशों के बीच विभिन्न मार्गों पर उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता की केवल समीक्षा करने की दृष्टि से हाल में 10 से 13 जून, 1991 तक दोनों देशों के बीच हवाई वार्तायें हुई ।

आन्ध्र प्रदेश को बिजली की सप्लाई

[हिन्दी]

5385. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को 180 मेगावाट बिजली के अतिरिक्त और 135 मेगावाट बिजली सप्लाई के बारे में कोई प्रस्ताव रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी०एस०पी०) को 150 एम०वी० ए० विद्युत की सप्लाई करने के लिए वचनबद्ध है। वी०एस०पी० के पास पहले से ही 180 मेगावॉट क्षमता का अपना कैप्टिव विद्युत संयंत्र विद्यमान है। वर्तमान में, इसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड से 100 एम०वी०ए० विद्युत ली जा रही है और यह पता चला है कि वी०एस०पी० ने शेष 50 एम० वी०ए० विद्युत न सप्लाई किए जाने का अनुरोध किया है। वी०एस०पी० को जब भी जरूरत हों, आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड अतिरिक्त 50 एम०वी०ए० विद्युत सप्लाई करने के लिए तैयार है।

उड़ीसा में बोलनगीर के लिए वायुदूत सेवा

5386. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में बोलनगीर जिले को वायुदूत सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) वायुदूत को हो रही भारी हानि के कारण, वायुदूत को विवश होकर अपने नेटवर्क में भारी कटौती करनी पड़ी है। वर्तमान स्थिति में वायुदूत द्वारा नए स्टेशनों को विमान से जोड़ना व्यवहार्य नहीं होगा।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों के लिए कार्य योजना

5387. **श्रीमती विल कुमारी भंडारी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों की कार्यकुशलता में सुधार करने और उन्हें लाभप्रद बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है ;

(ग) इस योजना में शामिल किए जाने वाले होटलों के क्या नाम हैं ;

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत इन होटलों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व में देश में 25 होटल चल रहे हैं। सरकार का प्रयास रहता है कि भारत पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों की कार्यकुशलता में सुधार लाए और उनकी लाभप्रदता बढ़ाए।

सरकार/भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में ये प्रयास भी शामिल हैं—

विपणन और बिक्री सम्बन्धी जोरदार प्रयास करना, भारत में पर्यटकों के यातायात में बढ़ावा देने के लिए मुख्य यात्रा प्रचालकों/यात्रा एजेंटों से सीधा सम्पर्क करना, बिक्री प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन देना, आदि।

(घ) से (च) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा, ऊपर वर्णित प्रयासों में उनको शामिल करके की जाएगी।

गुंटूर स्टेशन पर वैगनों की सप्लाई

5388. **प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 के दौरान और जून, 1991 तक आन्ध्र प्रदेश ने वास्तव में कितने वैगनों की मांग की थी और उसे कितने वैगन आवंटित किए गए ; और

(ख) कम संख्या में सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं तथा गुंटुर और अन्य निकटवर्ती स्थानों पर छः महीने से अधिक से भी अधिक समय पड़े कपास के बीज, तेल इत्यादि के भंडार को ढोने के लिए और अधिक संख्या में वैगन आवंटित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, द०म० चार मण्डलों, अर्थात् विजयवाड़ा, सिकन्दराबाद, हैदराबाद और गुन्तकल, जिनके द्वारा मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश राज्य सेवित है, में 1989-90, 1990-91 और जून, 1991 तक के दौरान वास्तविक मांग और लादे गए माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार है—

	मांग	लादे गए
1989-90	1307962	1304820
1990-91	1349089	1338966
जून, 1991 तक	348472	341123

(ख) द० म० रेलवे पर अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अर्थात् खाद्यान्नों, उर्वरकों और सीमेंट से प्रतियोगी मांग होने के कारण बिनौले और तेल रहित खल के लदान के लिए माल टिब्बों की सप्लाई कम हुई थी।

बहरहाल, पिछले दो महीनों के दौरान इस यातायात की निकासी के लिए विशेष प्रयास किए गए और अधिकांश मांग पूरी हो गई है। इस समय गुन्टूर स्टेशन पर कोई मांग बाकी नहीं है और बिनौले और तेल रहित खल के लदान के लिए विजयवाड़ा मण्डल के अन्य स्टेशनों पर कुछ मांग बाकी है।

आन्ध्र प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन

5389. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के विशाखापटनम क्षेत्र में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए चालू कार्यक्रम अन्य जिलों की तरह विशाखापटनम में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। विशाखापटनम का विशिष्ट संदर्भ सहित कुछ महत्वपूर्ण चल रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

1. राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना

पहले ही स्थापित 1629 संयंत्रों के अलावा, वर्ष 1991-92 के दौरान 400 पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से जुलाई, 1991 के अन्त तक 120 संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

21, 30, 340/- रुपए की अनुमानित लागत पर सात संस्थागत गोबरगैस आधारित बायोगैस संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से आन्ध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम में एक परियोजना का पहले ही कार्यान्वयन किया जा रहा है।

2. राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम

अब तक स्थापित 18738 चूल्हों के अलावा, 1991-91 के दौरान 5,000 चूल्हे लगाने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। जुलाई, 1991 तक 800 लकड़ी से चलने वाले स्टोव पहले ही लगाए जा चुके हैं।

3. बायोमास ऊर्जा पौधा रोपण

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण ने 3.44 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पत्तन क्षेत्र (पोर्ट एरिया) में 80 हैक्टेयर क्षेत्र पर ऊर्जा पौधारोपण किया है।

4. ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं

चार गांवों नामतः दकमवी, दुब्बापालप, कोटनरवा विलेस और थिम्मपुरम को भारत सरकार की ऊर्जा ग्राम परियोजना के अन्तर्गत रखा गया है और ऊर्जा सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है।

5. पवन ऊर्जा

(क) पवन सर्वेक्षण : एक पवन मानिटरिंग केन्द्र सितम्बर, 1988 के दौरान विशाखापत्तनम जिला के भीमुनीयपटकम में स्थापित किया गया था। वायु संभावना का अनुमान लगाने के लिए आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

(ख) पवन मानचित्रण परियोजना :—दो वायु मानचित्रण केन्द्र—बड्डाडी में एक तथा नरसिंगपल्ली में दूसरा—स्थापित किए गए थे और पवन जलवायु विज्ञान को तैयार करने के लिए आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

विशाखापत्तनम जिले में कोई पवन विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया है।

हैदराबाद और पर्ली के बीच रेलगाड़ी

5390. श्री एम० बागा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकाम्बो तथा बीदर से होकर हैदराबाद से पर्ली तक एक तीव्र यात्री गाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी कब शुरू की जाएगी;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस मार्ग पर वर्तमान में चल रही दो रेल गाड़ियों का आगमन और प्रस्ताव समय यात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक है; और

(घ) यदि हां, तो इन रेल गाड़ियों का ठीक करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 347/348 सिकन्दराबाद-परली बैजनाथ और 349/350 हैदराबाद-परली बैजनाथ दोनों पैसेजर गाड़ियों की समय अनुसूची यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाई जाती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की बिल प्रणाली

5391. **श्री सारा चन्द खण्डेलवाल** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अगस्त, 1991 को इंडियन एक्सप्रेस में "डेसू लूजिंग क्रोर्स ऐवरी मन्थ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और क्या डेसू ने अपनी बिल प्रणाली में दो माह में मीटर रीडिंग लेने के स्थान पर चार माह में मीटर रीडिंग लेने की प्रणाली के आधार पर बिल देने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस नई बिल प्रणाली से डेसू को हानि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की वर्तमान प्रणाली के अधीन घरेलू उपभोक्ताओं को द्विमासिक आधार और गैर-घरेलू/औद्योगिक उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर बिल भेजे जाते हैं। प्रत्येक चार महीनों में एक बार वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिल बनाया जाता है और घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में इस अवधि के बीच विगत के उपभोग के आधार पर द्विमासिक रूप से अन्तिम बिल भेजा जाता है। चार माह में मीटर रीडिंग की प्रणाली अपनाए जाने से डेसू को कम मीटर रीडरों की आवश्यकता होगी ।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के मामलों में विशेष रूप से चौमाही मीटर पठन प्रणाली में ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है और न ही डेसू के लिए किसी प्रकार से हानिकारक है, क्योंकि चार अंकों वाले मीटर 9999 यूनिट तक उपभोग की मात्रा रिकार्ड कर सकते हैं । चार महीनों की अवधि में घरेलू उपभोक्ता द्वारा उपभोग किए जाने की मात्रा इससे अधिक होने की सम्भावना नहीं होती ।

(घ) प्रश्न के (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इन्दौर और मद्रास के बीच सीधी रेलगाड़ी शुरू करना

[हिन्दी]

5392. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर को मद्रास के साथ जोड़ने के लिए एक सीधी रेल सेवा शुरू करने हेतु मांग की गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इसकी जांच की गई है लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया।

हिमाचल प्रदेश में तेल की खोज के लिए ठेका

[अनुवाद]

5393. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चगरतलाई क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के लिए ठेका दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ठेके का ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की ज्वालामुखी परियोजना अथवा उत्तर क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र किसी अन्य स्थान पर अन्वेषण के लिए मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा को कोई भी ठेका नहीं दिया गया है बल्कि सिर्फ ड्रिलिंग के लिए एक ठेका दिया गया है। यह ठेका एक रिग के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए दैनिक दर आधार पर दिया गया है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम में अनुबन्ध पर लाए गए इन्जीनियरों का निर्धारित समय से अधिक ठहरना

5394. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम में अनुबन्ध के आधार पर इन्जीनियरिंग संवर्ग में नियुक्त कई व्यक्ति उनकी अनुबन्ध की अवधि बीत जाने के बाद भी महत्वपूर्ण कार्यभार की देखभाल कर रहे हैं जिसमें वित्तीय तथा अन्य कार्य भी शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जून, 1991 को उनमें से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सम्भाले जा रहे कार्यभार सहित उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन व्यक्तियों के द्वारा की गई अनियमितताओं/कदाचारों/धन की गड़बड़ी के मामलों का पता चला है।

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में किए गए अथवा किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) : पांच सहायक प्रबन्धक (इन्जीनियरी) अपनी अनुबन्ध की अवधि बीत जाने के बाद भी कार्यरत हैं।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम की परिचालक सम्बन्धी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इनकी नियुक्ति को जारी रखने पर विचार किया जाएगा।

विवरण

क्र० सं०	नाम	कार्यभार सम्भालने की तारीख	अनुबन्ध समाप्त होने की तारीख	वर्तमान कार्य	जारी रखने की तारीख
1.	श्री ए० के० बंसल डिप्लोमा सहायक प्रबंधक (ईएण्डएम)	21-3-88	20-3-91	दक्षिण क्षेत्र की नवीकरण सम्बन्धी स्कीम और होटल अशोक बंगलौर, बंगलौर में स्थानांतरित किया जा रहा है।	होटल अशोक बंगलौर, मदुरै, हासन और मैसूर की महत्वपूर्ण नवीकरण स्कीमों को पूरा करना।
2.	श्री आर०के० झा डिग्री सहायक प्रबन्धक (सिविल)	11-10-88	9-4.91	दक्षिणी क्षेत्र, आदि के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए निगम स्तर नई दिल्ली से समन्वय रखना।	वरिष्ठ इन्जीनियरों के दिशा-निर्देश में दक्षिणी क्षेत्र की महत्वपूर्ण नवीकरण स्कीमों को पूरा करने हेतु मुख्यालय से समन्वय रखना।
3.	सुश्री वीना नायडू डिग्री सहायक प्रबन्धक (सिविल)	3-5-89	2-5-91	होटल अशोक बंगलौर में नवीकरण स्कीमें।	होटल अशोक बंगलौर की विभिन्न महत्वपूर्ण नवीकरण स्कीमों को पूरा करना।

1	2	3	4	5	6
4.	श्री ए०के० गुप्ता, डिग्री सहायक प्रबन्धक (सिविल)	3-6-86	2-6-91	होटल बोधगया अशोक, बोधगया, बिहार के अनुरक्षण इन्जीनियर।	बोधगया में बौद्ध सेक्टर में पर्यटक यात्राकाल को ध्यान में रखते हुए अनुरक्षण इन्जीनियर का दायित्व संभाले रहना।
5.	श्री पी० माधव राजन सहायक प्रबन्धक (सिविल)	1-9-89	1-9-90	होटल मदुरै अशोक, मदुरै का नवीकरण कार्य।	होटल मदुरै अशोक, मदुरै की नवीकरण स्कीमें पूरी करना।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आबंटित पेट्रोल/डीजल विक्रय केन्द्र

[हिन्दी]

5395. **श्री मृत्युंजय नायक :**

श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या पेट्रोलियम और गैस मंत्री यह बताने की कृपा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल पम्प जिले-वार कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जाति/जनजाति को आबंटित किए गए;

(ग) 1990-91 के दौरान आबंटित रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल पम्पों की जिले-वार संख्या कितनी है;

(घ) उनमें से कितनी अनुसूचित जातियों/जनजातियों को आबंटित की गई;

(ङ) जिले-वार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां 1991-92 के दौरान रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल पम्प आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों/जन्जातियों को आबंटित किए जाएंगे ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख)

	कुल (1.4.1991 को)	अनु०जा०/अनु०जन जाति
एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप	80	16
खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें	325	31

(ग) 4 एल०पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 5 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें।

(घ) एक ।

(ङ) और (च) जबकि पहले की विपणन योजनाओं में नियोजित कुछ एल०पी०जी० के डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों को अभी आरम्भ किया जाना है, वर्ष 1991-92 के लिए किसी नए कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

यात्री निवास/यूथ हास्टल

[अनुवाद]

5396. **श्री सूर्य नारायण सिंह :**

श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या नागर और विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यात्री निवासों/यूथ हास्टलों आदि का निर्माण करके निम्न बजट वाले पर्यटकों को सस्ते, साफ-सुथरे तथा सुविधाजनक आवास प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में निर्मित ऐसे यात्री निवासों/यूथ हॉस्टलों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1990-91 के दौरान वर्तमान यात्री निवासों/यूथ हॉस्टलों में कितने कमरे जोड़ दिए गए हैं;

(ग) इन यात्री निवासों/यूथ हॉस्टलों का निर्माण कब किया गया था;

(घ) निर्माण के समय इन यात्री निवासों/यूथ हॉस्टलों के प्रत्येक कमरे का कितना किराया निर्धारित किया गया था और इनके किराए की वर्तमान दर क्या है; और

(ङ) इन यात्री/यूथ हॉस्टलों के कमरों में क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) देश के विभिन्न भागों में ग्यारह यात्री निवास और 33 यूथ होस्टलों का निर्माण किया गया है । 1990-91 के दौरान वर्तमान यात्री निवासों/यूथ होस्टलों में कोई कमरा नहीं बढ़ाया गया है ।

(ग) सत्रह यूथ होस्टल छठी योजनावधि के अन्त तक पूरे हो गए थे । एक यात्री निवास और 14 यूथ होस्टल सातवीं योजनावधि के दौरान पूरे हुए । नौ यात्री निवास और दो यूथ होस्टल 1990-91 के दौरान पूरे हुए । 1991-92 में अभी तक एक यात्री निवास पूरा हुआ है ।

(घ) यात्री निवासों के किराए सामान्यतः सम्बन्ध सरकारें द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और केन्द्रीय पर्यटन विभाग इनको संकलित नहीं करता । तथापि, यात्री निवासों में डारमिट्री आवास में प्रति शय्या (बैड) किराया 20 रुपए और 50 रुपए के बीच है । यूथ होस्टलों के किराए में 1985 से कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है और डारमिट्री के स्वरूप के आवास में प्रति शय्या (बैड) किराया 8 रुपए से 20 रुपए के बीच में है ।

(ङ) यात्री निवासों/यूथ होस्टलों की डारमिट्री में आवास की सुविधाओं के साथ-साथ सामूहिक स्नान-घर भी होते हैं ।

भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आना

5397. **श्री पृथ्वी राज डी० चव्हाण :**

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आने से होटल उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके परिणामस्वरूप कई होटल बन्द कर देने पड़ेंगे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार पर्यटन आधारिक संरचना में सुधार करके तथा विपणन प्रयासों में वृद्धि करके भारत में पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है।

लुमडिंग-बदरपुर सेक्शन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)

5398. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भू-स्खलन के कारण गत एक वर्ष के दौरान उत्तर सीमान्त रेलवे के लुमडिंग-बदरपुर पर्वतीय सेक्शन पर रेल यातायात कितने दिन अव्यवस्थित रहा;

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को राजस्व तथा अन्य रूपों में कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस समस्या को हल करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1990-91 के दौरान, 23 दिन भिन्न-भिन्न समय में यातायात में बाधा पड़ी।

(ख) भूस्खलन को हटाने पर लगभग एक लाख रुपये व्यय किए गए। इसकी वजह से राजस्व की हुई हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) समस्या पर काबू पाने के लिए जहां कहीं आवश्यक है, जल निकासी नालियों की व्यवस्था की जा रही है और पहाड़ की ओर के ढालों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

दुर्ग में विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा

5399. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान दुर्ग जिले में रेल लाइनों, गोदामों, रिहायशी मकानों आदि के निर्माण के लिए रेलवे द्वारा भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति विस्थापित हुए;

(ख) क्या इन विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने का कोई प्रस्ताव था;

(ग) यदि हां, तो तदनुसार कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(घ) शेष व्यक्तियों को कब तक रोजगार दे दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में भुन्तर हवाई अड्डे का विस्तार

[हिन्दी]

5400. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन संवर्धन के लिए कुल्लु में भुन्तर हवाई अड्डे के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हवाई पट्टी के एक नदी के काफी समीप से बहने के कारण भुन्तर हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार करना संभव नहीं है।

दाहोद में लोको वर्कशाप

[अनुवाद]

5401. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के लोको वर्कशाप (दाहोद) में बिजली चालित इंजनों की मरम्मत का कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) लोको कारखाना दाहोद, पश्चिम रेलवे में बिजली लोको पुनर्स्थापन का कार्य 20.00 करोड़ रुपए की प्रत्याशित लागत पर 1990-91 में पहले ही स्वीकृत किया गया है। इस कार्य के विस्तृत नक्शों और अनुमानों को तैयार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रायगढ़ से चलाना

[हिन्दी]

5402. **श्री भवानी लाल वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासियों की सुविधा के लिए अमृतसर बिलासपुर (छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस) रेलगाड़ी (8238, 8237) को रायगढ़ से या झारसुराडा से चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चलाए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में मीटरगेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

[अनुवाद]

5403. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी लाइनों के नाम क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) परभनी-पूर्णा और मुदखेड-आदिलाबाद मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने एवं पूर्णा और मुदखेड के बीच समानान्तर बड़ी लाइन बनाने के कार्य के भाग के रूप में, मुदखेड-आदिलाबाद खण्ड, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है के एक हिस्से में आमान परिवर्तन का काम अनुमोदित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को बिजली का आवंटन

5404. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

श्री अनादि चरणदास : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार के अधीन बिजली के बिना आवंटित किए कोटे में से कितनी-कितनी बिजली का आवंटन किया गया;

(ख) पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और गत तीन वर्षों के दौरान बिना आवंटित किये गये केन्द्रीय कोटे में से आवंटित की गई बिजली का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों में से उड़ीसा में बिजली की सबसे अधिक कमी है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में बिजली की कमी को दूर करने और बिना आवंटित किए गये बिजली के केन्द्रीय कोटे में से उड़ीसा को और अधिक बिजली आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91 के दौरान देश के विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों के अनाबंटित उत्पादन में से विभिन्न राज्यों/प्रणालियों को किए गए आबंटन का ब्यौरा अनुबन्ध-1 में दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र में, केन्द्रीय क्षेत्र के फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र और भूटान स्थित चूखा जल-विद्युत केन्द्र की अनाबंटित विद्युत को पूर्वी क्षेत्र के संघटकों अर्थात् बिहार, दामोदर घाटी निगम (डी० वी० सी०) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को आबंटित किया गया है जिसका ब्यौरा पहले ही विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) अप्रैल, 1991-जुलाई, 1991 की अवधि के दौरान, पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों/प्रणालियों में विद्युत सप्लाई की स्थिति नीचे दिए अनुसार थी :

(मिलियन यूनिट में)

राज्य/प्रणाली	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
बिहार	2375	1618	757
दामोदर घाटी निगम	2470	2002	468

1	2	3	4
उड़ीसा	2715	2401	314
पश्चिम बंगाल	3750	3383	367
पूर्वी क्षेत्र	11310	9404	1906

(घ) उड़ीसा में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि किए जाने हेतु उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 1193.5 मे० वा० क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है बशर्ते वित्तीय संसाधन एवं अन्य निवेश उपलब्ध हों। विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए गए अन्य उपायों में शामिल हैं :

विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण एव वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक विद्युत वाले क्षेत्रों में कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत की सप्लाई करना। दिनांक 15-8-1991 से पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों (फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र और भूटान स्थित चूखा जल विद्युत केन्द्र) के अनाबंटित विद्युत उत्पादन में से उड़ीसा को 10% विद्युत आबंटित की गई है जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु चूखा जल-विद्युत केन्द्र से डी० वी० सी० को 10% विशिष्ट आबंटन की गणना करने के बाद पूर्वी क्षेत्र के संघटकों में विद्युत की सापेक्ष प्रतिशत कमी पर आधारित है।

विवरण

वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 199 1-92 के दौरान केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों की अनाबंटित विद्युत में आबंटन

(सभी आंकड़े % में)

उत्तरी	1988-89					1989-90			1990-91		
	2-7-88 तक	27-9-88 से 28-10-88	29-10-88 से 28-11-88	29-11-88 से 23-12-88	24-12-88 से 31-3-89	1-4-89 से 1-11-89	2-11-89 से 3-1-90	4-1-90 से 31-3-90	1-4-90 से 20-12-90	21-12-90 से 3-1-91	4-1-91 से 31-3-91
चण्डीगढ़			5	5	5	5	5		5	5	5
दिल्ली	50	50	50	50	50	50	45	45	45	37.5	30
हरियाणा								10	10	10	10
हिमाचल प्रदेश	10			10	10	10	10	5	5	10	10
जम्मू और कश्मीर					10	10	15	15	15	20	20
पंजाब		10	10	10	8	8	8				
राजस्थान	20	20	15	10	7	7	7	10	10	10	17.5
उत्तर प्रदेश	20	20	20	15	10	10	10	10	10	7·5	7.5

	1988-89	1989-90		1990-91
पश्चिमी		1-4-89 से 12-5-89	13-5-89 से 31-3-90	
गुजरात	70	70	60	60
मध्य प्रदेश	20	20	20	20
महाराष्ट्र	10	10	10	10
दमन और दीव			2	2
दादर और नागर हवेली			8	8

उपर्युक्त आंकड़े, निम्नलिखित विशिष्ट आबंटन के बाद के हैं—बी० ए० एल० कं०=45 मे० वा०, आर० एस० पी०=30 मे० वा०, दमन व दीव=5 मे० वा०, दादर और नागर हवेली=3 मे० वा०

	1988-89			1989-90			1990-91			
दक्षिणी	23-9-88 तक	24-9-88 से 20-12-88	21-12-88 से 31-3-89	1-4-89 से 17-10-89	18-10-89 से 24-1-90	25-1-90 से 12-3-90	13-3-90 से 31-3-90	1-4-90 से 23-7-90	24-7-90 से 10-12-90	11-12-90 से 31-1-91	1-2-91 से 31-3-91
आंध्र प्रदेश	25	10	25	25	20	25	40	40	30	10	25
कर्नाटक	35	40	35	25	45	45	50	50	40	40	35
केरल	30	30	30	25	15	15	5	5	5	25	15
तमिलनाडु	10	20	10	25	20	15	5	5	25	23	25

उपर्युक्त आंकड़े निम्नलिखित विशिष्ट आबंटन के बाद के हैं—एन० एफ० सी०=12-3-90 से 5 मे० वा०

पूर्वी	1988-89	1989-90	1990-91		
			1-4-90 से 31-7-90	1-8-90 से 27-11-90	28-11-90 से 31-3-91
बिहार	30	30	30	30	
डी० वी० सी०	20	20	20	40	100
उड़ीसा	40	40	40	20	
पश्चिम बंगाल	10	10	10	10	

उपर्युक्त आंकड़े निम्नलिखित विशिष्ट आवंटन के बाद के हैं—डी० वी० सी० =चूखा जल विद्युत परियोजना से 10%

तेल और प्राकृतिक गैस के कुओं की खुदाई

5405. **डा० विश्वनाथम केनिथो** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक तेल और गैस के कितने कुओं की खुदाई की गई है;

(ख) कितने कुओं में तथा कितनी मात्रा में तेल और गैस प्राप्त हुआ है; और

(ग) कितने प्रतिशत प्राकृतिक गैस का औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 7021

(ख) 4107 कुओं में तेल तथा 417 कुओं में गैस पाई गई है। मात्रा समय-समय पर बदलती रहती है।

(ग) विद्युत, उर्वरक, स्टील तथा अन्य औद्योगिक प्रयोजनों सहित 70% से भी अधिक गैस का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है।

डेसू अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

[हिन्दी]

5406. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें बहुत दिनों से लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या डेसू के सतर्कता विभाग ने इन शिकायतों को निपटाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर निपटाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) डेसू के अनुसार, कुछ मामलों में इसके कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही कुछ समय से लम्बित है। यद्यपि डेसू द्वारा प्राप्त शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने के प्रयास किए जाते है, फिर भी निम्नलिखित जैसे विभिन्न कारणों से विलम्ब हो जाता है—रिकार्ड की अनुपलब्धता, पुलिस प्राधिकारियों, सी०बी०आई० जिनके द्वारा भी जांच की जाती है, के जांच परिणामों की प्रतीक्षा और अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लगना।

(ग) चूंकि प्रत्येक शिकायत की जांच उसके गुण-दोषों क आधार पर की जानी अपेक्षित होती है, अतः इस सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

बालाघाट जंक्शन के लिए आरक्षण कोटा

5407. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालाघाट जिला मुख्यालय के लिए बालाघाट जंक्शन पर महानदी एक्सप्रेस और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी में आरक्षण कोटे की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ऊंचे दर्जे में कोटा आवंटित करने के लिए मांग की गई है ।

(ख) बालाघाट स्टेशन पर इन गाड़ियों के लिए पहला दर्जा/वातानुकूल 2-टियर के टिकटों की बिक्री कम होने के कारण कोटा आवंटित करना औचित्यपूर्ण नहीं है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायुदूत सेवाएं

[अनुवाद]

5408. **श्री के० प्रधानी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र को जाने वाली वायुदूत की उड़ानें अनियमित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वायुदूत के परिचालन खराब मौसम और तकनीकी खराबियों के कारण कुछ अनियमित हो गये थे । उत्तर पूर्वी क्षेत्र में परिचालनों के लिए विमानों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा उपयोग किया गया सैलून

5409. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1941 में हावड़ा से बोलपुर तक की अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाए गए रेलवे सैलून को पुनः उसके मूल रूप में लाने के लिए कुछ प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सैलून की पृष्ठभूमि और विशिष्टताओं सहित तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सैलून का तत्कालीन ईस्ट इंडियन रेलवेज के लिलुआ कारखाने द्वारा 1921 में निर्माण

किया गया था। यह लकड़ी का बना सवारी डिब्बा है तथा जब रवीन्द्र नाथ टैगोर ने गाड़ी द्वारा अपनी अन्तिम यात्रा की थी तब ईस्ट इंडियन रेलवेज के तत्कालीन मुख्य परिचालन अधीक्षक द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था।

इस सवारी डिब्बे को परिचालन में बनाये रखना अलाभप्रद हो गया था और इसका एक दशक से अधिक समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए इस डिब्बे को नाकारा करने तथा इसका निपटान करने के लिए कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ग) इस डिब्बे की मरम्मत तथा नवीकरण पर 58,000 रुपयों की राशि खर्च की गई है।

बरेली-कासगंज लाइन पर और गाड़ियां चलाना

[हिन्दी]

5410. **श्री विश्वनाथन्द स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली-कासगंज छोटी लाइन पर अप और डाउन कितनी सवारी गाड़ियां चल रही हैं;

(ख) क्या इस रेल लाइन पर और सवारी/माल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अप और डाउन दोनों दिशाओं में 6 गाड़ियां हैं।

(ख) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तुमकूर से दावणगेरे तक रेल लाइन

[अनुवाद]

5411. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुमकूर से सिरा, हिरियूर, चित्रदुर्ग होकर, दावणगेरे तक एक नई रेल लाइन बिछाने की मांग है, जिससे तुमकूर और दावणगेरे के बीच की दूरी सड़क मार्ग के हिसाब से लगभग 60 किलो मीटर कम हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। बहरहाल, सुझाई गई लाइन से दूरी में लगभग 25 कि० मी० की कमी आ जायेगी।

(ख) संसाधनों की तंगी के कारण इस लाइन के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दार्जिलिंग में हवाई पट्टी

5412. **श्री चित्त बसु** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी पर्यटकों को लाभान्वित करने के लिए दार्जिलिंग में एक हवाई पट्टी का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) दार्जिलिंग गोरखा हिल काऊंसिल ने दार्जिलिंग में टाइगर हिल पर एक हवाई पट्टी के निर्माण का सुझाव दिया है । राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस स्थान का सर्वेक्षण किया गया था और यह पाया गया कि लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से एव्रो प्रकार के विमान के परिचालनों के लिए उपयुक्त 6500 फुट × 150 फुट की हवाई पट्टी का निर्माण करना व्यावहारिक हो सकेगा । तथापि, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने इस स्थान को पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया है। हवाई पट्टी का निर्माण कार्य अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमति दिए जाने तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पर्याप्त निधियों के उपलब्ध कराये जाने पर निर्भर करता है।

फरक्का लालमटिया रेल लाइन पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण

[हिंदी]

5413. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फरक्का लालमटिया रेल लाइन पर कार्यरत कर्मचारियों को कुशल कारीगर बनाने हेतु प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की वर्ष वार संख्या कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के कार्यरत ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) फरक्का लालमटिया रेलवे लाइन निजी साईडिंग के रूप में राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के स्वामित्व में है और वही उसका अनुरक्षण करता है ।

एयर टैक्सी योजना

[अनुवाद]

5414. **डा० जी० एल० कनोजिया** :

श्री गुरुदास कामत :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अगस्त, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एयर टैक्सीज ए नीयर फ्लाप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में सभी जिलों को वायुमार्ग से जोड़ने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि हवाई टैक्सी योजना असफल हो गई है। निजी हवाई टैक्सी के परिचालन में विभिन्न प्रतिबन्धों को हाल ही में हटाया गया है। हवाई टैक्सी सेवाओं के परिचालन की योजना, विमानों के चयन और आयात, कार्मिकों की नियुक्ति और निजी प्रचालकों के लिए आधारभूत सुविधाओं की स्थापना पर कुछ समय लगता है। आशा है कि निकट भविष्य में इस योजना में तेजी आयेगी। इस योजना की सफलता के लिए सरकार आगे और सुविधाओं की व्यवस्था करेगी।

(ग) देश में सभी जिलों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। परिचालनात्मक और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर प्रचालकों द्वारा विमान सेवा की व्यवस्था की जाती है।

मुम्बई में पाइप द्वारा गैस की सप्लाई

5415. **श्री राजेंद्र कुमार शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी को विदेशी सहयोग से मुम्बई में पाइप द्वारा गैस की सप्लाई के लिए स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कितना खर्च होने की सम्भावना है और कब तक इस गैस की सप्लाई की जाने लगेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर-रेवाड़ी शटल गाड़ी में जोड़े गए यात्री डिब्बे

[हिंदी]

5416. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर-रेवाड़ी शटल गाड़ी में कितने सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं और उनमें से कितने यात्रियों को उपलब्ध रहते हैं;

(ख) क्या उस गाड़ी में सवारी डिब्बों की कमी की वजह से यात्रियों को छत पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मार्ग पर सवारी डिब्बों की छत से गिरने वाले यात्रियों की वर्ष वार संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस गाड़ी में लगे सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सामान्यतः 159/160 रेवाड़ी-जयपुर

शटल गाड़ी में पांच सवारी डिब्बे लगाये जाते है और ये सारे सवारी डिब्बे यात्रियों को उपलब्ध रहते हैं।

(ख) और (ग) ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) आगामी वर्षों में जैसे ही हमारे उत्पादन यूनिटों से अधिक मात्रा में सवारी डिब्बे उपलब्ध होंगे।

गुजरात में ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा का उत्पादन

[अनुवाद]

5417. **डा० के०डी० जेस्वाणी** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के खम्भात समुद्र तट पर ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा का उत्पादन करने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय यह योजना किस चरण पर चल रही है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) गुजरात के खम्बात समुद्र तट पर ज्वारीय तरंग ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किए जाने सम्बन्धी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण/अन्वेषण नहीं किए गए हैं।

गुजरात में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5418. **श्री काशीराम राणा** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने मीटर गेज की बहुत सी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) इनमें से आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना में शामिल करने के लिए अभी किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

समस्तीपुर में रेल डिब्बे बनाने का कारखाना

[हिन्दी]

5419. **श्री मंजय लाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर रेल डिब्बा निर्माण कारखाने में मीटर गेज लाइन के यात्री डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत का अधिकांश कार्य गोरखपुर रेल डिब्बा निर्माण कारखाने में किया जा रहा है और कारखाने के शेष कार्य को किसी अन्य स्थान पर करवाने की योजना भी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मीटन लाइन से सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहाल का मरम्मत कार्य 1983 में गोरखपुर वर्कशाप को स्थानांतरित कर दिया गया था और इसके बदले में माल डिब्बों की आवधिक ओवरहाल का मरम्मत कार्य गोरखपुर से समस्तीपुर को स्थानांतरित कर दिया गया था। मीटर लाइन के माल डिब्बों के बेड़े को कम करने के कारण माल डिब्बों की आवधिक ओवरहाल का कार्य उत्तरोत्तर कम हो रहा है। इस कारखाने की क्षमता का उपयोग मीटर लाइन के नए माल डिब्बों के निर्माण के लिए भी किया जा रहा है। इस वर्कशाप को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जमालपुर में रेल कारखाना

5420. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमालपुर कारखाने के अन्तर्गत कितनी कार्यशालाएं कार्य कर रही हैं और उनमें से कितनी कार्यशालाओं को बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या 1992 तक वहां पर भाप के इन्जन का निर्माण बन्द कर दिए जाने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कारखाने के कार्मिकों को खपाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार यहां माल डिब्बे और यात्री डिब्बे बनाने का है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्य पर कितना खर्च होगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जमालपुर के कारखाने में उप-कर्मशालाओं की संख्या चौंतीस है तथा इनमें से कोई भी बन्द नहीं की गई है।

(ख) जमालपुर कारखाने में किसी भाप इन्जन का निर्माण नहीं किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वहां सुविधाओं की कमी के कारण फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

अतिरिक्त विद्युत तथा उत्पादन

[अनुवाद]

5421. **श्री मोहन रावले** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988-89, 1989-90 तथा 1990-90 के दौरान विद्युत क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता उत्पादन करने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) प्रत्येक वर्ष कितना-कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त करने में कमी रही है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना कमी रही है और इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) ब्यौरा नीचे दिया गया है—

वर्ष	लक्ष्य (मिगावाट)	उपलब्धि (मिगावाट)	कमी (—)/ अधिकता (+) (मिगावाट)	कमी के कारण
1988-89	4496.5	3885	(+) 368.5	
1989-90	4892.4	4687.7	(—) 204.7	सिविल कार्यों एवं यूनिट उत्पादन सम्बन्धी कार्य की प्रगति धीमी होना, भेल द्वारा सप्लाई में विलंब होना आदि ।
1990-91	4212	2776.8	(—) 1435.2	सिविल कार्यों एवं यूनिट उत्पादन सम्बन्धी कार्य की प्रगति धीमी होना, भेल द्वारा सप्लाई में विलंब होना, कैशफलो अपर्याप्त होना और कुछ राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की अशान्त स्थिति होना ।

रेल लाइनें

5422. **श्री एच०डी० देवगौड़ा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में छोटी, मीटर गेज और बड़ी रेल लाइनों की लम्बाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

31-3-90 को मार्ग कि०मी० का राज्यवार विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	3374.21	1610.09	36.94	5021.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1.26	—	1.26
3.	असम	266.41	2184.50	—	2450.91
4.	बिहार	3563.77	1693.18	69.15	5326.10
5.	गोवा	—	79.06	—	79.06

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	1710.31	2655.22	920.85	5286.38
7.	हरियाणा	883.58	612.81	2.38	1499.77
8.	हिमाचल प्रदेश	11.55	—	244.25	255.80
9.	जम्मू और कश्मीर	77.29	—	—	77.29
10.	कर्नाटक	656.22	2259.84	148.46	3064.52
11.	केरल	869.84	114.43	—	984.27
12.	मध्य प्रदेश	4391.73	497.86	948.44	5838.03
13.	महाराष्ट्र	3340.43	993.66	1100.05	5434.14
14.	मणिपुर	—	1.35	—	1.35
15.	नागालैंड	—	9.35	—	9.35
16.	उड़ीसा	1858.59	—	143.03	2001.62
17.	पंजाब	1980.81	158.23	11.93	2150.97
18.	राजस्थान	1176.65	4505.52	86.51	5768.68
19.	तमिलनाडु	1132.96	2879.14	—	4012.10
20.	त्रिपुरा	—	44.72	—	44.72
21.	उत्तर प्रदेश	6117.74	2768.03	2.28	8888.48
22.	पं० बंगाल	2979.77	477.11	352.60	3809.48
केन्द्र शासित प्रदेश					
1.	चण्डीगढ़	11.00	—	—	11.00
2.	दिल्ली	140.74	27.09	—	167.83
3.	पांडिचेरी	—	27.11	—	27.11
	जोड़ :	34543.60	23599.56	4067.87	62211.03

शेष राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोई रेलवे लाइन नहीं है ।

दरभंगा तथा सकरी में रेलवे क्रासिंग पर उपरिपुल

[हिन्दी]

5423. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा के उत्तर में प्रथम रेलवे क्रासिंग पर तथा सकरी जंक्शन के पूर्व ऊपरिपुल निर्मित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यह दोनों पुल कब तक निर्मित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन ऊपरी पुलों के लिए राज्य सरकार से नियमानुसार लागत को वहन करने की विधिवत स्वीकृति सहित अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण

5424. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के क्योंझर, सुन्दरगढ़ और मयूरभंज जिलों में बिजली के खम्भे लगा दिए गए हैं, किन्तु उनसे विद्युत की आपूर्ति नहीं होती है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) गांव के विद्युतीकरण हेतु ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जानी अपेक्षित होती है—सबसे पहले खम्बों का उत्थापन करना फिर तार बिछाना, इन्सुलेटर्स लगाना और अन्त में लाइन को ऊर्जित करना। यह राज्य बिजली बोर्डों द्वारा की जाने वाली सतत् कार्यवाही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, जून, 1991 के अन्त तक उड़ीसा के क्योंझर, सुन्दरगढ़ तथा मयूरभंज जिलों में विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या निम्नानुसार है—

जिले का नाम	1981 की जनगणना के अनुसार गांवों की संख्या	1-7-91 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव
क्योंझर	2045	1625
सुन्दरगढ़	1665	1372
मयूरभंज	3729	2242

विमान चालक दल के उड़ान के घंटे

[अनुवाद]

5425. **डा० सुधीर राय** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया में विमान चालक दल एक महीने में सामान्यतः कितने घण्टे उड़ान करता है ;

(ख) पुरुष और महिला चालक-दल वास्तविक रूप से कितने घंटे उड़ान करता है;

(ग) क्या चालक दल के प्रत्येक सदस्य के उड़ान घंटों का कम उपयोग होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालक दल की अधिकाधिक सेवायें लेने हेतु एयर इण्डिया द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एयर इंडिया में केबिन कर्मीदल के लिए प्रतिमाह सामान्य उड़ान घंटे प्रति केबिन कर्मीदल 50 घंटे हैं।

(ख) पुरुष केबिन कर्मीदल के लिए औसतन उपयोगिता प्रतिमाह 36 घंटे है और महिला केबिन कर्मीदल सदस्यों के लिए यह 38.5 घंटे है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कर्मीदल की उपयोगिता में सुधार लाने की दृष्टि से शेड्यूल-सम्बन्धी कार्य-कुशलता में सुधार लाने के लिए एयर इण्डिया केबिन कर्मीदल के रोस्टर का कम्प्यूटरीकरण करने की प्रक्रिया में है।

मुम्बई-धोंड-मनमाड के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को बहाल करना

[हिन्दी]

5426. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-धोंड-मनमाड यात्री रेलगाड़ी को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस रेलगाड़ी को बहाल करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस रेलगाड़ी को कब तक बहाल करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अहमदाबाद और मुम्बई के बीच नई रेलगाड़ी चलाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को कब तक चलाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्ववर्ती 321/322 बम्बई-धोंड-मानमाड पैसेंजर को बम्बई-पुणे खण्ड पर रद्द किया गया था। इस गाड़ी को अब 1321/1322 नम्बर दिया गया जो अब धोंड के रास्ते पुणे और मनमाड के बीच चलती है।

(ख) परिचालनिक कठिनाइयां।

(ग) जी, हां।

(घ) इस गाड़ी को बम्बई-पुणे खण्ड पर पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में कोयले के भंडार

[अनुवाद]

5427. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या कोयले का यह उत्पादन देश में विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) क्या सरकार देश से, विशेषकर केरल में, नए कोयला भंडारों का पता लगाने का प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में कोयले का कुल उत्पादन 211.73 मि० टन हुआ।

(ख) जी, हां। वर्तमान कोयले का उत्पादन तथा हमारे पास उपलब्ध पिट-हैड कोयले का स्टाक सभी उद्योगों की मांग को पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, केवल इस्पात को छोड़कर जहां संमिश्रण के प्रयोजन से इस्पात संयंत्र प्रति वर्ष लगभग चार मिलियन टन कोककर कोयले का आयात कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। देश के विभिन्न भागों में कोयले के भंडारों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य निरन्तर आधार पर भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। भारतीय भू-सर्वेक्षण तथा अन्य अभिकरणों द्वारा किए गए अन्वेषण के परिणामस्वरूप 1-1-1990 को अनुमानित 1,86,044.24 मि० टन कोयले के भंडारों की तुलना में 1-1-1990 की स्थिति के अनुसार 1,92,359.15 मि०टन कोयले के कुल भंडार होने का अनुमान लगाया गया है, जोकि 6314.91 मि० टन की वृद्धि को दर्शाते हैं। केरल राज्य में कोयले के भंडार विद्यमान होने के सम्बन्ध में अभी तक पता नहीं चला है।

एयर बस ए-320

5428. **श्री प्रकाश वी० पाटील** :

श्री साईमन मरांडी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयरबस ए-320 बेड़े की उड़ानों को बन्द करने के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप अब तक कितना वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) क्या इस घाटे के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या विमान चालक अब ए-320 एयरबस चलाने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 40 सप्ताहों तक

विमानों की ग्राउंडिंग के कारण इंडियन एयरलाइंस को हुई कुल अनुमानित हानि 171.06 करोड़ रुपए है। ए-320 विमानों को ग्राउन्ड करने का निर्णय मन्त्रिमण्डल स्तर पर लिया गया था।

(ग) जी, हां।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन

5429. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे से नई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ग) रूमानिया एयरलाइन्स (टी०ए०आर०ओ०एम०) ने हाल में कलकत्ता-आबूधाबी-बुचारेस्ट सैक्टर पर दो सप्ताह में एक सेवा आरम्भ कर दी है।

रसोई गैस की एजेंसियों के आबंटन में अनियमितताएं

[हिन्दी]

5430. **श्री सूर्यनारायण यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान रसोई गैस की एजेंसियों के आबंटन के बारे में बड़े पैमाने पर की गई अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो बिहार के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) बड़े पैमाने पर अनियमितता के बारे में कोई जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है। प्राप्त प्रत्येक शिकायतों की जांच की जाती है।

हरियाणा में रसोई गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल पम्प

5431. **श्री राम प्रकाश चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान हरियाणा में जिलावार कितने पेट्रोल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियां आबंटित की गई और ये कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) इनमें से कितनी एजेंसियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आबंटित की गई ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) **खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपें**

(1) फरीदाबाद

(2) गुड़गांव

एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें

(1) पंचकुला

(2) समालिका

सरकार इन आवंटनों की समीक्षा कर रही है।

(ख) शून्य

पर्यटन नीति

[अनुवाद]

5432. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1982 में पर्यटन नीति तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो इस नीति में अब तक किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए इस नीति में कुछ परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार पर्यटन के सम्बन्ध में एक कार्य योजना तैयार करने की कार्रवाई कर रही है जिसके कारण कुछ नीतिगत परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकती है।

पैलेस आन व्हील्स का नवीकरण

[हिन्दी]

5433. **श्री राम नारायण डेरवा** :

श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पैलेस आन व्हील्स" रेलगाड़ी के सवारी डिब्बों की कालावधि पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार "पर्यटकों" की सुविधा के लिए इस रेलगाड़ी का चलाना जारी रखने के लिए क्या योजनाएं बना रही है;

(ग) क्या इसके डिब्बों का नवीकरण करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और इसका आवंटन कब तक किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। इन सवारी डिब्बों ने अपनी निर्धारित आयु पूरी कर ली है।

(ख) से (घ) एक वातानुकूल रेक निर्माणाधीन है जो मौजूदा रेक के स्थान पर लगाया जायेगा।

कोयलकारो परियोजना

5434. **श्री ललित उरांव** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में कोयलकारो परियोजना पर आज तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : बिहार में कोयल कारो जल विद्युत परियोजना के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० (एन० एच० पी० सी०) द्वारा जुलाई, 1991 के अन्त तक 9.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

आदर्श स्टेशन

5435. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किये गये स्टेशनों के नाम क्या है;

(ख) वहां पर किये गये काम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ और स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इन स्टेशनों के नाम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निम्नलिखित स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है :

आदर्श स्टेशनों के नाम

क्रम सं०	आदर्श स्टेशनों के नाम
1.	हैदराबाद
2.	विजयवाड़ा
3.	तिरुपति
4.	वाल्तेरु
5.	न्यू बोंगाई गांव
6.	गुवाहाटी
7.	लामडिंग
8.	तिनसुकिया
9.	धनबाद

1	2
10.	गया
11.	पटना
12.	समस्तीपुर
13.	मुजफ्फरपुर
14.	कटिहार
15.	रांची
16.	टाटानगर
17.	नयी दिल्ली
18.	अहमदाबाद
19.	राजकोट
20.	जूनागढ़
21.	भिवानी
22.	शिमला
23.	जम्मूतवी
24.	तिरुवनन्तपुरम
25.	मैसूर
26.	बेंगलूरु सिटी
27.	बेल्लारी
28.	अकोला
29.	बम्बई वी० टी०
30.	पुणे
31.	नागपुर
32.	शोलापुर
33.	नान्देड
34.	गोंदिया
35.	बम्बई सेन्ट्रल
36.	ग्वालियर

1	2
37.	भोपाल
38.	जबलपुर
39.	बिलासपुर
40.	रायपुर
41.	इन्दौर
42.	दुर्ग
43.	भुवनेश्वर
44.	जालन्धर
45.	बीकानेर
46.	जोधपुर
47.	जयपुर
48.	भरतपुर
49.	अजमेर
50.	मद्रास
51.	तिरुचिरापल्ली
52.	मदुरै
53.	कोयम्बटूर
54.	मेरठ सिटी
55.	लखनऊ (उ० रे०)
56.	इलाहाबाद
57.	मुरादाबाद
58.	लखनऊ (पूर्वोत्तर रेलवे)
59.	गोरखपुर
60.	काठगोदाम
61.	इलाहाबाद सिटी
62.	आगरा फोर्ट
63.	सियालदह
64.	हावड़ा
65.	दुर्गापुर
66.	माल्दा टाउन
67.	खड़गपुर

(ख) स्टेशनों में पीने का पानी, प्रसाधन, प्लेटफार्मों का मुधार, बेहतर बुकिंग सुविधाएं, परिचलन क्षेत्र में सुधार, विश्रामालयों, ऊपरी सड़क पुलों की व्यवस्था/विस्तार/उन्हें चौड़ा बनाना आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कतिपय स्टेशनों पर इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य पूरा हो गया है और शेष स्टेशनों पर कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आगरा से इटावा तक रेल सम्पर्क

5436. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आगरा से इटावा तक बरास्ता बाहू नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अब क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इसका निर्माण कार्य कब शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सुझायी गयी लाइन के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

अनुसूचित जाति/अनुचित जनजाति के कर्मचारियों को विदेशों में प्रशिक्षण

[अनुवाद]

5437. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987, 1988 और 1989 के दौरान प्रशिक्षण के लिए कितने अधिकारी विदेश भेजे गये और उनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी थे; और

(ख) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी नहीं भेजा गया, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ग्रुप "ए" के अधिकारी

वर्ष	जोड़	अ० जा०/अ० ज० जा०
1987	81	2
1988	148	9
1989	163	19

ग्रुप "बी" के अधिकारी

	जोड़	अ० जा०/अ० ज० जा०
1987	11	1
1988	32	4
1989	37	2

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल स्थित बेकाल पत्तन का विकास

5438. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेकाल पत्तन का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने की कोई योजना है;

(ख) पश्चिमी खाट में त्रिवेन्द्रम से मुम्बई तक उन पर्यटन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; जिन्हें सरकार का विकसित करने का विचार है; और

(ग) सरकार ने बेकाल पत्तन में और बेकाल पत्तन के आस-पास जीर्णोद्धार और विस्तार कार्यों के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) विशिष्ट क्षेत्रों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करना मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर धन की उपलब्धता, गुणदोष तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें वित्तीय सहायता देता है । वर्ष 1991-92 के लिए, केवल सरकार ने बेकल पत्तन के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट स्कीम प्रस्तुत नहीं की है ।

रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के लाइसेंस रद्द करना

[हिंदी]

5439. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कदाचारों में लिप्त होने के कारण अब तक राज्यवार और जिलेवार कितने पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों के कितने लाइसेंस रद्द किए गये हैं; और

(ख) कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प तथा रसोई गैस के ये रद्द किए गए लाइसेंस दिए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) एक ।

विवरण

राज्य/जिले	अप्रैल, 1985 से मार्च, 1991 की अवधि के दौरान रद्द किए गए लाइसेंस की संख्या	
	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप
1	2	3
1. हरियाणा		
(क) अम्बाला	1	—
(ख) करनाल	1	
(ग) हिसार	1	—
(घ) कुरुक्षेत्र	—	1
2. पंजाब		
(क) लुधियाना	2	1
(ख) जालंधर	1	—
(ग) भटिंडा	—	1
(घ) फरीदकोट	—	1
3. उत्तर प्रदेश		
(क) मेरठ	1	—
(ख) बिजनौर	1	—
(ग) नैनीताल	1	—
(घ) देहरादून	1	—
(ङ) मथुरा	1	—
(च) इलाहाबाद	—	1
(छ) लखनऊ	—	2
(ज) सहारनपुर	—	1
(झ) अलीगढ़	—	1
4. तमिलनाडु		
(क) मद्रास	1	1

1	2	3
(ख) इरोड	1	—
(ग) सलेम	—	1
(घ) रामसागर	—	1
(ङ) नीलगिरी	—	1
(च) एस० आरका	—	1
(छ) धर्मपुरी	—	1
5. आंध्र प्रदेश		
(क) रंगा रेड्डी	1	—
(ख) वैशाख	1	1
(ग) हैदराबाद	1	—
(घ) कूलूल	1	—
(ङ) नेलोर	—	1
(च) विजयवाड़ा	—	1
(छ) विशाखपत्तनम्	—	1
(ज करीम नगर	—	1
6. गुजरात		
(क) खेडा	1	—
(ख) मेहसाणा	1	—
(ग) सूरत	2	—
(घ) बडोदरा	—	1
7. मध्य प्रदेश		
(क) इन्दौर	2	1
(ख) मुराना	1	—
(ग) विदिशा	1	—
(घ) रतलाम	2	—
(ङ) भोपाल	—	1
(च) ईस्ट निमार	—	1

1	2	3
8. महाराष्ट्र		
(क) बुलधाना	1	—
(ख) नागपुर	1	—
(ग) बम्बई	2	3
(घ) रायगढ़	1	—
(ङ) पुणे	2	—
(च) औरंगाबाद	1	—
(छ) थाणे	—	3
9. बिहार		
(क) बेगूसराय	1	—
(ख) जमशेदपुर	1	1
(ग) पटना	—	1
(घ) रांची	—	1
(ङ) गया	—	1
(च) रोहतास	—	1
(छ) मुजफ्फरपुर	—	1
10. कर्नाटक		
(क) बेलगांम	1	1
(ख) गजेन्द्रगढ़	1	—
(ग) बंललौर	—	2
(घ) रायचुर	—	1
(ङ) हसन	—	1
11. वैस्ट बंगाल		
(क) कलकत्ता	1	6
(ख) दार्जीलिंग	—	1
(ग) पुरुलिया	—	1
12. राजस्थान		
(क) सीकर	1	—

1	2	3
(ख) जोधपुर	1	—
13. दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र		
(क) दिल्ली	1	7
14. केरल		
(क) क्यूलोन	—	1
(ख) त्रिवेन्द्रम	—	1
(ग) पालघाट	—	1
(घ) त्रिचुर	—	1
(ङ) अर्नाकुलम्	—	1
(च) एलौपी	—	1
(छ) कन्नानूर	—	1
14. उड़ीसा		
(क) साम्बलपुर	—	1
16. हिमाचल प्रदेश		
(क) शिमला	—	1
(ख) कांगड़ा	—	1
योग :	43	66

ग्रामीण विद्युत वितरण नेटवर्क के लिए संचालन प्रणाली

[अनुवाद]

5440. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युत वितरण नेटवर्क के लिए कोई संचालन प्रणाली तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ग्रामीण विद्युत वितरण नेटवर्क को विद्युत की सप्लाई करने वाली विद्युत सप्लाई प्रणाली के लिए सर्दव सर्किट ब्रेकर, प्रोटेक्टिव रिले, गैंग आपरेटेड स्विच और प्रोटेक्टिव फ्यूज जैसी प्रचालन प्रणाली

की व्यवस्था की जाती है। इस उद्देश्य के लिए किसी प्रकार की विशेष स्कीम तैयार किया जाना आवश्यक नहीं है।

कटहरा कोयला धोवनशाला

[हिन्दी]

5441. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कोयला मन्त्री कटहरा कोयला धोवनशाला के बारे में 15 मई, 1990 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 8671 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी, कटहरा कोयला धोवनशाला के अधिकारियों के विरुद्ध अन्य क्या विभागीय कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या शीघ्र कानूनी कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष प्रयास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो का एक मामला संख्या आर०सी०-19/86 (आर) न्यायालय के सामने सुनवाई के लिए लम्बित पड़ा है। न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने के बाद ही इस सम्बन्ध में, यदि अपेक्षित हुआ तो विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

किन्तु, श्री आर०जे०पी० उपाध्याय तथा श्री एम० पी० राव अधिकारी को पहले ही कठहरा वाशरी से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता, चूंकि मामला न्यायालय के अधीन है।

आधुनिक विमान का निर्माण

[अनुवाद]

5442. **श्री हरिन पाठक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स/एयर इण्डिया द्वारा उपयोग में लाने हेतु आधुनिक स्वदेशीय विमान का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यान्त्रिक दोषों के कारण एयर इण्डिया/इण्डियन एयरलाइन्स के कुछ विमान बेकार पड़े हैं;

(ग) इन विमानों की मरम्मत कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उनको प्रयोग में लाया जा सके; और

(घ) कितने विमानों की मरम्मत की जानी है और इस पर कुल कितना अनुमानित व्यय होगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में तेल और गैस के कुओं की खुदाई

• 5443. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में तेल और प्राकृतिक गैस के कुओं की खुदाई से अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ख) द्वीप-समूह के तट और तट से दूर क्षेत्र में खुदाई का भावी कार्यक्रम क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (अपतट) में अब तक खोदे गए 15 अन्वेषण कूपों में से गैस का पाया जाना सिद्ध हुआ है।

(ख) तेल और गैस के अन्वेषण के लिए बोली के चौथे दौर के अन्तर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के अपतट में ग्यारह ब्लाकों को आफर किया जा रहा है।

जम्मू तथा कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में कमी आना

5444. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** :

श्री गुरुदास कामत :

प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, जम्मू तथा कश्मीर का भ्रमण करने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की, अलग-अलग, संख्या कितनी हैं;

(ख) इन वर्षों में पर्यटकों के आवागमन में कमी आने के कारण कितनी हानि होने का अनुमान है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया तथा देश को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई; और

(घ) जम्मू तथा काश्मीर में पर्यटन को आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्ष के दौरान इस राज्य की यात्रा पर आए स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है:—

	1. कश्मीर घाटी			2. वैष्णो देवी
वर्ष	पर्यटक आगमन			तीर्थ यात्री
	स्वदेशी	विदेशी	कुल	
1988	662,097	59,938	722,035	1,992,655
1989	490,215	67,762	557,977	2,312,001
1990	6,095	4,627	10,722	2,169,202

(ख) और (ग) प्राप्त अनुमानों के अनुसार, 1989 और 1990 के दौरान कश्मीर घाटी में पर्यटक व्यय में क्रमश: लगभग 13.8% तथा 96.4% की कमी आई है। तथापि, राज्य में पर्यटक यातायात में गिरावट आने की वजह से इंडियन एयरलाइन्स और एयर-इंडिया सहित पर्यटन उद्योग के विभिन्न घटकों को हुए घाटे के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) राज्य के विभिन्न भागों में पर्यटन आधारिक-संरचना में सुधार करके जम्मू और कश्मीर की ओर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

यात्री डिब्बा मरम्मत कारखाना, भोपाल के लिए विद्यालय

5445. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में यात्री डिब्बा मरम्मत कारखाना कालोनी में रहने वाले श्रमिकों के बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां पर एक विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। यदि आवश्यक पाया गया तो दूसरा स्कूल खोला जायेगा।

केरल में पर्यटन सुविधाएं

5446. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में किन-किन पर्यटन स्थलों को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में उल्लिखित किया गया है;

(ख) केरल में नेहरू ट्राफी नौका दौड़ जैसे खेलों के प्रति अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) केरल में और अन्य राज्यों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये नौका दौड़ तथा अन्य खेलों के लिए सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) केरल में तिरूवनन्तपुरम, कोवलम, क्विलन, एल्लेप्पी, कोट्टायम, थेक्कडी, कोच्चिन, त्रिचूर, गुरूव्यूर, आदि जैसे पर्यटक स्थल बड़ी संख्या में हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन परिपथ में शामिल हैं।

(ख) अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश के सभी अभिनिर्धारित मेलों और त्यौहारों का, जिनमें नेहरू ट्राफी नौका दौड़ शामिल हैं, देश और विदेश में संवर्धन किया जाता है।

(ग) 1990-91 में, राज्य सरकारों को विभिन्न मेलों और त्यौहारों का देश में संवर्धन करने के लिये 81.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अवमुक्त की गई थी। इसमें से 4.00 लाख रु० केरल राज्य को अवमुक्त किये गये थे। जहां तक नेहरू ट्राफी नौका दौड़ का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से

वित्तीय सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार नौका दौड़ के उपलक्ष्य में नेहरू स्मारक प्वेलियन का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है।

नई दिल्ली से मदुरै तक सीधी रेल सेवा

5447. **श्रीमती वासवराजेश्वरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और मदुरै के बीच सीधी रेल सेवा प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह रेल सेवा कब से शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान और केरल में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल और लॉज

[हिन्दी]

5448. **प्रो० रासा सिंह रावत** :

टी० के० अंजलोज : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान और केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नये होटल, लॉज और यात्री निवास का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार का 1991-92 में राजस्थान और केरल राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई नया होटल/लॉज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यात्री निवास स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अजमेर, राजस्थान में एक यात्री निवास की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार किया जा रहा है। यात्री निवास की स्थापना के सम्बन्ध में केरल सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों के बंक्स/बोटलिंग संयंत्र

5449. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन-किन शहरों में पेट्रोलियम उत्पादों के बंक्स/बोटलिंग संयंत्र हैं;

(ख) विभिन्न तेल कम्पनियों के माध्यम से पेट्रोल, रसोई गैस के सिलेंडरों और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या सरकार का इन बंक्स/बोटलिंग संयंत्रों, विशेषकर अजमेर के संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) राजस्थान में पेट्रोल के भंडारण स्थल (डिपो) अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में हैं तथा एल० पी० जी० के भरण संयंत्र सवाई माधोपुर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर में हैं।

(ख) सरकार को विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थों को डिपुओं से सप्लाई करने में जो खर्च बैठता है वह परिवहन लागत पर निर्भर होता है जो स्थान दर स्थान पर अलग-अलग होता है ।

(ग) और (घ) अजमेर भरण संयंत्र की क्षमता को आठवीं योजना के दौरान 6 मि०मी० टन से बढ़ाकर 22 मि०मी० टन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

केरल में कोयले का उत्पादन

[अनुवाद]

5450. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला-उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) कोयले से प्रतिवर्ष कितनी आय होती है; और

(ग) केरल में कोयला खानें किन-किन स्थानों पर हैं और उनका देश में कुल कोयला उत्पादन में क्या योगदान है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) देश में केवल कुल केपटिव खानों को छोड़कर, कोयला उद्योग को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है । कोयले का उत्पादन (लिग्नाइट को छोड़कर) देश के निम्नलिखित राज्यों में होता है :

1. बिहार
2. मध्य प्रदेश
3. पश्चिम बंगाल
4. उत्तर प्रदेश
5. महाराष्ट्र
6. उड़ीसा
7. आंध्र प्रदेश
8. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

(ख) कोल इंडिया लि० में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई कोयले की सकल बिक्री नीचे दी गई है :

वर्ष	(करोड़ रु० में) (अनन्तिम तारीख)
1988-89	5600.09
1989-90	6279.32
1990-91	6248.43

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड द्वारा कोयले की बिक्री से प्राप्त हुई कुल राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	(करोड़ रु० में) (अनन्तिम तारीख)
1988-89	497.27
1989-90	536.29
1990-91	520.09

(ग) केरल राज्य में कोयले के उत्खनन योग्य कोई भण्डार विद्यमान नहीं हैं । अतः केरल में कोयले का उत्पादन नहीं किया जाता है ।

केरल के लिए पुराने वैगनों का आवंटन

5451. **श्री पी० सी० थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को पुराने और टूटे फूटे वैगनों के अखंडन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन वैगनों के बदले सही वैगन देने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या वैगनों में लीकेज होने के कारण हुए घाटे की क्षतिपूर्ति की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बरसात में सीमेंट आदि के लदान के लिए ऐसे छतदार माल डिब्बे सप्लाई किये जाने की शिकायतें मिली हैं जिनमें पानी घुस जाता है । ऐसे पण्य-पदार्थों जिनके भीग जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने की संभावना रहती है, के लदान के लिए छतदार माल डिब्बों को जल-सह बनाने के लिए कार्रवाई की गई है ।

(ग) और (घ) माल डिब्बों में पानी चले जाने के कारण होने वाली क्षति और नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर और मौजूदा नियमों के अन्तर्गत किया जाता है ।

असम में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना

5452. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के शिवसागर जिले में अमगुड़ी में गैस पर आधारित 360 मेगावाट की क्षमता का विद्युत स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम राज्य बिजली बोर्ड से अमगुड़ी संयंत्र में उपयोग में लाई जाने वाली गैस के लिए पूर्वोत्तर विद्युत पावर निगम कथलगुड़ी संयंत्र की अपेक्षा अधिक धनराशि वसूल की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) असम के शिवसागर जिले में अमगुड़ी में गैस पर आधारित 360 मेगावाट संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को 408.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है। परियोजना हेतु योजना आयोग से निवेश सम्बन्धी निर्णय प्रतीक्षित है।

(ग) और (घ) प्राकृतिक गैस की कीमत समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह भिन्न-भिन्न उपभोक्ता के लिए भिन्न-भिन्न नहीं होती। इसमें रायल्टी, बिक्री-कर, अन्य सांविधिक शुल्क और ढुलाई प्रभार शामिल नहीं होते हैं जोकि यथार्थता के अनुसार वसूल किए जाते हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए इस समय प्राकृतिक गैस की कीमत रु० 1060/1000 क्यूबिक मीटर है, जबकि प्रत्येक मामले के आधार पर रु० 500/1000 क्यूबिक मीटर की छूट भी दी जाती है।

असम में प्राकृतिक गैस का उपयोग

5453. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में विभिन्न तेल और गैस क्षेत्रों से प्रतिदिन कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है;

(ख) असम में कितने प्रतिशत, कितनी मात्रा और कितने मूल्य की गैस का उपयोग उद्योग, बिजली उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, रसोई गैस उत्पादन के लिए अलग-अलग हो रहा है; और

(ग) कितने प्रतिशत, कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की गैस प्रतिदिन जलकर नष्ट हो रही है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) 500 रुपए प्रति हजार घन मीटर की कीमत पर लगभग 106 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के मूल्य पर करीब 5.8 एम० एम० एस० सी० एम० डी०। इसका उपयोग निम्नानुसार किया जाता है :

क्र०सं०	क्षेत्र	उपयोग	उत्पादन का %	मूल्य/करोड़ रुपयों में (1000 एम 3 प्रति 500 रुपए पर)
1.	उद्योग	0.43	7.39	7.8
2.	उर्वरक	1.349	23.2	24.5
3.	विद्युत	0.58	9.97	10.6
4.	एल० पी० जी०	0.11	1.89	2.0

(ग) जलाई जा रही गैस की मात्रा करीब 1.99 एम० एम० एस० सी० एम० डी० है, जो उत्पादन का करीब 34% है तथा जिसका मूल्य लगभग 36 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बैठता है।

तेल शोधक कारखानों की क्षमताओं में वृद्धि करना

5454. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिगबोई, गुवाहाटी, बोंगाईगांव तथा बरौनी तेल शोधक कारखानों की तेल शोधन क्षमता में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक तेल शोधक कारखाने की नयी क्षमता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। प्रस्ताव अनुमोदन/क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(ख) डिगबोइ — 0.55 मिलियन टन प्रतिवर्ष

गुवाहाटी — 1.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष

बोंगाई गांव — 2.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष

बरौनी — 3.80 मिलियन टन प्रतिवर्ष

पंचरत्न-गुवाहाटी रेल लाइन

5455. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचरत्न-गुवाहाटी बड़ी लाइन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) वर्ष 1991-92 में इस हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है और अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) इस परियोजना के निर्माण कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इसे कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जोगीघोपा-गुवाहाटी बड़ी लाइन की अनुमानित लागत 444 करोड़ रुपये है।

(ख) 1991-92 के लिए 95 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है और जून 1991 तक कुल 175.43 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

(ग) 31.55 प्रतिशत।

(घ) जून, 1994।

बिहार में राजगीर में पर्यटन का विकास

5456. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नालन्दा, पावापुरी और राजगीर में पर्यटन के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार की इस प्रयोजनार्थ राजगीर को वायुमार्ग से जोड़ने की कोई योजना है;

(ग) क्या सरकार की राजगीर की सभी चार पहाड़ियों को वायु-रज्जु मार्ग से जोड़ने की भी कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पर्यटन का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने बिहार राज्य सरकार को निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी है :

(1) नालन्दा में पर्यटक बंगला।

(2) नालन्दा में सार्वजनिक सुविधाएं।

(3) राजगीर में अल्पाहार-गृह और सार्वजनिक सुविधाएं।

नालन्दा-राजगीर क्षेत्र में आधारिक संरचना का विकास जापान के विदेशी आर्थिक सहायता कोष (ओ० ई० सी० एफ०) की सहायता से भी शुरू किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार शरीफ, बिहार में हवाई पट्टी

5457. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बिहार में बिहारशरीफ में हवाई पट्टी के विस्तार और उसके विकास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में वायुदूत के हेलीकाप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना

5458. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में केरल में वायुदूत के कृषि विमानन प्रभाग के दो हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चीता हेलीकाप्टर बी० टी०-ई० आई० वाई० 19-5-91 को उस समय दुर्घटना-ग्रस्त हो गया था जब वह छिड़काव कार्य में लगा था। हेलीकाप्टर उच्च शक्ति वाले तारों से उलझ गया और रबड़ के बागान में गिर गया और पेड़ों से टकरा गया। वह बाद में आग लगने के कारण नष्ट हो गया। दुर्घटना में चालक की मृत्यु हो गई।

एक अन्य बल-47 जी-5 हेलीकाप्टर बी० टी०-डी० डब्ल्यू० पी० 16-6-91 को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वह छिड़काव कार्य में लगा था। उसके इंजन में खराबी आ गई और रबड़ बागान में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकाप्टर को काफी क्षति पहुंची किन्तु उसमें आग नहीं लगी। विमानचालक को गम्भीर चोटें आई।

नागर विमानन महानिदेशालय ने उपर्युक्त दोनों दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के अधीन दुर्घटना निरीक्षकों की नियुक्ति की है।

भारत पर्यटन विकास निगम में नियुक्ति

5459. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार/भारत पर्यटन विकास निगम प्रबन्धन ने निगम में नियुक्ति तथा पदोन्नति पर प्रतिबन्ध कब लगाया था;

(ख) इस प्रकार लगाए गए प्रतिबन्ध को कब उठाया गया था अथवा छूट दी गई थी और इसका कारण तथा औचित्य क्या था;

(ग) क्या प्रतिबन्धित अवधि के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम में कोई नियुक्ति अथवा पदोन्नति की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो संवर्गवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण थे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) किफायत बरतने की दृष्टि से पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्यटन विकास निगम को 7-2-1991 को यह निर्देश जारी किए थे कि वे सभी स्तरों पर तैनात स्टाफ की समीक्षा करे और समीक्षा पूरी होने तक पदों पर भर्ती न करे। बाद में, मंत्रालय ने 15-2-1991 को ये स्पष्टीकरण जारी किए कि प्रतिबन्ध सम्बन्धी निर्देश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए और निगम के भर्ती, प्रोन्नति तथा वरिष्ठता नियमों के अनुसार आंतरिक पदोन्नति द्वारा पदों को भरने पर लागू नहीं होता। भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल ने 28-2-1991 को आयोजित अपनी बैठक में इस निर्णय को दोहराया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमसं०	नाम	पदनाम और वेतनमान (पूर्व संशोधित)	नियुक्ति की तारीख	अभ्युक्ति/औचित्य
1.	श्री देवी सिंह अ०जा०	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक 425-800 रु०	12-2-91	नियुक्ति प्रस्ताव पत्र प्रतिबन्ध लगने से पूर्व 16-1-91 को जारी किया गया ।
2.	श्री लक्ष्मी नारायण अ०जा०	प्रधान प्रबन्धक (एफ एण्ड ए) 1800-2250 रु०	13-3-91	नियुक्ति प्रस्ताव पत्र प्रतिबन्ध लगने से पूर्व 19-11-90 को जारी किया गया ।
3.	श्री राजेन्द्र कुमार अ०जा०	कनिष्ठ आशुलिपिक 330-560 रु०	25-3-91	अनुसूचित जाति का उम्मीदवार
4.	श्री मनोज कुमार पिपल अ०जा०	सहायक प्रबन्धक (वी एण्ड एस) 700-1300 रु०	2-5-91	अनुसूचित जाति का उम्मीदवार
5.	श्री ललित कुमार अ०जा०	मशीन आपरेटर 500-900 रु०	10-5-91	अनुसूचित जाति का उम्मीदवार
6.	श्री सुनील कुमार	मशीन आपरेटर 500-900 रु०	7-6-91	ये दोनों कम्प्यूटर आपरेटर हैं और भारत पर्यटन विकास निगम में पहले से उपलब्ध मशीनों को चलाने के लिए इसकी नियुक्ति की गई है ।
7.	श्री एम० माणिकलाल	मशीन आपरेटर 500-900 रु०	4-6-91	

1	2	3	4	5
8.	श्री पी०के० गोपीनाथ	उप प्रबन्धक (एच०ओ०) 3000-4000 रु० (संशोधित)	6-5-91	काल्पनिक रूप से इनकी पदोन्नति 27-12-89 से हुई। सतर्कता/अनुशासनिक अनुमति (क्लियरेंस) की अनुपलब्धता के कारण पदोन्नति पत्र को "सील बन्द लिफाफे" में रख दिया गया था। आवश्यक सतर्कता/अनुशासनिक अनुमति (क्लियरेंस) मिलने के बाद 6-5-91 को 27-12-89 से काल्पनिक रूप से पदोन्नत किए गए।
9.	सुश्री शशि महन्त	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	16-8-91	नियुक्ति प्रस्ताव पत्र 8-1-91 को जारी किया गया। गर्भावस्था के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किए जाने के कारण इन्हें अपना कार्यभार पहले संभालने की। अनुमति जारी की गई।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

5460. **श्री राजवीर सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत सात महीनों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई और प्रत्येक बार उत्पाद-वार कितनी वृद्धि हुई तथा उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने भविष्य में मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य आपूर्तियों, मांग में वृद्धि तथा अन्य सामाजिक आवधिक घटकों को ध्यान में रखकर—सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । गत सात माह के दौरान कीमतों को 25-7-1991 से प्रभावी तिथि से कीमतों को संशोधित किया गया है । वृद्धि के पूर्व तथा पश्चात उत्पादवार मूल्य को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भण्डारण स्थल पर कीमत

रुपये/विक्रय यूनिट

उत्पाद	विक्रय यूनिट	25-7-91 से पूर्व	25-7-91 से
एम०एस०-87	के०एल०	11180.09	13416.11
एम०एस०-93	के०एल०	13680.09	16416.11
एच०एस०डी०ओ०	के०एल०	4541.91	4541.91
एस०के०ओ०(औद्योगिक प्रयोग)	के०एल०	3798.83	4178.71
एस०के०ओ०(घरेलू उपयोग) एस०के०ओ०	के०एल०	2446.16	2201.54
एल०डी०ओ०	के०एल०	3817.46	4199.21
ए०टी०एफ० (अन्तर्राष्ट्रीय वायु मार्ग को छोड़कर)	के०एल०	8200.38	9840.46
*नापथा (उर्वरक उपयोग)	एम०टी०	2477.89	2725.68
*नापथा (आम उपयोग)	एम०टी०	4013.75	4415.13
एफ०ओ० (उर्वरक उपयोग)	के०एल०	1650.30	1815.33

1	2	3	4
एफ०ओ० (सामान्य उपयोग)	के०एल०	3628.83	3991.71
*एल०एस०एच०एस० (डिबाबन्द घरेलू)	एम०टी०	1685.88	1854.47
*एल०एस०एच०एस० (आम उपयोग)	एम०टी०	3460.88	3806.97
एल०पी०जी० (डिबाबन्द घरेलू)	एम०टी०	3448.98	4138.78
एल०पी०जी०(डिबाबन्द) गैर घरेलू अनिवार्य	एम०टी०	6251.38	6876.52
एल०पी०जी०(डिबाबन्द) गैर घरेलू अनिवार्य	एम०टी०	7689.24	8458.16
एल०पी०जी० (बल्क) अनिवार्य	एम०टी०	4972.24	5469.46
एल०पी०जी० (बल्क) गैर अनिवार्य	एम०टी०	6409.74	7050.71
बिटुमिन (बल्क)	एम०टी०	3218.56	3540.42
बिटुमिन (डिबाबन्द)	एम०टी०	3874.89	4262.38
मैच बॉक्स	एम०टी०	11251.04	12376.14
प्राफीन बॉक्स-I क्वालिटी	एम०टी०	14501.55	15951.71
प्राफीन बॉक्स पी-I ग्रेड	एम०टी०	14625.53	16088.08

*अन्य उपयोग के अनुसार उत्पाद शुल्क।

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्प

5461. **श्री केशरी लाल :**

श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलावार आबंटित रसोई गैस एजेंसियों और खुदरा पेट्रोल/डीजल पम्पों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से कितनी एजेंसियां और पम्प अनुसूचित जातियों के लोगों को आबंटित किए गए ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख)

	कुल	अ० जा०
एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें	92	15
खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपें	190	44

रेल गाड़ियों का अस्तव्यस्त हो जाना

[अनुवाद]

5462. **श्री राम कापसे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1991 में भारी वर्षा के कारण बम्बई उपनगरीय खंड में रेलगाड़ियां अस्तव्यस्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(ग) असहाय यात्रियों को रेलवे द्वारा कौन-कौन सी विशेष सुविधाएं प्रदान कराई गई हैं; और

(घ) गाड़ियों को विशेषतौर पर मानसून के मौसम के दौरान अस्तव्यस्त होने से बचाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) खंडवार होने वाले ऐसे नुकसानों की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) फायर ब्रिगेड, बेस्ट और नैवल कोस्ट गार्ड की सहायता से असहाय यात्रियों की निकासी की गई थी। खानपान स्टाल चौबीसों घंटे खोले गए थे और स्टेशनों पर टिकटों की अदायगी के लिए विशेष प्रबन्ध किए गए थे।

(घ) वर्षा ऋतु शुरू होने से पूर्व रेलों द्वारा रेल परिसरों की नालियों, पुलियों आदि की आवश्यक रूप से सफाई की जाती है। ग्रेटर बम्बई में ड्रेनेज प्रणाली में सुधार करने के लिए बम्बई नगर निगम से अनुरोध किया गया है ताकि भारी वर्षा के दौरान रेल पथों पर पानी न आने पाए।

ठाकुरली स्टेशन पर इलैक्ट्रोनिक इन्डिकेटर

5463. **श्री राम कापसे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठाकुरली स्टेशन (महाराष्ट्र) में इलेक्ट्रोनिक इन्डिकेटर और लाउडस्पीकर लगाए गए हैं;

(ख) ये उपकरण कब लगाए गए;

(ग) क्या ये उपकरण काम नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनसे कब से कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) (1) इलेक्ट्रानिक संसूचक नवम्बर, 1990 में स्थापित किया गया था।

(2) लाउडस्पीकर (जन उदघोषणा प्रणाली) अक्तूबर 1985 में लगाया गया था।

(ग) और (घ) कर्मचारियों की कमी के कारण उपस्करों को अप्रैल से जुलाई, 91 की अवधि के दौरान परिचालित नहीं किया जा सका था। उन्हें अब परिचालित किया जा रहा है।

रेलवे में ग्रुप "क" तथा "ख" के कर्मचारियों के वेतनमान

[हिन्दी]

5464. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या रेल मंत्री ग्रुप "क" तथा "ख" के 5 मई 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8305 तथा 28 अप्रैल 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7567 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम वेतन आयोग ने ग्रुप "ख" (अवर राजपत्रित सेवा में) संवर्ग को ऐसी स्थिति में समाप्त करने की सिफारिश की थी यदि कनिष्ठ वेतनमानों और सहायक ग्रेड अधिकारियों के पदों में भेद करना संभव न हो;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रुप "क" तथा ग्रुप "ख" के वेतनमानों में विषमता को दूर करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पहले वेतन आयोग ने श्रेणी-I और श्रेणी-II (जिन्हें बाद में ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" कहा गया) को आपस में मिलाने के प्रश्न पर विचार किया था। इस आयोग के अधिकांश सदस्यों का मत था कि इन दोनों श्रेणियों को अलग-अलग बनाए रखना वांछनीय है। उन्होंने केवल उन्हीं विभागों में समामेलन की सिफारिश की थी जहां इनमें अन्तर करना आवश्यक अथवा संभव नहीं था, भले ही इसका कारण भर्ती की प्रक्रिया हो अथवा यह कारण हो कि श्रेणी-I और श्रेणी-II के अधिकारियों द्वारा निष्पादित ड्यूटियों के महत्व और उत्तरदायित्व के बीच अन्तर करना कठिन है।

2. बाद में, इस मामले पर दूसरे, तीसरे और चौथे केन्द्रीय वेतन आयोगों द्वारा भी विचार किया गया था। उन्होंने इस विषय को उचित नहीं पाया, क्योंकि ग्रुप "बी" (श्रेणी-II) के पद मुख्यतः ग्रुप "सी" के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए होते हैं, जबकि ग्रुप "ए" के कनिष्ठ वेतनमान पद अनिवार्यतः सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा संवर्ग में उच्चतर पदों पर कार्य करने हेतु अनुभव प्राप्त करने के लिए हैं। अतः, मंत्रालयों/विभागों में ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" के पदों के लिए अलग-अलग वेतनमान बनाए रखे गए हैं। इस स्थिति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

रेल विभाग में ग्रुप "ख" के अधिकारी

5465. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल विभाग में 31 मार्च, 1991 को विभागवार और रेलवे/यूनिटवार ग्रुप "ख" अधिकारियों की स्वीकृत पदों की तुलना में वास्तविक संख्या कितनी थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले के नए भंडार

5466. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले के कुछ और नए भंडार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कोयले के इन नए भंडारों से स्थानवार प्रतिवर्ष कितना कोयला निकाले जाने की संभावना है; और

(ग) इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्याम गौड) : (क) देश के विभिन्न भागों में कोयले का अन्वेषण कार्य निरन्तर रूप में नए कोयले के भंडारों का पता लगाए जाने की दृष्टि से तथा नई खानों के आयोजन के उद्देश्य से जाने माने प्रमाणित कोयला क्षेत्रों का विस्तृत रूप में जारी है। 1 जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार भारत में कोयले के भंडार 1,92,359 मि० टन विद्यमान हैं।

(ख) और (ग) विभिन्न कोयला कम्पनियों में वर्ष 1991-92 के दौरान 91 नई परियोजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है। वर्ष 1991-92 के बजट अनुमानों में नई खानों के लिए 106.59 करोड़ रु० की राशि की व्यवस्था की गई है। इन खानों को पूर्ण रूप से चालू किए जाने पर कुल उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 100 मि० टन हो जायेगी।

भारत में होटल

5467. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में और होटलों का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उनके स्थानों सहित उनका ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार होटलों का निर्माण नहीं करती। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम के देश में अपने होटल हैं जिन्हें वह चलाती है। इसकी वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना में मद्रास/शिमला, ग्वालियर/तिरूपति तथा हैदराबाद में होटल स्थापित करने का प्रावधान शामिल है बशर्ते कि उनकी आर्थिक सक्षमता हो, उनके लिए उचित भूमि/धन आदि उपलब्ध हो जाए।

दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन का विस्तार

5468. **डा० लाल बहादुर राबल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को सम्पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निजामुद्दीन पहले ही पूर्ण स्टेशन है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खुर्जा से हाथरस तक रेल लाइन

5469. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खुर्जा-चन्दौसी-इगलास-हाथरस के बीच रेल लाइन बिछाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

प्लांट लोड फैक्टर

[अनुवाद]

5470. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश विद्युत संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर तथा उत्पादकता निम्नस्तरीय है; और

(ख) यदि हां, तो प्लांट लोड फैक्टर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) देश में अप्रैल, 91—जुलाई, 1991 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात का राज्यवार/प्रणालीवार/केन्द्रवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) ताप विद्युत संयंत्रों के मामलों में 100% संयंत्र भार अनुपात प्राप्त करना कठिन होता है क्योंकि ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों का कार्य-निष्पादन यूनिट की कार्यावधि, कोयले की गुणवत्ता, प्रणालीगत भार सम्बन्धी परिस्थितियां, राज्य/क्षेत्र में जल-विद्युत, ताप-विद्युत के मिश्रण का अनुपात, यूनिट के आधोजित अनुरक्षण एवं जबरबन्दी और पारेषण सम्बन्धी बाधाओं पर निर्भर करता है।

स्थापित क्षमता का इष्टतम समुपयोजन किए जाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—(1) पुराने यूनिटों का नवीकरण और आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्य करना, (2) संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए बिजली बोर्डों की सहायता करना, (3) पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित गुणवत्ता वाला कोयला सुनिश्चित करना, (4) प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और (5) पारेषण और वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाना।

विवरण

अप्रैल, 91—जुलाई, 91 के दौरान राज्यवार/प्रणालीवार/केन्द्रवार संयंत्र भार गुणक दर्शाने वाला विवरण

राज्य/प्रणाली/केन्द्र का नाम	संयंत्र भार गुणक (%)
1	2
दिल्ली	
इन्द्रप्रस्थ	64.0
राजघाट	33.1
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	53.9
बदरपुर	53.3
दिल्ली	53.5
हरियाणा	
फरीदाबाद विस्तार	51.7
पानीपत	36.6
हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	39.7
हरियाणा	41.8
राजस्थान	
कोटा	54.6
राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	54.6
पंजाब	
भटिंडा	53.6
रोपड़	52.4
पंजाब	52.8
उत्तर प्रदेश	
ओबरा	57.8
पनकी	24.1
हरदुआगंज "क"	—
हरदुआगंज "ख" एवं "ग"	21.4

1	2
परीचा	24.4
अनपारा	73.0
टांडा	21.1
उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	48.5
ऊंचाहार (यू०पी०आर०वी०यू०एन०)	69.1
राष्ट्रीय ताप विद्युत केन्द्र (सिंगरौली)	67.9
रिहन्द	73.3
उत्तर प्रदेश	58.9
गुजरात	
धूवरान	69.4
उकई	59.1
गांधी नगर	58.9
वानकबोरी	47.4
सिक्का	45.3
कच्छ लिग्नाइट	34.6
गुजरात बिजली बोर्ड	55.2
ए०ई० कम्पनी	52.0
साबरमती	75.3
गुजरात प्राइवेट	72.6
गुजरात	57.0
महाराष्ट्र	
नासिक	53.3
कोराडी	57.3
पारस	54.3
भूसावल	63.1
पारली	41.1
चन्द्रपुर	61.0
कड्डेडा	52.9

1	2
महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	54.9
ट्राम्बे	56.3
महाराष्ट्र	55.2
मध्य प्रदेश	
सतपुड़ा	42.3
कोरबा	49.9
अमरकंटक	38.6
कोरबा पश्चिमी	60.8
मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड	48.8
एन०टी०पी०सी० कोरबा	66.6
एन०टी०पी०सी० विंध्याचल	62.0
मध्य प्रदेश	57.6
आंध्र प्रदेश	
कोठागुडम	45.7
विजयवाडा	66.5
रामगुंडम "ख"	51.4
नैल्लौर	60.3
आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	56.8
एन०टी०पी०सी० (रामगुंडम)	48.9
आंध्र प्रदेश	52.4
कर्नाटक	
रायचूर	62.0
तमिलनाडु	
एन्नौर	52.4
तूतीकोरिन	83.2
मैत्तूर	54.6
तमिलनाडु बिजली बोर्ड	63.5

1	2
नेवेली	71.1
तमिलनाडु	66.4
बिहार	
पतरातू	22.1
बरौनी	23.3
मुजफ्फरपुर	32.3
बिहार	24.1
उड़ीसा	
तलचेर	33.8
पश्चिम बंगाल	
बण्डेल	42.2
संथालडीह	15.2
पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	29.4
कोलघाट (डब्ल्यू०बी०पी० डेवलपमेंट कारपोरेशन)	65.8
दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड	21.9
कलका इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी	61.6
एन०टी०पी०सी० फरैक्का	49.1
पश्चिम बंगाल	45.0
दामोदर घाटी निगम	
चन्द्रपुर	29.5
दुर्गापुर	36.6
बोकारो	40.8
डी०वी०सी०	34.1
असम	
चन्द्रपुर	56.4
नामरूप	26.5
बोंगायगांव	20.9
गैस टर्बाइन	27.8
असम	27.6
अखिल भारत	53.3

बिहार में पोली-प्रोपीलीन संयंत्र

[हिन्दी]

5471. **श्री राम शरण यादव :**

श्री तेज नारायण सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का बिहार में पोली-प्रोपीलीन संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में ताजा स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार को—स्टीम कोयले की सप्लाई

5472. **श्री रामशरण यादव :**

श्री तेज नारायण सिंह : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को अपने उद्योगों की मांग के अनुरूप स्टीम कोयला मिल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का बिहार में स्टीम-कोयले के अभाव में उद्योगों को बन्द होने से बचाने और इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार में औद्योगिक एककों को, अधिकांश मात्रा में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार स्टीम कोयले की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि स्टीम कोयले की आपूर्ति न किए जाने के कारण बिहार के उद्योग बन्द किए जाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। वास्तव में, कोल इंडिया लि० द्वारा सम्पूर्ण देश में अप्रैल से जुलाई, 1991 की अवधि के दौरान गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को जिसमें बिहार भी शामिल है, 144.35 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 123.82 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गई थी। सरकार ने इस आशय के सभी कोयला कम्पतियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे संयोजित कोयले की न्यूनतम 50% कोयले की मात्रा की आपूर्ति गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उद्योगों को करें।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

[अनुवाद]

5473. **श्री दत्तात्रेय बंडारु :**

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री रमेश चन्द तोमर : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा 30 जून, 1991 तक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(ख) इन होटलों द्वारा और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	प्रत्यक्ष रूप से अर्जित विदेशी मुद्रा (लाख रुपये में)
1988-89	726.65
1989-90	802.09
1990-91 (अनन्तिम)	806.19
1991-92 (जून 91 तक)	103.28

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किए जा रहे उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ विदेश यात्राओं को प्रायोजित करना, विदेशों में जबरदस्त विपणन और बिक्री प्रयास; विदेशी यात्रा प्रचालकों के साथ विशेष दर की संविदाओं के बारे में बातचीत करना; भारत आने वाले पर्यटकों में वृद्धि करने के लिए प्रमुख यात्रा प्रचालकों/यात्रा अभिकर्ताओं से सीधे सम्पर्क स्थापित करना; और विदेश में रह रहे बिक्री प्रतिनिधियों से अभिकर्ताओं को दरों में प्रोत्साहन देना शामिल है।

इण्डियन एयरलाइन्स और एअर इण्डिया के बुकिंग कार्यालय खोलना

5474. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री बलराज पासी :

श्री रमेश चन्द्र तोमर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान तथा 30 जून, 1991 तक इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया के कितने बुकिंग कार्यालय खोले गए; और

(ख) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 1991 की शेष अवधि में कितने कितने बुकिंग कार्यालय खोलने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वर्ष 1990 और 30 जून, 1991 तक की अवधि के दौरान एअर इंडिया ने एक बुकिंग कार्यालय खोला है। इंडियन एयरलाइन्स ने कोई बुकिंग कार्यालय नहीं खोला।

(ख) वर्ष 1991 की शेष अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया का कोई नया बुकिंग कार्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

हवाई अड्डों पर विमानों का उतरना

5475. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अड्डा प्राधिकरण ने सभी एयरलाइनों से आग्रह किया है कि वे हवाई अड्डों पर यात्रियों तथा सामान उतारने चढ़ाने वाली एजेंसियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विमानों के उतरने के बीच उचित अन्तराल रखने हेतु प्रभारी कदम उठायें;

(ख) क्या रात के समय अनेक विमानों के एक ही समय पर उतरने के कारण वहां आने वाले तथा हवाई अड्डे पर जांच के बाद बाहर निकलने की अनुमति के लिए प्रतीक्षारत यात्रियों को बहुत असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो अपने विमानों को उचित अन्तराल से हवाई अड्डे पर उतारने के प्रयोजन से विभिन्न एयरलाइनों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की उड़ान अनुसूचियों का कतिपय निर्धारित मानदण्डों के अनुसार समन्वय और अनुमोदन किया जाता है। हमारे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रात्रि के दौरान उड़ानों का जमघट हो जाता है जो कि मुख्यतः यूरोप और संयुक्त राज्य अमरीका की तुलना में देश की भौगोलिक स्थिति तथा यूरोप, संयुक्त अमरीका और कुछ सुदूर पूर्व देशों में रात्रि के दौरान हवाई अड्डों के बन्द होने के कारण है। निर्धारित मानदण्डों के भीतर विदेशी विमान कम्पनियों से समय-समय पर उचित समय अन्तराल के भीतर अपनी उड़ानों को शिफ्ट करने के लिए अनुरोध किया जाता है ताकि हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ को कम किया जा सके।

विदेशी विमान से अर्जित धनराशि

5476. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

डा० जी० एल० डकोजिया : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से किन-किन विदेशी विमान सेवाओं का संचालन किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अब तक प्रत्येक विदेशी विमान सेवा से कितनी धन-राशि अर्जित की गई; और

(ग) वर्ष 1991-92 में इन विमान सेवाओं से अनुमानित कितनी धनराशि अर्जित करने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारत से होकर परिचालन करने वाली विदेशी विमान कम्पनियों की सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विदेशी विमान कम्पनियों से अवतरण/पार्किंग प्रभार के रूप में प्राप्त किए गए भुगतानों का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है ।

(ग) विदेशी विमान कम्पनियों से ऐसी प्राप्तियों की कोई विशेष सीमा नहीं है । यह अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की वास्तविक मात्रा पर निर्भर करता है । वर्ष 1991-92 में जुलाई 1991 तक विदेशी विमान कम्पनियों से भुगतान के रूप में लगभग 29.56 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है ।

विवरण-I

एयरोफ्लोट, एयर फ्रांस, एअर लंका, एअर मारीशस, एलिटेलिया, एलाईमेंडा, यमन एयर-लाइन्स, एरिना अफगान एयरलाइन्स, बीमन बंगलादेश एयरलाइन्स, ब्रिटिश एयरवेज, केथे पेसीफिक एयरवेज, सी० एस० ए० डूक एयर कारपोरेशन, इजिप्ट एअर, इथापियन एयरलाइन्स, अमिरात, गल्फ एअर, इरान एअर, जापान एयरलाइन्स, किन्या एयरवेज लि०, के०एल० एम० रायल डच एयरलाइन्स, कुवैत एयरवेज, लुफथांसा जर्मन एयरलाइन्स, लाट पौलिश एयरलाइन्स, मलेशियन एयरलाइन्स सिस्टम, पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरलाइन्स, पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स, रायल नेपाल एयरलाइन्स, रायल जोर्डेनियन, सबिना, बेल्जियम वर्ल्ड एयरलाइन्स, साउदिया, सिंगापुर एयरलाइन्स, स्वीस एअर, सिरियन अरब एयरलाइन्स, थाई इन्टरनेशनल एयरवेज, टर्किश एयरलाइन्स, यमन एयरवेज और जामिबिया एयरवेज ट्रान्स मेडीटेरियन एयरवेज ।

विवरण-II

एयरलाइन्स

विदेशी एयरलाइन्स	1988-89	1989-90	1990-91
एयरोफ्लोट	531.88	642.18	652.61
एअर कनाडा	218.98	261.75	209.04
एअर फ्रांस	518.20	495.72	487.37
एअर लंका	23.19	27.27	33.74
एअर मारीशस	26.56	25.16	36.46
एअर तंजानिया	0.00	0.00	0.00
एलटालिया	314.47	377.89	260.39
एल यमेण्डा	12.12	14.13	10.85
एरीना अफगान	35.02	42.07	41.77
बंगलादेश विमान	173.16	164.80	134.85
ब्रिटिश एयरवेज	602.98	718.72	719.54
केथे पेसेफिक	213.08	260.24	249.35

1	2	3	4
चैकोस्लोविकिया एयरवेज	44.34	57.62	39.16
ड्रंक एअर	2.00	5.01	2.00
इंजिप्ट एअर	13.00	15.01	13.90
अमीरात	150.27	195.27	245.04
इथोपिएन एयरलाइन्स	51.27	53.60	47.81
ग्रेरूड इंडोनेशिया	0.00	23.56	0.00
गल्फ एअर	408.32	519.48	483.26
एबेरियन एयरलाइन्स	0.68	0.17	0.00
ईरान एअर	47.12	32.03	30.71
इराकी एयरवेज	121.55	109.53	56.51
जापान एयरलाइन्स	44.55	48.57	33.78
किन्या एयरवेज	31.45	37.90	37.53
के०एल०एम०	163.49	114.97	215.76
कुवैत एयरवेज	212.68	232.44	73.19
लोट पोलिश	11.07	20.89	17.44
लुफथान्सा	317.92	385.48	409.41
मलेशियन एयरलाइन्स	70.12	88.15	156.02
पेन-एम	201.91	236.26	215.64
पी०आई०ए०	89.19	114.01	111.73
क्वांटास एयरवेज	120.44	21.02	11.34
रायल जोर्डियन	16.42	42.65	80.24
रायल नेपाल	93.97	96.47	102.47
सबीना	73.73	96.11	115.74
साऊदिया एयरलाइन्स	305.82	368.23	358.95
सिंगापुर एयरलाइन्स	310.20	340.47	431.22
स्विश एयरलाइन्स	354.92	441.12	400.45
सिरियन एयरलाइन्स	32.60	44.23	35.99
थाई एयरवेज	313.76	342.32	279.24

1	2	3	4
टी०एम०ए०	24.23	24.86	14.55
टर्किश एयरवेज	47.07	44.51	41.14
पी०डब्ल्यू०ए०	5.26	1.31	0.00
टेरेम-रोमानियन एअर	0.00	0.00	0.00
यमन एयरवेज	5.54	11.03	10.46
युगोस्लाव एयरलाइन्स	40.23	36.69	2.32
जांबियन एयरवेज	16.80	21.97	19.17
जोड़	6411.76	7253.77	6919.04

रेलगाड़ियों में अच्छे किस्म का भोजन उपलब्ध न होना

[हिन्दी]

5477. **श्री राजवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान रेलगाड़ियों में रेलवे कर्मचारियों के दुर्व्यवहार और उनमें अच्छे किस्म का भोजन उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में जोनवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने कर्मचारियों को दोषी पाया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेलवे	भाग (क)				भाग (ख)			
	1989-90		1990-91		1989-90	1990-91		
	रेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों की संख्या	गाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या	रेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या	गाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या	दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या	गाड़ियों में परोसे गए भोजन की गुणवत्ता के संबंध में दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या	दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या	गाड़ियों में परोसे गए भोजन की गुणवत्ता के संबंध में दोषी पाए गए कर्मचारियों की संख्या
मध्य	310	44	279	60	82	38	88	48
पूर्व	139	5	223	6	61	5	49	6
उत्तर	476	65	401	48	156	46	158	32
पूर्वोत्तर	65	22	39	10	8	6	4	3
पूर्वोत्तर सीमा	36	22	54	18	10	0	9	8
दक्षिण	47	58	69	55	21	19	32	26
दक्षिण मध्य	23	53	36	54	28	63	32	47
दक्षिण पूर्व	103	24	87	13	38	24	35	13
पश्चिम	26	69	18	72	20	8	13	6
जोड़	1225	362	1206	336	424	218	420	189

बरेली से नई दिल्ली तक रात में रेलगाड़ी चलाना

5478. **श्री राजवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बरेली से मुरादाबाद के रास्ते नई दिल्ली तक रात में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) परिचालनिक तंगियों और संसाधनों की कमी के कारण ।

वैगई एक्सप्रेस को मद्रास से मदुरै तक बढ़ाना

[अनुवाद]

5479. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वैगई एक्सप्रेस को मद्रास से मदुरै और तिरूनेलवेलि तक बढ़ावे जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पल्लियागाडी में रेल फाटक

5480. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेल लाइन पर पल्लियाडी में चौकीदार वाले रेल फाटक बनाने के लिए कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) दक्षिण रेलवे को फरवरी, 88 में अध्यक्ष, पंचायत यूनियन तुकाले से पाल्लियादी रेलवे स्टेशन के निकट कि०मी० 263/8-9 पर एक नए समपार की व्यवस्था करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ था । उन्हें सूचित कर दिया गया है कि अनुरोध पर तभी विचार किया जा सकता है जब राज्य सरकार/पंचायत यूनियन से प्रारम्भिक लागत तथा आवर्ती अनुरक्षण प्रभार वहन करने की विधिवत सहमति के साथ वांछित सुविधा के लिए ठोस प्रस्ताव प्रायोजित किया जाए ।

मुरादाबाद डिवीजन में कथित भ्रष्टाचार

[हिन्दी]

5481. **डा० एस० पी० यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के रेल कर्मचारियों के मकानों के आवंटन, पदोन्नति, स्थानांतरण इत्यादि के मामलों में बरती गई अनियमितताओं/कदाचार की जानकारी सरकार को है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध अभियान

[अनुवाद]

5482. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988, 1989, 1990 में तथा जून 1991 तक बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध छेड़े गए अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से वर्षवार कितनी धनराशि एकत्र की गई; और

(ख) भविष्य में बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जिन व्यक्तियों को बिना टिकट अथवा उपयुक्त टिकट न लेकर यात्रा करते हुए पकड़ा गया था, उनसे रेलवे को देय राशि के रूप में निम्न-लिखित राशि वसूल की गई :

वर्ष	वसूल की गई राशि (करोड़ रु० में)
1988	19.00
1989	21.96
1990	24.84
1991 (जून तक)	13.22

(ख) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिये किए गए उपायों में समय-समय पर अचानक जांच/मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करना, विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार अभियान चलाना और नये रेल अधिनियम में समाविष्ट निवारक दण्ड शामिल हैं ।

एअर इण्डिया/इण्डियन एयर लाइन्स में उड़ान निरीक्षकों का दल

5483. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के विमानचालकों की उड़ान प्रवीणता की सतत निगरानी करने के लिए सरकार का विचार उड़ान निरीक्षकों का एक विशेष दल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दल के सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या इनका चयन पहले से ही कार्यरत कर्मचारियों में से किया जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

• **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने नागर विमानन महानिदेशालय में एक उड़ान निरीक्षण निदेशालय स्थापित किया है जिसमें 9 उड़ान निरीक्षक हैं। ये उड़ान निरीक्षक विमान कम्पनी और सामान्य विमानचालकों की कार्यकुशलता और दक्षता की जांच करेंगे। नागर विमानन महानिदेशालय में एक स्वतन्त्र उड़ान निरीक्षण निदेशालय की स्थापना विगत में विमान दुर्घटनाओं की जांच करने वाली जांच अदालतों की सिफारिशों के अनुसरण में की गई है।

(ग) सरकार ने उड़ान निरीक्षकों के रूप में नियुक्त विमानचालकों के अपने मूल संगठन में उनकी पात्रता के अनुसार वेतन और भत्तों का अनुमोदन कर दिया है।

(घ) चयन के मापदण्ड यह हैं कि विमानचालक को उस किस्म के विमान के सम्बन्ध में पूरी तरह से अर्हता प्राप्त हो जिस पर वह जांच कार्य करेगा। उसे उस किस्म के विमान पर अनुभव होना चाहिए और उसके लिए आवश्यक रूझान जरूर होना चाहिए।

(ङ) और (च) हालांकि विमानचालक मुख्यतः एयरलाइनों में से ही लिये जाते हैं, तथापि, चयन एयरलाइनों में कार्यरत कर्मचारियों तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली में विद्युत की चोरी

5484. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कुछ अधिकारी कथित रूप से चोरी में शामिल पाये गये; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) बिजली की चोरी के मामले में यदि कोई भी कर्मचारी शामिल पाया जाएगा तो डेसू द्वारा नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी। तथापि डेसू के अनुसार बिजली की चोरी में इसके कर्मचारी शामिल होने से सम्बन्धित कोई भी मामला इस संस्थान की जानकारी में नहीं आया है।

ग्वालियर के निकट रेल दुर्घटना

5485. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अगस्त, 1991 को ग्वालियर के निकट कोई रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटना के कारण क्या हैं; और

(घ) यात्रियों को रेलगाड़ियों की छत पर यात्रा करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जब 657 डाउन ग्वालियर-भिंड पैसेंजर गाड़ी ग्वालियर और ग्वालका मन्दिर के बीच एक ऊपरी पुल के नीचे से गुजर रही थी तब सवारी डिब्बों की छतों पर यात्रा कर रहे यात्री पुल के गर्डर से टकरा गए जिसके परिणामस्वरूप 4 व्यक्ति मारे गये, 10 गम्भीर रूप से घायल हो गए और 22 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं ।

(घ) गाड़ियों की छतों पर यात्रा न करने देने के लिए किए गए उपायों में यात्रियों को गाड़ियों की छतों से उतरना, विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार अभियान चलाना, समय-समय पर अचानक जांच करना तथा रेलवे अधिनियम में निवारक दण्डों को समाविष्ट करना शामिल है ।

रेल का विस्तार

[हिंदी]

5486. **श्री रामलखन सिंह यादव**

श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल किराये और भाड़े में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान-नई रेल लाइनों के निर्माण, मीटर गेज रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने और नयी रेल सेवायें शुरू करने में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) इस अवधि के दौरान चालू की गई नई रेल लाइनों तथा इस दौरान बन्द की गई रेल-गाड़ियों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल किराये और माल भाड़े में की गई वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(I) यात्री किराया

1989-90 : 1989-90 के दौरान यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।

1990-91 : 1-5-90 से यात्री किराये में की गई वृद्धि इस प्रकार हैं :

यात्री किराया	दूरी स्लैब कि०मी०	प्रति टिकट वृद्धि रु० पै०
1. दूसरा दर्जा	1-25	कोई वृद्धि नहीं
(साधारण)	26-100	1.00
	101-200	2.00
	201-300	3.00
	301 से अधिक	4.00

1	2	3
2. दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस)	1-25	कोई वृद्धि नहीं
	26-50	1.00
	51-100	2.00
	101-150	3.00
	151-200	4.00
	201-250	5.00
	251-300	6.00
	301-350	7.00
	351-400	8.00
	401-450	9.00
	451-500	10.00
	501-600	11.00
	601-700	12.00
	701-800	13.00
	801-900	14.00
	901 से अधिक	15.00
3. वातानुकूल कुर्सी यान, पहला दर्जा	1-25	कोई वृद्धि नहीं
वातानुकूल शयनयान, और वातानुकूल पहला दर्जा	26 से अधिक	17%

1991-92 : 16-8-1991 से यात्री किराये में की गई वृद्धि इस प्रकार है :

(1) वातानुकूल पहला दर्जा, वातानुकूल शयनयान,	800 कि०मी० तक	20%
पहला दर्जा और वातानुकूल कुर्सी यान	800 कि० मी० से अधिक	15%
(2) दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस)	निम्न स्लैब पर एक रुपया, 1300 कि०मी० की दूरी के लिए उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए अधिकतम 20 रुपये।	

(3) दूसरा दर्जा (साधारण)	1-10 कि० मी० 10 कि० मी० से अधिक	कोई वृद्धि नहीं निम्नतम स्लैब पर एक रुपया, 60 कि० मी० तक मामूली समायोजन सहित 400 कि० मी० से अधिक दूरी के लिए उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए 5 रुपए ।

(II) माल भाड़ा की दरें :

1989-90 :

1-4-1989 से माल भाड़े की दरों में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी । खाने का नमक, फल और सब्जी, गुड़ जागरी, खाद्य तेल, तिलहन, खली, चारा, मवेशी और जैविक खाद को इस वृद्धि से छूट दी गई थी ।

1-4-1989 से पण्यों, जिनके लिए श्रेणी 150 और उससे कम पर प्रभार लिया गया था, के माल डिब्बा भार और गाड़ी भार के वर्गीकरण में 2 स्तर की वृद्धि की गई थी । तथापि, खाद्यान्न, दाल और रासायनिक खाद के मामले में माल डिब्बा भार/गाड़ी भार के वर्गीकरण में केवल एक स्तर की वृद्धि की गई थी ।

1990-91

31-3-1990 को विद्यमान दरों की तुलना में माल भाड़े की दरों में 1-4-1990 से 7 प्रतिशत और 1-10-1990 से प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। खाद्यान्न, दाल, खाने के नमक, खाद्य तेल, फल और सब्जी, चीनी, गुड़ और जागरी को माल भाड़े में की वृद्धि से छूट दी गई थी ।

1991-92 :

माल भाड़े की दरों में 16-8-1991 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। खाद्यान्न, दाल, खाने के नमक, खाद्य तेल, फल और सब्जी, चीनी, गुड़, जागरी, मिट्टी के तेल और डीजल तेल को माल भाड़े की दरों में की गई वृद्धि से छूट दी गई थी ।

(ख) (I) पिछले तीन वर्षों के दौरान नई रेल लाइनों के निर्माण और मीटर लाइनों के बड़ी लाइनों में बदलाव में वृद्धि का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

वर्ष	वर्ष के दौरान वृद्धि का प्रतिशत	
	नई रेल लाइनें	मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव
1988-89	0.49	0.41
1989-90	0.38	0.11
1990-91	0.17	0.36

(II) प्रति वर्ष नई गाड़ियों के चलाने में हुई वृद्धि का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

वर्ष	वृद्धि का प्रतिशत
1988-89	2.26%
1989-90	2.02%
1990-91	1.31%

(III) ढोये गए माल यातायात की मात्रा का मूल्यांकन भारतीय रेलों पर चलायी गयी माल गाड़ियों की संख्या के आधार पर नहीं किया जाता अपितु एक वर्ष में वाहित बिलियन टन किलोमीटर के आधार पर किया जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में, गत तीन वर्षों के दौरान राजस्व उपार्जक यातायात के बिलियन टन किलोमीटर में कमी-बेशी का प्रतिशत इस प्रकार है :—

वर्ष	बिलियन टन किलोमीटर में कमीबेश का प्रतिशत
1988-89	(—) 0.07
1989-90	(+) 3.25
1990-91	(+) 2.53

(ग) (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू की गई रेल लाइनों का नाम नीचे दिया गया है :

1988-89

1. बालीपाड़ा—गमनी (14 कि० मी०)
2. लाला बाजार—जमीरा (30 कि० मी०)
3. गुना—मियाना (31 कि० मी०)
4. करूर—दिण्डीगुल (74 कि० मी०)
5. कोटा--चंदेरिया (158 कि० मी०)

1989-90

1. मियाना—बदरवास (18 कि० मी०)
2. बदरवास--कोलारस (28 कि० मी०)
3. राय मेहतपुर—ऊना (10 कि०मी०)
4. पेंचरताल—कुमारघाट (11 कि०मी०)
5. सिलचर—जीरीबाम (49 कि० मी०)
6. गमनी—भालुकपोंग (21 कि० मी०)
7. एर्णाकुलम—अल्लेप्पी (57 कि० मी०)

8. चित्रदुर्ग—चल्लकेरे (35 मि० मी०)

9. चंदेरिया—चित्तौड़गढ़ (8 कि० मी०)

1991-92

1. कोलारस—शिवपुरी (25 कि० मी०)

2. ग्वालियर—पनिहर (8 कि० मी०)

3. जमीरा—भैरावी (18 कि० मी०)

4. चित्तौड़गढ़—निम्बानेड़ा (29 कि० मी०)

5. निम्बानेड़ा—जावद रोड (10 कि० मी०)

6. जावद रोड—नीमच (17 कि० मी०)

(II) पिछले तीन वर्षों के दौरान बन्द की गई रेल सेवाओं की संख्या इस प्रकार है :—

1.	1988-89	181
2.	1989-90	41
3.	1990-91	59
	जोड़	281

पोर्ट ब्लेयर हवाई पट्टी का विस्तार

[अनुवाद]

5487. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इण्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवा उपलब्ध कराने के लिए पोर्ट ब्लेयर हवाई पट्टी का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पोर्ट ब्लेयर में धावनपथ के विस्तार के लिए किसी भी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली-भुवनेश्वर-पोर्ट ब्लेयर के बीच विमान सेवा

5488. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली-भुवनेश्वर-पोर्ट ब्लेयर के बीच विमान सेवा पुनः चलाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार के पास कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर और मद्रास पोर्ट ब्लेयर और विलोमतः विमान का रियायती किराया वसूल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स का इस समय इस सेवा को पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कावेरी घाटी पर व्यय

5489. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मार्च, 1990-91 के दौरान कावेरी घाटी में खुदाई कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ख) कावेरी घाटी में इस समय अनुमानतः कितना तेल और प्राकृतिक गैस उपलब्ध है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 183.00 करोड़ रुपये ।

(ख) तेल के 8.31 मिलियन मी० टन तथा गैस के 9.10 बिलियन घन मीटर प्रतिप्राप्ति योग्य भण्डार सिद्ध हुए हैं ।

तिनसुकिया मेल का पटरी से उतरना

5490. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिनसुकिया मेल के पटरी से उतरने का समाचार आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना में कितने यात्री मारे गए और घायल हुए; और

(घ) पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) 6-8-91 को 14.40 बजे जब 2456 अप ब्रह्मपुत्र मेल पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के घोगराथार और रंमिया स्टेशनों के बीच से गुजर रही थी तब इसका इंजन तथा इससे पीछे के 12 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके परिणामस्वरूप 2 व्यक्ति मारे गए और चार व्यक्तियों को चोट आई । अभी तक क्षतिपूर्ति की अदायगी नहीं की गई है क्योंकि दावा मामलों को अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है । बहरहाल, मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को 11,000/-रु० की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है ।

रसोई गैस सिलिंडरों के लिए जमा की गयी राशियों पर ब्याज

5491. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस सिलिंडर देने के लिए धनराशि जमा करने हेतु गत दो वर्षों के दौरान जनता से कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ख) इस जमा धनराशि से कितना ब्याज प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या इन जमा राशियों पर जनता को ब्याज देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) लगभग 200 करोड़ रुपये।

(ख) तेल कम्पनियों द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों को रसोई गैस एजेंसी और पेट्रोल/डीजल विक्रय केन्द्रों का आबंटन

5492. **श्री सुधीर सावंत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व सैनिकों को तथा राज्यवार कितनी रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों का आबंटन किया गया ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : 12 राज्यों में वर्ष 1988-89 से 1990-91 की अवधि में रक्षा श्रेणी में 20 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा 35 खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन किया गया।

राज्य	एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप	खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपें
आन्ध्र प्रदेश	2	2
बिहार	2	3
हिमाचल प्रदेश	—	1
कर्नाटक	1	1
केरल	2	1
मध्य प्रदेश	—	5
महाराष्ट्र	—	5
पंजाब	2	1
राजस्थान	2	2
तमिलनाडु	1	3
उत्तर प्रदेश	5	10
पश्चिम बंगाल	3	1
कुल	20	35

सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में हवाई अड्डा

5493. **श्री सुधीर सावंत** : क्या नागर **विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में हवाई अड्डा निर्मित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां से इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें भरने की कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बिहार में रेल परियोजनाएं

[हिन्दी]

5494. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने कुछ रेलवे लाइनों के निर्माण पर आने वाली लागत का कुछ हिस्सा वहन करने का प्रस्ताव भी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) समय-समय पर बिहार सरकार और रेल मंत्रालय के बीच कई मांगों पर विचार-विमर्श हुआ है। जुलाई, 89 में एक अन्तरमंत्रालय बैठक में दो परियोजनाओं पर विचार किया गया :

(i) जदुनाथपुर और भवनाथपुर तक विस्तार सहित डेहरी-आन सोन-अकबरपुर-पिपराडीह (98 कि०मी०)

(ii) बेतिया के रास्ते मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज आमान परिवर्तन (155 कि० मी०)

(i) के बारे में बिहार सरकार ने राइट्स से एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। अब यह रिपोर्ट विचार करने के लिए बिहार सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। (ii) के बारे में प्रस्ताव अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेज दिया गया है।

(ग) जी, हां ।

(घ) छितौनी-बगहा रेल एवं सड़क पुल के निर्माण की लागत के रूप में 27 करोड़ रुपये की राशि बिहार सरकार द्वारा चरणों में वहन की जानी है। इसमें से बिहार सरकार ने 1989-90 तक 2 करोड़ रु० का भुगतान किया है। उन्होंने अभी तक 1990-91 और 1991-92 के लिए अपने

हिस्से का भुगतान नहीं किया है जो 19 करोड़ रुपये बनता है। इस मामले में उनसे अनुरोध किया जा रहा है।

विद्युत वित्त निगम द्वारा कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण

[अनुवाद]

5495. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान विद्युत वित्त निगम ने कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड को कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की;

(ख) इस ऋण में से कितनी राशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) बोर्ड ने कितनी धनराशि विद्युत वित्त निगम को वापस लौटाई है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विद्युत वित्त निगम द्वारा कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड को प्रदान किए गए ऋणों की स्थिति निम्नानुसार है :

(लाख रुपये)

वर्ष	स्वीकृत किया गया ऋण	आबंटित/समुपयोजन किया गया ऋण	देय प्रतिदान और प्रदत्त राशि
1989-90	1340.00	878.26	92.79
1990-91	10138.45	2783.44	112.88
1991-92 (जुलाई, 91 तक)	—	—	20.09

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की उत्पादन योजना

5496. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तेल और गैस उत्पादन योजना की पुनरीक्षा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना में दर्शायी गई शेष योजनाओं को चालू करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है;

(ग) विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक और जापान के साथ कितने विदेशी मुद्रा ऋण का समझौता हुआ है; और

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग विदेशी मुद्रा संकट को देखते हुए उत्पादन योजना को सक्षम बनाने में कहां तक समर्थ हुआ है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) उत्पादन योजनाओं पर लगातार निगरानी रखी जाती है तथा उनकी समीक्षा की जाती है।

(ख) 8वीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) गैस दहन में कमी करने की योजना के लिए विश्व बैंक ने 450 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए स्वीकृति दी है।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नीलम, मुक्ता तथा पन्ना जैसे अनेक नये तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है तथा बम्बई हाई के एल-2 तथा एल-3 रिजर्वायरों से तेल की प्रतिप्राप्ति को बढ़ाने के लिए परियोजनाओं को हाथ में ले रही है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने राव्वा तथा गंधार के तेल और गैस क्षेत्र के विकास की परियोजनाओं का भी प्रस्ताव किया है।

कर्नाटक में तेल और गैस का उत्पादन

5497. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उत्पादन में वृद्धि के लिए पुराने और नये तेल कूपों के लिए योजनाएं बनाई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर कितना खर्च होगा; और

(घ) उससे क्या परिणाम प्राप्त होंगे ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) कर्नाटक में तेल/गैस का कोई उत्पादन नहीं होता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लालगंज, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

5498. **श्री राम बदन** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लालगंज क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमों को सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार एवं क्रियान्वित किया जाता है। जिलेवार ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यवाही राज्य बिजली बोर्डों द्वारा की जाती है

जोकि राज्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्राथमिकता पर आधारित होती है। जिलेवार ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी सूचना का रख-रखाव राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आजमगढ़ जिले (लालगंज संसदीय क्षेत्र सहित) के कुल 4,939 आबाद गांवों में से मार्च, 1991 के अन्त तक उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 4528 गांवों को विद्युतीकृत गांव घोषित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के शाहगंज जंक्शन में अतिरिक्त शेडों का निर्माण

5499. **श्री राम बदन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के शाहगंज स्टेशन पर श्रमिकों और अन्य यात्रियों की भारी भीड होती है तथा वर्तमान प्रतीक्षालय की क्षमता बहुत कम होने के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का स्टेशन परिसर के भीतर अतिरिक्त शेडों का निर्माण करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इन शेडों का निर्माण कब तक किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, पर्याप्त प्रतीक्षा सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं।

टूरिस्ट सर्किटों का विकास

[अनुवाद]

5500. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री के० प्रधानी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु कोई नई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में टूरिस्ट सर्किटों का पता लगाने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) ये टूरिस्ट सर्किट पूर्ण रूप से कब तक विकसित हो जायेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) पर्यटन का निरन्तर विकास और संवर्धन किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग आधारिक-संरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, उनके गुण-दोष और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता देता है।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकारों से परामर्श करके अनेक यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए हैं जिनका केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिश्रित संसाधनों से चरणबद्ध विकास किया जाएगा।

* **राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया राशि**

5501. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बकाया देय राशि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को देय बकाया राशियों का राज्यवार ब्यौरा (31-7-1991 की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	राज्य बिजली बोर्ड/राज्य	राशि (करोड़ रु०)	जिस महीने बिल बनाये गये इनके अनुसार बकाया राशियां	शाखपत्र खोले जाने की अपेक्षा (करोड़ रुपये)	शाखपत्र खोला गया
1.	आंध्र प्रदेश	28.11	2.4	13.00	—
2.	बिहार	183.79	10.6	18.00	—
3.	गुजरात	84.79	4.5	21.00	2.00
4.	गोवा	0.67	0.3	2.40	2.20
5.	हरियाणा	62.40	9.4	10.10	10.10
6.	हिमाचल प्रदेश	10.62	8.5	2.00	0.45
7.	जम्मू व कश्मीर	42.50	3.6	8.00	—
8.	केरल	34.14	5.7	6.00	3.50
9.	कर्नाटक	48.98	5.3	9.50	2.00
10.	मध्य प्रदेश	198.88	5.3	38.00	28.00
11.	महाराष्ट्र	69.12	3.5	25.00	2.00
12.	उड़ीसा	4.95	19.8	1.50	—
13.	पंजाब	11.47	1.1	11.00	4.00
14.	राजस्थान	136.48	7.5	19.00	11.00
15.	सिक्किम	0.43	4.3	—	—
16.	तमिलनाडु	99.86	6.3	17.00	—
17.	उत्तर प्रदेश	547.19	10.9	60.00	28.00
18.	पश्चिम बंगाल	48.89	19.8	2.00	2.00
	जोड़	1612.49	6.6	263.50	95.25

मुम्बई-नागपुर रेल मार्ग पर आरक्षण कोटा

5502. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई-नागपुर रेल मार्ग पर बुलदाना जिले के अन्तर्गत जालय, नन्दुरा और मलकापुर रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध आरक्षण कोटा यात्रियों की मांग की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त स्टेशनों पर आरक्षण कोटा में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नांदूर और मलकापुर स्टेशनों पर 7339 डाउन दादर-नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस और मलकापुर स्टेशन पर 1006 अप नागपुर-बम्बई विदर्भ एक्सप्रेस के सिवाय इन स्टेशनों पर विभिन्न गाड़ियों में उपलब्ध आरक्षण कोटा पर्याप्त है ।

(ख) और (ग) नांदूर स्टेशन पर 7339 डाउन दादर-नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे की शायिकाओं का आरक्षण कोटा 31-8-91 से बढ़ाकर 2 से 4 कर दिया गया है । मलकापुर स्टेशन पर 7339 डाउन दादर-नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे की 2 शायिकाओं और 1006 अप नागपुर-बम्बई विदर्भ एक्सप्रेस में पहले दर्जे की एक शायिका का अतिरिक्त कोटा भी उपयुक्त तारीख से आवंटित किया जा रहा है ।

नान्दुरा-जलगांव रेलवे फाटक पर उपरि पुल

5503. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई-नागपुर सेक्शन में नान्दुरा-जलगांव जामोद रेलवे फाटक पर यातायात की भीड़ को ध्यान में रखते हुए वहां एक उपरिपुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस सुविधा के लिए राज्य सरकार से रेलवे को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

उत्तर रेलवे में कर्मचारियों के स्थानान्तरण

5504. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में अराजपत्रित कर्मचारियों के स्थानान्तरण का क्या मानदण्ड है;

(ख) उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जो उत्तर रेलवे मुख्यालय तथा संभागीय कार्यालयों में यांत्रिक, कार्मिक, लेखा, वाणिज्यिक तथा भंडागार शाखाओं के महत्वपूर्ण पदों पर अपना 3 या 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) उन्हें अब तक स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे के कर्मचारियों सहित रेल कर्मचारियों को सेवा की अत्यावश्यकता को देखते हुए स्थानान्तरित किया जा सकता है। इसके अलावा, संवेदनशील पदों पर काम करने वाले तथा अक्सर जनता और/या ठेकेदारों/सप्लायरों आदि के सम्पर्क में आने वाले कर्मचारियों को चार वर्ष के बाद स्थानान्तरित किया जाना होता है।

अनुरोध (केवल भर्ती ग्रेडों में) किए जाने पर भी स्थानान्तरणों के बारे में नाम दर्जगी की प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है बशर्ते रिक्त पद उपलब्ध हों तथा प्रशासनिक सुविधा हो। इसके अलावा, जहां कहीं व्यावहारिक होता है, आपसी स्थानान्तरणों पर भी विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

हरिद्वार से दक्षिण भारत और पंजाब के लिए गाड़ियां आरम्भ करना

[हिन्दी]

5505. **श्री राम सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हरिद्वार से दक्षिण और पंजाब के लिए दो नई रेलगाड़ियां आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या सरकार का विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थान हरिद्वार को विभिन्न स्थानों से जोड़ने के लिए उन स्थानों से सीधे रेल सेवा आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों को जोड़ा जायेगा तथा कौन सी रेलगाड़ियां आरम्भ करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देवबन्द से शालीमार एक्सप्रेस में आरक्षण

5506. **श्री राम सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए देवबन्द से शालीमार एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के शायिका डिब्बे में कुछ शायिकाएं आरक्षित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विलम्ब शुल्क की वापसी के लिए एअर इण्डिया/इण्डियन एयरलाइन्स को शिकायतें

[अनुवाद]

5507. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री वीरेन्द्र सिंह :

डा० जी० एल० कनौजिया : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के पास वर्ष 1990 में और जुलाई, 1991 तक की अवधि के दौरान विलम्ब शुल्क की वापसी के सम्बन्ध में अलग-अलग कितनी शिकायतें दर्ज की गई;

(ख) उनमें से अब तक कितनी शिकायतों का निपटान कर दिया गया है; और

(ग) शेष शिकायतों को कब तक निपटान कर दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जनवरी, 1990 से जुलाई, 1991 तक की अवधि के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया को विलम्ब शुल्क की वापसी के लिए क्रमश: 85 और 475 दावे प्राप्त हुए थे ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया ने क्रमश: 78 और 476 दावों का निपटान किया है ।

(ग) पार्टियों से सम्बद्ध दस्तावेजों के प्राप्त होने और निपटान के लिए बीमाकर्ताओं से पुष्टिकरण के अधीन, लम्बित दावों को बिना विलम्ब के निपटाया जाएगा ।

आठवीं योजना में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

5508. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर यातायात संचालन स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास आठवीं योजना अवधि में कुछ और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ये विमानपत्तन किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विमानों के आवागमन के ब्यौरे नीचे बताए गए हैं :

	1987-88	1988-89	1989-90
बम्बई	28,839	29,907	29,686
कलकत्ता	7,764	8,006	7,088
दिल्ली	19,071	19,350	19,854
मद्रास	3,913	3,864	4,244
त्रिवेन्द्रम (1-1-1991 से)	2,300	2,491	2,243

इस समय कोई और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ऊर्जा के पुनः प्रयोज्य स्रोतों के उपयोग के लिए धनराशि का आवंटन

5509. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा के पुनः प्रयोज्य स्रोतों का उपयोग करने के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में ऊर्जा के पुनः प्रयोज्य स्रोतों का उपयोग करने हेतु विभिन्न क्या-क्या कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अक्षय ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए राज्य योजना क्षेत्र के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में नियत की गई राशि का विवरण राज्यवार इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
1.	आंध्र प्रदेश	35	45	31
2.	अरुणाचल प्रदेश	29	40	50
3.	असम	21	26	38
4.	बिहार	295	295	315
5.	गोवा	17	22	26
6.	गुजरात	300	320	352
7.	हरियाणा	40	50	70
8.	हिमाचल प्रदेश	110	90	100
9.	जम्मू व कश्मीर	30	40	48
10.	कर्नाटक	40	45	52
11.	केरल	30	50	80
12.	मध्य प्रदेश	225	250	400
13.	महाराष्ट्र	70	100	125
14.	मणिपुर	20	25	33
15.	मेघालय	25	45	60
16.	मिजोरम	22	26	34
17.	नागालैंड	15	30	50

1 2	3	4	5
18. उड़ीसा	70	80	100
19. पंजाब	69	71	100
20. राजस्थान	110	160	360
21. सिक्किम	30	30	50
22. तमिलनाडु	450	200	254
23. त्रिपुरा	50	55	67
24. उत्तर प्रदेश	282	215	320
25. पश्चिम बंगाल	28	30	60
(क) उप जोड़	2413	2340	3175
संघ राज्य क्षेत्र			
26. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	50	115	150.00
27. चण्डीगढ़	4	4.30	0.30
28. दादर व नगर हवेली	3.50	5	4.52
29. दिल्ली	100	153	155.00
30. लक्षद्वीप	45	190	190.00
31. पांडिचेरी	16	21	25.00
32. दमन व दीव	—	—	2.00
(ख) उप जोड़	218.50	488.30	562.82
कुल योग (क+ख)	2631.50	2828.30	3701.82

(इसके अलावा भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के विभिन्न प्रस्तावों को परियोजना-दर-परियोजना के आधार पर सहायता भी दी जाती है।)

(ख) पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए राज्य क्षेत्र के नियतन से शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

(i) बायोगैस (पारिवारिक आकार)

(ii) बायोगैस (सामुदायिक/संस्थागत/शहरी)

(iii) राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम

(iv) सौर तापीय कार्यक्रम, जिसमें शामिल है :

(क) सौर जल तापन प्रणालियां

(ख) सौर विलवणी करण प्रणालियां

(ग) सौर शुष्कक

(v) सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां

(vi) पवन पम्प

(vii) पवन विद्युत उत्पादन

(viii) मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजना

(ix) ऊर्जा ग्राम परियोजना

इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानें

5510. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 में इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें किन-किन मार्गों पर संचालित हुई;

(ख) क्या सरकार के पास वर्ष 1991-92 में नई विमान सेवाएं चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उन नये हवाई मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर ये विमान सेवाएं चलाई जायेंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1990-91 के दौरान, इंडियन एयरलाइन्स ने अन्तर्देशीय सेक्टर पर 135 सेवाओं और अन्तर्राष्ट्रीय सेक्टर पर 24 सेवाओ का परिचालन किया ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने 1991-92 के दौरान अब तक निम्नलिखित नई सेवाएं आरम्भ की हैं :

—अहमदाबाद-इन्दौर

—मद्रास-गोवा

—मद्रास-पुणे

—दिल्ली-अगरतल्ला

—दिल्ली-दीमापुर

हवाई अड्डों का निर्माण

5511. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कुछ हवाई अड्डों तथा विमानपत्तनों का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किन स्थानों पर प्रमुख कार्य किया जा रहा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु में सलेम और तूतीकोरिन।

(ग) तूतीकोरिन और सलेम में धावनपथों के निर्माण, टर्मिनल भवनों और अन्य सहायक सुविधाओं से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर है और इसके क्रमश: 30-9-1991 और 31-3-1992 तक पूरा हो जाने की आशा है।

रेल परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता

5512. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में कुछ रेल परियोजनाओं के निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें इसके लिए चुना गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

चारला में कोयले के भंडार

5513. **प्रो० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्माम जिले में चारला में कोयले की अनुमानित मात्रा और गुणवत्ता क्या हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय की चारला में कोयले का खनन शुरू करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले के चारला नामक स्थान पर कोयले के भंडार लगभग 28 मि० टन होने का अनुमान लगाया गया है और कोयले का ग्रेड "डी" से "ई" के बीच विनिर्दिष्ट किया गया है। कोयला मंत्रालय ने चारला ओपेनकास्ट खान को विकसित किए जाने के लिए आवश्यक प्रारम्भिक क्रियाकलापों को शुरू किए जाने की दृष्टि से 0.55 मि० टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता प्राप्त किए जाने के लिए 6.40 करोड़ रु० की राशि की एक अग्रिम कार्रवाई योजना को पहले ही मंजूरी दे दी है।

कोचवाल्सा (दक्षिण पूर्व रेलवे) में पुल

5514. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचवाल्सा (दक्षिण पूर्व रेलवे) (समीप विशाखापत्तनम) रेल फाटक, जो शहर के व्यस्त व्यापारिक क्षेत्रों को विभाजित करता है, पर उपरि पुल/फ्लाई ओवर का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की लागत कितनी है और इस पर कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

झांसी में दावों से सम्बन्धित लंबित मामले

5515. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी डिवीजन में कर्मचारियों के वित्तीय मामलों सम्बन्धी कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) इनमें ऐसे कितने मामले है जो गैंगमैनों से सम्बन्धित हैं;

(ग) ये मामले कब से लम्बित हैं और इन्हें निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामले को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डीजल लोकोमेटिव वर्कशाप में रेल इंजनों के लिए पुर्जे

[हिन्दी]

5516. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप वाराणसी में रेल इंजनों के कतिपय फालतू पुर्जों की सप्लाई लघु उद्योग के स्थानीय एककों द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य खुली निविदाओं और बातचीत के जरिये किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) भंडार की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित करने की सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है और यदि आवश्यक समझा जाता है तो आगे वार्ताएं भी की जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भटनी-वाराणसी सेक्शन में स्टेशनों पर एक्सप्रेस गाड़ियों को ठहराना

5517. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटनी-वाराणसी सेक्शन पर चलने वाली "समर ट्रेन" को हाल ही में निरस्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गाड़ी को पुनः चलाने का है और स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर एक्सप्रेस, सरजू-यमुना एक्सप्रेस तथा अन्य तीव्रगामी गाड़ियों को दुल्लहपुर जखनियां तथा सेदात स्टेशनों पर ठहराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) 1-7-1991 से रद्द की गयी 515/516 भटनी-वाराणसी "स्पेशल" गाड़ी अब नियमित गाड़ी के रूप में 12-8-1991 से पुनः चला दी गयी है। परिचालनिक आवश्यकताओं और यातायात के अभाव के कारण दुल्लहपुर, जखनियां और सादात स्टेशनों पर किसी अतिरिक्त गाड़ी के रोकने की व्यवस्था करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

प्राकृतिक गैस के मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

5518. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विभिन्न संगठनों से प्राकृतिक गैस की ऊंची दरों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इन अभ्यावेदनों में प्राकृतिक गैस के मूल्य का केलकर समिति द्वारा अनुशासित मूल्य से कम लेने हेतु तर्क प्रस्तुत किया गया है। निर्णय लेते समय इन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है।

राजस्थान में तेल और गैस के लिए सर्वेक्षण

[हिन्दी]

5519. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में बीकानेर के के बघेबला क्षेत्र और अजमेर के समीपवर्ती क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बीकानेर के बाघेवाला क्षेत्र में तथा

राजस्थान के नागौर क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण किए हैं। बाघेवाला संरचना में खोदे गए पहले अन्वेषण कूप के फलस्वरूप बहुत भारी तेल का स्राव हुआ। विस्तृत जांच जारी है।

राजस्थान को कोयले की सप्लाई

5520. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को किन-किन स्थानों से कोयले की सप्लाई की जाती है तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में कोयले की सप्लाई की गई;

(ख) क्या राजस्थान को सप्लाई किया गया कोयला उसकी मांग से बहुत कम था; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान को निकट भविष्य में इसकी आवश्यकता के अनुरूप कोयले की सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) राजस्थान के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था कोल इंडिया लि० की निम्नलिखित सहायक कम्पनियों से की जाती है :—

1. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०
2. भारत कोकिंग कोल लि०
3. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
4. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०
5. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
6. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

इस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई आपूर्ति नीचे दी गई है :—

(आंकड़े 000 टन में)

राज्य	वर्ष	विद्युत	सीमेंट	उर्वरक	कागज	कर/रियन	साफ्ट कोक	हार्ड कोक	अन्य
राज-	1988-89	831	1077	296	—	65	3	4	380
स्थान	1989-90	1599	1097	336	—	77	1	7	792
	1999-91	1467	1065	254	4	162	1	5	895
	1991-62	530	264	64	—	28	—	3	145

(अप्रैल-जून)

(ख) और (ग) जी, नहीं। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले की आपूर्ति संयोजन/प्रायोजन और कोयले तथा रेलवे की बैगनों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है। गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को कोयले की आपूर्ति किए जाने में कुछ कमी रही है। किन्तु कोयला मंत्रालय ने अब सभी कोयला कैम्पनियों को इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को कोयले की न्यूनतम 50% संयोजित मात्रा की आपूर्ति करें। इस कार्रवाई से यह आशा है कि सम्पूर्ण देश में, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, कोयले की उपलब्धता में सुधार आ जाएगा।

खाड़ी देशों को उड़ानें

[अनुवाद]

5521. **श्री पी० सी० थामस :**

प्रो० के० वी० थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम, मुम्बई, मद्रास तथा दिल्ली से खाड़ी देशों को जाने वाली उड़ानों की संख्या कितनी है;

(ख) इन क्षेत्रों से यात्रा करने वाले यात्रियों की वार्षिक संख्या कितनी है और उनमें से केरल से यात्रा करने वाले कितने यात्री हैं;

(ग) क्या सरकार त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कालीकट से खाड़ी देशों को और उड़ानें शुरू करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से खाड़ी देश के लिए साप्ताहिक उड़ानें नीचे दर्शायी गई हैं :—

हवाई अड्डा	खाड़ी देशों के लिए कुल उड़ानें
बम्बई	59
दिल्ली	13
मद्रास	—
त्रिवेन्द्रम	18

(ख) वर्ष 1990 में खाड़ी देशों के लिये यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या 7,21,473 थी केरल के यात्रियों की संख्या को अलग करना संभव नहीं होगा।

(ग) और (घ) जी, हां। एअर इंडिया का त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के लिए एक और उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव है। कोचीन से खाड़ी देशों के लिये उड़ानों के परिचालन का कोई प्रस्ताव नहीं है। एअर इंडिया द्वारा कालीकट से खाड़ी देशों के लिये सीधी उड़ानें परिचालित करने की संभाव्यता विचाराधीन है।

मद्रास एक्सप्रेस का मारारीकुलम स्टेशन पर ठहराव (हाल्ट)

5522. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए मद्रास एक्सप्रेस का केरल के अल्लेप्पी जिले में मारारीकुलम स्टेशन पर ठहराव उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब से ठहराया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।

दिल्ली से अल्लेप्पी के लिए सीधी गाड़ी

5523. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से अल्लेप्पी तक एक सीधी गाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चलाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत में भ्रष्टाचार

5524. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत में अब तक भ्रष्टाचार के ऐसे कितने मामले सरकार के पास लम्बित हैं जिनमें उसके कार्यरत उच्च पदाधिकारी शामिल हैं;

(ख) क्या इन मामलों की जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा करायी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जबकि वायुदूत का प्रबन्धकवर्ग, मुख्य प्रबन्धक (पी० एण्ड ए०), मुख्य प्रबन्धक (एम० एण्ड पी०) मुख्य प्रबन्धक (इंजीनियरिंग) और प्रबन्धक (वित्त) के विरुद्ध प्राप्त हुई कुछ शिकायतों की छानबीन कर रहा है, परन्तु अभी तक इनमें से किसी के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।

पटना से एयरबस चलाया जाना

5525. **श्री रामनरेश सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना हवाई अड्डे को ए-300 और ए-320 एयरबस चलाने योग्य बनाने के लिए उस हवाई अड्डे की सुविधाओं को उन्नत बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) पटना हवाई अड्डे पर मौजूदा सुविधाएं ए-320 परिचालनों के लिए पर्याप्त हैं। पटना को ए-320 परिचालनों के लिए

इंडियन एयरलाइंस की वर्ष 1991 की शीतकालीन समयावली में शामिल कर लिया गया है। ए-320 परिचालनों के लिए हवाई अड्डे के उन्नयन का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स का पटना के लिए ए-320 परिचालनों को प्रारम्भ करने की कोई योजना नहीं है।

यात्रा अवकाश रियायत लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को आवास सुविधायें

5526. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री सरकारी कर्मचारियों को रियायती दरों पर आवास के बारे में 13 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2919 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वे सत्रह स्थान कहां-कहां स्थित हैं जहां रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराये जाते है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : ये 17 स्थान निम्नलिखित हैं :—

1. औरंगाबाद
2. बंगलौर
3. भुवनेश्वर
4. बोधगया
5. दिल्ली (2 होटल)
6. गुवाहाटी
7. हासन
8. जयपुर
9. जम्मू
10. खजुराहो
11. कोहिमा
12. मामल्लापुरम
13. मदुरै
14. पटना
15. पांडिचेरी
16. पुरी
17. वाराणसी

हिमाचल एक्सप्रेस में वातानुकूलित सवारी डिब्बे

[हिन्दी]

5527. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और उनके बीच चलने वाली "हिमाचल एक्सप्रेस" में वातानुकूलित सवारी डिब्बे नहीं लगाए गए हैं;

(ख) क्या दिल्ली से सीधा उना के लिए टिकट जारी नहीं किए जा रहे हैं;

(ग) क्या नंगल से उना तक रेल का किराया छह रुपया है जबकि बस का किराया केवल तीन रुपया है; और

(घ) यदि हां, तो वहां यात्रियों की इन असुविधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली से उना तक सीधा टिकट जारी की जा रही हैं ।

(ग) 16-8-91 से नांगल डैम से उना तक मेल/एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे का किराया तथा साधारण दूसरे दर्जे का किराया क्रमश: 7 रुपये और 3 रुपये है ।

(घ) आगामी वर्षों में हमारी उत्पादन इकाइयों से वातानुकूल 2 टियर सवारी डिब्बे उपलब्ध हो जाने पर ऐसे सवारी डिब्बों की व्यवस्था की जाएगी ।

दाहोद स्टेशन पर जम्मू-तवी सुपरफास्ट रेल गाड़ी का ठहराव (हाल्ट)

[अनुवाद]

5528. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बी दूरी वाली सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के ठहराव (हाल्ट) के लिए क्या मानदण्ड तय किए गए हैं;

(ख) क्या जम्मू-तवी सुपर फास्ट रेल गाड़ी का दाहोद स्टेशन पर ठहराव उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लम्बी दूरी की सुपरफास्ट गाड़ियों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव दिया जाता है, जो यात्रियों की आवश्यकता पूर्ति के केन्द्र बिंदू हों ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यातायात की मात्रा कम है, जिससे हाल्ट प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं बनता ।

दाहोद में चक्र और धुरी कारखाना स्थापित करना

5529. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दाहोद में दूसरा चक्र और धुरी कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के रसोई गैस डीलरों के पास उपभोक्ताओं की संख्या

5530. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विशेषकर गुजरात में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के रसोई गैस डीलरों के पास अन्य तेल कम्पनियों के रसोई गैस डीलरों की अपेक्षा पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : सूचना एकत्र की जा रही हैं और सदन पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के रायगढ़ स्टेशन पर रेलवे यार्ड

[हिन्दी]

5531. **श्री भवानी लाल वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के रायगढ़ स्टेशन पर रेलवे यार्ड बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च होने की संभावना है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में रेल लाइनें

[अनुवाद]

5532. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में नई रेल लाइनों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) राज्य में निर्माण की जा रही अन्य रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित नई रेल लाइन परियोजनाओं की सिफारिश की है :

1. पेद्दापल्ली—करीमनगर, अकनापेट—संगारेड्डी—पाटनचेरू और संगारेड्डी—सदाशिव पेट रोड ।
2. निजामाबाद—रामगुंडम (बरास्ता) जगतियाल और उप्पल—जगतियाल (बरास्ता) करीमनगर ।
3. नन्दयाल—येरगुंटला ।

4. गुडूर—माचेर्ला (धरास्ता) विनुकोंडा, कानिगिरी और अतमाकुर।

5. विकाराबाद—कृष्णा।

6. रायचूर—माचेर्ला।

7. निडुब्रोलु—निजामपटनम।

8. तिरूपति—पाकाला आमान परिवर्तन और पाकाला—काटपाडि समानान्तर बड़ी लाइन।

9. कनगीत्ताडा—कोट्टीपल्ली।

10. रायदुर्ग—हिन्दुपुर।

(1) से (9) तक की उपरोक्त मदों के लिए दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा पहले ही सर्वेक्षण कर लिए गए हैं और ये परियोजनाएं वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पाई गई हैं। रायचूर—हिन्दुपुर नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) (1) तेलापुर—पाट्टनचेरू (9 कि० मी०) और (2) आदिलाबाद—पिंपलकुट्टी (21 कि० मी०) जो आंशिक रूप से महाराष्ट्र में है, का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और इन खण्डों के 31-3-92 तक चालू होने की संभावना है।

नई राजधानी एक्सप्रेस के लिए प्रस्ताव

5533. **श्री अन्ना जोशी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से पुणे तक नई राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब शुरू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक तंगियों और अपेक्षित किस्म के सवारी डिब्बों और रेल इंजनों की अत्यधिक कमी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं हैं।

पुणे स्टेशन का विस्तार

5534. **श्री अन्ना जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुणे स्टेशन का विस्तार करने और उस पर वर्तमान शेड लम्बाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पुणे में प्लेटफार्म नं० 2 का विस्तार कार्य रेलवे के भावी निर्माण में शामिल किया जाएगा, जो कि धन की उपलब्धता और अन्य स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। प्लेटफार्म के सायबानों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र में हवाई अड्डे

5535. **श्री अन्ना जोशी** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सरकार पर्यटन संवर्धन को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे बनाना चाहती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की महाराष्ट्र में किसी नए हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

(ख) महाराष्ट्र में निकट भविष्य में यातायात की संभावना, परिचालनों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता संसाधनों की उपलब्धता और उनका उपयोग विमान बेड़े की उपलब्धता और अनुसूचित विमान कंपनियों के परिचालन की योजना, तथा नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए संगत अन्य ऐसे कारक नये हवाई अड्डे के निर्माण की संभाव्यता की अनुमति नहीं देते।

आंध्र प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल विक्रय केन्द्र

5536. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में और अधिक संख्या में रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल विक्रय केन्द्र आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का जिले-वार और कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) विभिन्न स्थानों पर नई पेट्रोल/डीजल की डीलरशिपें और एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें समय-समय पर लागू विपणन योजनाओं और नीति के अनुसार खोली जाती हैं।

हवाई अड्डों पर ग्राउण्ड हैंडलिंग इक्विप्मेंट एजेंसी

5537. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत के पास हवाई अड्डों पर अलग-अलग ग्राउण्ड हैंडलिंग इक्विप्मेंटस हैं;

(ख) क्या सभी विमान कम्पनियों के लिए ग्राउण्ड इक्विप्मेंट हैंडल करने हेतु एक ही एजेंसी के गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक की सहायता से विद्युत परियोजनायें

5538. **श्री के० प्रधानी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अधिकारियों ने हाल ही में विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के साथ कोई बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत क्षेत्र में विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति के बारे में तथा भावी ऋण प्रत्याशा की इन विचार-विमर्श के दौरान सामान्य रूप से समीक्षा की गई थी।

टुमकुर बंगलौर रेल लाइन को दोहरा करना

5539. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टुमकुर और बंगलौर के बीच यातायात बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग को दोहरा करने की कोई योजना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में तेल शोधक कारखाना

5540. **श्री चित्त बसु :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्तर पर कोई तेल शोधक कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में मैट्रो रेलवे और परिक्रमा रेलवे परियोजना का पूरा होना

5541. **श्री चित्त बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में मैट्रो रेलवे और परिक्रमा रेलवे परियोजना को पूरा करने के लिए इस बीच कोई समय सीमा निर्धारित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) (I) **मेट्रो रेलवे** : इस परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा भूमि के शेष प्लाटों का अधिग्रहण किये जाने तथा आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(II) **सर्कुलर रेलवे** :

दम दम से प्रिन्सेप घाट तक कलकत्ता सर्कुलर रेलवे पहले ही पूरी कर ली गई है और यह 17-6-90 से चालू कर दी गयी है ।

बारासात और दत्तपुकुर के बीच रेल लाइन को दोहरी करना

5542. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक बजट आवंटन के बाद भी सियालदह-बोंगांव खण्ड में बारासात से दत्तपुकुर के बीच पटरी को दोहरा करने के काम की गति बहुत धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन की गति तेज करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 30 जून, 1991 को प्रगति 36 प्रतिशत के लक्ष्य के बजाय 34 प्रतिशत है ।

(ख) प्रस्तावित संरेखण के आसपास अतिक्रमण ।

(ग) राज्य सरकार से अतिक्रमणों को हटाने का अनुरोध किया गया है ।

रोहतक और सोनीपत से दिल्ली के लिए नई रेलगाड़ी

5543. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों के यातायात में वृद्धि को देखते हुए रोहतक-दिल्ली और सोनीपत-दिल्ली अनुभागों पर नई सवारी गाडियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) परिचालनिक तंगियों और संसाधनों की कमी के कारण ।

फरक्का से लालमटिया रेल लाइन

[हिन्दी]

5544. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का-लालमटिया रेल लाइन को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से इस लाइन के दोनों ओर भू-स्खलन को रोकने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फरक्का-लालमाटिया रेल लाइन निजी साइडिंग के रूप में राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के स्वामित्व में है और वही उसका अनुरक्षण करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली से रोहतक और सोनीपत तक रेल लाइन का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

5545. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोहतक और दिल्ली तथा सोनीपत और दिल्ली के बीच रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना खंड, जिसका दिल्ली-सोनीपत एक भाग है, के विद्युतीकरण को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है और इसे 1991-92 के बजट में शामिल किया गया है। लेकिन धन की तंगी तथा उच्च घनत्व के अन्य मार्गों के विद्युतीकरण की तुलनात्मक प्राथमिकताओं के कारण दिल्ली-रोहतक खंड के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

पुणे में यात्रियों की मृत्यु

5546. **श्री गुरूदास कामत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अगस्त, 1991 को पुणे में कुछ यात्री स्थानीय रेलगाड़ी से गिरकर मर गए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं टालने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 15-8-91 को, जब लोनावला-पुणे लोकल गाड़ी नं० एल-15 देहूरोड और आकुर्डी स्टेशनों के बीच चल रही थी तब 8 यात्री गाड़ी से गिर गये। इनमें से 7 यात्रियों की दुर्घटना स्थल पर मृत्यु हो गई और बाद में एक यात्री की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

(ग) रेलें चलती गाड़ियों के पायदानों पर खड़े होकर यात्रा करने तथा बाहर की ओर झुकने के प्रति इश्तहारों, चेतावनी बोर्डों और जन उदघोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को सचेत करने के लिए दीर्घकालीन अभियान चलाने के कार्य में लगी हुई हैं। ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने का कार्य तेज कर दिया गया है।

रेवाड़ी और फुलेरा के बीच चलने वाली गाड़ी

[हिन्दी]

5547. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेवाड़ी और फुलेरा के बीच कितनी पैसेंजर गाड़ियां चल रही हैं और उसके नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन गाड़ियों की क्षमता यात्रियों की संख्या की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का एक नई गाड़ी शुरू करने तथा उक्त गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या में भी वृद्धि करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेवाड़ी और फुलेरा के बीच दस जोड़ी गाड़ियां चलती हैं और उनमें से सात गाड़ियां दोनों स्थानों पर रुकती हैं। इन गाड़ियों का नाम नीचे दिया गया है :—

जयपुर के रास्ते

1. 9615/9616 दिल्ली-उदयपुर चेतक एक्सप्रेस
2. 13/14 दिल्ली-अजमेर फास्ट पैसेंजर
3. 9901/9902 दिल्ली-अहमदाबाद मेल
4. 9903/9904 दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस
5. 2915/2916 दिल्ली-उदयपुर गरीब नवाज एक्सप्रेस (रेवाड़ी और फुलेरा में कोई ठहराव नहीं)
6. 2905/2906 दिल्ली-अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस (रेवाड़ी और फुलेरा में कोई ठहराव नहीं)
7. 2461/2462 दिल्ली-जोधपुर-मंडोर एक्सप्रेस (रेवाड़ी और फुलेरा में कोई ठहराव नहीं)

फुलेरा तक मिली-जुली गाड़ी के रूप में चलती हैं।

रींगस के रास्ते

8. 9931/9932 दिल्ली-अहमदाबाद अरावली एक्सप्रेस
9. 19/20 दिल्ली-मेहसाना फास्ट पैसेंजर
10. 251/252 रेवाड़ी-उदयपुर फास्ट पैसेंजर

(ख) सामान्य अवधि के दौरान, ये गाड़ियां यातायात की मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत सेवाएं

5548. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के क्या नाम हैं जिन्हें 1989 के अन्त तक वायुदूत सेवाओं से जोड़ दिया गया था;

(ख) 1990 के दौरान वायुदूत सेवाओं को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन अतिरिक्त स्थानों की राज्यवार संख्या क्या है जिन्हें 1990 के दौरान वायुदूत सेवाओं से जोड़ दिया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वायुदूत 1989 के अन्त तक 85 स्टेशनों के लिए परिचालन कर रहा था जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) वायुदूत को हो रही भारी हानि के कारण, वायुदूत को विवश होकर अपने परिचालनात्मक नेटवर्क में भारी कटौती करनी पड़ी है। वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से इस अवस्था में नये स्टेशनों को सेवा से जोड़ना व्यवहार्य नहीं होगा।

विवरण

वायुदूत के परिचालनात्मक स्टेशनों की सूची (दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार)

उत्तरी क्षेत्र

जम्मू एवं कश्मीर

1. जम्मू
2. राजौरी

केन्द्र शासित दिल्ली

3. दिल्ली

उत्तर प्रदेश

4. देहरादून
5. कानपुर
6. लखनऊ
7. इलाहाबाद
8. आगरा
9. वाराणसी
10. पंतनगर

केन्द्र शासित चण्डीगढ़

11. चण्डीगढ़

पंजाब

12. भटिंडा
13. लुधियाना

राजस्थान

14. कोटा
15. जैसलमेर
16. जोधपुर
17. जयपुर

हिमाचल प्रदेश

18. कुल्लू
19. शिमला

मध्य प्रदेश

20. जबलपुर
21. खजुराहो
22. रीवा
23. भोपाल
24. गुना
25. बिलासपुर
26. रायपुर
27. सतना
28. जगदलपुर
29. इन्दौर

पूर्वी क्षेत्र

त्रिपुरा

30. कमालपुर
31. अगरतल्ला
32. कैलाशहर

मिजोरम

33. एजवाल

अरुणाचल प्रदेश

34. जीरो
35. दीपारीजो
36. एलांग
37. पासीघाट

पश्चिमी बंगाल

38. कलकत्ता
39. कूच बिहार

असम

40. डिब्रूगढ़
41. गुवाहाटी
42. जोरहाट
43. लीलाबाड़ी
44. सिल्चर

बिहार

45. गया
46. धनबाद
47. पटना
48. रांची
49. जमशेदपुर

मेघालय

50. शिलांग

उड़ीसा

51. राउरकेला

मणीपुर

52. इम्फाल

नागालैंड

53. दीमापुर

दक्षिणी क्षेत्र

आंध्र प्रदेश

54. हैदराबाद
55. राजमुन्दरी
56. तिरूपति
57. विजयवाड़ा

कर्नाटक

58. हुबली
59. बंगलौर
60. बेलगाम

तमिलनाडु

61. कोयम्बटूर
62. मद्रास
63. तंजावूर
64. नेवेली
65. तिरूचरापल्ली

केरल

66. कोचीन
67. त्रिवेन्द्रम
68. कालीकट

केन्द्र शासित पांडिचेरी

69. पांडिचेरी

केन्द्र शासित लक्षद्वीप

70. अगत्ती

पश्चिमी क्षेत्र

गुजरात

71. भावनगर
72. कांडला
73. पोरबन्दर
74. केशोड़
75. सूरत

महाराष्ट्र

76. बम्बई
77. पूना
78. कोल्हापुर
79. औरंगाबाद
80. शोलापुर
81. नागपुर
82. अकोला
83. नांदेड़

गोवा

84. गोवा

केन्द्र शासित प्रदेश

दमन व दीव

85. दमन

उत्तरी दिल्ली में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण व बुकिंग कार्यालय

[अनुवाद]

5549. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली आरक्षण कार्यालय और कीर्ति नगर स्थित केन्द्रों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए उत्तरी दिल्ली में, विशेष रूप से पीतमपुरा में बाहरी रिंग रोड पर एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण व बुकिंग कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्तरी दिल्ली क्षेत्र का आरक्षण सम्बन्धी मांगें इस समय दिल्ली मेन और कीर्ति नगर रेलवे स्टेशनों पर पूरी की जाती हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभ

5550. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले रेलवे कर्मचारियों को कुछ आर्थिक लाभ दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार ऐसे लाभों की परिगणना करने के मानदण्ड क्या हैं और 20 वर्षों, 25 वर्षों तथा 30 वर्षों की सेवापरांत प्रदान किये जाने वाले लाभों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने पर भी ये आर्थिक लाभ दिए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो 31 अगस्त 1991 की स्थिति के अनुसार इन लाभों की परिगणना के मानदण्ड सहित इन लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन आर्थिक लाभों की परिगणना वित्त और कार्मिक मंत्रालय की हिदायतों के अनुरूप की जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अधिवार्षिता पर अनुमेय सामान्य लाभों के अलावा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को पेंशनीय प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा में अधिमान दिया जाता है तथा सम्बद्ध नियमों/आदेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार अर्धवेतन छुट्टी का संराशिकरण किया जाता है।

(ख) सेवा में अधिमान तथा अर्ध वेतन छुट्टी के संराशिकरण के लाभों का ब्यौरा तथा इन्हें परिकलित करने का मापदण्ड नीचे प्रश्न के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित आदेशों में दिया गया है।

(ग) और (घ) नियमों के अन्तर्गत यथा अनुमेय सामान्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया जाता है। बहरहाल, अर्हक सेवा में अतिरिक्त अधिमान तथा अर्धवेतन छुट्टी के संराशिकरण का लाभ अनुमेय नहीं है।

(ङ) जी हां।

(च) ये अनुदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 26-8-1977 के का० ज्ञा० सं० 25013/7/77-एस्ट (ए) तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 39(5) पर आधारित हैं, जिनके संगत उद्धरण विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

** ** **

3(viii) इस योजना के अन्तर्गत स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को आनुपातिक पेंशन की मंजूरी देते समय, कर्मचारी द्वारा वास्तव में की गई अर्हक सेवा के अतिरिक्त, उसे 5 वर्ष तक की अधिमानता प्रदान की जाएगी। लेकिन, 5 वर्ष तक की अधिमानता निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :

(क) अधिमानता देने के पश्चात् समग्र अर्हक सेवा किसी भी हालत में 30 वर्ष कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की 26-8-1983 की अधिसूचना सं० 32/4/83-पेंशन यूनिट द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार अब 33 वर्ष की अर्हक सेवा से अधिक नहीं होनी चाहिए; और

(ख) अधिमानता देने के पश्चात् समग्र अर्हक सेवा उस अर्हक सेवा से अधिक नहीं होनी चाहिए जो मूल नियम 56 (ट) या सी० एस० आर० के० अनुच्छेद 459(i) या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम 48 अथवा उस पर लागू होने वाले किसी अन्य समदृष्य नियम के अन्तर्गत स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा/न्यूनतम सेवा सीमा के रूप में निर्धारित हो।

** ** **

केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 39(5) का उद्धरण :

** ** **

39(5) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, उसकी सेवा के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार, सेवानिवृत्त होता है या उसे उप नियम (1) के खण्ड (ग)* में उल्लिखित ढंग से सेवानिवृत्त किया जाता है, तो उसे, छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वतः उसके खाते जमा अर्जित छुट्टी के सम्बन्ध में, जो अधिक से अधिक 240 दिन तक की हो सकेगी, और उसके खाते जमा समस्त अर्धवेतन छुट्टी के सम्बन्ध में, छुट्टी वेतन का समतुल्य अनुदत्त कर सकता है परन्तु यह तब किया जाता है, जबकि ऐसी अवधि उस अवधि से अधिक नहीं है जो उसके ऐसे सेवानिवृत्त होने या कर दिए जाने की तारीख और उसकी सेवा को शासित करने वाले निबन्धनों और शर्तों के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए यथा विहित आयु प्राप्त कर लेने पर प्रसामान्य अनुक्रम में उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख के बीच की है। नकद समतुल्य,

यथा अनुज्ञेय अर्जित छुट्टी और/या अर्ध वेतन छुट्टी के लिए अनुज्ञेय छुट्टी वेतन तथा ऐसे छुट्टी वेतन पर पहले 240 दिन के लिए सरकारी सेवक के सेवानिवृत्त होने या सेवानिवृत्त कर दिए जाने की तारीख को यथाप्रवृत्त दर पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ते के योग के बराबर होगा। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के पेंशन समतुल्य और पेंशन पर तदर्थ राहतों/श्रेणीकृत राहतों की, उस अर्ध वेतन छुट्टी, यदि कोई है, की अवधि के लिए जिसकी बाबत नकद समतुल्य देय है, संदत्त छुट्टी वेतन में से कटौती कर ली जाएगी। इस प्रकार संगणित रकम, अन्तिम निपटारे के रूप में, एक बार में चुकता की जाएगी। कोई मकान किराया भत्ता या नगर प्रतिकरात्मक भत्ता संदेय नहीं होगा।

परन्तु यदि अर्धवेतन छुट्टी अंश के लिए छुट्टी वेतन, पेंशन और अन्य पेंशनिक प्रसुविधाओं से कम रह जाता है तो अर्ध वेतन छुट्टी का नकद समतुल्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

** ** **

*उपनियम (1) का खण्ड (ग)

(1) (ग) जिस तारीख को वह सरकार को नोटिस देकर सेवानिवृत्त होता है या उसे सरकार द्वारा नोटिस देकर या उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार इस प्रकार के नोटिस के बदले वेतन और भत्ते प्रदान करके सेवानिवृत्त कर दिया जाता है।

गाजियाबाद में रसोई गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र

5551. **श्री रमेश चन्द्र तोमर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद में और अधिक रसोई गैस की एजेंसियां तथा पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) विभिन्न स्थानों पर नयी पेट्रोल/डीजल की डीलरशिपें और एल०पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें समय-समय पर लागू विपणन योजनाओं और नीति के अनुसार खोली जाती हैं।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

5552. **श्री रमेश चन्द्र तोमर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान आज तक कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया;

(ख) इनमें से प्रत्येक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार न्यू गाजियाबाद स्टेशन के आधुनिकीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है :—

क्र०सं०	स्टेशन का नाम	मार्च, 1991 तक किया गया अनुमानित खर्च (लाख रुपयों में)
1.	अकोला	43.59
2.	बम्बई वी०टी०	55.86
3.	पुणे जं०	41.81
4.	ग्वालियर	193.31
5.	भोपाल जं०	132.43
6.	जबलपुर जं०	60.89
7.	नागपुर जं०	123.70
8.	शोलापुर	35.49
9.	सियालदह	133.03
10.	हावड़ा	199.24
11.	दुर्गापुर	52.00
12.	धनबाद जं०	104.46
13.	गया जं०	66.82
14.	पटना जं०	100.50
15.	माल्दा टाउन	86.14
16.	शिमला	17.57
17.	नयी दिल्ली	13.80
18.	मेरठ सिटी	126.00
19.	भिवानी	27.40
20.	लखनऊ	30.00
21.	इलाहाबाद जं०	27.02
22.	मुरादाबाद जं०	—
23.	जम्मूतवी	134.34
24.	जालन्धर सिटी	89.59
25.	बीकानेर जं०	74.40

1	2	3
26.	जोधपुर जं०	36.00
27.	लखनऊ जं०	48.00
28.	गोरखपुर जं०	350.00
29.	काठगोदाम	34.00
30.	इलाहाबाद सिटी	26.00
31.	समस्तीपुर जं०	95.00
32.	मुजफ्फरपुर जं०	160.00
33.	कटिहार जं०	91.69
34.	न्यू बोंगाईगांव	3.84
35.	गुवाहाटी	53.93
36.	लमडिंग	—
37.	तिनसुकिया जं०	9.00
38.	मद्रास सेन्ट्रल	110.84
39.	तिरूचिरापल्ली जं०	55.44
40.	मदुरै जं०	46.70
41.	मैसूर जं०	7.02
42.	बेंगलूरू सिटी	67.60
43.	तिरूवनन्तपुरम सेन्ट्रल	138.25
44.	कोयम्तूर जं०	95.94
45.	तिरूपति	65.04
46.	बेल्लारी जं०	24.55
47.	विजयवाड़ा जं०	34.26
48.	नान्देड़	31.21
49.	हैदराबाद	7.36
50.	बिलासपुर जं०	108.85
51.	रायपुर जं०	21.54
52.	खड़गपुर जं०	21.92
53.	विशाखापत्तनम	33.60

1	2	3
54.	गोंदिया ज०	5.49
55.	दुर्ग	23.00
56.	टाटानगर जं०	41.35
57.	भुवनेश्वर	67.21
58.	रांची जं०	41.77
59.	अहमदाबाद जं०	10.37
60.	इन्दौर	63.79
61.	भरतपुर जं०	41.45
62.	आगरा फोर्ट जं०	55.00
63.	जयपुर जं०	47.18
64.	जूनागढ़	2.01
65.	अजमेर जं०	52.82
66.	राजकोट जं०	22.94
67.	बम्बई सेन्ट्रल	—

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाता है, जो सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस समय नया गाजियाबाद स्टेशन का आधुनिकीकरण करने का कोई औचित्य नहीं है।

गुजरात में पाईप लाइनों द्वारा प्राकृतिक गैस की सप्लाई

5553. **डा० के० डी० जेस्वाणी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जिन शहरों को घरेलू और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक गैस पाइप लाइनों के द्वारा सप्लाई की जा रही है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन शहरों का ब्यौरा क्या है जिनको निकट भविष्य में इस गैस की सप्लाई करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) गुजरात में फिलहाल बड़ौदा, अंकलेश्वर और भरूच नगर में पाइपलाइन के माध्यम से गैस का वितरण किया जाता है।

(ख) निकट भविष्य में सूरत नगर में ऐसी आपूर्तियों के आरम्भ होने की सम्भावना है।

डबल गैस सिलेंडर की सुविधा बन्द करना

[हिन्दी]

5554. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समय डबल गैस सिलेंडर की सुविधा बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त सुविधा को निकट भविष्य में शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली—अलीगढ़ मार्ग पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

5555. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए बरेली-अलीगढ़ मार्ग पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी चलाना कब तक शुरू कर देने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली जंक्शन के लिए आरक्षण कोटा

5556. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बरेली जंक्शन से हिमगिरी एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, लखनऊ—दिल्ली मेल, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, पंजाब मेल तथा दून एक्सप्रेस के वर्तमान आरक्षण कोटा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक रेलगाड़ी के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने हेतु सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितना तथा गाड़ियों के लिए आरक्षण कोटा कब तक बढ़ा दिए जाने की सम्भावना ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बरेली जंक्शन पर उपलब्ध आरक्षण कोटा इस प्रकार है :

गाड़ी नं०	स्टेशन के लिए	वाता० पहला दर्जा	पहला दर्जा	वाता० दो टियर	दूसरा दर्जा	कुर्सीयान
1	2	3	4	5	6	7
2373 हिमगिरी एक्सप्रेस	जम्मूतवी	—	—	—	2	—
2374 हिमगिरी एक्सप्रेस	हवड़ा	—	—	—	3	—
2402 श्रम-जीवी एक्सप्रेस	पटना	—	—	2	4	2
4229 लखनऊ मेल	नई दिल्ली	1	2	4	14	—
4057 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस	नई दिल्ली	—	—	4	6	—
4058 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस	वाराणसी	1	—	4	14	—
3005 हवड़ा मेल	अमृतसर	—	2	—	3	—
3006 हवड़ा मेल	हवड़ा	—	—	2	10	—
3009 दून एक्सप्रेस	देहरादून	—	2	—	8	—
3010 दून एक्सप्रेस	हवड़ा	—	—	2	4	—

(ख) जी, हां।

(ग) 21-8-91 से 4229 लखनऊ मेल में वातानुकूलित शयनयान में शायिकाओं का कोटा आवंटित किया गया है। इसके अलावा, इस स्टेशन को 3151 सियालदह एक्सप्रेस में 1-7-91 से वातानुकूलित शयनयान में दो शायिकाओं तथा 25-6-91 से दूसरे दर्जे में एक शायिका का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया गया है। जहां तक अन्य गाड़ियों का सम्बन्ध है, चूंकि इस स्टेशन पर आटोमैक्स सुविधा,

जिससे दिल्ली तथा आटोटैक्स/आटोमैक्स वाले अन्य स्टेशनों मे आरक्षण प्राप्त करने की सीधी व्यवस्था सुलभ है, की व्यवस्था की गई है, इसलिए इस स्टेशन को फिलहाल कोई अतिरिक्त कोटा आबंटित करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे की रेल लाइनों का विद्युतीकरण

5557. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत किन-किन रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) किन-किन रेल लाइनों के सम्बन्ध में स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है; और

(ग) इस समय किन-किन रेल लाइनों पर विद्युतीकरण कार्य चल रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे के दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना, खुर्जा जं०-खुर्जा सिटी और हाथरस जं०-हाथरस किला खण्डों के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) खुर्जा जं०-खुर्जा सिटी और हाथरथ जं०-हाथरथ किला खण्डों पर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

मध्य प्रदेश में विद्युत संयन्त्रों को कोयले की सप्लाई

5558. **श्री फूल चंद वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इन संयंत्रों में कोयले की मासिक खपत कितनी है;

(ग) क्या कोयले की वर्तमान सप्लाई इन संयंत्रों के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) मध्य प्रदेश में 6 तापीय विद्युत गृह विद्यमान है।

(ख) अप्रैल से जुलाई, 1991 के दौरान इन तापीय विद्युत गृहों में हुए कोयले के मासिक उपभोग को नीचे दर्शाया गया है :

(000 टन में)

तापीय विद्युत गृह का नाम	अप्रैल 91	मई 91	जून 91	जुलाई ९1
(1) अमरकंटक	79	85	62	47
(2) कोरबा ईस्ट	155	115	157	117
(3) कोरबा वेस्ट	313	264	249	296

1	2	3	4	5
(4) सतपुड़ा	311	302	272	300
(5) कोरबा (एन० टी० पी० सी०)	781	739	692	761
(6) विंध्याचल (एन० टी० पी० सी०)	316	282	247	287

(ग) और (घ) इन तापीय विद्युत गृहों को सतपुड़ा तापीय विद्युत गृह को छोड़कर कोयले की समग्र रूप में आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रही। कोयला मन्त्रालय द्वारा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को सतपुड़ा तापीय विद्युत गृह को कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से भी सतपुड़ा तापीय विद्युत गृह की कोयले की कमी को पूरा किए जाने के लिए कुछ कोयले की आपूर्ति किए जाने की भी व्यवस्था की गई।

समस्तीपुर में डीजल शेड

5559. **श्री मंजय लाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर में डीजल शेड का निर्माण करने के लिए स्वीकृत वर्ष 1990-91 में दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस यूनिट का निर्माण कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समीक्षा करने पर गोंडा डीजल शेड का विस्तार करना अधिक किफायती पाया गया तथा परिचालन की दृष्टि से इसकी तत्काल आवश्यकता थी। फिलहाल, समस्तीपुर में डीजल शेड बनाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है।

इम्फाल के निकट बोइंग 737 विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

[अनुवाद]

5560. **श्री मदनलाल खुराना** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत में हुई विमान दुर्घटनाओं और 16 अगस्त, 1991 को इम्फाल के निकट हुई बोइंग 737 विमान दुर्घटना के कारण वहीं हैं जो पहले हुई विमान दुर्घटनाओं के थे; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विमान कम्पनियों की कार्य प्रणाली एवं कार्य निष्पादन को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इम्फाल विमान दुर्घटना के कारणों की पुष्टि, जांच न्यायालय द्वारा जांच करने के बाद ही की जा सकेगी।

(ख) एयरलाइनों के प्रचालनों की सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है और सुरक्षा मानकों को लागू करने में कोई कसर नहीं रखी जाती ।

विमान दुर्घटनाएं

5561. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर विमान दुर्घटनाएं विमानों के उतरते अथवा उड़ान भरते समय होती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विमानों के उतरते तथा उड़ान भरते कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं; और

(घ) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिविलियन विमानों की 48 दुर्घटनाएं हुई जिनमें से 23 दुर्घटनाएं विमानों के उतरने या उड़ान भरने के दौरान हुई ।

(ग) 23 दुर्घटनाओं में से 19 दुर्घटनाओं की जांच पूरी हो गयी है । यह पाया गया है । कि इनमें से 17 दुर्घटनाएं विमानचालक की गलती से हुई, एक मौसम की खराबी से और एक धावनपथ पर एक बैल के आ जाने से हुई । 17 दुर्घटनाओं में जोकि मुख्यतः विमानचालक की गलती से हुई हैं, दो मामलों में विमान के अनुरक्षण और दो अन्य मामलों में मौसम की खराबी दुर्घटना के और सहायक कारण बने ।

(घ) विमान सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए निरन्तर उपाय किए जाते हैं, जैसे विमान दुर्घटनाओं और खतरनाक दुर्घटनाओं की जांच से प्रकट सिफारिशों का कार्यान्वयन, सुरक्षा सूचना का प्रचार काकपीट वाइस रिकार्डर और फ्लाइट डाटा रिकार्डर पर निगरानी रखना, उड़ान कर्मीदल की दक्षता पर नजर रखना और हवाई अड्डों का समय-समय पर निरीक्षण करना है ।

साहिबगंज से जहाजघाट और सकड़ी से जहाजघाट रेल लाइनों से आय

5562. **श्री साईमन मरांडी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहिबगंज से जहाजघाट तथा साकड़ी से साहिबगंज जिले के जहाजघाट के बीच बिछाई गई रेल लाइनों के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में माल का यातायात हुआ और इससे सरकार को कितनी आय हुई;

(ख) उपरोक्त लाइन को बिछाने में कितना खर्च हुआ; और

(घ) इन लाइनों को और लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) साहिबगंज जं० और सकरीगली जं० से सकरीगली घाट, जो जहाजघाट के नाम से प्रसिद्ध है, तक की शाखा लाइन 10 वर्ष से भी ज्यादा समय से बन्द है और इस लाइन पर कोई माल यातायात नहीं होता, इसलिए इससे कोई आमदनी नहीं होती ।

(ख) इन लाइनों को बिछाने पर हुए खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये लाइनें 50 वर्ष से पहले बिछाई गई थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में कंकरीट की ढुलाई

5563. **श्री साईमन मरांडी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पुकुड़, बाकुडीह, महाराजगंज और पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट तथा मुरारई क्षेत्रों से काले पत्थर की कंकरीट की ढुलाई के लिए कितनी लम्बी रेल लाइन बिछाई गई है और किस तारीख को यह लाइन चालू हुई और अब तक कितने कंकरीट की ढुलाई की गई है;

(ख) सरकार द्वारा इस लाइन से प्रतिवर्ष प्राप्त माल भाड़े की राशि कितनी है;

(ग) क्या निकट भविष्य में इस क्षेत्र में एक अन्य रेल लाइन बिछाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मक्सी पर उपरि पुल

[हिन्दी]

5564. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा-मुम्बई रोड पर मक्सी (मध्य प्रदेश) में रेल फाटक पर अत्यधिक यातायात है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां रेल फाटक पर उपरिपुल बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। यह कार्य पहले ही रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

(ग) ऊपरी पुल के निर्माण के लिए अभी कोई समय-अनुसूची तैयार नहीं की गई है।

(घ) कार्य अभी योजना-स्तर पर है और इसे तभी शुरू किया जा सकता है जब विस्तृत नक्शों और अनुमानों को राज्य सरकार/भूतल परिवहन मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में विमान सेवा

5565. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें हाल ही में विमान सेवाओं से जोड़ा गया है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनके लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान विमान सेवाएं शुरू करने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश में आगरा, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर और देहरादून को विमान सेवाओं से जोड़ा गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय एयरलाइनों की प्रचालनात्मक क्षमता और यातायात की मांग इतनी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नए स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ा जा सके।

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों का बन्द होना

5566. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990-91 के दौरान बन्द हुई रसोई गैस एजेंसियों का जिला-वार, ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण वर्ष 1990-91 में सहारनपुर जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा लखनऊ जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त कर दिया गया है।

मचेदा स्टेशन से पान के पत्तों की टोकरियों की ढुलाई

[अनुवाद]

5567. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के मचेदा स्टेशन से पान के पत्तों की टोकरियों की ढुलाई में सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : पान के पत्ते, नश्य यातायात होने के कारण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा इनकी ढुलाई को प्राथमिकता दी जाती है। मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा पान की टोकरियों की ढुलाई हेतु चलाए गए गहन अभियान के फलस्वरूप, अप्रैल से जुलाई, 91 की अवधि के दौरान 46,694 क्विंटल पान का लदान किया गया जबकि अप्रैल से जुलाई, 90 की अवधि के दौरान 41,480 क्विंटल पान का लदान किया गया था। विभिन्न अन्य उपाय किए गए हैं जिसमें मचेदा स्टेशन से होकर गुजरने वाली गाड़ियों में अतिरिक्त पार्सल यान का लगाना शामिल है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में विमानों के रात्रि में उड़ान भरने की सुविधाएं

5568. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी विमानों को रात्रि में उड़ाने का प्रशिक्षण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एकल इंजिन वाले विमान के मामले में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रात्रि उड़ान में प्रशिक्षण दे रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई हवाई अड्डे पर यात्रियों को परेशान किया जाना

5569. **श्री पी० सी० थामस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एजेंट हवाई अड्डे तथा इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के साथ मिलकर यात्रियों को परेशान करते हैं और उनसे अतिरिक्त पैसे लेकर "ओ० के० टिकट" दे रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को बम्बई हवाई अड्डे पर यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों और उन्हें परेशान किए जाने की शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो सभी घरेलू हवाई अड्डों पर इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने कौन से सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ इंडियन एयरलाइन्स के सुरक्षा और सतर्कता अधिकारियों ने अपने किस्म के किए गए कुछ आकस्मिक जांचों से इस बात का पता लगाया है कि कुछ एजेंट इंडियन एयरलाइन्स के टिकटों की कालाबाजारी में लगे हुए थे। वे अतिरिक्त पैसा लेने के बाद खाड़ी क्षेत्र के यात्रियों को उनके साथ उनकी भाषा में बात करके उन्हें ओ० के० टिकट देकर गुमराह करते थे।

(घ) इस अनाचार को नियंत्रित करने के लिए, ऐसे हवाई अड्डों पर जहां उड़ानें अधिक होती हैं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारी नियमित रूप से आकस्मिक जांच करते हैं। इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

1. प्रवेश द्वार पर टिकटों की पूरी जांच ताकि वास्तविक यात्री ही टर्मिनल भवन में प्रवेश कर सकें।
2. एजेंसियों के साथ समन्वय से गिरोह में लिप्त व्यक्तियों को पकड़ने के लिए छापा मारना।

3. सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की संख्या शक्ति को बढ़ाना तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए गश्त में वृद्धि करना।

4. दक्षिण जाने वाली उड़ानों में सीटों की उपलब्धता के बारे में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा बोर्ड का प्रदर्शन करना।

कलकत्ता सर्कुलर रेलवे का विस्तार

5570. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे को प्रिन्सेप्स घाट से माजेरहाट तक विस्तृत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या परियोजना को पोर्ट-ट्रस्ट से स्वीकृति दिलाने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कलकत्ता सर्कुलर रेलवे का प्रिंसेप घाट से माजेरहाट तक विस्तार करने के लिए कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट (सी० पी० टी०) की भूमि का उपयोग करना पड़ेगा। अपेक्षित भूमि रेलवे को हस्तांतरित करने का मामला सी०पी०टी० प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

12.10 म० प०

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री को सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने की 28 तारीख को एक सम्मानित सदस्य ने सदन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा का मामला उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारी सुरक्षा वापस ले ली है और यह भी कहा था कि जो सेंटर की सिक्योरिटी है, उसे भी लौटाया जा रहा है। मामला गम्भीर था और इसलिए सदन के दूसरे सम्मानित सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री जो अब तक तो सदन में थे, लेकिन अब नहीं हैं, उन्होंने भी हस्तक्षेप किया था। सदन के नेता भी नई परिपाटी के अनुसार इस मामले में कुछ कहने के लिए खड़े हो गये थे। उनके उपदेशामृत की मैं चर्चा नहीं करता, लेकिन मैं चन्द्रशेखर जी की बात को उद्धृत करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"कल ही मुझे यह समाचार मिला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो, जो आसूचना ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर श्री मुलायम सिंह यादव को दिए गए थे, को उत्तर प्रदेश सरकार ने वापिस लेने के लिए कहा है, जबकि भारत सरकार और आसूचना ब्यूरो ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड वहां रहने चाहिएं लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में सहयोग नहीं दे रही है। मैंने आसूचना ब्यूरो के मुख्य अधिकारी और माननीय गृह मंत्री से बात की थी। मुझे माननीय गृह मंत्री से यह सुनकर हैरानी हुई कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग न दे।"

[हिन्दी]

चन्द्रशेखर जी द्वारा कही गई यह बात बड़ी गम्भीर थी। स्वाभाविक था, इससे सदन में चिन्ता पैदा होती। मैंने भी कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से सम्पर्क करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सम्पर्क के बाद जो तथ्य मिले हैं, वह बिल्कुल दूसरी कहानी कहते हैं। पहली बात तो यह है कि केन्द्र ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जो भी प्रबन्ध किये, उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया। मेरे पास दस्तावेज हैं और मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। इस सदन में इस तरह से किसी प्रदेश सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयत्न हुआ। केन्द्र सरकार ने कहा कि श्री मुलायम सिंह को जैड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए, यह 25 जुलाई का पत्र है। सबसे बड़ी···

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटक) : इसका मतलब सर्वनिम्न।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह एक्स वाई जैड वाला जैड नहीं है। इसके अन्तर्गत जो सुरक्षा दी जा रही है, मैं सदन की जानकारी के लिए इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा, वह यों है दो हैड कांस्टेबल तथा 8 कांस्टेबल की पी० ए० सी० की सशस्त्र गार्ड, एक हैड कांस्टेबल तथा 3 कांस्टेबल की एस्कोर्ट, अलग-अलग दो शिफ्टों में, 6 पर्सनल सिक्योरिटी आफिसर, जिनमें दो आफिसर एक समय ड्यूटी पर रहेंगे, एक स्टेनगन के साथ, दूसरा रिवाल्वर के साथ। तीन वाचर्स, जिनमें दो तो दिन की ड्यूटी पर तथा एक रात की ड्यूटी पर। इस व्यवस्था में कुल सुरक्षाकर्मियों की संख्या 27 हो जाती है। उत्तर प्रदेश···

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : वाजपेयी जी किसकी मदद कर रहे हैं ? यह सब देना जरूरी है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जहां तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सवाल है, केन्द्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दिया था। बाद में केन्द्र सरकार ने फैसला किया कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वापस ले लिया जाना चाहिए। यह प्रदेश सरकार का फैसला नहीं है। इस सम्बन्ध में दो दस्तावेज मेरे पास हैं। 16 जुलाई, 1991 को डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस, उत्तर प्रदेश ने केन्द्र से प्राप्त एक संदेश के आधार पर यह नोट तैयार किया, इसका एक हिस्सा मैं उद्धृत करना चाहता हूं—

[अनुवाद]

"नई दिल्ली से दूरभाष पर मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव के साथ नियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो को जल्द ही हटा लिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनका 31 जुलाई, 1991 तक नियुक्त रहना सम्भव नहीं होगा।"

[हिन्दी]

उसके बाद एक दूसरा और पत्र है, जो मैसेज पर, संदेश पर आधारित नहीं है। यह पत्र है जोइण्ट सैक्रेटरी, मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स का, उन्होंने लिखा है, मैं उद्धृत कर रहा हूं—

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए बढ़ती हुई मांग को देखते हुए श्री मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो देना सम्भव नहीं होगा।"

[हिन्दी]

यह केन्द्र का निर्देश है ।···(**व्यवधान**)···लास्ट लाइन यह है कि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाए और सुरक्षा का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

सवाल यह है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वापस लेने के बारे में गृह मंत्री ने श्री चन्द्रशेखर को गुमराह क्यों किया ? श्री चन्द्रशेखर ने यह सदन में कहा क्या गृह मंत्री को पता नहीं था या जानबूझकर उन्होंने गलत सूचना दी ? अगर पता नहीं था तो यह उनके क्रियाकलाप पर बहुत ही कठोर टिप्पणी है और अगर पता था और उन्होंने जानबूझकर श्री चन्द्रशेखर जी को गलत जानकारी दी तो विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री को इस सम्बन्ध में बुलाया जाए और वह सारी स्थिति स्पष्ट करें ।

एक बात मैं फिर दोहराना चाहता हूं । मैं इस बार लखनऊ से चुनकर आया हूं लेकिन मैं तकल्लुफ नहीं बरतूंगा । अध्यक्ष महोदय, एक पारिपाटी हो गई है, इस सदन में, कि प्रदेश सरकार को बिना सुने हुए, बिना तथ्य इकट्ठा किये हुए प्रदेश सरकार के बारे में कुछ कह दिया जाता है, सदन के नेता लोक सभा में पहली दफा आये हैं, शायद उन्हें तौर तरीकों का पता नहीं है ।

उस दिन उधर से एक माननीय सदस्य ने अयोध्या का मामला उठाया था और सदन के नेता का जो उत्तर था वह ऐसा था जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कोई धमकी दी जा रही है । क्या वह पता नहीं लगा सकते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई कानून ला रही है या नहीं ? या जमीन को एक्वायर करने के लिए कदम उठा रही है या नहीं उठा रही ? यहां खड़े होकर यह कह देना कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर ऐसा करेगी तो उसका नतीजा वैसा होगा, यह तरीका नहीं है केन्द्र और राज्यों के संबंधों को ठीक ढंग से रखने का । उत्तर प्रदेश की सरकार किसी की दया पर चुनकर नहीं आई है, वह भी जनसमर्थन से चुनकर आई है और वह सरकार अल्पमत में नहीं है, अपने बहुमत के बल पर शासन कर रही है । वह संविधान के अनुसार काम करेगी, वह कानून के अनुसार काम करेगी ।

एक मैम्बर खड़े होकर कुछ कहें, स्वाभाविक है, जीरो ऑवर में हम सब अपनी बात कहते हैं, सरकार की प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि हम तथ्यों का पता लगायेंगे और फिर सदन में आकर अपनी बात कहेंगे···यह नहीं कि मामला बीजेपी की सरकार से सम्बन्धित है, तो खड़े होकर आप जो चाहें कह दें ।

मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सुरक्षा के मामले में गृह मंत्री जी जवाब दें । (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बारे में कुछ कहना है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह रैगुलर डिबेट नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह रैगुलर डिबेट का सवाल नहीं है । (**व्यवधान**) यह खास तौर से उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा का सवाल है । इसलिए कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत लम्बी बात हो जाती है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसमें ऐसी कोई बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : सब बोलना चाहते हैं। आपको मौका दूं और दूसरों को न दूं।

(व्यवधान)

* **श्री चन्द्रजीत यादव** : अध्यक्ष महोदय, प्रमुख नीति का सवाल है। सुरक्षा का प्रश्न है और यह साधारण प्रश्न नहीं रह गया है। यह कोई असाधारण बात नहीं रह गई है। सुरक्षा का प्रश्न है, आप मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए। **(व्यवधान)**

जिस दिन यह प्रश्न लोक सभा में उठा था, दुर्भाग्य से उस दिन मैं सदन में नहीं था, मगर दूसरे दिन लखनऊ में मैं मौजूद था। जब यह सारी खबर अखबार से यहां की सुनीं, तो शिष्टता के नाते मैं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, श्री मुलायम सिंह, से स्वयं मिलने गया, क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रश्न इसमें शामिल था। केन्द्र और राज्य की जो भी स्थिति है, वे इस बात से काफी चिन्तित थे कि वे अपने को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना यह था कि···**(व्यवधान)**···ठीक है, बहुत से लोग डरते हैं। उनका कहना यह था, मुलायम सिंह जी ने स्वयं बताया, कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वहां सुरक्षित था, उसको कुछ सुविधायें राज्य सरकार देती थी। जैसे यातायात के साधन, पन्द्रह किलो मीटर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लोग रहते थे, उनके लिए जीप थी और कार थी तथा दो कारें थीं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोनों को वापिस मांगा। एक तत्काल उन्होंने भेज दी और तमाम यातायात उत्तर प्रदेश की सरकार ने विदड्रा कर लिए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड खुद वहां काम करने में अपने आपको सक्षम नहीं पा रहा है। वे यह महसूस करते हैं कि वे अपने कार्यों को पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वे सारी सुविधाएं विदड्रा कर ली हैं। मैंने उनसे यह भी पूछा—क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री ने आपकी सुरक्षा के बारे में आपसे कभी भेंट करके या टेलीफोन पर बात की है? उन्होंने कहा —आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न मुझसे मिले और न कोई टेलीफोन किया।···**(व्यवधान)**···इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह कहना महज कोई टैकनीकल बात नहीं है कि यहां से पत्र गया। उन्होंने मेरे सामने यहां के सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया। मैं वहां मौजूद था। फोन पर कहा गया—चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इन सुविधाओं को वापिस कर रही है, हम विचार कर रहे हैं कि अपने सिक्योरिटी गार्ड का एलाउन्स बढ़ाकर आपकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करायें। यह कहना उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल गलत है। आपने खुद पढ़ा है, जो पुलिस के सात अधिकारी थे, इन्पेक्टर या दरोगा रैंक के, उन सबको विदड्रा कर लिया है, खाली कान्सटेबल और हैड-कान्सटेबल रखे गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जो जैड श्रेणी में आते हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम नाइक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय वाजपेयी जी ने कहा, 30 अगस्त को जो पत्र मुख्यमंत्री, श्री कल्याण सिंह, ने गृह मंत्री जी को लिखा है, वह मैं आपकी अनुज्ञा से एन्क्लोजर के साथ टेबल पर रखना चाहती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना है।

श्री राम नाईक : मैं सभा पटल पर पत्र रखने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको नियमों का पालन करना है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : उसमें यह बात साफ हो जाती है, राज्य सरकार ने जो किया वह केन्द्रीय सरकार ने सूचना देने के बाद किया। यह बात साथ ही साथ समझ में आनी चाहिए, कल्याण सिंह जी को मुलायम सिंह जी ने, जब वे मुख्यमंत्री थे, अढाई महीने जेल में रखा था, यह हमारी राजनीतिक संस्कृति अलग है और उसके आधार पर हमने कोई भी बदले की भावना नहीं रखी है···(**व्यवधान**) ···कल्याण सिंह जी के उस पत्र को मैं सदन की टेबल पर * रखने की आपसे अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप नियमानुसार कार्य कीजिए। मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह पत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कह रहा हूं आप रूल्स के मुताबिक रखिए, मैं देख लूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह पत्र गृह मंत्री जी को लिखा गया है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी हमारे मित्र श्री चन्द्रजीत यादव ने जो प्रश्न उठाया था। (**व्यवधान**) मैं शुद्धि पत्र निकाल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस पत्र में कहा गया है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : राम नाईक जी, आपने जो कहा है उसको मैं नियमों के मुताबिक देख लूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मेरा इतना ही कहना है उस पत्र में, जिसका उल्लेख मैंने किया है उसमें यह लिखा हुआ है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पत्र से आपको उद्धृत करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं जब तक कि यह···

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो कहा गया है, जो सारी जानकारी लोक सभा में उस दिन आई है वह तथ्यों के आधार पर नहीं है। ऐसा पत्र जो लिखा है,

*चूंकि अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक अनुमति नहीं दी अतः पत्र/कागजात सभा पटल पर रखे गए नहीं माने गए।

मैं चाहूंगा कि सरकार और साथ ही साथ चन्द्रशेखर जी जो इस समय सभा में नहीं हैं, और गलत जानकारी के आधार पर शायद उन्होंने यह किया होगा। सदन से एक क्षमा याचना करके इस सदन का गौरव बढ़ाया जाना चाहिए (**व्यवधान**) साथ ही गृह मंत्री का इस बारे में वक्तव्य है।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, मैं यहां हस्तक्षेप करना चाहता हूं। सबसे पहले यह कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव का एक पत्र समाचार-पत्र में प्रकाशित किया गया। दूसरे, इस सभा में संसद सदस्यों को भारत सरकार के गृह मंत्री को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक गोपनीय संदेश, जो 'जेड' श्रेणी के एक व्यक्ति की सुरक्षा से सम्बन्धित है, कैसे परिचालित किया गया ? महोदय, यह एक गोपनीय दस्तावेज है। उनके हाथ में यह कैसे आ गया ? महोदय, क्या उन्होंने सरकारी गोपनीय अधिनियम के अन्तर्गत यह अपराध नहीं किया है ? क्या यह सरकारी गोपनीय अधिनियम का उल्लंघन नहीं है ? यह उनके हाथ में कैसे आ गया ? (**व्यवधान**) महोदय, यह मुद्दा स्पष्ट है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको इसे पढ़ना नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो उन लोगों को दिए जाते हैं जो एक विशेष श्रेणी के हैं। **इण्डियन एक्सप्रेस** में जो संदेश प्रकाशित हुआ है उसके लिए मुझे अनुमति दी जाए··· (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, सदन के नेता को इस बात की जांच करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भारत के गृह मंत्री को भेजी गई गोपनीय सूचना कुछ संसद सदस्यों के हाथ में कैसे आ गई (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय वाजपेयी जी के इस कथन के सम्बन्ध में आपकी और वाजपेयी जी की अनुमति से दो शब्द कहना चाहूंगा। मैं सदैव सभी से कुछ सीखने का उत्सुक रहता हूं और वाजपेयी जी से मुझे कुछ सीखने को मिले, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सौभाग्य होगा। लेकिन मैं आपसे यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि पार्लियामेंटरी प्रेक्टीस एण्ड प्रोसीजर हम अपनी क्षमता के अनुसार ही आत्मसात कर सकते हैं और उस पर हम यहां आचरण कर सकते हैं। एक बात मैं यहां स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जितना थोड़ा समय मुझे यहां पर सदन के नेता के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला है, मैंने किसी भी प्रदेश सरकार के बारे में कोई बात अपनी ओर से नहीं कही है, सिवाय इसके कि सम्बन्धित मंत्री का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूंगा और उनसे कहूंगा कि वे जानकारी दें और सदन में प्रस्तुत करें।

जहां तक आपने इस विषय पर कहा कि एक माननीय सदस्य ने बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का सवाल उठाया और आपने धमकी दे डाली। मैं आदरणीय वाजपेयी जी से निवेदन करूंगा कि

कृपया मेरे वक्तव्य को देखने की कृपा करें। मैंने किसी सरकार का नाम तक नहीं लिया है और उस वक्तव्य में मैंने केवल यही बात कही है, मैंने जिस संदर्भ में कहा है, उसको सुनने की कृपा करें। मैंने इस संदर्भ में कहा है कि कोई भी विषय, जिससे देश के अन्दर उथल-पुथल है, हुई है और हो सकती है, ऐसा विषय बहुत संजीदगी और सूझ-बूझ से हल करना चाहिए। आपसी समझौते से या किसी न्यायिक प्रक्रिया से इसका हल निकालना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता और कोई डेस्परेट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो डेस्परेट सिचुएशन की तो कोई डेस्परेट रेमीडी ही होगी, इतनी बात मैंने कही थी और मैं आज इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं, क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति या किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं है, यह समूचे भारत की सुरक्षा, एकता और भविष्य को सुरक्षित करने से सम्बन्धित बात है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सरकार में हो या न हो, उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे संवेदनशील विषय पर ऐसा नजरिया अपनाएं, ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं, ऐसे कदम उठाएं, जिससे भारत की एकता के लिए कोई खतरा पैदा न हो।

जहां तक सदन में यह कहा गया कि हम किसी प्रदेश शासन के बारे में बात नहीं कह सकते और नहीं कहनी चाहिए, तो मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय कि आप इस बारे में भी विचार करेंगे कि क्या इस सदन में कोई माननीय सदस्य किसी प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर दे सकता है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि जब माननीय गुरूदेव अटल जी ने सवाल उठाया तो मैं यहां नहीं था। मुझे खेद है कि उस दिन जो बात मैंने कही थी, आज समाचार पत्रों से ऐसा लगता है कि तथ्य उससे कुछ अलग थे, लेकिन मैं उस विवाद में पड़ना नहीं चाहता। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस विवाद से कहीं सुरक्षा का मामला पीछे न रह जाए। श्री अटल जी ने और माननीय सदन के नेता ने, दोनों ने आश्वासन दिया है और मुझे विश्वास है कि वह सुरक्षा बनी रहेगी। मैं अटल जी को आपके जरिए एक ही विश्वास दिलाता हूं कि मेरी कोई मंशा प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने की नहीं थी और न आज है। जो तथ्य उस दिन हमारे सामने आए थे और साधिकारिक आए थे, इसी-लिए उन तथ्यों को मैंने यहां पर रखा। मुझे दुख है कि उन तथ्यों में कुछ हेर-फेर है, ऐसा लग रहा है समाचार पत्रों को देखकर, लेकिन वे तथ्य भी सही हो जाएंगे और जो वास्तविक समस्या है, उस ओर उत्तर प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का, दोनों का ध्यान सही रूप में जाएगा और सुरक्षा की जो सुविधाएं मुलायम सिंह जी को हैं, उनमें कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जैकब आप कुछ कहना चाहते थे। क्या आप अभी कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप कोई वक्तव्य देने जा रहे हैं?

श्री एम० एम० जैकब : जी नहीं।

महोदय, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के बारे में राज्य सभा के मेरे भूतपूर्व सहयोगी श्री अटल बिहारी वाजपेयी और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने जो गम्भीर मुद्दा उठाया है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। **(व्यवधान)** उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के बारे में भारत के गृह मंत्री ने जांच करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को सुरक्षा देने की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं इस बात का इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि इस मामले पर सीधे कार्यवाही की गई थी और उन्हें यह कहा गया था कि श्री मुलायम सिंह यादव को सुरक्षा दी जाए। जिस बात का यहां बाद में उल्लेख किया गया है वह सबसे पहले हुई थी और मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। **(व्यवधान)**

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। इस समय बहुत अव्यवस्था है।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं व्यवस्था लाना चाहता हूं।

माननीय सदस्य श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गृह मंत्री को लिखा गया पत्र सभा पटल पर रखा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नहीं रखा है।

श्री ई० अहमद : नियम 369 के अन्तर्गत यह सार्वजनिक दस्तावेज है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य के पास यह पत्र है जो कि मुख्यमंत्री अथवा गृह मंत्री के लिए विशेष दस्तावेज है। यह विशेष दस्तावेज है। यह गोपनीय सरकारी मामला है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के गृह मंत्री को लिखा था। वह उनके हाथ में कैसे चला गया ? हम इस बारे में भी जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद सभा में पत्र प्रस्तुत करने और उन्हें सभा पटल पर रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है।

मैंने कहा है कि "आप नियमों का पालन करें। मैं देखूंगा कि इसे अनुमति दी जा सकती है या नहीं।"

(व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : नियमों के अनुसार स्रोत बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ई० अहमद : यह विशेष दस्तावेज है। नियमों के अनुसार वह इसे सभा पटल पर कैसे रख सकते हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : यह गोपनीय दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी के कुछ संसद सदस्यों के हाथ में कैसे आ गया ? इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

इस सम्बन्ध में प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। प्रक्रिया का पालन करके ही पत्र इस सभा में रखे जा सकते हैं। यदि ठीक प्रकार से प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो सभा पटल पर पत्र नहीं रखे जा सकते है। सभा पटल पर अभी कागजात नही रखे गए हैं। उन्हें प्रक्रिया का पालन करना होगा। तभी कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

आपको इस बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम विलास पासवान।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही संवैधानिक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर खींचना चाहता हूं। इलेक्शन कमिश्नर का संवैधानिक पद है। जो वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर हैं, वे 26 अगस्त तक छुट्टी पर थे और जब छुट्टी पर थे तो यह कहकर गए थे कि उनके बदले में श्री भल्ला जी उनका कार्य संभालेंगे। 26 अगस्त के बाद न तो उन्होंने लीव को एक्सटेंड किया, न ज्वाइन किया और न रिजाइन किया। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहिए कि भल्ला जी भी 30 अगस्त को रिटायर हो गए। प्रेजीडेंट, स्पीकर, ज्युडिशियल हैड और इलेक्शन कमिश्नर के संवैधानिक पद हैं जो एक मिनट भी बिना जवाबदेही के नहीं चल सकते। किसी को जवाबदेही के लिए रखना होगा। 26 अगस्त से लेकर आज तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद को संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इससे ज्यादा कांस्टीच्युश्नल क्राइसिस और क्या हो सकता है। हम सब लोग यहां बैठे हुए हैं। मैं, सदन के नेता से आग्रह करूंगा कि इमिजिएट वहां किसी व्यक्ति को डेप्युट कीजिए और लॉ मिनिस्ट्री से किसी को कीजिए। इलेक्शन कमीशन हैडलैस और शेपलैस बन गया है इसलिए इसकी आपूर्ति करने का काम कीजिए। यह कोई मामूली चीज नहीं है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० जी० नारायणन।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अगर रेस्पांड नहीं कर सकते तो एश्योरेंस तो दे सकते हैं।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अब उठा रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कृपया सभा के नेता उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा के नेता के साथ अन्याय है। आप सभा में राज्य सरकार तथा कुछ संगठनों के बारे में मुद्दे उठा रहे हैं। साथ ही उन्हें कुछ समय के दिए बिना आप उनसे उत्तर चाहते हैं। जब वह आपके अनुरोध पर विचार करते हुए उत्तर देंगे तब भी आप कुछ कमियां निकालेंगे।

इस प्रकार कार्य नहीं चल सकता। मंत्री महोदय को सूचना दिए बिना आप इस प्रकार मुद्दा उठा रहे हैं। मंत्री महोदय के पास जानकारी नहीं है और आप अभी उत्तर चाहते हैं।

मैंने यह मुद्दा उठाने की आपको अनुमति दी है। आपने इसे उठाया। शायद मंत्री महोदय ने भी इसे नोट कर लिया होगा। यदि मंत्री महोदय चाहेंगे तो इसका उत्तर देंगे। लेकिन हर समय आप सदन के नेता अथवा मंत्रियों से उत्तर की मांग नहीं कर सकते हैं। इससे गलतियां हो सकती हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) कभी-कभी कोई मंत्री महोदय से उत्तर की आशा कर सकता है।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, दो दिन पूर्व तमिलनाडु में रामेश्वरम के चार मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया और उनके नौकाओं को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यह कोई पहली घटना नहीं है जबकि भारतीय मछुआरों पर श्रीलंका की नौसेना ने हमला किया हो। पहले भी श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के मछुआरों को मारा है। उन्होंने कई मछुआरों को बन्दी बनाकर उन्हें यंत्रणा दी है और उनके नावों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। भारत और श्रीलंका द्वारा 1974 में किये गए समझौते के तहत तमिलनाडु के मछुआरों को मछली मारने का अधिकार दिया गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि तमिलनाडु के मछुआरे कच्छथिवु द्वीप के पास नहीं जा सकते हैं और श्रीलंका की सरकार द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को मछली मारने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

इस प्रकार श्रीलंका की सरकार हमेशा 1974 के समझौते की भावना के विरुद्ध कार्य करती है। इसलिए 1974 के समझौता को रद्द कर दिया जाना चाहिए और कच्छथिवु द्वीप को फिर से अपने अधिकार में ले लिया जाना चाहिए ताकि भारतीय मछुआरों के हितों की रक्षा हो सके।

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार निवेदन किये जाने के बावजूद भी भारत सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं।

मैं भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि श्रीलंकाई नौसेना की गोलीबारी में जिन भारतीय मछुआरों के जान-माल की क्षति हुई है सरकार उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग श्रीलंका की सरकार से करे। तमिलनाडु के मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए कच्छथिवु द्वीप पर फिर से अपना नियंत्रण कायम करने के लिए भारत सरकार द्वारा हरसंभव कदम उठाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, विज्ञापनों के आधार पर देश में चाकलेट्स की बिक्री बढ़ी है। इसकी खपत को देखते हुए लखनऊ में पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला ने अभी-अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है इन चाकलेट्स के विषय में। उसमें बताया गया है कि चाकलेट्स में कासौनी-जोनिक धातु पाया गया है। जिसका अनुपात प्रति यूनिट चार माइकोग्राम तक पर्याप्त है, लेकिन इसमें यह धातु सौ से छः सौ माइकोग्राम तक पाई गई। जिससे आर० एन० ए० नाम की जो शक्तियां हैं वे अवरुद्ध होती हैं। उसके कारण शरीर में कैंसर पैदा हो सकता है। इस प्रकार की टिप्पणी उस प्रयोगशाला ने प्रस्तुत की है। मेरा निवेदन करना यह है कि इसके पूर्व भी पेय पदार्थों रसना और लिम्का-आरेंज में बी० वी० ओ० पाया जाता था। लोक सभा में बार-बार चर्चा के बाद इन कम्पनीज ने यह विज्ञापित किया कि रसना और लिम्का तथा आरेंज में यह बी० वी० ओ० मिलाकर सारे हिन्दुस्तान में इनको बेचा जा रहा है ताकि इसके मिलाने से स्वाद बढ़ सके। मैं आपके माध्यम से चाकलेट्स के बारे में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों में इसके प्रयोग से कैंसर की बीमारी पैदा होने की सम्भावना

हो सकती है, जवान भी इसका प्रयोग करते हैं, तुरन्त इस पदार्थ को रोकिये।

इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है कि दिल्ली और अन्य राज्यों में इन पदार्थों में पाई जाने वाली इस धातु का जो मिश्रण होता है उसकी रोकथाम के लिए सरकार तुरन्त अनुसंधान शालायें स्थापित करे और इसको रोकने का तुरन्त उपाय करे।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर): महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सभा के समक्ष उड़ीसा के पुरीधाम स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जो ऐतिहासिक स्मारक है, की सुरक्षा एवं संरक्षण का मामला रखना चाहता हूं। यह बहुत ही पवित्र स्थल है और यह विश्व के सभी धार्मिक संस्कृति और परम्पराओं के संगम को व्यक्त करता है। इसकी कार समारोह पूरे विश्व में सबसे बड़ी समारोह है। राज्य के और सुदूर देशों के लाखों तीर्थ यात्री प्रतिदिन इस विशाल मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शनार्थ आते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि उस मन्दिर को बर्बाद किया जा रहा है। मंदिर के क्षति-ग्रस्त होने की पूरी सम्भावना और आशंका है। शिलाखंडों को सहारा देने के लिए अन्दर से लगी लोहे की छड़ों में जंग लग गया है। मन्दिर के छत में लगे बड़े शिलाखण्डों के गिरने की पूरी संभावना है। 1988-89 में एक बड़ा शिला खण्ड छत से टूट कर गिर पड़ा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग वहां विगत दस वर्षों से है। लेकिन मन्दिर के मुख्य भाग की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस स्मारक मन्दिर को क्षति से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उदाहरण के लिये मैं एक बात कहना चाहता हूं। विश्व भर में शिल्प की दृष्टि से आश्चर्यजनक कोणार्क का सूर्य मन्दिर लवणीय प्रभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। इसलिये, महोदय, आपके माध्यम से मैं इसके प्रभारी माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वे विशेषज्ञों के एक दल के साथ इस मंदिर का दौरा करें और यह देखें कि किस तरह इस मंदिर को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं।

पिछले कई सालों से देश में बोफोर्स स्कैंडल के बारे में एक आंदोलन खड़ा हुआ है उसको लेकर मेरा कहना यह है कि लगता है उस स्कैंडल को भुला दिया गया है लेकिन इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली होई कोर्ट की तरफ से जो फैसला था, उसको काट के

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय ने यह पाया कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तर्कों को तोड़ मरोड़ कर निर्णय दिया गया है।

[हिन्दी]

मेरा कहना यह है कि बोफोर्स स्कैंडल के बारे में अखबारों में कहा जाता है कि 64 करोड़ का मामला है, असल में यह 1400 करोड़ का मामला है। अब सवाल यह है कि बोफोर्स स्कैंडल के बाद यह भारत की जिम्मेदारी हो जाती है और नैतिक तथा पवित्र जिम्मेदारी हो जाती है जबकि लोगों के दिमाग में यह भावना आ गयी थी कि भारत सरकार को इसकी खोज करने, उसकी पूरी जांच-पड़ताल और

इन्वैस्टीगेशन करने का जो काम होना चाहिये, वह नहीं किया है। लोगों में संदेह है और इसलिए मैं आपका और पूरे देशवासियों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। जिस तरह से 6 महीने तक इस क्रिमिनल केस की इन्वैस्टीगेशन की ओर ध्यान देना चाहिये, वह भारत सरकार ने नहीं दिया है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार दोषी है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके ध्यान में यह सवाल ला रहा हूं कि यह संयोग की बात है कि स्वीडन में नोबल इण्डस्ट्रीज दिवालिया होने के बाद और बोफोर्स गन फैक्टरी—ये दोनों सरकार के तहत चले गये हैं। इसलिए ये पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हो गये हैं तो दोनों स्तर से भारत सरकार से जानना चाहता हूं और सदन को बता देना चाहता हूं कि स्वीडन में एक जन आंदोलन खड़ा हो गया है। वहां स्वीडिश पीस एण्ड आर्बीट्रेरी सोसायटी के नेता वैस्टेंडर हैं, वे स्वीडिश सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इसके बारे में जो कलपरिट्स हैं, उनके नाम बतलाइये। इसलिए वहां आंदोलन शुरू हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगता है भारत सरकार इसके बारे में मौनव्रती है। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि क्योंकि नोबल इण्डस्ट्रीज वहां की सरकार के तहत चली गई है, इसलिए यह सरकार का काम है कि स्वीडिश सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करके उन्हें सारे कर्लप्रिट्स के नाम बताने के लिए कहें।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार, कांग्रेस की सरकार है, उसने इसको नजरअन्दाज किया था और इसका श्रेय वी० पी० सिंह की सरकार को जाएगा कि इसके बारे में एफ० आई० आर० और लेटर रोगेटरी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना है। इसलिए मैं कहूंगा कि स्वीडन सरकार से कहें कि सारे कर्लप्रिट्स का नाम बताएं और स्विटजरलैंड में भी इसकी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भारत सरकार उचित कार्यवाही करे। मैं अर्जुन सिंह जी से कहूंगा कि इस बारे में भारत सरकार क्या कर रही है, देशवासियों को और सदन को इस बारे में कान्फिडेन्स में लें।

श्री मदन लालखुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, 5 सितम्बर को टीचर्स डे है। उस दिन राष्ट्र और सरकार तथा देशवासी, अध्यापकों की सेवाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मेरा आग्रह है कि इस दिनस पर सरकार दिल्ली के अध्यापकों के लिए चट्टोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट लागू करे।

अध्यक्ष जी, चौथे वेतन आयोग का जब गठन हुआ था, उस समय अध्यापकों को कहा कि चट्टोपाध्याय कमीशन बैठ गया है इसलिए फोर्थ पे कमीशन उस पर बात नहीं कर रहा है। 1985 में इस चट्टोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी और आज 1991 हो गया है, अभी तक यह रिपोर्ट लागू नहीं हुई। मैं इसमें केवल दो बातें कहना चाहता हूं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस समय दिल्ली के टीचर्स को 15 रुपया मेडिकल अलाउन्स दिया जाता है, केवलमात्र 15 रुपया। अगर पति-पत्नी दोनों टीचर हैं तो एक को मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष जी, चट्टोपाध्याय कमीशन ने कहा है कि 7.5 प्रतिशत मेडकल अलाउन्स मिलना चाहिए।

दूसरी बात, मुझे यह कहनी है कि 24 साल की सर्विस के बाद टीचर्स को सेलेक्शन ग्रेड मिलना चाहिए यह चट्टोपाध्याय कमीशन ने कहा, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। इससे जो स्टेगनेशन हो जाता है, उसके कारण टीचर्स की रुचि खत्म हो जाती है। तीसरी उनकी मांग यह है कि टीचर्स अलाउंस वेतन के अन्दर मिलाया जाए। एडेड स्कूल्स की अपनी समस्या है। एक समय था कि दिल्ली के टीचर्स

की पे सारे हिन्दुस्तान के अन्दर ज्यादा हुआ करती थी । आज स्थिति यह आ गई है कि दिल्ली के टीचर्स का नम्बर 13वां या 14वां हो गया है सारे प्रदेशों के अन्दर । मैं चाहूंगा कि जो 5 तारीख को टीचर्स डे है, उस दिन सरकार की ओर से टीचर्स को तोहफे के रूप में सदन के नेता, जोकि मानव संसाधन विकास मंत्री भी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि "आन द ईव आफ टीचर्स डे" वह घोषणा करें ताकि आफ्टर जो टीचर्स हैं जिनको इज्जत मिलनी चाहिए, जो आज बोट क्लब पर हजारों टीचर्स धरने पर बैठे हैं, माननीय अर्जुन सिंह जी अगर अपना कुछ वक्तव्य दें तो दिल्ली के टीचर्स और देश के टीचर्स इस बारे में कुछ राहत ले सकेंगे ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर चर्चा हो ।

(व्यवधान)

12.43 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की मांगें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 516/91]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला विवरण

कार्मिक, जन शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : मैं श्री सीताराम केसरी की ओर से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाले एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 517/91]

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इन पत्रों को सभा पटल पर रखने के मामले पर भी इनका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं मन्त्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही 45 मिनट का समय दे दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। मैं मन्त्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि व्याख्यात्मक विवरण जिसे वह आज सभा पटल पर रखना चाहते हैं उसमें विलम्ब का क्या कारण है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें। श्री आचार्य, आप सहयोग नहीं दे रहे हैं। जैसाकि आप जानते हैं कि कृषि मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर आज चर्चा हुई। मैंने उन विषयों के लिये 45 मिनट का समय दिया था जिसे कार्य सूची में शामिल नहीं किया गया था और उसके बाद भी आप इसे जारी रखना चाहते हैं।

जहां तक कोयला और अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, उस मामले को सदन में पहले भी उठाया गया था। आपने मन्त्री जी से वक्तव्य देने को कहा था। मन्त्री जी ने उस पर अपना वक्तव्य दिया था। आपने छूट देने की बात कही थी और वह दी गई। और तब उस मामले पर भी थोड़ी चर्चा हुई थी। आप फिर उस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं और दूसरे मुद्दों उठाने नहीं दे रहे हैं?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक के वक्तव्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी बातों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि इस तरह कार्य नहीं किया जा सकता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि मैं सभा की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलाऊं या प्रत्येक सदस्यों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप। यदि आप यह चाहते हैं कि मैं नियमानुसार सभा की कार्यवाही चलाऊं तो कृपया मुझे सभा की कार्यवाही का संचालन करने दें। अन्यथा बड़ी मुश्किल होगी। मैंने कह दिया है कि इस मामले को सदन में उठाया गया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। साधारण सी बात है कि कोई एक वरिष्ठ सदस्य पूछ रहे हों और अन्य कई वरिष्ठ सदस्य भी पूछ रहे हों तो मेरे लिए यह बहुत ही कठिन हो जाता है कि मैं वरिष्ठ सदस्यों को हां या नहीं में जवाब दूं। मुझे मन्त्री से एक वक्तव्य प्राप्त हुआ, सभा

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में उस पर चर्चा हुई और कुछ छूट दी गई। मान लो कि जितना दिया गया है उससे आप संतुष्ट नहीं है तो मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह उन सदस्यों से बातचीत करें जो इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। आप कृपया उनके कक्ष में जायें। मैं उनसे कहूंगा कि वह आप से मिलें, आपकी बात सुनें यदि इस संबंध में कुछ भी किया जा सकता है तो करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल इस कारण कि आपका एक अपना दृष्टिकोण है, आप सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकते। सभा की अन्य कार्यवाही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा है कि मन्त्री जी आपसे अपने कक्ष में मिलेंगे और इस मामले पर विचार-विमर्श करेंगे और मन्त्री जी को वह सब करना चाहिये जो संभव और आवश्यक है। कृपया मंत्री जी के कक्ष में जायें और इस मामले पर विचार-विमर्श करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष और सभा के प्रति अन्याय है। सभा का प्रत्येक सदस्य सभा की कार्यवाही अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है। मुझे बहुत खुशी होती यदि मैं आपको अपने साथ लेकर चल सकूं। लेकिन यह सम्भव नहीं है। हर बार आप खड़े हो जाते हैं और प्रत्येक सदस्य यह चाहता है कि सभा की कार्यवाही उनकी इच्छानुसार चले। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो करें। यह बहुत ही गलत है। यह अध्यक्ष सभा के सदस्यों और सभा के प्रति अन्याय है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इनमें किसी एक एक एम० पी० को आप सुन लीजिए, सारा मामला सुलझ जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही अन्यायपूर्ण है। सभा पटल पर पत्रों को रखने की अनुमति मुझे देने दें। बाद में एक सदस्य इस पक्ष के और दूसरे पक्ष के एक सदस्य को बोलने का मौका दूंगा। ध्यान रहे कि यह बहुत पूर्वोदाहरण है। इसका अनुसरण नहीं किया जाना चाहिये। यह सभा आपकी है, समय और प्रक्रिया आपकी है पर किसी भी ऐसी बात को सीमा से इतना बाहर न जाने दें। यह आपके हित में नहीं है। आज यदि आप ऐसा करते हैं तो कल इस तरफ का कोई सदस्य ऐसा करेगा तथा अगले दिन दूसरी तरफ के सदस्य ऐसा कर सकते हैं तथा हर बार ही पीठासीन अधिकारी तथा इस सभा को आपकी इच्छानुसार कार्य करना पड़ेगा। अतः वरिष्ठ सदस्यों का यह दायित्व बनता है कि वे इस बारे में अत्यधिक सतर्क रहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डे (केसरगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां से चिल्ला रहा हूं, आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं लिख कर दे रहा हूं, यहां खड़ा होकर अपनी बात कहना चाहता हूं, आप सुनने को तैयार नहीं हैं, तो फिर लोक सभा का सदस्य होने का क्या मतलब है? जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक मैं खड़े होकर बोलता रहूंगा, आप मुझे बाहर निकलवा दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप वहां क्या कर रहे हैं ? अब कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ? यदि आप कोई महत्वपूर्ण मामले के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो इस पर हम कल विचार कर सकते हैं । कृपया आप उत्तेजित मत होइये । यदि हर सदस्य उत्तेजित हो जायेगा तो हरेक का धीरज टूट जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय हम कल देखेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है ।

श्री राम नाईक : मंत्री महोदय सभा पटल पर जो वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, मैं उसी संबंध में व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं । संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश के बारे में है अर्थात् जोकि कार्यसूची में क्रम संख्या तीन पर है ।

दिनांक 19 अप्रैल को इसी आदेश के बारे में एक अध्यादेश पारित किया गया था उसे एक विधेयक का रूप दिया जाना चाहिए था । हमने यह विधेयक अन्तिम दिन पारित किया था । छः सप्ताह के अन्दर ही अध्यादेश को विधेयक का रूप देना होता है । अन्तिम दिन सत्ता पक्ष ने विधेयक प्रस्तुत किया तथा हमने दिनांक 19 अगस्त को इस विधेयक को पारित कर दिया । परन्तु दिनांक 20 अगस्त को ही अध्यादेश व्यपगत हो गया । राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था । तत्पश्चात् सरकार ने एक दूसरा अध्यादेश जारी किया ।

आपको स्मरण होगा कि आपने विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए उन्हें सात दिवस का समय दिया था । हमें विधेयक के नोटिस के लिए दो दिवस का समय मिलता है । हमें उतना समय भी नहीं दिया गया । उस समय हमने इस पर आपत्ति की थी । वह विधेयक विशेष जिसे इस सभा ने पारित किया था, उससे सम्बद्ध अध्यादेश 20 अगस्त को ही व्यपगत हो गया था तथा राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था । अतएव सरकार ने 20 अगस्त को एक दूसरा अध्यादेश जारी किया था । उस विधेयक को राज्य सभा में भेज दिया गया । राज्य सभा ने इसे पारित कर दिया । दिनांक 20 अगस्त को जारी किये गये उस अध्यादेश विशेष को दिनांक 26 अगस्त को सभा पटल पर रखा गया अर्थात् छः दिन के पश्चात् उसे रखा गया था ।

इसके पश्चात् राज्य सभा द्वारा विधेयक को पारित कर दिया गया । तारीख 29 अगस्त को भी इसे सभा पटल पर रखा गया । अध्यादेश जारी करने के कारणों का उल्लेख करने वाले ज्ञापन को सभा पटल आज पर रखा जा रहा है । अर्थात् तेरह दिन के पश्चात् इसे रखा जा रहा है । दिनांक 19 अप्रैल को मूल अध्यादेश जारी किया गया था तथा सरकार द्वितीय अध्यादेश जारी करने के कारणों का उल्लेख आज कर रही है । वास्तव में यह अकुशलता है । मैं आशा करता हूं कि आपको इस सभा की मर्यादा तथा हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए । यह पहले से ही नहीं मान लिया जाना चाहिए कि यह सभा इसे स्वीकार कर लेगी । सरकार की अकुशलता के लिए मन्त्री महोदय को स्पष्टीकरण देना चाहिए तथा सभा से मांफी मांगनी चाहिए । इसके पश्चात् ही मन्त्री जी को सभा पटल पर पत्रों को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए । मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न यही है ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का सवाल है कि हम अध्यादेश

को पारित क्यों कराना चाहते हैं, मेरे विचार से माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं है। यह केवल औचित्य का प्रश्न है तथा यह कभी भी वास्तव में निषेधाज्ञा सम्बन्धी प्रश्न नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि हमें इसे पारित करना जरूरी था क्योंकि राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था यद्यपि हमने वास्तव में इसे अर्थात् 19 अगस्त को पारित भी कर दिया था चूंकि राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था, इसीलिए अध्यादेश को पारित करने के सिवाय हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। यह विधेयक इस सभा तथा राज्य सभा दोनों द्वारा पारित कर दिया गया है तथा इस समय यह कानून का रूप धारण कर चुका है।

श्री राम नाईक : नहीं, इसने अभी कानून का रूप धारण नहीं किया है। यह एक संशोधन के साथ वापस आ गया है। इस सभा में उस संशोधन पर चर्चा की जानी है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : इस अध्यादेश पर वास्तव में उतना जोर देने की आवश्यकता नहीं है जोकि केवल समय लम्बा करने के लिए दिया गया है यह सच है, जिसे माननीय सदस्य ने इंगित किया है कि हमें इसे तुरन्त ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर देना चाहिए था यद्यि सेसा जरूरी नहीं है कि इसे तुरन्त ही उसी समय के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस विशेष मामले में लोक सभा का सत्र तो चल ही रहा है। जहां तक राज्य सभा के सत्र का सम्बन्ध है 26 तारीख को ही सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी तथा उसी दिन ही इसे प्रस्तुत कर दिया गया था। यह ठीक है कि हमें इसे तुरन्त ही, संभवतः अगले दिन ही पारित कर देना चाहिए था परन्तु मुझे माननीय मंत्री जी का वह कथन याद है जब वह यह जिक्र कर रहे थे कि विधेयक को पारित किया जा रहा है तथा इसकी खामियों को दूर करने के लिए ही इस अध्यादेश को इसके माध्यम से लाया गया है। खैर माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया है तथा सरकार ने उस पर ध्यान भी दिया है। इसे यह कार्य अगले दिन शीघ्र ही सामान्य कार्यवाही के दौरान कर दिया जाना चाहिए था।

1.00 म० प०

श्री राम नाईक : यदि कार्य दिवसों में इस कार्य को करने में विलम्ब किया जायेगा तो मैं उसे समझ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे जो कहना है, मैं वही कह रहा हूं। आपने इस मामले को उठाया है। सभा की एक समिति है जिसे सभा-पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति कहा जाता है। अब यह देखना उसी समिति का कार्य है कि पत्रों को रखने में क्या कोई अनुचित विलम्ब हुआ है अथवा नहीं तथा हिन्दी संस्करण प्रस्तुत न करने के कारणों सम्बन्धी वक्तव्य भी दिया गया है तथा ऐसे कारण संतोषजनक हैं। वह समिति ही अब यह कार्य करेगी। इस समय यह समिति·····

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, इस समय ऐसी कोई समिति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने इस मुद्दे को उठाया है तथा मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही इस समिति का गठन किया जायेगा तथा इस मामले को समिति के समक्ष रखा जायेगा तथा समिति ही इस मामले को देखेगी।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आगे और अधिक कुछ न कहते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हमने वास्तव में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह देखना समिति का कार्य है तथा यदि समिति सन्तुष्ट हो जाती है तो वह आपको इस बारे में लिखेगी ।

(व्यवधान)

1.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदान मांगें

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों को विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 518/91]

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदान मांगें

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 519/91]

डाक विभाग की वर्ष 1991-92 की अनुदान मांगें

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : मैं डाक विभाग की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 520/91]

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदान मांगें

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 521/91]

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदान मांगें

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगें की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 522/91]

महासागर विकास विभाग की वर्ष 1991-92 की अनुदान मांगें

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : मैं महासागर विकास विभाग की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 523/91]

संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1991-92 की अनुदान मांगें

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोटदुखे) : मैं संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 524/91]

1.02 प० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्रम उपमन्त्री (श्री पवन सिंह चाटोवार) : तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा 28 फरवरी, 1987 को दिये गये अपने बजट भाषण में की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में, सरकार ने अगस्त, 1987 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग गठित किया था। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक ढांचे के संदर्भ में ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक तथा कामकाजी परिस्थितियों का अध्ययन करने और उन पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। आयोग को उन विद्यमान विधायी प्रावधानों का भी अध्ययन करना था जिन्हें ग्रामीण श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था और उसका उद्देश्य उन प्रावधानों को अधिक कारगर बनाने के लिए उपायों का सुझाव देना भी था।

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने 31-7-91 को सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में ग्रामीण श्रमिकों के बहुमुखी विकास के लिए सामान्य विकास प्रयासों, सामाजिक, आर्थिक तथा वैधानिक उपायों और संस्थागत तंत्र से सम्बन्धित अनेक सिफारिशें की गई हैं।

इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से पूर्व केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारों जहां कहीं आवश्यक हो राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके उनकी विस्तृत रूप से छान बीन किए जाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों के अवलोकनार्थ संसद की लाइब्रेरी में रख दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 525/91]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं आपका और सदन का कीमती समय एक ऐसे अनिवार्य विषय के लिए ले रहा हूं जिसको टालना सम्भव नहीं है। सारे देश के कोकिंग कोयले का 95 प्रतिशत बिहार में पैदा होता है। गत चार वर्षों में 6 करोड़ 50 लाख टन कोयला बिहार में हर साल पैदा होता

आया है, प्रतिवर्ष के हिसाब से, जिसमें 60 प्रतिशत कोकिंग कोयला है और 40 प्रतिशत दूसरे किस्म का कोयला है।

अध्यक्ष जी, 1968 ईसवी के पहले कीमत के आधार पर रायल्टी का रिवाज था। कोयला खदान के राष्ट्रीयकरण के बाद 1971-72 के बाद उसको तोल के ऊपर रखा गया जिससे कीमतें बढ़ती जाती हैं लेकिन वजन उस हिसाब से नहीं बढ़ता है। इससे बिहार घाटे में रहता आया है। इसलिए बिहार सरकार ने अलग से सैस लगाया है। उस सैस को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 25-10-89 को एक मुकदमे में रद्द कर दिया। और उसके बाद पटना हाई कोर्ट की रांची बैंच ने 6-11-1991 को आदेश दिया और उसके मुताबिक बिहार के सैस को रद्द कर दिया और यह भी आदेश दिया कि 25 अक्तूबर, 1989 से लेकर जो भी सैस वसूला गया है, वह बिहार की सरकार कम्पनियों को वापस कर दे। उसके बाद 4 मार्च, 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो बंगाल सैस एक्ट है, जिसके तहत बिहार ने यह सैस लगाया था, वह कानूनी ही असंवैधानिक है, गैर-कानूनी है इसलिए अब बंगाल के लिए भी सैस लगाना सम्भव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बिहार के मुख्य मंत्री ने अनशन का जो एलान किया था, मजबूरी में किया था, सदन में जो उठाया गया था, मजबूरी में हम लोगों ने उठाया था, सरकार ने जो राहत दी है उसमें उसने तौल का रिवाज नहीं बदला है, उसको कीमत पर नहीं रखा है, जो राहत दी है। अब इस सैस को उठा लेने से, उस राहत के बावजूद डेढ़ सौ करोड़ रुपये प्रति वर्ष का घाटा पहले के मुकाबले में बिहार को होने जा रहा है और इस साल जो बढ़ा है वह एक अगस्त से बढ़ेगा, पिछला जो समय बीत गया है उसमें 265 करोड़ रुपये का इस साल बिहार को घाटा होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो बिहार में संकट है कि पहले से भी बदतर हाल बिहार का हो गया है, जो रियायत का आपने कहा, एलान किया है, मन्त्री जी ने, इसीलिए हमारा आग्रह है कि कीमत के आधार पर रायल्टी कोयले की तय की जाय, जो कीमत का कम से कम 50 प्रतिशत हो।

सारे संसद् के लोग तो जानते होंगे, जो भाड़े का रिवाज है, खदान की बगल में चाहे वह झरिया हो या और भी खदान हो, गिरिडीह में बगल के लोगों को भी रेल का वही भाड़ा देना पड़ता है जो देश के सुदूर हिस्से में, दूरतम हिस्से में देना पड़ता है। नतीजा है कि बिहार जैसा पिछड़ा राज्य उद्योग के मामले में और भी पिछड़ा लगातार बना रह जाय, ऐसी स्थिति होती है। इसीलिए हमारा आग्रह है, आपके जरिये से, भारत सरकार से भी, पूरे सदन से भी कि इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मूल्य पर आधारित रायल्टी की दर तय करे और जो फ्रेट इक्वेलाइजेशन का मामला है, उसको खत्म करे या दूर के लिए अलग राहत दे लेकिन नजदीक वालों को दण्डित नहीं करे, इस रिवाज को अपनावे।

अध्यक्ष जी, मजबूर होकर बिहार विधान सभा के सभी कम्युनिष्ट सदस्य, बिहार विधान परिषद के सभी कम्युनिष्ट-सदस्य, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य धरने पर बैठे हैं। आपने ठीक ही कहा है, हम लोगों ने समय मांगा है, वित्त मन्त्री से हम मिलेंगे लेकिन मैं आग्रह करूंगा, सवाल सिर्फ मिलने का नहीं है, पूरे राज्य का मामला है।

बिहार में 17 किस्म के खनिज द्रव्य पैदा होते हैं, सबों में रायल्टी का मामला है। बल्कि खनिज पैदा करने वाले अन्य राज्यों के लिए भी मामला है। बंगाल का सैस रद्द होने के बाद बंगाल का भी मामला है। मेरा आग्रह है कि भारत सरकार नीति में परिवर्तन करे, उड़ीसा का भी मामला है, वही मैं कहने वाला हूं कि भारत सरकार नीति में परिवर्तन करे नहीं तो खनिज पैदा करने वाले राज्य हमेशा के लिए और भी पिछड़े रख दिये जायेंगे। यही मेरा आपके माध्यम से आग्रह है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : उड़ीसा की भी यही प्राब्लम है।

[अनुवाद]

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : उ० प्र० में दल्ला सीमेंट फैक्टरी के निजीकरण के विरूद्ध तथा 2 जून को हुई नृशंस गोलीबारी जिसमें 40 लोग मारे गए थे, की न्यायिक जांच करवाने की मांग के लिए धरने पर बैठे मजदूरों में एक आदिवासी मजदूर की लखनऊ में भुखमरी तथा ठंड लगने से मृत्यु होने के पश्चात एक गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद और केन्द्र सरकार की पर्याप्त मंजूरी के बिना, जो एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 30(ख) के विरूद्ध है, उ० प्र० राज्य सरकार सीमेंट निगम के दल्ला, चुर्क और चुनार पर स्थित तीन एकक डालमिया समूह को सौंप दिए गए थे। हालांकि, कम्पनी की कुल सम्पत्ति लगभग 412 करोड़ रुपये की है, इसे डालमिया समूह को मात्र एक करोड़ रुपये के नकद भुगतान पर सौंप दिया गया। फैक्टरी के सभी नेता इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में लगभग 200 मजदूर धरना दे रहे हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति के एक नेपाली नामक एक मजदूर की 28 अगस्त को भूख और ठंड से मृत्यु हो गयी। नेपाली के मृत शरीर को वहां पर उपस्थित उसकी पत्नी तथा रिश्तेदारों को नहीं सौंपा गया। मृत शरीर के सौंप दिए जाने की मांग करते हुए श्रीमती सुभाषिनी अली, इस सदन की भूतपूर्व सदस्य, तथा 153 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और किसी दूर-दराज के पुलिस स्टेशन पर जाकर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया और एक लोकल ट्रेन में चढ़ते हुए उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया।

31 अगस्त को लखनऊ के एक दौरे के दौरान, हम उन मजदूरों से मिले थे जो धरने पर बैठे थे। इन तीन एककों के निजीकरण के बाद उन्हें पिछले चार या पांच महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वे बहुत ही दयनीय जीवन बिता रहे हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के आधार पर इन तीन फैक्टरियों की डालमिया को सुपुर्दगी के समझौते को रद्द किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र प्रबन्ध के साथ मिलकर तुरन्त फैक्टरियों को पुनः खोला जाये और 2 जून, 1991 की गोलीबारी के बारे में न्यायिक जांच कराई जाये ताकि इस मामले का निपटारा किया जा सके। मजदूरों की एकता समिति के साथ वार्ता भी आरम्भ की जा सकती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आपके इस प्रकार हर बार उठने पर मुझे सख्त आपत्ति है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो समय प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं उस क्षेत्र के लाखों व्यक्तियों की तरफ से, जो इस वक्त बाढ़ की विभीषिका के कारण नदी के किनारे पड़े हुए हैं, आपको कांटिश: धन्यवाद देता हूं। आपको उनकी समस्या को उठाने का समय दिया।

महोदय, बहराइच जनपद में घाघरा नदी निकलती है। हमारे लोक सभा क्षेत्र में मसी, पखरपुर केसरगंज, रामनगर और दरियाबाद, ये सारे नदी के किनारे पड़ते हैं। घाघरा नदी के किनारे एक बांध बनाया गया है। उस बांध के जरिए सदा-सहायक नहर और सरयू नहर आदि निकाली गई हैं और पानी इकट्ठा करने के लिए जो बांध बनाया गया है, जब उसमें पानी अधिक होता है तो उसको खोल दिया जाता है। खोल दिए जाने के कारण ही हमारे क्षेत्र के लाखों एकड़ भूमि और जो वहां के रहने वाले निवासी हैं,

जो बांध के अन्दर पड़ते हैं, वे सब बेघर हो जाते हैं अभी पिछले दिनों वहां का पानी खोला गया, जिसके कारण लाखों एकड़ भूमि घाघरा नदी के कटाव में कट गई और सैंकड़ों ग्राम नदी के कटाव में आ गए हैं। पांच-छः ग्राम मुरडब्बा-मुंसारी तो बिल्कुल ही बाढ़ से कट गए हैं। उनको बसाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। वे चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं और बीच में जो ऊंचा स्थान होता है, वहां अपना सहारा बनाकर खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए, मन्त्री महोदय से कहूंगा कि तत्काल पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए और यहां केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में सहायता राशि दिलवाई जाए, ताकि वे मानव जो दैवी-आपदा से और कृत्रिम अवरोध, जो बांध से पानी छोड़ा जाता है, से पीड़ित हुए हैं, उनको तत्काल सहायता मिल सके और इसके साथ ही साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहता हूं कि इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

1.13 म० प०

विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंधपत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी मुद्रा में प्रेषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की और विदेशी मुद्रा बंध पत्र अर्जित करने वाले व्यक्तियों की कुछ उन्मुक्तियों का और ऐसे प्रेषणों और बंधपत्रों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष-करों से कुछ रियायतों का उपलब्ध करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विदेशी मुद्रा में प्रेषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को और विदेशी मुद्रा बंधपत्र अर्जित करने वाले व्यक्तियों को कुछ उन्मुक्तियों का और प्रेषणों और बंधपत्रों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष-करों से कुछ छूटों का उपबन्ध करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का सदन में पेश करने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध करना चाहता हूं कि यह संविधान के बिल्कुल ही विपरीत है। मैं धारा-13 और धारा-14 के अन्तर्गत आपके सामने खड़ा हूं।

अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि पिछली बार यह सवाल जब किसी और कानून के संदर्भ में आया था तब आपने मुझे यह कह कर टोका था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन धारा 13 और 14 दोनों कबूल करता है। इसलिए मैंने जो आपत्ति उठाई थी उस आपत्ति में कोई दम नहीं है और सदन में मेरे उस तर्क का विरोध करते हुए लोगों ने वही बात को यहां पर रखा था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात का स्पष्टीकरण और चाहता हूं कि इस बात का निर्णय सदन करता है या न्यायालय कि क्या कोई कार्यवाही संविधान के अनुसार है या संविधान का उल्लंघन है ?

[अनुवाद]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : मैं विधायी सक्षमता की बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

यह बात मैं आपसे कह रहा हूं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यह जानते हुए कि यह कानून संविधान के विपरीत है, हम अगर कानून को प्राप्ति करने जाएं। अब आप धारा 13 को देख लीजिए।

[अनुवाद]

"राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खण्ड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।"

[हिन्दी]

अब सवाल यह है कि क्या हमें यह कह कैसे यहां पर कानून बनाएं कि इसको विधि के अन्दर या या बाहर तय करना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का काम होगा, लेकिन हम तो संविधान के विपरीत जाकर यहां पर कानून बनाएंगे, तो यह सवाल है। इसलिए मैं धारा 13 और 14 दोनों आपके सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, सबसे पहले आप कानून के क्रियान्वयन को देख लीजिए।

[अनुवाद]

भुगतान सन्तुलन, इत्यादि के सम्बन्धी उल्लेख कहां हैं ?

[हिन्दी]

अगला देख लीजिए।

[अनुवाद]

"विदेशी मुद्रा के आकर्षण को संभव करने के लिए कुछ छूट इत्यादि देना उपयुक्त है।"

कुछ व्यक्ति विशेष के लिये, विशेष छूट, तथा विशेष रियायतें दी जाती हैं।

[हिन्दी]

अब ये क्या इम्यूनिटी है, क्या एगजम्प्शन है और कौन-कौन लोग हैं। अध्यक्ष जी, वे तीन चीजें मैं आपके सामने विरोध के संदर्भ में रखना चाहता हूं। आप अगर धारा 3 को देखें तो इसमें यह कहा गया है कि कहां से पैसा आया, इस बात को कभी भी, कहीं भी बताने का सवाल नहीं उठेगा। फिर यह कहा गया है कि कोई भी जांच नहीं की जाएगी कि यह पैसा कहां से ईमानदारी का, बेईमानी का कैसा आ

गया ? फिर 3 सी में यह कहा गया है कि कभी भी, कहीं भी यहां जो पैसा आएगा, उसके बारे में आगे या अभी चलने वाली मुकदमे में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान के अनेक अदालतों में इस वक्त अनेक मुकदमें बड़े लोगों के ऊपर हैं कोई जेल में नहीं जाता है, लेकिन कभी 10-20 सालों में या मरने के बाद मामूली दंड 10-20 सालों में होता है, ऐसे बड़े लोगों को, जो रुपए की चोरी करते हैं अब यहां पर कई मुकदमें चल रहे हैं और ये मुकदमें देश के सर्वोच्च न्यायालय में हैं, हाई कोर्ट में हैं और अन्य जगहों पर भी हैं। आप इस कानून के द्वारा यह तय करने जा रहे हो कि जिन लोगों ने हिन्दुस्तान के फोरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को तोड़ने का काम किया और जिनके खिलाफ मुकदमें आज अदालत में चल रहे हैं, तो आज इस हिन्दुस्तान से बाहर ले जाए हुए पैसे का जो सबूत भारत सरकार के पास है, उस सबूत को कानून के अन्तर्गत जो आदमी लाएगा, तो वे सबूत उसके खिलाफ उस मुकदमें के चलने में, इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा, यह आपका कहना है।

क्लाज 3, सबक्लाज सी के अन्तर्गत, आप इसकी दूसरी धारा को भी देख लीजिए, वह है क्लाज 6 आफ दिस बिल। यहां आप ऐसा डिसक्रिमिनेशन करने जा रहे हैं जिस डिसक्रिमिनेशन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये सदन क्या है, पार्लियामेंट और संविधान क्या है, जो जिस कानून के द्वारा आज यह कहना चाहते हैं कि जो आदमी विदेश में आज काम कर रहा है और जिसकी कमाई ईमानदारी से अन्दर लानी है, तो वह उसको अगर अन्दर नहीं लाया, तो फिर फोरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अन्तर्गत उसको जो भी सजा देनी है वह सजा देने का काम किया जाएगा। लेकिन आगे यह कह दिया है कि जिस आदमी ने विदेश में हिन्दुस्तान से पूंजी ले जाने का काम किया है या विदेश में कमा कर उसको चोरी से वहां पर रखा है उसको अन्दर लाने के लिए हर प्रकार का इन्तजाम, हर प्रकार की सुविधा देने का काम किया जाएगा। तो दोनों मुद्दे यहां पर आ रहे हैं। एक तो ईमानदार आदमी को कह रहे हैं कि तुम्हारी ईमानदारी के लिए कोई ईनाम देने की बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं तुमने गलती की तो तुम्हें हम सजा देने का काम करेंगे। फेरा के अन्तर्गत, इनकम टैक्स कानून के अन्तर्गत या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत हम तुम्हें सजा देंगे और बेईमान को कह रहे हैं कि हम तुम्हें हर प्रकार की इम्यूनिटी और एग्जम्शन देने का काम करेंगे।

फिर अध्यक्ष जी, जो बार बार यह सवाल छेड़ा जाता है, अदालतों में और संसद के अन्दर और आपने भी पिछली बार इसको छेड़ा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात, आज मैं इस प्रश्न को छेड़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मानदण्ड को हर किसी पर लागू नहीं करना चाहता।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : न्यायोचित वर्गीकरण के सम्पूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेते समय उच्चतम न्यायालय ने न्यायोचितता के सिद्धांत की परिभाषा अनगिनत विनिर्णयों में दी है कि यह सही होना चाहिए यह न्यायोचित होना चाहिए तथा निष्पक्ष होना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इस बात को जानने के लिए मेरे दाहिने हाथ पर बैठे जज साहब से मैंने पूछ लिया कि यह रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है। मैंने जो कुछ पढ़ा है, उसके अनुसार—

[अनुवाद]

यह सही होना चाहिए, यह न्यायोचित होना चाहिए और यह निष्पक्ष होना चाहिए। अन्यथा, न्यायोचित वर्गीकरण नाम की कोई व्यवस्था नहीं कही जा सकती।

[हिन्दी]

अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह कानून चोर को सुरक्षा देने के लिए है और ईमानदार को बाहर उठा कर फेंकने के लिए है, क्या इसलिए यह कानून सदन के सामने लाया गया है, इज इट राइट ? क्या यह ठीक है कि हम ईमानदार आदमी को जेल भेजे, सजा दें, कहें कि तुम हलके आदमी हो और जो बेईमान है, उसको कहें कि हम तुम्हें हर प्रकार की सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं, यह सदन देने के लिए तैयार है, यह सभागृह देने के लिए तैयार है, इज इट जस्ट ? क्या यह ठीक हैं, क्या हमारी यह नीयत है कि हम लोग इस प्रकार का काम करें, इज इट फेयर।

अध्यक्ष महोदय, ये, जो 3 कसौटियां हैं, 3 प्रश्न हैं—

[अनुवाद]

आपने अनगिनत निर्णय दिए हैं।

[हिन्दी]

और जज साहब को मैंने कहा कि आप एक वाक्य में बतलाइए।

[अनुवाद]

वे कहते है, "हम सैंकड़ों निर्णयों को पढ़ते हैं।"

[हिन्दी]

मैंने कहा नहीं आप एक वाक्य में बतलाइए, तो उन्होंने कहा—

[अनुवाद]

"वर्गीकरण विशेष वर्ग अथवा समूह अथवा खंड से सम्बन्धित होना चाहिए जिसके लिए कानून बनाया गया है।"

अब यह एक वर्ग अथवा खण्ड अथवा समूह है जिनके लिए अब इस कानून को बनाने की मांग है। यह तस्करों का वर्ग है, यह उन लोगों का वर्ग है जिन्होंने उस धन को देश से बाहर भेज दिया है जिसे नहीं निकालना चाहिए था।

[हिन्दी]

जिन लोगों ने अंडरइनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग किया हुआ है, जो बड़े लोग हैं, जो इस देश से पूंजी विदेशों में ले गए हैं, स्विस बैंक और केईमने आइलैंड तथा अन्य जगहों पर ले जाकर जमा किया है, इन लोगों को आज आप सुविधाएं देने का इन्तजाम कराने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

क्या लोगों का यही वह वर्ग है जिनके लिए वित्त मन्त्री इस प्रकार के उपयुक्त वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

जहां रीजनेबल क्लासीफिकेशन के आधार पर इस सदन के अन्दर धारा 13 का उल्लंघन होने की बात है या धारा 13 को नजरअन्दाज करने की बात है, उसके कांस्ट्रक्शन को बहुत लम्बा खींचने की बात है, वह इस कानून के लिए लागू नहीं होती है। यह मामला कल सुप्रीमकोर्ट तय करे, चोरों को सभ्य बनाने के लिए कानून बनाने का काम हम करें, तो यह सुप्रीम कोर्ट का सवाल नहीं है, यह इस सदन की गरिमा, ईमानदारी और नीयत का सवाल है और भारत के संविधान के अन्तर्गत कतयी यह बात नहीं बैठ सकती है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अन्दर चोर, डकैत और लुटेरों को संरक्षण देने का काम किया जाए।

इसमें अध्यक्ष महोदय, बिल के प्रिएंबल में वित्त मन्त्री जी ने पैसे की परेशानी की बात कही है, देश के सामने भारी संकट है, यह संकट किस तरह से आया, इसकी चर्चा बजट पर और फाइनांस बिल पर बहस के समय होगी, इस समय मैं यहा पर इस चर्चा को नहीं लाना चाहता। इतना निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि देश के सामने विदेशी मुद्रा का कुछ संकट है, इस बात को लेकर समूचे देश के संविधान को, इस देश की आत्मा को संकट में धकेलने का काम सरकार न करे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप इस कानून को ऐसा करने की इजाजत न दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, लेजिस्लेटिव कंपीटेंस की बात कही गई है। कांस्टीच्युशनली यह मसला दो भागों में विभक्त है। लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस के लिए हमें शेड्यूल देखनी पड़ती है। लिस्ट एक-दो-तीन बनी हुई है। एक्सक्लयुसिबली, एक हमारे केन्द्र की है और एक राज्य की है और एक कान्करेंस है। यह शेड्यूल की लिस्ट की मद सख्या 36 में आता है। फारेन एक्सचेंज का मामला सिम्पलीसिटर है। जहां तक टैक्नीकल का सवाल है लेजिस्लेटिव कंपीटेंस का तो वह लेजिस्लेटिव कंपीटेंस में है। माननीय सदस्य ने क्लासिफिकेशन के बारे में कहा। आर्टिकल-14 के बारे में डिस्क्रीमिनेशन के ऊपर कोई लॉ वॉइड किया जा सकता है। आर्टिकल 226 और 32 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा यह प्रस्ताव विचारणीय है। जहां तब लेजिस्लेटिव कंपीटेंस का सवाल है तो वह आर्टिकल 246 और लिस्ट 1 और इसकी मद संख्या 36 है उसको आप पूरा करेंगे तो टैक्नीकली करेंसी, कायनेज और लीगल टैन्डर फारेन एक्सचेंज सेवन्थ शेडयूल में है और आर्टिकल 246 प्रोवाइड करता है कि लॉ कौन बनायेगा।

[अनुवाद]

"खण्ड (2) और खण्ड (3) में किसी बात के होते हुए भी संसद् को सातवीं अनुसूची I में (जिसे इस संविधान में "संघ सूची" कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।"

[हिन्दी]

इसलिए लेजिस्लेटिव की कंपीटेंस में प्राबलम नहीं है। जहां तक क्लासिफिकेशन का सवाल है तो आपने पहले भी कई बार इस पर विचार किया है। लेजिस्लेटिव कंपीटेंस के बारे में जब कभी आयेगा तो तब हम विचार करेंगे। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। कम्पीटेंस के बारे में कहा गया था क्योंकि इसके बारे में रेफरेंस किया गया था।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रंगराजन कुमारमंगलम (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री गुमान मल लोढ़ा, द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से अनुगृहीत हूं। जब किसी कानून को बनाने के लिए इस सदन की सक्षमता की बात आती है, तो विधायी सक्षमता को अनुच्छेद 246 और केन्द्र सूची और संवर्ती सूची में देखा जाता है। हमारे संविधान के अनुसार जब कोई ऐसा मुद्दा हो कि कोई अधिनियम विशेष वैधानिक रूप से उचित है अथवा नहीं तो इस पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। यह सही है कि ऐसा निर्णय लिया जा चुका है तथा इस बात की ओर संकेत किया गया है और आपने भी यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पीठासीन अधिकारी इस बात का निर्णय नहीं करेंगे कि विधायी सक्षमता है अथवा नहीं और इस बात पर माननीय सदस्य निर्णय लेते समय ध्यान देंगे और विधेयक के पुरःस्थापन के समय मतदान करते हुए अथवा निर्णय लेते समय सदस्य इस बात को ध्यान में रखेंगे।

किन्तु जहां तक विधायी सक्षमता का सम्बन्ध है, सूची I के अन्तर्गत, अनुच्छेद 246 के साथ-साथ अन्तःस्थापन 36, 46, 82, 86, 97 के अनुसार संसद के पास इस विषय पर कानून बनाने का स्पष्ट अधिकार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या वे अभी अन्तःस्थापन लागू होते हैं?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : जी हां। अप्रभाव्यता आपराधिक कानून इत्यादि हैं। इस विशेष अधिनियम में सभी अन्तःस्थापन अन्तः सम्बन्धित हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उस टिप्पणी को न पढ़ें।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैंने यह नहीं पढ़ा है। मैंने उस टिप्पणी से आगे पढ़ा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि क्या इसमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए अथवा नहीं, और, क्या अनुच्छेद 14 तर्कसंगत है अथवा नहीं। माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यह स्वयं कहा था कि वर्गीकरण है। मुद्दा यह है कि यह उचित है अथवा नहीं। उन्होंने इस प्रश्न के बारे में कहा है कि न्यायोचित, सही तथा निष्पक्ष क्या है। न्यायोचित, सही तथा निष्पक्ष सम्पूर्ण अर्थ नहीं है। ये ऐसे अर्थ हैं जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार समझा जाना चाहिए। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी विदेशी मुद्रा की क्या स्थिति है और इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वर्तमान कानून में एक ईमानदार व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा।

हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने पहले कोई अपराध किया है तो वह जुर्माना भरकर उससे बच नहीं सकता क्योंकि इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। मैं सविनय निवेदन करता हूं कि कानून में जो लिखा गया है वही पढ़ा जाना चाहिए, इससे अधिक नहीं। संवैधानिक उचितता के सम्बन्ध में हमारे पास विधायी सक्षमता है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह संवैधानिक रूप से तर्कसंगत है। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वे हमें इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखें।

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यह बहस करते हुए कि सदन के पास इस विधेयक को

कानून में बदलने की कोई विधायी सक्षमता नहीं है जो अनुपात का निर्धारण किया है मैं उससे मतभेद नहीं करना चाहता। नियमों का निर्धारण उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।

जहां तक इस सदन की सक्षमता का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि उस विषय पर हम यहां पर चर्चा तथा वाद-विवाद कर सकते हैं और इस विषय पर वाद-विवाद तथा चर्चा सुनने के पश्चात् सदस्य इस विधेयक को पुरःस्थापित करने अथवा न करने की अनुमति देने के लिए मतदान कर सकते हैं। सदस्यों पर इस चर्चा का गहरा प्रभाव पड़ेगा तथा सदस्यों द्वारा दिए गए निर्णय को मानने को हम बाध्य होंगे। ऐसे विषयों में पीठासीन महोदय निर्णय नहीं लेते। इस पर या तो सदन के सदस्य अथवा उच्चतम न्यायालय निर्णय लेता है। अतः, मैं इसके पक्ष अथवा विपक्ष में कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। मैं केवल इस प्रश्न को सदन के मतदान के लिए रख रहा हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा में प्रेषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को और विदेशी मुद्रा बन्धपत्र अर्जित करने वाले व्यक्तियों को कुछ उन्मुक्तियों का और ऐसे प्रेषणों और बन्धपत्रों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष-करों से कुछ छूटों का उपबन्ध करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

1.31 म० प०

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कमल नाथ : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, नियम 377 के अन्तर्गत मामले।

नियम 377 के अधीन मामले

1.32 म० प०

(एक) तमिलनाडु के कुड्डालोर शहर में थिरुपापुलियूर रेलवे स्टेशन पर एक सड़क ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री पी० पी० कालियापेरुमल (कुड्डालोर) : थिरुपापुलियूर, कुड्डालोर शहर का एक भाग

और दक्षिण आरकोट जिले का मुख्यालय भी है । यह उत्कृष्ट श्रेणी के शहरों में से एक है । दक्षिण रेलवे में थिरुपापुलियूर रेलवे स्टेशन के पास का रेलवे फाटक बहुत ही व्यस्त रेलवे फाटक है। आम जनता की सुविधा के लिए मौजूदा रेलवे फाटक के स्थान पर एक ऊपरी पुल बनाना आवश्यक है । पिछले दो दशकों से कुड्डालोर शहर और आसपास के क्षेत्रों के निवासी एक ऊपरी पुल बनाने की मांग कर रहे हैं । उनकी मांग उचित और न्यायोचित है। परन्तु उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वे चुपचाप इसे सहन कर रहे हैं ।

दक्षिण रेलवे ने रेलवे फाटक को हटाकर ऊपरी पुल बनाने हेतु बोर्ड के विचार के लिए प्रस्ताव भेजा है । मैं केन्द्रीय सरकार से 1991-92 के कार्यक्रम में ऊपरी पुल के प्रावधान को शामिल करने और उसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का अनुरोध करता हूं ।

(दो) उड़ीसा में अरजीपल्ली स्थित गोपालपुर लघु पत्तन का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : उड़ीसा में अरजीपल्ली स्थित गोपालपुर लघु बन्दरगाह का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बे समय से लम्बित है। यह मौसमी बन्दरगाह है जो वर्ष में केवल छह महीने चलता है । भविष्य की यातायात की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पहले से ही विनिर्मित परिसम्पत्तियों के अधिकतम प्रयोग के लिए बन्दरगाह का दर्जा बढ़ाया जाना अति-आवश्यक है। इस उद्देश्य के साथ ही उड़ीसा सरकार ने अगस्त 1990 में ओशन इंजीनियरिंग केन्द्र, मद्रास द्वारा तैयार एक अद्यतन बृहत योजना प्रस्तुत की है । अगर आवश्यक हुआ तो एशिया विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु भी इसने एक परियोजना प्रतिवेदन भेजा है ।

पत्तन और नौवहन क्षेत्र द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार सन् 2000 तक पाराद्वीप पत्तन की क्षमता 42 मिलियन टन हो जायेगी। यह बढ़ते हुए यातायात और विशेष रूप से ताप विद्युत केन्द्रों के लिए आवश्यक 35 मिलियन टन के सम्पूर्ण कोयला नौभार को वहन नहीं कर पायेगा । अतः इंडियन वेयर अर्थस लिमिटेड, चतरापुर के उत्पादों के साथ-साथ कोयले के नौ-परिवहन के लिए गोपालपुर में दूसरा निकास मार्ग होना बहुत आवश्यक है ।

अतः, मैं गोपालपुर पत्तन का, जो उड़ीसा में लगभग 400 किलोमीटर लम्बे तट पर एक छोटा सा पत्तन है, प्राथमिकता के आधार पर दर्जा बढ़ाने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं ।

(तीन) महाराष्ट्र के ठाणे, डोम्बिविलि, कल्याण और मुर्बाद क्षेत्रों में दूरभाष सेवाओं के समुचित कार्यकरण को बहाल करने की आवश्यकता

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, 7 जून, 1991 को हुई भारी वर्षा के उपरांत ठाणे, डोम्बिविलि, कल्याण और मुर्बाद क्षेत्रों में जो टेलीफोन लाइनें खराब हो गई थी उन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है । नया दूरभाष केन्द्र संख्या 534, जो शुरू किया गया था, ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा । ठाणे के दूरभाष केन्द्र संख्या 50 और 50 की भी मूल समस्याएं वहीं हैं, परिणामस्वरूप गलत लाइनें मिलती हैं, लाइनें व्यस्त रहती हैं, और अत्यधिक बिल आते हैं । कुछ क्षेत्रों से आम जनता ने दूरभाष प्राधिकारियों को बहुत बार शिकायतें भेजी हैं । परन्तु इन दोषों को दूर करने हेतु प्राधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है। दूरभाष प्राधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के विरोध में टेलीफोन उपभोक्ता संघ ने एक आन्दोलन उनके विरुद्ध चलाया है । अतः सरकार से इन सेवाओं को पुनः बहाल करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने करने का अनुरोध किया जाता है ।

(चार) बिहार में गिरिडीह को कोडरमा के साथ जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : मैं सरकार का ध्यान बिहार में गिरीडीह से कोडरमा तक बनने वाली रेलवे लाइन की ओर दिलाना चाहता हूं। एक तरफ तो सरकार देश के अनेकों हिस्सों में नयी रेलगाड़ियां व नयी लाइनें बिछाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गिरीडीह कोडरमा (जहां कोयले व माइका की खानें वगैरह भी हैं) की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि वह फौरन ही गिरीडीह से कोडरमा तक रेलवे लाइन बिछाने की जरूरत पर बल दे।

[अनुवाद]

(पांच) पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर और मालदा जिलों के मौजूदा दूरभाष केन्द्रों को सी-डॉट-दूरभाष केन्द्रों में बदलने की आवश्यकता

श्री सुव्रत मुखर्जी (रायगंज) : महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य का उत्तरी भाग एक लम्बे समय से अपेक्षित भाग रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पश्चिम दिनाजपुर जिले के अन्तर्गत डालरवोला, इस्लामपुर, कालियागंज और गंगारामपुर तथा पश्चिम बंगाल में चंचोल, हरिश्चन्द्रपुर, समसी, कालियाचक और मनीचक तथा मालदा जिला उत्तर बंगाल में बहुत अच्छे वाणिज्यिक केन्द्र हैं। उपरोक्त वर्णित सभी स्थानों पर 200 लाइनों वाले विद्यमान सी० बी० एन० एम० बोर्ड व्यवहारिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं। ये दूरभाष केन्द्र बहुत से पी० सी० ओ० और छोटे दूरभाष केन्द्रों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी दूरभाष केन्द्र में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल उच्च प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त वर्णित मौजूदा एक्सचेंजों को सी० डॉट एक्सचेंजों में बदलने हेतु कार्यवाही करे।

(छह) बिहार में बख्त्यारपुर-राजगीर रेलवे लाइन को बोध-गया तक बढ़ाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : बौद्ध तीर्थ स्थानों को एक-दूसरे से जोड़ने एवं इसके विकास के लिए जापान सरकार मदद कर रही है।

देश में बौद्ध सर्किट क्षेत्र में नालन्दा, राजगीर तथा बोधगया का अत्यधिक महत्व है।

एक लम्बे अरसे से बख्त्यारपुर-राजगीर रेलवे लाइन को बोधगया तक बढ़ाने की मांग तथा इस लाइन पर गाड़ियों में की गई कटौती को समाप्त कर पुनः संचालन की मांग की जा रही है।

बोधगया तक लाइन को बढ़ाकर चलाने से इस लाइन की आय में काफी वृद्धि होगी तथा बौद्ध स्थलों को रेलवे लाइन से जोड़ने के कारण देश विदेश के यात्रियों से विदेशी मुद्रा कमाने में भी मदद होगी।

अतः कल्याणपुर राजभीर रेलवे लाइन का विस्तार बोलांगीर तक करने का मैं अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

(सात) उड़ीसा के आदिवासी बहुल सुन्दरगढ़ जिले में संचार सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : महोदय, सुन्दरगढ़ जिला एक आदिवासी बहुल जिला है जो पुरातन समय से ही उपेक्षा का शिकार रहा है।

लेकिन भारत के बहुत ही पिछड़े जिलों में से एक सुन्दरगढ़ जिला राउरकेला इस्पात संयंत्र हेतु खनिज संसाधनों में सबसे समृद्ध जिला है। राउरकेला इस्पात शहर होने के कारण, राज्य सरकार को ही नहीं केन्द्र सरकार को भी यह लगता है कि यह जिला भारत के विकसित जिलों में से एक है। बोनाई उपमंडल, गुरुन्डिया ब्लाक तथा नौगांव ब्लाक भारत के सबसे अधिक उपेक्षित भागों में से हैं। वर्षा के मौसम के दौरान ये क्षेत्र संचार सुविधाओं के अभाव में पूरे विश्व से कटे रहते हैं। सात पहाड़ी नहरों के उपर सात पुल बनाये जाने हैं। बारिश के मौसम के दौरान आदिवासी बहुल क्षेत्रों की मुख्य आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं हो पाती। अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों को केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत लाया जाये और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए संचार सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु पर्याप्त अनुदान प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

(आठ) बंगलौर के उपनगर यशवन्तपुर में एक नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की आवश्यकता

प्रो० के० वेंकटगिरि गौड (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, बंगलौर का उपनगर यशवन्तपुर औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केन्द्र बन गया है। यह मद्रास जाने वाली बड़ी रेलवे लाइन के साथ स्थित है। यहां की जनसंख्या तीन लाख है। यह रेलवे स्टेशन तीस साल पहले जब यहां किसी उद्योग और व्यापारिक गतिविधि का अस्तित्व ही नहीं था बनाया गया था। हाल ही के वर्षों में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में अपूर्व वृद्धि और क्षेत्र की जनसंख्या तेजी से बढ़ने के बावजूद भी रेलवे स्टेशन की क्षमता भी पहले जैसी नहीं रही है। यह इस क्षेत्र के यात्रियों, माल-यातायात को वहन करने के लिए बहुत छोटा और पुराना हो गया है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के लोगों, व्यापारियों और उद्योगों को बहुत अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः वहां माल और यात्री यातायात, को सुविधाजनक बनाने, भीड़भाड़ को कम करने और वस्तुओं के उचित प्रवाह को बनाये रखने के लिए एक पर्याप्त क्षमता वाला रेलवे स्टेशन बनाया जाना आवश्यक है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यशवन्तपुर में नया रेलवे स्टेशन के निर्माण का कार्य उच्च प्राथमिकता के आधार पर करें और इस क्षेत्र के औद्योगिक और व्यापारिक विस्तार में सहायता करे।

1.43 म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92—जारी

कृषि मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब हम कृषि मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे। श्री रामेश्वर पाटीदार बोल रहे थे। आप पहले ही 20 मिनट का

समय ले चुके हैं, अतः आपको अपनी बात एक या दो मिनट में ही समाप्त करनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार बोलते हुए यह बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से किसानों के खाद्यान्न के भाव कम दिए जा रहे हैं और बाजार में जो सामान्य चीजें उपलब्ध होती हैं उसके दाम किस तरह से बढ़ते रहे हैं और इस तरह से किसान की दोनों तरफ से अधिक मुसीबत है। यदि वह अधिक पैदा करता है तो उसके खाद्यान्न के दाम कम मिलते हैं और यदि वह कम पैदा करता है तो देश मुसीबत में पड़ता है, देश को कठिनाई पड़ती है। देशभक्त होने के नाते वह अपने खाद्यान्नों के दामों की चिन्ता न करते हुए खाद्यान्न अधिक उत्पादन करता है परन्तु मैं इसके माध्यम से यह प्रदर्शन करता हूं कि किस तरह से किसानों को घाटा होता चला जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, निर्मित वस्तुओं का सूचकांक जो 1971-72 में कृषि उत्पादों के सूचकांक से केवल 9% अधिक था, 80-81 में उससे 22.2% अधिक हो गया। इस प्रकार 9 वर्ष की अवधि में ही निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कृषि उत्पादों की तुलना में 13% अधिक हो गई। प्रत्येक कृषि मूल्य की सामान्य मूल्य स्तर से तुलना भी चौंकाने वाली है। 1976-77 में सभी वस्तुओं के सूचकांक 173 और खाद्यान्नों के सूचकांक 174 के बराबर थे···

अध्यक्ष महोदय : आप क्वोटेशन मत दीजिए।

श्री रामेश्वर पाटीदार : 1975-76 और 80-81 के बीच सामान्य मूल्य स्तर में 88% की वृद्धि हुई, लेकिन इसी कालखंड में खाद्यान्नों की कीमत 24.7% बढ़ी।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में रूल यह है कि जो गवर्नमेंट के पब्लिकेशन्स हैं या बहुत ही बड़े ऑथर की लिखी हुई किताब है, वही क्वोट कर सकते हैं। किसी और की लिखी हुई किताब क्वोट करेंगे तो हाउस मिसलीड हो सकता है।

श्री रामेश्वर पाटीदार : इसके माध्यम से मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि किस तरह से खाद्यान्नों की कीमतें बाजार में उत्पादित होने वाली और फैक्टरी में उत्पादित होने वाली कीमतों की तुलना में कम बढ़ती रही है। इसलिए होना यह चाहिए कि जैसे-जैसे बाजार में सामान्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जाएं, उसी तुलना में खाद्यान्नों के भी दाम बढ़ते जाने चाहिए और दूसरे कृषि उत्पादों के भी दाम बढ़ते जाने चाहिए। इससे ही किसानों को लाभ हो सकता है और इसीलिए अभी तक जो हुआ, उसमें 50-51 में गैर अनाज वाली फसलों की तुलना में अनाज की फसलों का हिस्सा 76% था जबकि 1985-86 में अनाज की फसलों की कमी आई, वह हिस्सा 72% रह गया। इससे खाद्यान्न का उत्पादन कम होता चला गया। इससे किसानों को नुकसान के साथ-साथ देश को भी नुकसान हो गया।

दूसरा मुद्दा जो मैं इस समय उठाना चाहता हूं वह यह है कि खाद पर सबसिडी कम की गई है, यह बताया गया कि प्रतिवर्ष अब तक 3600 करोड़ रुपये खाद पर सबसिडी के रूप में किसानों को दिये जाते रहे। उसके बाद जब 40 परसेंट कटौती की गई तो किसानों से 1800 करोड़ रुपया अधिक वसूल करने की कोशिश की गई परन्तु जब उस कटौती का विरोध हुआ तो इस सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम यह कटौती 30 परसेंट कर रहे हैं। इसके माध्यम से 450 करोड़ रुपया किसानों से और अधिक प्राप्त करने की कोशिश की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि जैसा सरकार ने कहा, 450 करोड़ रुपया प्राप्त करने के बावजूद भी सरकार को कम आय होगी, ऐसा नहीं है। एक तरफ कहा जाता है

[श्री रामेश्वर पाटीदार]

कि छोटे और सीमान्त किसानों को सबसिडी घटाई नहीं जायेगी, उनको सबसिडी का पूरा लाभ दिया जायेगा, उनके लिए खाद के दाम बढ़ाये नहीं जायेंगे परन्तु उनके लिए भी खाद के दाम बढ़ाये जा रहे हैं, और छोटे और सीमान्त किसानों के लिए 125 करोड़ रुपया केवल सबसिडी में दिया जा रहा है।

इसके माध्यम से मध्य प्रदेश को केवल 13 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं जो वहां छोटे और सीमांत लगभग 43 लाख किसानों के लिए होंगे। यदि प्रति किसान को मिलने वाले हिस्से की दृतष्ट से देखा जाये तो एक किसान को 30 या 33 रुपये के करीब आयेंगे। एक किसान साल में लगभग 30-35 बोरी खाद तो अवश्य खरीदता है, इस तरह इस हिसाब के अनुसार, एक छोटे सीमान्त किसान को एक रुपया प्रति बोरी का केवल लाभ मिलेगा। इसलिए सरकार की ओर से जो कहा जा रहा है कि उन्हें पूरी छूट दी जा रही है, वह केवल भ्रम में डालने वाली स्थिति है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि इस दोहरी मूल्य नीति को समाप्त किया जाये तथा छोटे और बड़े किसानों के भेद को भी समाप्त किया जाना चाहिए और सभी किसानों को खाद पर समान रूप से सबसिडी मिलनी चाहिए।

अब मैं एक मिनट में चारा मशीनों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि 1987 में चारा उत्पादन मशीनों के बारे में अखबारों में काफी कुछ छपा। मैं कृषि मंत्री जी को उन दिनों की कड़वी यादें याद नहीं दिलाना चाहता मगर इतना पूछना चाहता हूं कि उन दिनों जो चारा उत्पादन मशीनें हमारे यहां आयीं क्या वे आज भी उपयोग में आ रही हैं। इसके अलावा उस समय 12 हजार किसानों को उनके जरिये प्रशिक्षण देने की चर्चा थी, मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और क्या वे मशीनें आज भी चारा उत्पादन के काम में लाई जा रही हैं। मुझे आशा है कि कृषि मंत्री जी जब चर्चा का उत्तर देंगे तो इन बिन्दुओं पर प्रकाश डालेंगे।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, यह बड़े ही महत्व का विषय है। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर हम कृषि मंत्री के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था की मुख्य धारा है। कृषि तथा उद्योग दोनों में गहरा सम्बन्ध है। हमारे विचार से विरोधात्मक सम्बन्ध नहीं हैं। एक का कल्याण दूसरे के कल्याण को सुदृढ़ करता है। यदि सूखा पड़ता है तो उद्योग को भी हानि होती है। यदि फसल अच्छी होती है तो उद्योग भी फलते-फूलते हैं। इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जोकि आज भी सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है यदि देश में बेरोजगारी एक समस्या है, तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी रोजगार के अधिक अवसर हैं। इससे मेरा अभिप्राय केवल उन लोगों से ही नहीं है जिनके पास भूमि है अपितु यदि पूर्णरूपेण विचार करें तो कृषि से जुड़े दूसरे व्यवसायों के लोगों तथा श्रमिकों से भी है।

कृषि हमारी आत्मनिर्भरता का आधार रही है। एक समय था जब हम गेहूं का आयात करते थे। हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए वह एक गम्भीर चुनौती थी। देश को आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करने का श्रेय इस देश के किसानों को जाता है कि उन्होंने कठोर-परिश्रम करके अपना योगदान किया है। आज भारत की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है और वहां कृषि एक मुख्य व्यवसाय है। इस लिये, इतने महत्व का विषय होने के नाते, इस पर व्यापक विचार करने से पूर्व, कृषि के बारे में—इसके

पूर्ण परिप्रेक्ष्य पर एक पावन दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसलिये, कृषि में राष्ट्रीय भागीदारी की आवश्यकता है।

1956 में हमने औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प पास किया था। बाद में आयी विभिन्न सरकारों के लिए वह दिशा-निर्देश बना। यह आश्चर्य की बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बाद भी, हमने अभी तक राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं अपनायी है। हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि राष्ट्रीय कृषि नीति अवश्य होनी चाहिये। केवल यही नहीं, जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार आयी तो हमनें उन लोगों को शामिल किया जोकि किसान आन्दोलन से जुड़े थे। श्री शरद जोशी स्थायी परामर्शदात्री समिति की अध्यक्षता कर रहे थे और हमने किसान आंदोलन के अन्य नेताओं को भी शामिल किया था। लगभग सारा कार्य पूरा हो चुका था और हमें कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति लागू करनी थी। मेरा विचार है कि वह कार्य अब पूरा किया जाना चाहिए और मैं कृषि मन्त्री से इस आशय का आश्वासन चाहूंगा कि सरकार कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति लागू करेगी ताकि सरकार के बदलाव के साथ-साथ किसानों का भविष्य, उनका भाग्य बंधा न रह जाये बल्कि सरकार द्वारा जारी निश्चित दिशा-निर्देशों के साथ आश्वस्त रहें, भले ही सरकार कोई भी हो, और यह केवल किसानों के ही हित में नहीं बल्कि समूची अर्थव्यवस्था के हित की बात है। यदि हम कृषि सम्बन्धी स्थिर परिप्रेक्ष्य और नीति रख सकेंगे तो समूची अर्थव्यवस्था में स्थिरता आयेगी।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि अगला दशक किसान को समर्पित होगा और इस दशक को किसान दशक घोषित किया गया था। हम 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं; हमें किसान को नहीं भूलना है। हमें इस शताब्दी का अन्तिम दशक किसानों को समर्पित करना चाहिये ताकि जब हम 21वीं सदी में प्रवेश करें तो अगली सदी में होने वाले विकास व प्रगति के साथ-साथ किसान भी प्रगति करे।

महोदय, मैं सोचता हूं कि कृषि क्षेत्र के समक्ष आने वाली समस्या पर व्यापक स्तर पर विचार किया जाना चाहिये। निजी क्षेत्र व इसके साथ-साथ सावर्जनिक क्षेत्र में निवेश में स्थिरता रही है। यदि हम मुद्रा-स्फीति व अन्य बातों तथा निवेश की जाने वाली राशि पर विचार करें तो इसमें प्लेट्यू स्तर है और यह सर्वाधिक विकट समस्या है जो कृषि को प्रभावित कर रही है। इस सम्बन्ध में किसानों की निवेश की क्षमता तथा इसके लिए इस धन्धे की स्थिति में निरन्तर गिरावट आई है। इसका अर्थ है कि अपने मूल्य पिछले उत्पादों को जिस कीमत पर किसान बेचता है और जिस कीमत पर वह उन्हें खरीदता है, का तुलनात्मक वर्षों में इतना बढ़ा है कि यह किसानों के प्रतिकूल रहा है। इस तरह से इस क्षेत्र से संसाधन दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। तुलनात्मक मूल्यों की प्रक्रिया के द्वारा ही संसाधनों का स्थानान्तरण होता है। इस क्षेत्र से संसाधन स्थानान्तरित हो जाते हैं और इस क्षेत्र की पुनर्निवेश की क्षमता तथा पूंजी निर्माण दोनों इस धन्धे की प्रतिकूल स्थिति के कारण बुरी तरह से अस्त-व्यक्त हो जाते हैं।

कीमत निर्धारण के विभिन्न तत्वों में भी प्राकृतिक आपदायें, सूखा और बाढ़ जो कि किसान की पूंजी तक को खा जाती हैं, की गणना नहीं की जाती। किसान का सारा परिवार खेत में मजदूरी करता है और यह सभी ऐसे तत्व हैं जिनपर उचित विचार नहीं किया जाता। हो सकता है इनमें से कुछ तत्वों पर कुछ हद तक विचार किया जाता हो, परन्तु सम्पूर्ण तत्वों पर विचार नहीं किया जाता।

हमने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान यह तय किया था कि समर्थन मूल्य हेतु किसानों की प्रबन्ध सम्बन्धी कुशलता को ध्यान में रखा जाएगा और सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

घोषित की जाती है उसके लिए इन सब बातों का आधार माना जाएगा । पंजाब में यह मजदूरी अपेक्षाकृत ज्यादा है । इसी पारिश्रमिक को इस उद्देश्य के लिए आधार बनाया जाएगा । यदि सरकारी घोषणा के उपरान्त कुछ निवेश होता है और इसके फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है तो मुद्रास्फिति होगी इसको भी ध्यान में रखा जाएगा । मैं माननीय मन्त्री जी से आश्वासन चाहूंगा उन आदानों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए और उन्हें कार्यान्वित किया जाए ताकि उन किसानों के प्रति न्याय सुनिश्चित किया जा सके कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति योगदान से क्या स्थिति स्पष्ट होती है ? यह बहुत ही गम्भीर बात है और निवेश में स्थिरता की वजह से, निवेश क्षमता कम हो रही है । सकल घरेलु उत्पाद में कृषि का हिस्सा कम हुआ है । यह 60 प्रतिशत था, अब यह घटकर 30 प्रतिशत हो गया है । यह भयावह स्थिति का सूचक नहीं है । जब देश का औद्योगीकरण होता है तो सकल घरेलु उत्पाद में कृषि का हिस्सा कम हो जाता है । हमारे लिए चिन्ता का विषय यह है । कि कृषि पर लोगों की निर्भरता अभी भी न्यूनाधिक वही है । जबकि दूसरे देशों में स्थिति बिल्कुल भिन्न है जहां औद्योगिकरण हुआ है वहां कृषि पर निर्भरता भी कम होती जाती है । सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंशदान कम हुआ है । जब हम अपने कृषि क्षेत्र तथा इससे सम्बन्धित आर्थिक समस्याओं पर दृष्टिपात करते हैं तो यह बहुत ही गम्भीर मामला लगता है । दूसरी समस्या यह है कि 'हरित क्रांति' का फैलाव समान स्तर पर नहीं हो पाया है । क्षेत्रीय पैमाने पर यह असमान रहा है । इसका लाभ अन्य क्षेत्रों को नहीं पहुंच पाया है । इतना ही नहीं, खाद्य पदार्थ के पैदावार में भी क्षेत्रीय असमानता रही है । खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में भी, कुछ खास किस्म के अनाज ही उगाए जा सके हैं । अन्य फसल जैसे ज्वार, बाजरा आदि जो गरीबों के खाद्य पदार्थ हैं, इस क्रान्ति लाभान्वित नहीं हुए है । इस प्रकार हरित क्रान्ति ने गरीबों को नजरअन्दाज किया तथा साथ ही उन्हें भी नजरअन्दाज कर दिया जिनके पास सिंचाई सुविधाएं नहीं है । इन्हीं कारणों से तथा धार्मिक नजरिये से आज राष्ट्रीय कृषि नीति की जरूरत है । इस क्षेत्र में उत्पादों के मूल्य बढ़ाने में कई बाधाएं हैं । किसान धान की खेती करता है लेकिन इस धान को वह चावल में नहीं परिवर्तित कर सकता है । कहने के लिए तो कहा जाता है कि अनाजों एक भाग से दूसरे स्थान पर ले जाने की आजादी नहीं किसी न किसी तरीके से कई प्रतिबन्ध हैं, इसके लिए अनुमति की जरूरत तो होती है, लेकिन बहुत सी राज्य सरकारों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रतिबन्ध लगाए गए हैं ।

इसके बाद, एक समस्या कम मूल्य पर बेचने से जुड़ी हुई है । दरअसल, सरकार को गोदामों की व्यवस्था करनी चाहिए, जहां किसान अपना अनाज जमा करा सकें और उस पर उसे कुछ अग्रिम राशि प्रदान की जा सके ताकि कम मूल्य पर बेचने की नौबत न आए फलस्वरूप किसानों को उचित मूल्य मिल सके । इस व्यवस्था से उन छोटे किसानों को फायदा होगा, जो अपना अनाज ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते और बाजार में कम मूल्य होते हुए भी इसे बेच देते हैं । भारतीय खाद्य निगम की अक्षमता दुष्प्रभाव पूरी व्यवस्था पर पड़ता है । यह भी विचारणीय मसला है । क्योंकि अनाजों का आवंटन इस निगम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि इस नीति के कार्यान्वियन में उन लोगों को शामिल करने की जरूरत है जो किसान आंदोलन से सम्बद्ध हैं और ऐसी पद्धति निकाली जानी चाहिए ताकि किसानों को भी नीति निर्णय में शामिल किया जा सके । इसके साथ ही जब हम ये सब बातें कहते हैं तो हम भूमि सुधारों को नजरअन्दाज नहीं कर सकते । हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारी

प्रथा का उन्मूलन एवं जमीन जोतने वालों को भूमि स्वामित्व प्रदान करके हमने आर्थिक सम्बन्धों में जो तब्दीलियां की हैं उनसे हमारी उत्पादकता में व्यापक वृद्धि हुई है। पटाइदार व्यवस्था अभी भी है। साथ ही, बेनामी भूमि अभी भी है। (व्यवधान) भूमि सुधार के लिए मौके पर जाकर जांच होनी चाहिए कि किसके पास अनाज है और खलिहान अनाज निकाला जाता है। इस प्रकार सत्य को छुपाया नहीं जा सकता भूमि एक सामने है इसे ताले में बन्द नहीं रखा जा सकता। मजदूरों के बगैर फसल न तो कटाई हो सकती है और इसे निकाला जा सकता है। इसलिए इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। भूमि न्यायाधिकरण होना चाहिए जिनमें गरीब वर्गों के लोग होने चाहिएं और इसमें लोगों को सत्ता में भागीदारी की बात आती है और हमने ऐसा प्रयास किया था बहुत से क्षेत्रों में वास्तव में उन लोगों को निर्णय लेने तथा सत्ता में शामिल करने की जरूरत है जो पीड़ित हैं।

2.00 म० प०

हम उसमें उन लोगों को शामिल कर सकते हैं। तत्पश्चात् आप इन भूमि न्यायाधिकरणों द्वारा वास्तव में भूमि सुधारों को कारगर ढंग से लागू कर सकते हैं। इस तरह की सारी जांच हो तभी भूमि सुधार किए जा सकते हैं।

एक अन्य बात बाजार के बारे में है। आन्तरिक बाजार के अतिरिक्त, बाह्य बाजार में जाने और किसानों को होने वाले लाभों की समस्या भी आती है। वास्तव में, देश के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनकी खपत के लिए जो आवश्यक है, पहले उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस बात पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा तन्त्र तैयार करना होगा ताकि हम कृषि पदार्थों के आयात तथा निर्यात को एक तर्कसंगत नीति बना सकें। मैं तो यह सुझाव दूंगा कि यहां पर कीमतों की स्वपरिवर्तनीय प्रक्रिया होनी चाहिए यदि आंतरिक कीमतें। एक निश्चित सीमा से ऊपर चली जाती हैं, तब हम निर्यात को बन्द कर सकते हैं क्योंकि उस वस्तु की आन्तरिक आवश्यकता है और उसका और निर्यात कीमतों को पुनः बढ़ाएगा यदि कीमत एक निश्चित सीमा से नीचे चली जाती है, तो विर्याल किया जाना चाहिए। इस प्रकार किसान इस व्यापक बाजार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, एक सीमा के अन्दर हम इस स्वपरिवर्तनीय प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, इसके बजाए कि सरकार महीनों तक इन मामलों को लटकाए रखे कि कपास का निर्यात किया जाए अथवा नहीं, प्याज का निर्यात किया जाए अथवा नहीं, आलू का निर्यात किया जाए अथवा नहीं अथवा अन्य किसी वस्तु का निर्यात किया जाए या नहीं हम एक सीम निर्धारित कर सकते हैं जहां तक कि स्वपरिवर्तनीय प्रक्रिया का उपगोग किया जा सकता है। इससे वस्तुयें आसानीसे बाजार में पहुंच जाएंगी।

इसके पश्चात् यहां एक और प्रश्न है, वह है कृषि को उद्योग मानदा। मैं समझता हूं कि जो लाभ उद्योगों को प्राप्त होना चाहिए और मैं माननीय मन्त्री जी से भी इस बारे में आश्वासन की उम्मीद करता हूं। मैं कृषि मन्त्री जी द्वारा अपने वक्तव्य में कही गई इस बात से बिल्कुल असहमत हूं कि किसानों को दिए जाने वाले ऋण हानिकारक हैं। यहां, मैं इस बात का दृढ़तापूर्वक विरोध करना चाहता हूं और कहूंगा कि वे अपने विचार में गलती पर हैं, जोकि सरकार का विचार है, जब वे कहते हैं कि सरकार का भी यही विचार है। वास्तव में ये व्यापार की विकृत स्थितियां हैं जिससे लोगों का बहिर्गमन होता है और दरिद्रता पनपती है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अंशदान में गिरावट आई है। इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था के कारण, ऋण के रूप में एक प्रकार की सहायता देने की मांग की गयी। ऐसा नहीं है कि आप केवल खैरात बांट रहे है। यहां पर पूरी प्रणाली में अन्याय अन्तर्निहित रहा है। इसलिए उसको राहत देने का यही तरीका था। ऐसा करके उन्होंने व्यापार सम्बन्धी शर्तों में सुधार

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

करवाया। हमने वह सब करने की कोशिश की हम ऋणों को बार-बार देते नहीं रहेंगे। लेकिन एक बार गलती के लिए पश्चाताप करने से, सुधारने के लिए वक्त मिल जाता है। मैं समझता हूं ऋण माफी के बारे में निर्णय लेने के पीछे यही इरादा था। मैं समझता हूं कि सरकार इसे लागू करेगी। मुझे इसकी उम्मीद है। मैं समझता हूं यह बेहतर होगा कि माननीय मंत्री जो कुछ हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, उस बारे में यहीं इसी सदन में कम से कम गलती ठीक कर लें।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : आपने किसानों की लोन माफी का जो निर्णय लिया था वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ज्यादातर किसानों तक वह पहुंच ही नहीं पाया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप शुरू कीजिये। आप हम से अच्छा काम कीजिए और यही हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं लेकिन किसानों का काम हो तो···**(व्यवधान)**···यदि हम उर्वरक तथा उर्वरक पर राजसहायता के सम्बन्ध में, इस राजसहायता का स्वरूप क्या है ? उर्वरक उद्योग को कर की कटौती के बाद 12 प्रतिशत लाभ की गारण्टी देना सुनिश्चित किया गया है। केवल यही एक उद्योग है जहां सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया है। विभिन्न पूंजी निवेश भत्ता और अन्य कारणों से यह लगभग 24 प्रतिशत जा पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी सरकार ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया है। पूरे देश में यही एक उद्योग है जिसमें सरकार ने 12 प्रतिशत लाभ की गारण्टी दी है। इसका क्या परिणाम हुआ है जिससे इसके परिणामस्वरूप खरीदी गई मशीनों को स्वर्ण मंडित कहा जाता है जोकि मशीनों का मूल्य बढ़ाने हैं तथा विदेशी मुद्रा का बहिगमन आवश्यकता से अधिक करने की प्रवृत्ति हैं। जहां वह धन पहुंचता है वह कुछ खास विवाद का विषय नहीं है। इस बढ़े हुए मूल्य पर, कर दाता सरकार को एक निश्चित लाभ देता है। यदि 1000 करोड़ रु० की परियोजना है तो उसमें 100 करोड़ रु० और बढ़ा दिए जाते हैं। इसका मतलब, 24 करोड़ रुपए का उपहार दिया जाता है। इस प्रकार 4 वर्ष में सारा धन वापस मिल जाता है तथा उसके बाद एक निरन्तर उपहार पैकेट दिया जाता है। इससे अकुशलता पनपी है क्योंकि यदि आपका लाभ निश्चित है तो आप अपनी कार्य-कुशलता साबित करने के लिए बाध्य नहीं है। यह सर्वविदित है कि उर्वरक उद्योग पर जो भी तकनीकी विकल्प थोपे हैं, वे कार्यकुशल रहे नहीं हैं। कुछ ऐसी प्रौद्योगिकियां थोपी गई हैं जिनमें बिजली की खपत अधिक है।

अतः, हम किसको राजसहायता दे रहे हैं ? हम इन अकुशलताओं को, इन निर्णयों को तथा इन गलत नीतियों को राजसहायता दे रहे हैं। एक क्षेत्र की अकुशलता को कृषि क्षेत्र में हस्तांतरित करने की चेष्टा की जा रही है जिसका कि अकुशलता से कोई लेना देना नहीं है। यदि उर्वरक का मूल्य इकाई की कार्यकुशलता पर निर्धारित होता है तो कृषकों को भीउसका मूल्य देने के लिए कहा जाना चाहिए।

गैस के मूल्य निर्धारित हैं। जहां तक गैस के उपयोग का सम्बन्ध है, पाइपलाइन के साथ-साथ गैस का उपयोग बहुत कम होता है और बहुत दूरी तक गैसों को पम्पीकृत किया गया है और इसका बोझ उर्वरकों पर लाद दिया गया है और किसानों को इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। यदि उर्वरक मूल्यों का कोई मानदण्ड हो तो इसे अनार्राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत, कच्चे माल तथा अन्य सभी चीजों के सुचारू ढंग से उपयोग से एक टन उर्वरक के उत्पादन पर आने वाली लागत के समतुल्य होना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि यह तत् स्तरीय है अथवा नहीं यदि ऐसा नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसका भार किसानों पर क्यों लादा जा रहा है यह किसानों का प्रश्न नहीं है। यह बोझ उस समय किसानों पर

डाला जा रहा है जब व्यापार की शर्तें पतनोन्मुखी हैं तथा कृषि उद्योग पुनर्निवेश करने में असमर्थ है, पूंजी संरचना निम्न है तथा यही अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है और सरकार इसी समय में इस पर चोट कर रही है। इससे हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था वृहत् रूप से प्रभावित होगी। राजकोषीय घाटे का सन्तुलन एक पृथक चीज है और अर्थव्यवस्था का संतुलन एक पृथक। यदि सरकार अर्थव्यवस्था को संतुलित नहीं कर रही है तो हमारी अर्थव्यवस्था असन्तुलित हो जाएगी तथा राजकोषीय सन्तुलन नहीं सुधरेगा। इसका यही प्रभाव होगा।

यह दोहरा मूल्य नीति निश्चित रूप से सफल नहीं होगी। हम लोग यह जानते हैं और सरकार भी इस बात को हृदय से जानती होगी। सरकार कदाचित् यह कह रही है कि वह इसे कुछ निश्चित सीमा तक कार्यान्वित करायेगी। सरकार जानती है कि वह इसे अधिक सीमा तक कार्यान्वित नहीं कर सकती। वास्तव में यह होगा कि मूल्य दोहरे रहेंगे और छोटे किसानों के नाम पर उर्वरक जारी किया जाएगा। अन्ततः इससे उर्वरक की कालाबा जारी होगी और उर्वरक धनी लोगों के पास पहुंच जाएगा। यदि छोटे किसानों को इसे खरीदना है तो उन्हें कालाबाजार से ही इसे खरीदना होगा। इससे उर्वरक की खपत कम हो जाएगी।

मैं यह उद्धरण किसी अज्ञात व्यक्ति के लेख से नहीं दे रहा हूं बल्कि यह उद्धरण सुविज्ञ कृषि वैज्ञानिक डा० स्वामिनाथन के लेख से दे रहा हूं। मैं आज ही उनका लेख पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि जब कभी भी उर्वरक मूल्य बढ़ाये गए हैं इसकी खपत कम हुई है तथा उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। इसके सुधार में कुछ समय लगा है। उनका यह पूछना है कि यदि हम इन सबका सामना करने जा रहें हैं तो आत्मनिर्भरता का क्या होगा।

अतः यहां मैं यह कहूंगा कि उर्वरक के मूल्य बढ़ाने का सरकार का यह निर्णय अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। यह न केवल मेरी सलाह है अपितु मांग भी है कि उर्वरक के मूल्यों में जो वृद्धि की गई है वह रद्द कर दी जाये और कृषि की जो हमारी अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है, रक्षा की जाये। आत्मनिर्भरता एवं वृहत्तर नियोजन सुनिश्चित करने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। साथ ही, देश के विशाल जनसमूह को जो गांवों में रहता है इससे कुछ आशा कर सकते हैं।

अतः, श्रीमन मेरी सरकार से यह पुरजोर मांग है कि उर्वरकों के मूल्यों में जो वृद्धि की गई है उसे रद्द किया जाये। मैं आशान्वित हूं कि यह सरकार और मान्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ करेंगे।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे कृषकों के बारे में बोलने का अवसर मिला है क्योंकि मैं स्वयं भी कृषक हूं। मैं अभी हाल ही में अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था। हम जहां भी जाते हैं, वहीं पर हम राजनीतिज्ञों के पास कृषक चले आते हैं, और वे मांग कर रहे हैं कि खाद के मूल्य घटाए जाए और वापस ली गई राजसहायता फिर से दी जाए। इसके कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं उनकी मांग से एकदम सहमत हूं। जैसाकि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने गहन अनुभव के आधार पर अभी-अभी ठीक ही कहा है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो मैं समझता हूं कि खाद्यान्न की भारी कमी हो जाएगी। इसमें कोई सन्देह नहीं है। इस समय कृषक अत्यधिक निराश है। उन्हें करीब 50 किलोग्राम यूरिया अथवा सल्फेट प्राप्त करने के लिए एक डिपो से दूसरे डिपो के चक्कर लगाने पड़ते हैं और इसके बाद भी वे इसे प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि मौसम शुरू हो चुका है। उन्हें यह नहीं मिला है और इसके फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन निश्चित रूप से कम हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे उद्योग के बराबर समझें।

[श्री एस० मल्लिकार्जुय्या]

महोदय, यह सच है कि अनेक वर्षों से मूल्य नहीं बढ़े थे। लेकिन इसके साथ-साथ हमने अपने कृषकों को गोबर की खाद अथवा हरी खाद उपयोग करने की शिक्षा भी नहीं दी है। गोबर को खड्डों में दबाकर खाद तैयार करने का हमारा पुराना तरीका वस्तुत. छोड़ा जा रहा है हरेक व्यक्ति उर्वरकों का आदी हो गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उर्वरकों के मूल्य न बढ़ाए जाएं और राजसहायता भी वापस न ली जाए।

दूसरे, कटीनाशक दवाओं के मूल्य बहुत अधिक है। इन पर उपयुक्त नियन्त्रण नहीं है। इस बारे में तो फैक्ट्रियों की मनमानी चलती है। वे इसके मूल्य निर्धारित करते हैं और घटिया किस्म की कीटनाशक दवाएं तैयार कर रहे हैं और कृषक उन्हें खरीद रहे हैं, परिणाम स्वरूप उन्हें इससे अधिक लाभ नहीं हो रहा। उनकी फसल वास्तव में नष्ट हो जाती है। वे फसल नहीं बचा सके।

तीसरे, मैं समझता हूं कि कृषक एक उत्पादक हैं। उसे इसके प्रति सहानुभूति बरती जानी चाहिए उदाहरण के लिए मेरे अपने राज्य में ही हमने भयंकर बाढ़ का सामना किया है। आधा कर्नाटक वर्षा की कमी से प्रभावित हुआ है और जब पर्याप्त वर्षा होती है तो आप्लावना की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। वर्षा नियमित रूप से नहीं हो रही है। गीली भूमि के अतिरिक्त सूखी भूमि नष्ट हो रही है, वहां पर फसल लगभग सूख गई है। इसलिए कृषि तो वास्तव में मानसून पर निर्भर है। ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया हैं कि पानी उपलब्ध होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृषि को उद्योग के बराबर माना जाएं। कृषक के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही की जाए क्योंकि वह तो उत्पादक है।

मैं कृषि उपकरणों का मुद्दा लेता हूं। कृषि मदों के उत्पादन तथा उपकरणों के मूल्य के बीच समानता नहीं है। कृषि उपकरणों के मूल्य बहुत ही अधिक निर्धारित किये जा रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बारे में भी समानता लायी जाए।

अन्त में मैं नियमित बाजार उपकर (आर० एम० सी०) पर कुछ कहना चाहूंगा। हमारे राज्य में जब यह शुरू हुआ था तब यह कहा गया था कि जो भी उपकर एकत्र होगा, उसे ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादों को बाजार में लाने जैसे कार्यों पर खर्च किया जाएगा। लेकिन इस उद्देश्य पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा रहा। अगर धनराशि उपलब्ध है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग इसे खर्च करेगा अथवा परिषदों को यह कार्य करना होगा। जिला परिषद इन कार्यों पर धनराशि खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग भी ऐसा करने में असमर्थ हैं। जब आपने इस सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत किया था उपकर लगाने का आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ? आप इस उपकर का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप इस धनराशि को किसी अन्य कार्य पर खर्च करके इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वास्तव में कृषक इस उपकर को अन्य लोगों के लाभ के लिए दे रहा वह बरसात के दिनों में अपना माल बाजार में नहीं ला सकता क्योंकि सड़कों की दशा बहुत खराब है। इसलिए मैं माननीय कृषि मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर गौर करें।

अन्तत: मुझे बहुत खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने मुझे बोलने के लिए कुछ समय दिया। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): अध्यक्ष महोदय, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने गांव-गांव के अन्दर डेवलपमेंट के लिए कई प्रोग्राम कार्यान्वयन हेतु लिए हैं। इस बिल को लेकर रूरल डेवलपमेंट द्वारा डिपार्टमेंट पंचायती राज बिल को पास कराने का निश्चय हुआ था।

स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री थे, संविधान के 64 अमेंडमेंट बिल को उन्होंने लोक सभा में पास कराने के बाद, राज्य सभा में भेजा था। जहां पास नहीं हो सका। मगर इस मर्तबा इस पंचायती राज बिल को सदन में लाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की कमेटी कायम की है क्योंकि विश्वनाथ प्रताप साहब जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त पूरे स्टेट के चीफ मिनिस्टरों को बुलाया और इसमें काफी चर्चाएं लाकर इस बिल को तैयार किया था। फिर अभी भी आज हम उस बिल को पेश करने की कोशिश करेंगे और इस पंचायती राज बिल को पास कराने की कोशिश करेंगे।

आप जानते ही हैं कि देश में तरह-तरह की पंचायत समितियां हैं, पंचायत कमेटीज हैं, विलेज कमेटीज हैं। इस देश में पांच लाख से ज्यादा गांव हैं और पांच लाख गांवों के अन्दर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं हुआ है। अभी तक भी पूरे देश के गांवों में ठीक तरह से रोड्स नहीं हैं। मैंने इस पोर्टफोलियो को लेने के बाद सारे देश के गांवों की सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, मैंने इसका एस्टीमेट करायां, तो मालूम हुआ 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है।

देश को आजाद हुए 45 साल हो गए, मगर गांवों के लिए कनेक्टेड रोड्स नहीं हैं, तो उसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से और दूसरे वालंटरी आर्गनाइजेशन की तरफ से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे गांवों के लिए रोड्स किस तरह से लाई जाएं। यह काम बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर रोडस का कनेक्शन गांवों को नहीं है तो काश्तकारों के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए और वहां के लेबरर्स की आर्थिक परिस्थिति पर भी ज्यादा भार पड़ रहा है, तो उसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पंचायती राज बिल को इस सदन में लाने के बाद कम से कम यह महसूस हो जाएगा कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान है, जो समिति का सरपंच है वह महसूस करने लगे कि हमें इन गांवों को डेवेलपमेंट करने के लिए अथॉरिटी मिली है, आज हम उसको यह कांस्टीट्यूशनल अथॉरिटी देने जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से भी पंचायती राज बिल बना है ग्राम पंचायत, ब्लाक लेवल और डिस्ट्रिक लेवल में और उसको इस कांस्टीट्यूशनली अमेंडमेंट होने के बाद उस गांव में रहने वाले तथा जो पब्लिक की तरफ से इलेक्ट होते हैं उन लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि 3-4-5 साल या जो भी मुद्दत हो, जिस तरह से पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनाव होते हैं, उनको विश्वास हो जाएगा कि उसी तरह से हमारे भी चुनाव होंगे। जब तक उनको वह विश्वास नहीं होगा तो जब सारी जगह, बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी पंचायत, ग्राम पंचायत नहीं हैं, मगर काम चल रहे हैं, तो उसको कांस्टीट्यूशनल स्वरूप देकर उन लोगों के अन्दर विश्वास पैदा करने की जरूरत है।

अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि देश आजाद होने के बाद कई हजार करोड़ रुपये गांवों की डेवेलपमेंट के लिए खर्च हुआ है, मगर जिस तरह से गांवों के अन्दर डेवेलपमेंट होना चाहिए वैसा डेवेलपमेंट नहीं हुआ है। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, श्री राजीव गांधी जी ने, जब वह प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि हजारों-करोड़ों रुपये शैड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के डेवेलपमेंट के लिए हमने जो खर्च किया है उसमें से 15 और 16 परसेंट भी हम लोगों के पास नहीं पहुंचा है। बीच के लोगों ने उस राशि को खत्म किया है, वह भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था और इसके बाद यह जानने की कोशिश की कि ग्रामीण विकास किस प्रकार हो रहा है। इसके लिए जवाहर रोजगार योजना की स्थापना की गई। ग्रामीण विकास का उस वक्त जिस तरह से काम हुआ है, उसमें भारत सरकार ने 21 करोड़ रुपए और राज्यों की तरफ से 523.33 करोड़ रुपए, इस तरह से लगभग 2623.33 करोड़ रुपये जवाहर रोजगार योजना में इस समय खर्च हो रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में रोजगार प्रदान करना है। 60 परसेंट राशि रोजगार प्रदान करने पर खर्च की जानी है और 40 परसेंट

[श्री जी० वेंकटस्वामी]

राशि मेटीरियल खरीदने पर खर्च की जानी है। गांवों में जिन लोगों के पास खाने को नहीं है, जिनको सीजनल वर्क नहीं मिल रहा है, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने के लिहाज से इस वर्ष मिलियन वैल्स की योजना के लिए 524 करोड़ रुपये दिए गए हैं, ताकि जो छोटे वैल्स हैं, बाबली हैं, उनको खोद कर स्माल फार्मर्स कास्त कर सकें। इस तरह से एक तरफ उनको रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ उनकी कास्त इंप्रूव होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इन्दिरा आवास योजना है। यह पूरी तरह से भारत सरकार की योजना है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए मकान बनाने की योजना है। इसमें इस वर्ष 157 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह से इन सब योजनाओं के अन्तर्गत जो पंचायत का सरपंच है, प्रधान है, मुखिया है, उनको चैक द्वारा राज्य सरकार के थ्रू भुगतान किया जाएगा। 1510.92 करोड़ रुपया गांवों में चैक के रूप में ग्राम पंचायतों को या प्रधान को पहुंचे। इस राशि से ग्रामीण विकास होगा।

इसमें ग्राम प्रधान के लिए एक कंडीशन रखी गई है कि वह ग्राम सभा बुलाए, और तय करे कि क्या क्या काम किया जाना है। उनके हाथ में अधिकार आने के बाद बहुत सारे गांवों में विकास का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास का काम शुरू हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने फण्ड्स के मिस-यूज होने की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मैं समझता हूं कि गांव की निर्वाचित संस्था के हाथ में पैसा देकर सारा काम कराने का काम किया गया है और इसके द्वारा सन्तोषजनक तरीके से अच्छा काम हो रहा है। हो सकता है कि इसके अन्दर कुछ खामियां भी हों और कई जगहों पर फण्ड्स का मिसयूज हो रहा है, उन खामियों को दूर करने के लिए स्टेट की टीम्स जा रही हैं और भारत सरकार भी टीम भेजकर चैक कर रही है ताकि फण्ड्स का कहीं मिसयूज न हो।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हर साल 90 करोड़ मैनडेज रोजगार दिया जा रहा है जो पहले नहीं था। सीजनल वर्कर्स जो भूखे रहते हैं, उनको जवाहर रोजगार योजना से फायदा हो रहा है। मैं समझता हूं कि जवाहर रोजगार योजना और आगे बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्र इससे फायदा उठाएंगे।

लैंड सीलिंग की प्राबलम के बारे में आप जानते हैं। कई सालों से अलग-अलग राज्य लैंड रिफार्म को लैंड सीलिंग एक्ट की तरह अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के बाद जो जमींदारों से ली हुई जमीन है तकरीबन 6 मिलियन हैक्टेयर वेस्ट लैंड, जो राज्यों की भी भूमिहीनों बांट दी गई है। टेनेन्ट्स के लिए एक्वायर की हुई लैंड 7.72 मिलियन हैक्टेयर है जिससे टेनेन्ट्स को ओनरशिप मिल चुकी है। टेनेन्ट्स को जमीन दी गई है। यह सब होने के बावजूद भी स्टेट्स की जो सरप्लस लैंड है, वह भी दी गई है। अभी तक बेनामी लैंड की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बेनामी लैंड बहुत बड़े-बड़े लोगों के हाथ में है। उसकी छानबीन करने के लिए सभी पार्टियों के मैम्बर्स हाथ बटाएं नहीं तो यह सामने नहीं आने वाली है। जब तक यह सामने नहीं आयेगी तो गांव के अन्दर जो गरीब जमीन के लिए तरस रहा है उसको कब जमीन मिलेगी।

(व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : पोलिटिकल बिल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी पार्टी की नीयत साफ कीजिए। **(व्यवधान)**

श्री जी० वेंकटस्वामी : बहुत सारी चीजें मैं हाउस में नहीं बता सकता। सभी मैम्बर्स इस सदन से शुरू करें तो मैं समझता हूं कि देश में जो बेनामी लैंड है, वह बाहर आ सकती है। **(व्यवधान)**

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैं, सी० पी० एम० पार्टी से हूं और तैयार हूं।

श्री जी० वेंकटस्वामी : मैं भी तैयार हूं। मेरे पास एक एकड़ भी जमीन नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : जिनके पास जमीन है तो उनकी लिस्ट सदन के पटल पर रखने के लिए तैयार हैं क्या, ताकि हम आगे बढ़ सके। **(व्यवधान)**

मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि मैम्बर्स आगे बढ़ें। जो भी लिस्ट होगी, उसको मैं रखने के लिए तैयार हूं। मैम्बर्स का आगे बढ़ने का मतलब है कि आगे बढ़कर बताएं कि किसके पास कितनी जमीन है। **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आपने कहा कि मैम्बर्स ऐसा कह रहे हैं तो यह सीरियस चार्ज है। **(व्यवधान)**

श्री जी० वेंकटस्वामी : मैंने कहा कि मैम्बर्स इसको हाथ में लें और आगे बढ़ें।

श्री राम विलास पासवान : आल पार्टीज की एक कमेटी बना दीजिए जिससे मैम्बर्स घूम-घूमकर बता सकें कि किसके पास कितनी जमीन है। **(व्यवधान)**

श्री जी० वेंकटस्वामी : मैंने कहा कि बुनियाद यहां से शुरू हो बेनामी की, ताकि देश के अन्दर लोगों की आंखें खुल सकें और बेनामी बाहर आ सके। जो ख्वाब गांधी जी और इन्दिरा जी ने देखे थे, उसको पूरा करने के लिए आप और हम सब मिलकर काम पूरा सकते हैं। मैं इस लैंड सीलिंग के बारे में इसलिए ज्यादा जोर देना चाहता हूं क्योंकि देश का स्वरूप बदलना है और गांव-गांव के स्वरूप को बदलना है। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना है उसको पूरा करने की बात है। आज भी गांवों में बिजली नहीं है।

2.30 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज भी कई गांवों में रोड्स नहीं हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां इन्दिरा आवास योजना आने के बावजूद भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मकान नहीं मिल पाये हैं। इन मकानों के लिए इस मर्तबा हम कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ वालंटियर आर्गेनाइजेशंस से भी मदद ली है और जिनके पास मकान नहीं हैं उनको मकान देने की कोई योजना तैयार करने जा रहे हैं।

इस बजट में मुश्किलों के बावजूद भी 250 करोड़ अतिरिक्त रुपये पेयजल के बारे में खर्च करने का प्रावधान है। सातवीं योजना में हमारे देश में 1,60,000 गांव प्राब्लम विलेज के तहत आते थे, हमने 1,50,000 गांवों को इस वर्ष मार्च तक इस समस्या से सोल्व किया है और करीब 5.3 हजार ऐसे गांव हैं जो कि समस्याग्रस्त हैं। उनके लिए हमने यह धनराशि रखी है। जिन गांवों में पीने का पानी नहीं है वहां हम पीने के पानी का प्रबन्ध करेंगे और फिल्टर द्वारा वहां पीने के योग्य पानी की व्यवस्था करायेंगे। जहां खोदकर पानी नहीं निकल सकता ऐसे भी गांव हैं वे ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में हैं···

श्री अय्यूब खां (झुंझुनू) : राजस्थान में भी हैं।

श्री जी० वेंकटस्वामी : वहां पर भी हैं। ऐसे इलाकों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां समस्या का समाधान हो। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि रूरल डवलपमेंट के लिए जिस तरह से काम शुरू हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि गांवों में जो गरीब लोग हैं···

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : मंत्री महोदय अपना भाषण खत्म करने के पहले कृपया यह बतायें कि जो कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में सबसे पहली प्रतिज्ञा हमने की थी कि संविधान में संशोधन करने के लिए पंचायती राज और नगर पालिका पर विधेयक पहले 100 रोज के अन्दर लायेंगे, इसके बारे में आपका क्या इरादा है? सरकार पंचायती राज विधेयक ला रही है या नहीं?

श्री जी० वेंकटस्वामी : मैंने शुरू में ही इसके बारे में कहा था, आप शायद तब यहां नहीं थे। ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की सब कमेटी बनी है उसमें यह मामला आ रहा है। हम पंचायती राज बिल को लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए माननीय सदस्यों ने जो राय दी है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा विभाग कैसे इसको कार्यान्वित करे। जो बहुत सारे कटमोशंस आये हैं ग्रामीण विकास के लिए, मेरा आग्रह है कि वे अपने कटमोशंस वापस ले लें ताकि हम विकास की तरफ आगे बढ़ें और गांवों में जो अंधेरा है उसको रोशनी में तब्दील करने की कोशिश करें। इन चन्द अलफाज़ के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : इस मांग पर 10 घंटे अलाट हुए हैं, लेकिन अब तक 16 घंटे हो चुके हैं। हमारी पार्टी को 37 मिनट अलाट हुए थे, लेकिन हमारे दो सदस्य ही बोले हैं। क्या हमें और समय नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है कि केवल दो लोगों को ही बोलना है—श्री चोक्का राव जुव्वादी और श्रीमती बासव राजेश्वरी। इसके बाद माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : छोटे दल, जिनमें दो या तीन सदस्य हैं, पहले ही 14-15 मिनट ले चुके हैं।

श्री ई० अहमद : यह सही नही है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : यह सही है। हम 34 सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले यह देखें कि कोई अन्याय हुआ भी है या नहीं।

श्री ई० अहमद : महोदय, जितना समय छोटे दलों को दिया जाना था वह दिया गया है। छोटे दलों को कोई विशेष लाभ नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चोक्का राव जुव्वादी।

श्री जे० चोक्का राव (करीमनगर) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एण्ड रूरल डेवलेपमेंट की डिमांड्स की ताईद करते हुए आपकी मार्फत से कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमने काफी कामयाबी हासिल की है। अनाज काफी पैदा कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट्स के जो रिसर्च केन्द्र हैं और किसानों की मेहनत है, उससे हमने यह कामयाबी हासिल की है। मगर सरकार की तरफ से या किसी पालिटिकल पार्टी की तरफ से देश के उन 70 प्रतिशत लोगों के लिए, जिन पर सारा देश आधारित है, जितना करना चाहिए था, उतना नहीं कर रहे हैं। मैं तो साइंटिस्ट्स और किसानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो देश को बचा रहे हैं। हमारे रूरल के जो किसान हैं, एग्रीकल्चरिस्ट्स लेबर हैं, गांव में रहने वाले आर्टिजन्स हैं जिनकी संख्या 70 प्रतिशत से ज्यादा है, वे लोग दरिद्र रेखा से नीचे हैं इनकी संख्या 50 प्रतिशत है, उनको आगे नहीं ला रहे हैं। जो लोग सत्ता में हैं, या जो अपोजीशन पार्टीज में हैं, इस प्रकार की राजनीति कब तक चलती रहेगी ? अभी हमारे सांविक प्रधानमंत्री ने कृषि नीति के बारे में बात की है। जो भी प्रधानमंत्री आते हैं या पीछे श्री देवीलाल जी आये—सब कृषि नीति—कृषि नीति कहते रहे लेकिन यह कब होगी ? अब श्री बलराम जाखड़ किसानों के लीडर हैं, आखिर यह कृषि नीति कब होगी ? मैं कहता हूं कि सरकार क्रिटिसिज्म न करे। सदन की तमाम पार्टियां एक होकर लड़ी हैं, इसलिए केवल अपने लिए नहीं, किसानों के लिए इस नीति को मनवाना है, इसको म्यूचअल डिस्कशन के साथ करना है। अभी यह कहा गया कि इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं ? अभी श्री वी० पी० सिंह ने बताया कि आप 5वें प्लान में एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिए कितना इन्वैस्ट कर रहे थे, इरीगेशन में 11.3 फीसदी करते थे, एग्रीकल्चर में 8.6 प्रतिशत था, छठी प्लान में इरीगेशन में 10 प्रतिशत हो गया और एग्रीकल्चर में 6 फीसदी हो गया, 7वीं प्लान में इरीगेशन में 9 फीसदी और एग्रीकल्चर में 5.9 प्रतिशत हो गया। यह हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि इसमें रोड़ा कौन अटका रहा है ? हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं ? जो रूरल किसान हैं, मजदूर हैं वे मुतहद नहीं हो रहे हैं। वोटों की राजनीति में जो कैपटलिस्ट्स हैं, वे अरबन डेवलेप कर रहे हैं और रूरल एरियाज को एक्स्प्लायट करते आ रहे हैं। इस प्रकार अरबन और रूरल तनाव बढ़ रहा है। आजादी के बाद भी यही हो रहा है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अभी हमारे रूरल डेवलेपमेंट के मिनिस्टर लैंड रिफार्म्स के बारे में कह रहे थे। उसके बारे में क्यों अमल नहीं हुआ ? अभी कह रहे थे कि राजनीति की सत्ता में, चाहे कांग्रेस हो चाहे जनता दल हो या कोई और पार्टी हो, बेनामी ट्रांजेक्शन करते हैं। वे उनका नाम क्यों नहीं लेते ? इन पार्टियों का एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हर पार्टी के मैम्बर को ईमानदारी से कमिट करना चाहिए तो बराबर बेनामी लोग बाहर निकल सकते हैं। जो राजनीति की सत्ता में हैं, उन पर लाइए। पासवान जी, अभी यहां बैठे हुए हैं, अगर आप सत्ता में रहे तो आपकी गवर्नमेंट उनका नाम लेती, आप एक कमिटमेंट करते परन्तु आप आज गवर्नमेंट के सामने दरख्वास्त कर रहे हैं। पब्लिक एजीटेशन कर उनको संगठित करें कि जो बेनामी लोग हो रहे हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। आप यहां बैठे हैं, केवल भाषण करने से काम नहीं होगा। आप किसानों को संगठित करेंगे या नहीं ?

श्री राम विलास पासवान : जिसके पास में बेनामी जमीन हो, उसको एम० पी० के लिए टिकट ही नहीं दीजिए।

श्री जी० वेंकटस्वामी : आप हर पार्टी की तरफ से यह डिसाइड करें।

श्री जे० चोक्का राव : मैं व्यक्तिगत राजनीति में किसी की बात नहीं कर रहा हूं। वह चाहे आपकी पार्टी में हो या मेरी पार्टी में। गवर्नमेंट अगर सत्ता में है, मिस्टिर अगर कमिटेड है, राजनीति के जो लोग हैं, चाहे किसी पार्टी का हो, बेनामी है तो उन्हें बाहर निकल आओ। अगर आप उनको नहीं लाते हैं तो लोगों में जागृति आनी चाहिए चाहे कोई गवर्नमेंट हो, वह मुत्तहिद होकर इनको बाहर लाएं और समाज के सामने खड़ा करें। ये लोग ऐसी गलतियां करके रूरल एरिया के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। एक नारा हो गया है अर्बन सीलिंग का। कोई गवर्नमेंट सत्ता में हो, अर्बन सीलिंग उसने कितना किया ? वह रिश्वत लेने का, पैसा कमाने का धंधा बन गया है। इसीलिए जो कमिटेड लोग हैं और रूरल एरिया के साथ काम कर रहे हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, संगठित हों। जब तक किसान लीडर, पूरे देश के किसान लीडर एग्रीकल्चर लेबर का इत्मीनान हासिल नहीं कर सकते, तब तक वे बिल्कुल किसान लीडर नहीं कहला सकते। जो लीडर एग्रीकल्चर लेबर का कान्फीडेंस नहीं प्राप्त करता तब तक वह किसानों के लिए न्याय कर सकता है। मुझे सिर्फ दो-तीन मिनट और चाहिए।

फर्टिलाइजर के बारे में जो सब्सिडी निकाली है, उसका हरेक को दुख है। क्यों निकाली है, आर्थिक परिस्थिति खराब है। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये दो हजार करोड़ की सब्सिडी निकालो। जब एक एजीटेशन हुआ तो मार्जिनल और स्माल फार्मर्स को सब्सिडी देने के लिए वायदा किया मगर आज बलराम जाखड़ से लेकर अपोजीशन में भी कोई गवर्नमेंट को कहता नहीं है। आज दो हजार करोड़ किन पर वजन डालना चाहिए था ? गवर्नमेंट को, जो कैपिटलिस्ट लक्जरी गुड्ज से नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उन पर डालना चाहिए था। स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स की सब्सिडी पर अमल नहीं होगा, करप्शन होगा। आज हम पोलिटिकल पार्टीज कहां पर हैं ? अगर गांवों का जो स्माल और मार्जनल फार्मर है, उसे हम एक सहूलियत दे रहे हैं परन्तु उस तक उस सहूलियत को नहीं पहुंचा सकते तो हम किसलिए सूरत दिखाएं ? यह सही है। यह लागू होना मुश्किल है। कारण क्या है कि पोलिटिकल पार्टीज में कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए हम नारे लगाते हैं। अगर प्रधानमंत्री पी० वी० नरसिंहराव ने किया है तो उसको कामयाब कराना है तो फिर यह बलराम जाखड़ से ज्यादा पासवान की जिम्मेदारी है क्योंकि आज तक फर्टिलाइजर हरियाणा, पंजाब और कुछ स्टेट के बड़े काश्तकार इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बिहार के देहात वाले जो स्माल मार्जनल फार्मर्स हैं, उनको इरीगेशनल फैसिलिटीज तक नहीं है। उनको काश्त करने के लिए और इरीगेशनल फैसिलिटीज दीजिए।

अब लैंड सीलिंग की बात है। लैंड सीलिंग में आप जितनी जमीन बांटिए। आज बांटने वाला खुश है। आपने जमीन बांट दी। उस जमीन में पानी है ? वह जमीन काश्त के लिए ठीक है ? यह तमाम राजनीतिकरण हो रहा है। लैंड सीलिंग में सरप्लस लैंड सरकारी लैंड हो, अगर हो सकता है तो लैंड सीलिंग के अलावा जमीन पर आप जो करोड़ों रुपये बरबाद कर रहे हैं, इससे जो गरीब मजदूर हैं, उनको पूरी सहूलियतें देनी चाहिए। जब तक हम राजनीति के लोग ठीक नहीं होंगे, ये गांव की हालत सुधरने वाली नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब पंचायत राज राजीव गांधी जी लाए तो वह बिल आ गया।

मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से भी कहूंगा कि जब तक इस रिवौल्यूशन में हम सबका सहयोग नहीं मिलेगा, कोई हमें सफलता नहीं मिलेगी। चाहे राज्य सभा में हो, असैम्बलीज में हों, हमें वीकर सैक्शन्स को प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा, उनको अधिकार देने होंगे। मगर आपके जमाने में जो पंचायत बिल आया, उसमें क्या है। शायद आपको मालूम हो या न हो लेकिन वह बिल सदन में इंट्रोड्यूस हुआ

था। इसलिए आप यहां जो सब-कमेटी आफ कैबिनेट की रिकमैण्डेशन पर बिल लाए हैं, उसके बदले आप पंचायती राज एक्ट में परिवर्तन लाइए, एग्रीकल्चरल लेबर को उसमे रिप्रेजैन्टेशन दीजिये, आर्टिसन्स को रिप्रेजैन्टेशन दीजिये, स्माल एण्ड मार्जिनल फार्मर्स को उसमें रिप्रेजैन्टेशन दीजिये और जो लोग देहातों में रहते है, गरीब हैं, यदि कुछ गांव में नहीं भी रहते हैं, शहरों में आकर अपना कोई रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं पेट पालने के लिए, यदि उनकी जमीन गांव में है तो आज स्थिति यह है कि गांव की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ऐसे श्रमिकों को पंचायत में किसी तरह के अधिकार नहीं हैं जबकि होने चाहिए। हमारा प्लानिंग कमीशन भी उनके बारे में नहीं सोचता। मैं चाहता हूं कि प्लान हमारे यहां से बनें, मगर उनकी इम्पलीमैंटेशन का अधिकार पंचायतों को होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन पर यदि यह जिम्मेदारी छोड़ी जाएगी तो उससे मजदूर, किसानों का भला होने वाला नहीं है। जब तक इस व्यवस्था में चेंज नहीं आयेगा, हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि अलग अलग पार्टीज की भावना से ऊपर उठकर, सबको मिलकर काम करना चाहिए।

विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मैं नहीं जानता कि अब दोबारा आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप फिर प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे और जनता पार्टी आपको कहां ले जायेगी, कैसे ले जायेगी, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं मगर आपकी ओर से जो नारा लगा है, श्रमिकों को न्याय दो, उसे हासिल करने के लिए, आपके बाजू में जो पासवान जी बैठे हैं, उन्हें आप मजबूती दो, रहनुमाई दीजिये। आप पार्टी भावना से ऊपर उठकर श्रमिकों में एकता लाने की कोशिश कीजिए ताकि लैंड सीलिंग भी हो और सभी हरिजन आदिवासियों की जमीनें भी महफूज रह सकें। आज हरिजन आदिवासियों की जमीनों पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ है और यदि कुछ हरिजन आदिवासियों के पास जमीनें हैं भी तो न उसमें सिंचाई की सुविधा है, न पानी की व्यवस्था है, न दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप उन्हें पानी की सुविधा दीजिए, फ्री एजूकेशन दीजिए, चाहे वह माइनर इरीगेशन हो या बैल से सिंचाई की जाती हो, मगर उसे किसान बनाइए। आज स्थिति यह है कि वह खेती को छोड़कर मजदूरी के लिए भागता है। आप उसे आगे लाइए।

यद्यपि मैं कई सुझाव आपके सामने रखना चाहता था परन्तु समय की पाबन्दी के कारण मुझे एक-दो सुझाव देकर समाप्त करना होगा। हमारी पार्टी भी हमें, जब हम चाहते हैं तो बहुत कम समय देती है, यह बड़ी बदकिस्मती की बात है, विचार करने की बात है। मगर ऐसे आईटम्स पर, चाहे कोई लैफटिस्ट हो, जनता दल का हो या किसी दूसरी पार्टी का हो, हमारे बुनियादी डिफरैंसेज बी०जे०पी० के साथ हैं। फिर भी ऐसे कार्यक्रमों में हम सब मिलकर काम करें और समाज को न्याय दिलाने के कामों में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए।

मैं जानता हूं कि आप कुछ करना चाहते हैं मगर कैबिनेट में या दूसरी तरफ से आपको मजबूती नहीं मिल रही है और यह तभी हो सकता है जब सब मिलकर काम करें। मैं समझता हूं कि सब लोग इस मामले में एकमत हैं कि समाज के कमजोर और गरीब वर्ग को ऊपर उठाना है। हम सब चाहते हैं कि मेहनतकश लोगो को, ईमानदार लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले और इस देश के किसानों का फायदा हो, मगर चाहते हुए भी आज कुछ होता नहीं है। लोन लेने के लिए यदि किसान जाता है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारी सभी संस्थाएं कमजोर हो गई हैं, कोआपरेटिव मूवमैंट कमजोर सा हो गया है। उसे पूरी सहायता भी नहीं मिलती।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं कि हम चाहे किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखते हों, आपके जरिये मैं इस देश के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं

कि जो श्रमिक हैं, जो पीपल्स यूनियन्स हैं, तारीन हैं, ये तमाम लोग अब संगठित हो जायें अपने अधिकारों के लिए। यदि हम पार्टीबाजी के आधार पर लड़ेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो देहातों में रहते वाले लोग हैं, उन्हें भी चाहिए कि वे अपने छोटे-छोटे डिफरेंसेज को छोड़कर एक हो जायें तमाम किसान, श्रमिक, मजदूर, आर्टिजन एक होकर खड़े हो जायें, तभी हम कुछ एचीव कर सकते हैं। यही मेरी भावना है और यही मैं आपके माध्यम से सारे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ, मैं समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मसूदल हुसैन।

श्री हुसैन आप समय को भी कुछ महत्व दीजिए, जिन सदस्यों को पहले बोलने का अवसर मिलता है उन्हें अधिक समय मिलता है और जो बाद में बोलते हैं, उन्हें बहुत कम समय मिलता है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सर, मैं तो लैंड रिफार्म को टच नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा सवाल आ गया है जिसके कारण इस विषय को टच करना पड़ रहा है। जितनी जमीन पूरे भारत में बांटी गई है उसकी 1/6 केवल पं० बंगाल में बांटी गई है और उसका एक ही कारण था कि हमारे यहां पोलिटिकल विल थी। जब हम जमींदार की जमीन पर कब्जा करते थे, तब हमें भी मालूम होता था कि हम हर भूमिहीन को जमीन नहीं दे पाएंगे और जितने भी भूमिहीन हमारे साथ थे, वे भी इस बात को जानते थे कि इससे निकली जमीन मिलेगी, वह सबके बंटवारे में नहीं आ पाएगी, फिर भी उस जमीन पर कब्जा करने का हमारी पार्टी ने ऐलान किया को जोत लाठी लेकर किसके यह लाठी जमीन के लिए नहीं थी, बल्कि सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। इसीलिए आज पं० बंगाल में सामंतवाद की कमर टूट गई है वहां पंचायतराज स्थापित हुआ है विदाउट ब्लड। जो शहर में बैठे हैं, वकील हैं, बिजनेस करते हैं, डाक्टर हैं, वे नहीं, अब भूमिहीन, मजदूर आदिवासी लोग सरपंच बनते हैं जबकि दूसरे राज्यों में ये सरपंच नहीं बन पाते हैं। इसकी एक ही वजह है कि हमारे यहां पं० बंगाल में भूमि सुधार को लेकर सामंतवाद की कमर तोड़ दी। खैर मैं इसके ऊपर बोलना नहीं चाहता था, फिर भी कुछ थोड़ा सा रैफरेंस दे दिया है।

सर, जिस विषय पर और जिस चीज पर मैं बोलना चाहता हूं उस के ऊपर इस सदन में चर्चा नहीं हुई है और वह विषय है कोआपरेटिव मूवमेंट। जाखड़ साहब यहां हैं, ये सेक्रेटरेट भी कर चुके हैं और इस बारे में बहुत जानते हैं, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे यहां दो तरह का कोआपरेटिव चल रहा है। जो आपरेटिव सही मायने में गरीब तबके को सहूलियत दे सकता है, वह दिन पर दिन घट रहा है। कोआपपरेटिव थी टायर, फोर टायर सिस्टम होता है और दूसरा कोआपरेटिव जो सही मायने में फेमिली कोआपरेटिव है जैसे शुगर मिल हैं। राइस मिल है। ऐसे कोआपरेटिव में आप डायरेक्ट पैसा दे देते हैं। उसके लिए एक ही एजेंसी है एन० सी० डी० सी० आप नाईन्स मार्केटिंग के बारे में, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में देखिए, अगर आप चाहेंगे, तो मैं आपको इसके पूरे आंकड़े दे सकता हूं। प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपसोसायटी 1974 में 2 लाख थीं, 1984 में 93 हजार रह गयीं, 1987 में 90 हजार रह गयीं और फिर 1989-90 में 87 हजार रह गई और दूसरी तरफ एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट-शुगर मिल्स, राइस मिल्स की संख्या बढ़ रही है और इसके बारे में आप जितनी भी सहूलियत देते हैं, लैम्प्स, लार्ज मल्टीपरपज सोसायटीज को आपने कितना पैसा दिया है, ये आंकड़े मेरे पास है, मैं बताता हूं आपने इसके लिए 19 करोड़ रुपया दिया है। आप शुगर फैक्ट्री, राइस फैक्ट्री आदि को 100 करोड़, 150 करोड़ और 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पूरे किसानों

मेरे पास हैं । तो गरीब तबके के लोगों को कोआपरेटिव के जरिये जो सहूलियत आप देते हैं वह कम हो रही है और खत्म होती जा रही है। इसकी संख्या घट रही है और एन० सी० डी० सी० के माध्यम से आप दूसरे प्रकार की कोआपरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं। सही बात तो यह है कि कोआपरेटिव स्टेट सब्जैक्ट है, लेकिन एक ऐसा ढांचा बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की सहूलियत का कि बिना उस सहूलियत के यह चल नहीं सकता है और जब एन० सी० डी० सी० के माध्यम से आप पैसा देते हैं, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को आप पूछते भी नहीं हैं। यह पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 26वीं रिपोर्ट है।

यह 1986-86 की रिपोर्ट है जिसमे यह लिखा है :

[अनुवाद]

"कमेटी यह जानती है कि कुछ राज्यों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम बिना संबंधित राज्य सरकारों को इसमें शामिल किये राज्य सहकारी बैंकों को सीधे अनुदान दे रही है।"

ये स्टेट गवर्नमेंट को पूछते भी नहीं हैं और कहते हैं कि यह स्टेट सब्जैक्ट है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि पश्चिम बंगाल, आसाम से भी ऐसा हुआ है। राइस मिल के लिए पैसा दिया गया लेकिन राइस मिल आज तक नहीं बनी है। यह एन० सी० डी० सी० की रिपोर्ट में है। मेरा कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐजूकेशन पालिसी, हेल्थ पालिसी, टैक्सटाइल पालिसी है लेकिन कोऑपरेटिव जिससे गांव के गरीब किसान को सबसे ज्यादा सहूलियत पहुंच सकती है, उसके लिए आज तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं बनी है। गांवों के लिए आज तक कोई पालिसी नहीं बनी है, कोई सेपरेट मिनिस्ट्री आपने नहीं बनाई हैं। आपके अधिकारी जो रिपोर्ट बनाते हैं वे भी कोआपरेटिव के बारे में बेदर्दी से सोचते हैं। मेरे पास पिछले साल और इस साल की दो रिपोर्ट हैं। इसमें कोआपरेटिव के बारे में जितने पेज है उसमें सिर्फ पहले पेज को चेंज किया है, बाकी कापी हुबहू सही है। यदि आप कहें तो मैं दोनों को पढ़कर सुना सकता हूं। हम पहले सुनते थे कि स्कूलों में लड़के कापी करके परीक्षा देते हैं लेकिन अब आपका डिपार्टमेंट भी पूरी कापी करने लगा है। फुल स्टाप, कोमा भी वही है। जो काम कोऑपरेटिव ले सकते हैं उसको दूसरी एजेंसियों से करवाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में जूट के बारे में है। जूट एग्रीकल्चरल प्रोडयूस है, इसको खरीदने के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग ही काफी थी लेकिन आपने इसके बीच में जे० सी० आई० को खड़ा कर दिया जो टैक्सटाइल से जुड़ी हुई है। यदि आपका मार्केटिंग फैडरेशन जूट को खरीदता तो क्या इससे नुकसान होता। जो पैसा जे०सी०आई० को देते हैं वह डायरेक्ट मार्केटिंग फैडरेशन को दे देते।

हरियाणा में कौटन का प्रोडक्शन है। वहां काफी कौटन हो रहा है और उनको खरीदने के लिए सी० सी० आई० बना दिया है। इसे भी यदि डायरेक्ट मार्केटिंग फैडरेशन से खरीदते तो किसान को कुछ मदद मिलती। लेकिन आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड कोऑपरेटिव पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि इसमें थोड़ा भी ध्यान दें तो शायद इसका कुछ फायदा गांव के किसान को मिल जाए।

2.58 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

मैं इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि यदि लैंड रिफॉर्म, पंचायत और कोऑपरेटिव तीनों मिलकर काम करें तभी आप गांव की सूरत को बदल सकते हैं। लेकिन आपसे उम्मीद करना मुश्किल है क्योंकि आपकी नीयत दूसरी है।

[श्री सैयद मसूदल हुसैन]

एक और बात मैं किसान के बारे में कहना चाहता हूं। आपने किसान की फसल रखने के लिए सी०डब्ल्यू०सी० बनाया था। सी० डब्ल्यू० सी० बनाते समय यह कानून बनाया गया था कि यदि किसान अपनी फसल रखेंगे तो उस रसीद के जरिए उसका नब्बे प्रतिशत बैंक लोन उसको मिलेगा।

3.11 म० प०

लेकिन यह सी० डब्ल्यू० सी० किस के पास पहुंच गया है ? यह बनिया के पास रहता है। यह पब्लिक अंडरटेकिंग का 1984-85 का जो रिपोर्ट है, इसमें मैं देख रहा हूं कि 1980-81 में सिर्फ 209, 1981-82 में 409 और 1982-83 में 344 किसानों की फसल सी० डब्ल्यू० सी० के पास थी। सी० डब्ल्यू० सी० इसलिये बनायी गई थी ताकि किसान अपनी फसल वहां रख सकें लेकिन आज उनको अपनी फसल रखने का मौका नहीं मिल रहा है। मिनिस्टर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सी० डब्ल्यू० सी० जिस के हित के लिये बनायी गई थी उसके ऊपर आप सही मायने में ध्यान दें ताकि गांवों के किसानों को वहां अपनी फसल रखने का मौका मिले। छोटे किसान बनिये के पास जो अपनी फसल रखते हैं वे उसे वहां न रख कर अपने पैसे बचा सकें, इसका आप ध्यान रखें।

इतना सब कहते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जरूर मेरे द्वारा कही गई बातों पर ध्यान दें और कोशिश करें। कोआपरेटिव्स के बारे में आप कम से कम थोड़ा ध्यान अवश्य दें।

[अनुवाद]

श्रीमती वासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं कई दिनों से भाग लेने का प्रयास कर रही थी और अंतत: आज अन्तिम दिन मुझे यह अवसर मिला है। मैं आपकी बहुत आभारी हूं।

समय कम है, इसलिए मैं कुछ ही सुझाव देना चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़, जो कि भारत कृषक समाज के अध्यक्ष थे और किसानों के हितों के प्रबल समर्थक थे, अब कृषि मन्त्री हैं। वह इन समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वह इस मामले में अत्यन्त गम्भीर है कि कोई हल निकालने के लिए स्थिति को कैसे संभाला जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान को अधिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से मौजूदा वित्तीय संकट को देखते हुए मुझे डर है कि वह किसानों के लिए तैयार किए गए कुछ कल्याणकारी उपायों को कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे।

अनेक सदस्यों ने खाद पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। अनेक राज्य सरकारें पहले ही कह चुकी है कि वे वित्त मन्त्री द्वारा घोषित इस दोहरी नीति को लागू करने की स्थिति में नहीं है। वे कह रहे हैं कि इसे कार्यान्वित करना अत्यन्त कठिन है। खाद के दुरुपयोग की पूरी संभावना है और इसके लिए निर्धारित धनराशि का भी दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए इसका कोई हल खोजा जाए। भारत सरकार ने खाद के मूल्य में वृद्धि करने के बारे में निर्णय लिया है। बुवाई का मौसम शुरू हो चुका है और यदि खाद उपलब्ध नहीं हुई तो सारे कृषक समुदाय को धक्का लगेगा। अगर राज सहायता को सोच समझकर धीरे धीरे हटाया जाता तो बहुत अच्छा। लेकिन खाद पर राजसहायता को अचानक हटा देने से किसानों को अत्यधिक असुविधा हुई है।

पहले तो खाद उपलब्ध ही नहीं है। इसके डीलर बिक्री नहीं कर रहे। दूसरे, इसके मूल्य भी बढ़ा दिए गए हैं। अन्य मदों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। वित्त मन्त्री का यह तर्क है कि वसूली के समय वह

उन्हें मुआवजा देंगे। मैं जानना चाहती हूं कि यह वसूली करने वाली एजेन्सी कौनसी है। क्या इसका मतलब यह है कि वसूली साल भर चलेगी ? फिर भी यह समस्या रहेगी। हम जो अन्य खाद्यान्न उगा रहे हैं क्या उन पर भी यह लागू होगा ? मैं नहीं समझती कि ऐसा होगा। कितनी समितियां इस समय कार्यरत हैं ? इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध है ?

ये वे चीजें हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। अन्यथा यह नारा बनकर रह जायेगा। किसान हमारे ऊपर से विश्वास खो बैठेंगे। हमें इस सम्बन्ध में वे सब तरीके खोजने पड़ेंगे जिनसे हम उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि की पूर्ति कर सकें।

खाद्यान्नों की खरीद सारे देश में की जानी चाहिए और सभी समितियों को खाद्यान्न या तिलहनों की खरीद के लिए जिन्हें वह उचित समय पर उगाते है केन्द्र सरकार से धन उपलब्ध किया जाना चाहिए इस उत्पाद के भण्डारण के लिए उपयुक्त भंडारगृह होने चाहिए। अन्यथा यह बर्बाद हो जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी उपयुक्त भंडारगृह नहीं है और इन भण्डारगृहों के बगैर आप इस प्रकार की वस्तुओं की खरीद कैसे करेंगे। यह बहुत कठिन कार्य है। वह सारा माल जिसे की हम खरीद करने जा रहे हैं वह बर्बाद हो जायेगा। इसलिए, इस पहलू पर भी गौर किया जाना चाहिए।

अब मैं बीज सम्बन्धी पहलू की बात करूंगा। आज ज्यादातर बीज जो हमें मिलते हैं मिलावटी होते है। इसमें कई लोग शामिल होते हैं। प्रमाणकरण के नाम पर वे इन अपमिश्रित बीजों को किसानों को ऊंची दर पर बेचते हैं और इससे अनभिज्ञ किसान इन बीजों को खरीद लेते है और जब फसल कटाई का समय आता है तो अन्तर मालूम पड़ता है। इसकी वजह से उत्पादन बहुत कम हो जाता है। अत: इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय बीज अधिनियम होना चाहिए। राज्य स्तर पर कई अधिनियम हैं। लेकिन उन्हें ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। देश भर में एक राष्ट्रीय बीज अधिनियम होना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बजाय उल्टे सीधे बीजों को अन्धाधुन्ध उपयोग करने से, केवल प्रमाणित बीज, जो अनुसंधान केन्द्रों से किसानों को सप्लाई किये गये हों किसानों द्वारा प्रयोग में लाये जाये इस पर गौर किया जाना चाहिए।

देश में कई केन्द्रीय फार्म हैं। हमने इन केन्द्रीय फार्मों के लिए काफी धन दिया है इसके अनुसंधान विकास और उचित स्तर बरकरार रखने आदि के लिए काफी धन दिया है। आज इन केन्द्रीय फार्मों का क्या हश्र है ? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ा फार्म है तुंगभद्रा सिंचाई परियोजना के तहत 4000 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी है। यह काली कपास वाली अच्छी मिट्टी है। आज केन्द्रीय फार्मों का भविष्य क्या है ? यह बबूल के पेड़ों से भरा पड़ा है। क्या यह इसे बर्बाद करना नहीं है ? या तो आप इसे राज्य सरकार को सौंप दें ताकि वे इस फार्म में बीज उगा सकें या इस फार्म का प्रबन्धन कर सकें और इसे राष्ट्रीय स्तर पर ला सकें ताकि इसमें कुछ गहन फसल पद्धति शुरू की जाये।

जहां तक भू-संरक्षण और बंजर भूमि विकास की बात है, हम काफी धन खर्च कर रहे है और हम चाहते हैं कि भू-क्षरण न हो और बंजर भूमि का विकास हो। इसमें काफी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। इस बात को देखने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं है कि क्या यह धन जिसे हम यहां भू-संक्षरण और बंजर भूमि विकास के लिए खर्च कर रहे है उसका ठीक उपयोग हो रहा है या नहीं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इस विभाग के अधिकारी भू-संरक्षण विभाग में कार्य करने के लिए खुश होते हैं। इसमें धन का पूर्ण दुरुपयोग हो रहा है। हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक जिला परिषद में इसमें शामिल कुछ अधिकारियों ने 40 लाख रुपए से कम नहीं कमाया और इसकी जांच चल रही है।

[श्रीमती वासवा राजेश्वरी]

आप क्या कर सकते हैं ? आप केवल इन अधिकारियों को निलम्बित कर सकते हैं। इस धन को किस काम के लिए उपयोग में लाया जा रहा है ? इस सम्बन्ध में जहां तक भू-संरक्षण और बंजर भूमि का सवाल है एक अनुवर्ती कार्यक्रम होना चाहिए।

अब मैं स्प्रिकलर और ड्रिप सिंचाई की बात करूंगी। एक सिंचाई पद्धति है जिसके द्वारा कम जल होने पर भी हम अधिक से अधिक सिंचाई कर सकते हैं। इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा राजसहायता दी जानी चाहिए। जहां तक स्प्रिकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली की बात है छोटे और सीमान्त किसानों को भी पचास प्रतिशत राजसहायता दी जानी चाहिए।

अब मैं कृषि नीति की बात करूंगी। आज तक हमने नयी कृषि नीति घोषित नहीं की है। 1956 के बाद कई बार हमने औद्योगिक नीति घोषित की है। स्वतन्त्रता के 40 वर्षों के बाद भी हम कृषि नीति घोषित करने में असफल रहे हैं। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए। मैं आशा करती हूं कि माननीय मन्त्री यथाशीघ्र नयी कृषि नीति के बारे में गम्भीरता से सोचेंगे। 60 प्रतिशत जनसंख्या तो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। यह नीति समस्त किसान समुदाय के लिए बहुत जरूरी है।

जहां तक उचित मूल्यों की बात है, माननीय मन्त्री फसल का उचित मूल्य निर्धारित करते वक्त हाथ से किए जाने वाले श्रम, भूमि पर किए गए निवेश, प्रबन्ध लागत, कृषि उपकरणों की लागत, बाजार भाव और परिवहन आदि पर भी ध्यान देंगे। निवेश, कीटनाशक, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट ये सब वे आवश्यक वस्तुयें हैं जहां किसान को हानि होती है। इसके अलावा परिवहन बहुत महंगा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि फसल का उचित मूल्य निर्धारित करते वक्त इन बातों पर भी ध्यान दिया जाए।

यहाँ न तो किसान को ही उचित मूल्य मिलता है न ही उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीजें मिलती हैं और बीसरा आदमी ही सारा धन खा जाता है। उदाहरण के लिए सेव हिमाचल प्रदेश में 4 रुपए प्रति किलो बेचा जाता है लेकिन जब यह दिल्ली आता है तो 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है, अंगूर 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है जबकि जब यह दिल्ली आता है तो 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। इसमें काफी अन्तर है। अतः कुछ वर्धित मूल्य उत्पादों को शुरू किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक जिले में ज्यादा से ज्यादा प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि आधारित उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिए।

कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना प्रत्येक जिले में की जानी चाहिए। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिला बल्लारी में थागड़ी में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की मांग करती आ रही हूं कर्नाटक सरकार बेलगाम में तिलहन विकास परियोजना और प्याज अनुसंधान विकास परियोजना की शुरूआत करने के लिए दबाव दे रही है। ये दो परियोजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की जानी चाहिए।

कर्नाटक तो सब्जियां उगाने के लिए भी प्रसिद्ध है। मैं समझता हूं कि उन राज्यों को कई तरह की सब्जियां भेजी जाती हैं जहां पर्याप्त मात्रा में सब्जियाँ नहीं होती। रेलवे के पास सब्जियों की ढुलाई के लिए कोई प्रशीतनयान नहीं है। अतः कर्नाटक से सब्जियों की ढुलाई के लिए मैं कृषि विभाग से वातानुकूलित डिब्बों की व्यवस्था बरने का आग्रह करती हूं ? कर्नाटक में फल, जैसे अंगूर, आदि भी उगाए जाते हैं। इसके लिए भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। कोलार, हसन और बेलगाम में आलू की उपज होती है। माननीय मन्त्री महोदय ने सभा में यह बताया है कि कर्नाटक में 76 कोल्ड स्टोरेज

गोदाम हैं। पर, ये गोदाम तो मत्स्य उत्पादों के भण्डारण के लिए हैं। अतः, आलू के भण्डारण के लिए अतिरिक्त गोदामों की जरूरत है। इसके अभाव में, किसानों को मजबूरन आलू बेचना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उक्त तीनों जिलों में आलू के भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज गोदामों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अब मैं ग्रामीण विकास, पंचायतीराज और नगरपालिका विधेयक के बारे में बात करना चाहूंगा। वास्तव में यह एक क्रांतिकारी विधेयक है जिस पर काफी वितर्क और चर्चा भी काफी हुई है। इसके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसे जल्द से जल्द पास किया जाना चाहिए। हमें स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा किए गए प्रयत्नों को भूलना चाहिए जो उन्होंने इस विधेयक को पारित करने के लिए किए थे। इसके प्रत्येक चरण पर बहस भी हुई थी। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों की नीतियों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसमें क्रांतिकारी विधेयक को सदन में लाया था। यह हमारा कर्त्तव्य तो है ही, साथ ही हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी यह कह रखा है कि जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा हम इस अधिनियम को पास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसे कानून का दर्जा जल्द ही दिया जाएगा।

आज हम खाद्य तेलों और कपास का आयात करने का विचार कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, मैं नहीं जानता। जब देश के सामने विदेशी मुद्रा की किल्लत हो तो क्या ऐसे समय अन्य देशों से तेल और कपास का आयात उचित है। ये वस्तुयें तभी पहुंचेगीं जब हमारे किसान उन्हें उगा चुके होंगे और फसल पकने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तब उन्हें अपनी फसलों को मजबूरन बेचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मेरे विचार में अन्य देशों से तेल तथा कपास का आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है जबकि हमारे किसान लम्बे रेशें वाली कपास सहित तिलहनों तथा कपास पहले से ही उगा रहे हैं।

हमें कुछ कृषि पदार्थों का निर्यात करने की बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मेरा विचार है कि जहां आवश्यक हो हमें निर्यात करना चाहिए और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आयात भी करना चाहिए। इस नीति पर स्पष्ट रूप से तथा अविलम्ब विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक पीने के पानी का सवाल है, हमें प्रत्येक गांव को पीने का पानी मुहैइया करना चाहिए। कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर्याप्त पानी नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यह कह देने मात्र से काम नहीं चलता है कि हमने पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है। अपर्याप्त पानी का मतलब यह भी होता है कि पानी का बिलकुल अभाव है। आबादी तेजी से बढ़ रही है। हमें पूरे देश में पीने के पानी की व्यवस्था अविलम्ब करनी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी द्वारा सुविचार योजना को कार्यान्वित किया जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में मैं एक-दो सुझाव पेश करना चाहूंगा। हमने खाद्यान्न के वितरण के लिए हरे कार्ड जारी किए हैं। हरे कार्डों का वितरण अपर्याप्त होने के साथ-साथ राजनीति से प्रेरित भी है। जो इसके वास्तविक हकदार हैं उनको तो ये कार्ड जारी ही नहीं किए गए हैं। अतः हमें इसके दायरे को बढ़ाना चाहिए और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक लोगों का ये कार्ड जारी किए जाने चाहिए। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाया जाना चाहिए।

खाद्य पदार्थों की किल्लत भी है और प्रत्येक स्तर पर इसमें मिलावट की भी शिकायत है। इसलिए उन खाद्य पदार्थों के दुरुपयोग की पूरी-पूरी सम्भावना है जिनका वितरण दोहरी मूल्य नीति के तहत होना चाहिए। अतः हमें उचित व्यवस्था करनी चाहिए। वर्तमान में कोई उचित और समरूप प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। एक राज्य में, जिला परिषदों को यह अधिकार दिया गया है, दूसरे राज्य

[श्रीमती वासवराजेश्वरी]

में, केवल जिलाधीश प्रशासन सम्भाल रहे हैं; और किसी अन्य राज्य में; एक पृथक् खाद्य विभाग है जिसे खाद्य सामग्री वितरण का कार्य सौंपा गया है। अतः; मेरा सुझाव है कि एक समान व्यवस्था होनी चाहिये। और कमियों तथा मिलावट की उचित जांच की जानी चाहिये। यदि पूरी व्यवस्था महिलाओं को सौंप दी जाये तो बेहतर होगा। वे न्याय करने में सक्षम होंगी और वे जानती हैं कि इनका वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण लोगों को ये खाद्य सामग्री वितरित करते समय बहुत ईमानदार रहेंगी।

इन शब्दों के साथ, मैं बोलने का अवसर देने के लिये आपका शुक्रिया अदा करती हूं तथा मांगों का समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय : मैं उन सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि चर्चा में भाग लेने वाले सदस्य संक्षेप में अपनी बात कहें क्योंकि अभी बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। अब, श्री प्रेमचन्द राम।

[हिन्दी]

श्री प्रेमचन्द राम (नवादा) : सभापति महोदय, मैं पहली बार संसद में आया हूं और मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है। इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। सत्र अब समाप्ति की ओर है इसलिए मैं आपका शुक्र गुजार हूं। सर्वप्रथम जो मुझे यहां आने के बाद इस बजट सत्र के दौरान महसूस हुआ है वह यह है कि आज तक बुद्धिजीवियों ने किस प्रकार श्रम शक्तियों को नीचा दिखा कर श्रम मूल्यों का शोषण कर, पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म देकर, पूंजीवादी तरीके से दुनिया की आत्मा कृषक मजदूर को और श्रमिकों का शोषण किया है। परिणामस्वरूप कृषक और श्रमिक वर्ग का एक बड़ा भाग असंतुष्ट होकर उग्रवाद की ओर तथा आतंकवाद की ओर बढ़ रहा है। यह शक्ति राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़कर राष्ट्र निर्माण का काम कर सकती थी, लेकिन विकास के लिए कोई वैकल्पिक कदम नहीं उठाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसा हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं गांव से आता हूं, गांव का रहने वाला हूं, मैं बताना चाहता हूं कि गांवों में आज जमीन की क्या हालत है। भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने की घोषणा प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक होती चली आ रही है, लेकिन भूमि सुधार समस्या अभी तक सुलझी नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो तरीका अख्तियार किया गया है, उससे कुछ क्षेत्रों में तो फायदा हुआ है लेकिन बाकी क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं। धान का प्रमुख उत्पादक पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश यहां पर धान की खेती की उन्नति नहीं हुई है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि 1950 से 1970 के दशकों में इस दिशा में जो कानून बनाए गए, वे सब असफल रहे। 1986, 1987 और 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार ने राज्यों के कृषि एवं राजस्व मन्त्रियों की बैठकें बुलाई थीं, उन बैठकों में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उन सबमें भूमि सुधार कानूनों की असफलता को स्वीकार किया गया। खासकर भू-हदबन्दी कानून में हर बार फैसला किया जाता था कि इसमें जो कानूनी खामियां हैं, उनको दूर किया जाएगा, चोर दरवाजा बन्द किया जाएगा, हर बैठक में यह बात सिर्फ दोहराई जाती थी और असफलताओं को स्वीकार किया जाता था। कृषि वर्ष 1990 में श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने भी कृषि क्षेत्र में सुधार लाने हेतु इसी ढंग की बैठकें बुलाई थीं, परन्तु तत्कालीन कृषि मंत्री जो किसानों के बहुत करीब और उनके मसीहा कहे जाते थे, उनके समय में इन समस्याओं पर कोई बहस नहीं हो सकी।

सभापति महोदय, नौवीं लोक सभा का शुभारंग करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण में "जोतने वाले के जिम्मे जमीन" की बात कही गई, लेकिन दसवीं लोकसभा के शुभारंभ के समय अभिभाषण में सरकार के सभी लोगों ने इस बात को भुला दिया, मानो सरकार को इसकी जरूरत नहीं है, उसको किसान से कोई मतलब नहीं है।

सभापति महोदय, प्रधान मन्त्री महोदय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री कामरेड ज्योति बसु को जवाब देते हुए स्वीकार किया कि वहां भूमि सुधार कानूनों को ठीक ढंग से लागू किया है और ऐसे ही अन्य जगहों में होना चाहिए। परन्तु इस दिशा में सरकार क्या करने वाली है। इस असफलता का परिणाम क्या हुआ। कुछ कृषि भूमि का डेढ़ प्रतिशत भाग भी अभी तक भूमिहीनों के बीच नहीं बांटा गया है और 1987-89 में रूरल लेबर इन्क्वारी कमेटी की रिपोर्ट बताया गया है कि भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़कर लगभग 15 करोड हो गई है। यह कुल जनसंख्या का छटा और कामगारों की कुल संख्या का आधा भाग है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, यह आश्चर्य की बात है। सीमांत कृषकों की संख्या 10 लाख प्रतिवर्ष बढ़ रही है और उनका अनुपात कुल खेतीहरों की संख्या का 1970-71 के 51 प्रतिशत के मुकाबले अब बढ़कर 58.1 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार भूमिहीन और किसानों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो कुल जनसंख्या के तीन चौथाई भाग से अधिक हो जाता है। हमारी सरकार चाहे जो आंकड़े दे, मगर हकीकत यही है कि गरीबी घटने के बजाए बढ़ रही है और यह तब तक बढ़ती रहेगी, जब तक भूमि सुधार कानूनों को लागू नहीं किया जाता है। इस पर बहुत चर्चा हुई है और मैं समझता हूं कि सरकार इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाने को बाध्य होगी।

सभापति महोदय, बन्धुआ मजदूर, न्यूनतम मजदूरी कानून एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम में उपबंधित कानूनों को लागू किए जाने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, उन्हें भूस्वामी वर्ग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लागू नहीं होने देता। पुलिस भी उन्हीं के प्रभाव के अन्दर होती है और कानूनों को लागू करवाने की मांग करने वाले नेतृत्वों को एनकाउंटस में आतंकवादी और उग्रवादी कह कर मार दिया जाता है। जेल में डाल देते हैं। भूमि सुधार कानून को लागू किए बिना हरित क्रांति अपनाने का क्या परिणाम हुआ। जरूर कृषि उत्पादन कुछ हद तक बढ़ा। किन्तु, आत्म-निर्भरता से हम काफी दूर हैं। एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए जितनी खुराक की आवश्यकता होती है वह हमारे जैसे प्रति व्यक्ति को मिले तो पूरी जनसंख्या को 27 करोड़ टन का अनाज चाहिए हमारी पैदावार साढ़े सत्रह करोड़ टन की होती है। इस प्रकार हमारी आधी जनसंख्या आधा पेट भरकर भूखा सो जाए तो हमारी सरकार आत्म-निर्भरता का दावा नहीं कर सकती। अभी साढ़े बारह लाख टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष 80 लाख टन से न बढ़े तो खाद्यान्न की जो आवश्यकता है उसमें और गिरावट आयेगी और भूखमरी की शिकायत को कोई रोक नहीं सकता। पंचवर्षीय योजनाओं पर हम ध्यान दें। छठी-सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़े जो आर्थिक समीक्षा में दिए गए है वे बताते हैं कि उत्पादन दर बराबर घटता जा रहा है और जनसंख्या वृद्धि के दर से नीचे गिरती जा रही है। जनसंख्या दर 2.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष है तो खाद्यान्न उत्पादन दर 1.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। देश के विभिन्न भागों में हमारे बुद्धीजीवियों द्वारा किए गए अध्ययन यह बताते हैं कि पं० बंगाल और केरल जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर अभी भी भूस्वामी वर्ग प्रशासन यंत्रों पर हावी है और ग्राम पंचायत पर उन्हीं का कब्जा है तथा जवाहर रोजगार जैसी योजना के माध्यम से उन्हीं की जेबों में करोड़ों रुपए चले जाते हैं। स्व० राजीव गांधी ने यह स्वयं स्वीकार किया था कि गांव के प्रति व्यक्ति के हिस्से का छह रुपए में से उन्हें मात्र एक ही रुपए मिल पाते हैं। आप बताएं कि शेष किसकी जेब में होते हैं। इसी कारण

[श्री प्रेमचन्द राम]

चार करोड़ हैक्टेयर परती बंजर भूमि पड़ी है जिसे गरीबों के बीच वितरण नहीं किया जाता है कृषि का बहुत बड़ा हिस्सा क्षरण का शिकार हो रहा है। वनों के लिये उपयोग में लाई भूमि का कोई फायदा नहीं है। कृषि से जुड़े सार्वजनिक ऋण वितरण संस्थाओं जैसे सहकारी कृषि शाख समिति, भूमि विकास बैंकों इत्यादि पर भूस्वामियों का ही कब्जा होता है। इस तरह ग्रामीण गरीब किसानों को ऋण नहीं मिल पाते। गरीब दस्तकार फेल कर रहे। ऋणग्रस्तता का शिकार होकर दिनों दिन लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। ग्रामीण लघु, सीमान्त किसान खेती के नये तरीके अपना नहीं पाते, न तो उन्नत बीज और खाद ही इस्तेमाल कर पाते और खेती उनकी निचले स्तर की होती है। लघु तथा सीमान्त किसानों की कुल संख्या 76 प्रतिशत है। इन भूस्वामियों के ग्रामीणों के ऊपर दबदबा के कारण कृषि कानून बनाए जाते हैं पर लागू नहीं हो पाते। हमारे न्यूनतम वेतन, समान वेतन और बंधुआ मजदूरी वेतन कागजों के पन्नों पर हैं। खासकर जो हरित क्रांति के क्षेत्र माने जाते हैं। वहां उत्पादन वृद्धि की दर में गतिरोध पैदा हो गया है। इसके अलावा छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में राज्य वार खाद्यान्नों की उत्पादन दर 34 परसेंट प० बंगाल 24 परसेण्ट, हरियाणा 23 परसेंट, पंजाब 21 परसेंट बिहार और उत्तर प्रदेश 18 परसेंट बताया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों में उत्पादन दर बढ़े हैं उन राज्यों में जहां कि हरितक्रांति के साथ किसानों के लिए काफी कुछ किया गया है। पर वे हैं जो बड़े-बड़े धनी एवम भूस्वामी किसान हैं, जो खेती की फसलें ऐसी चाहते हैं जो अधिक मुनाफा दें। खाद्यान्नों का उत्पादन दर घटना स्वाभाविक है। ठीक इसके विपरीत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सीमांत एवम लघु किसानों की संख्या अधिक रहने के कारण और चूंकि उनके जीवन के लिए कृषि उत्पादन के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं होता इसलिए ये लोग कठोर मेहनत करके खेती करते हैं और अधिक उपज बढ़ाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

ठीक इसके विपरीत हरित क्रांति के राज्य पंजाब या हरियाणा गेहूं और धान कम उपजाना चाहते हैं, चूंकि इसकी मुनाफा दर घटती चली जा रही है इसमें पूंजी नहीं लगाना चाहते। बल्कि वे इस बात पर अधिक जोर डाल रहे हैं कि एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज योजनायें प्रारम्भ की जायें और वे अधिक मुनाफे के लिए ही इस पर पूंजी लगाना चाहते हैं। फलतः गेहूं और धान की उत्पादन दर घटती जा रही है। इसलिए भूमि सुधार कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। ऐसा करके बड़े-बड़े भू स्वामियों की अनुत्पादक पड़ी जमीन को छोटे-छोटे एवम सीमान्त किसानों के बीच देकर उनकी क्षमता का उन्हें साहस देकर भरपूर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। ताकि उत्पादन दर में गुणात्मक वृद्धि कर आयात करने के बजाते अनाजों का निर्यात बढ़ाया जा सके। ऐसा तभी सम्भव होगा जबकि छोटे-छोटे किसानों की खेती पर ज्यादा ध्यान देकर चोरी-छिपाई हुई बेनामी जमीन को निकालना होगा। भू हदबन्दी से फालतू जमीन को गरीबों के बीच बांटना होगा। तभी यहां की जनता भरपेट भोजन पा सकती है। इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और देश आगे बढ़ेगा। यदि भूमि सुधार कानूनों को लागू करके गरीबों किसानों को जमीन दी जाती है तो उनकी दशा इससे सुधरेगी गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकते हैं। उन्हें सामाजिक न्याय मिलेगा। ग्राम पंचायतों को भी स्वच्छ और स्वायत्त बनाया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो पर्यावरण शुद्धि, वनों का विकास और गरीबों के हित की बात कागज के पन्नों एवम् लोकसभा तक ही सीमित रह जायेगी और उनको कोई फायदा नहीं होगा। इससे गरीबों को और समाज में आये दिन हो रहे अत्याचारों, दमन एवम् संघर्षों को कोई रोक नहीं सकता।

कृषि उत्पादन दर छठी पंचवर्षीय योजना में 6 प्रतिशत, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 4 प्रतिशत एवम् इसी तरह खाद्यान्नों का उत्पादन पर क्रमशः 4 और 3.6 प्रतिशत रही है। इससे जाहिर होता है कि कृषि उत्पादनों की दर अधिक मुनाफे की जगह खाद्यान्न उत्पादन दर कम रही है। जैसे सरकार में जो लोग आ जाते हैं भाषणों से गरीबों भूखों के पेट में चोट अवश्य मारते है उनकी भूख को मिटाने और उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं। यह कहते रहते हैं कि हम गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा रहे हैं।

कृषि समस्त विकासों, उत्पादों, उद्योगों का मूलाधार है। जो समता पर आधारित समाज, सभी को शिक्षा, सभी को काम, काम नहीं तो भत्ता, काम के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल कर, समाज में संघर्षों का अन्त कर भाईचारा पैदा कर सकता है। यदि भूमि सुधार कानून को ईमानदारी से से लागू किया जाये तो यह सब मुमकिन है।

आज यदि गांव कृषि के मामले में उन्नत होता, अधिक उपज होती, उनका समर्थन मूल्य उन्हें दोहरी लूट से बचाया जाता, उनकी फसल मारे जाने पर मुआवजा दिया जाता, फसल बीमा को ईमानदारी से लागू किया जाता, गांव में अनाज का भण्डारण कर किसानों से समर्थन मूल्य में अनाज खरीद कर पुनः उसी दर पर उन्हें समय पर दिया जाता, गांव-गांव में खाद, बीज, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाएं और उन्हें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव में ही आकस्मिक कोष स्थापित किये जाते ताकि वे सूदखोर हरामखोर महाजनों से बच पाते। ऋण से ग्रसित किसानों को हर वर्ष कमर टूटती है जब एक साल उनकी फसल मर जाती है, जैसा कि इस साल हो रहा है। हल्ला हो रहा है, सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। किसानों को राहत दें। मैं नहीं समझता कि कहीं इस तरफ ध्यान दिया जाता हो। बिहार. उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में हैं। मैं नहीं समझता कि वहां पर किसानों की फसल मारी जायेगी उनको कोई मुआवजा मिलेगा फैक्टरी एन्श्योर्ड होती है। यदि दिवालिया होती है तो उसको चलाने के लिए उसको मुआवजा देकर खड़ा कर दिया जाता है लेकिन किसानों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। जो अन्नदाता है, जो दुनिया को अन्न दे, जिसके बल पर सरकार चले, जिसके बल पर सब कुछ चले, उसको तरफ ध्यान नहीं दिया जाये, यह न्याय नहीं है।

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिये।

श्री प्रेमचन्द राम : समाप्त कर रहा हूं। क्या कृषकों की स्थिति सुधारी जायेगी? वे जो कृषि करते हैं, उन्हें उनमें ऊर्जा, बिजली और ट्यूबवैल्ज हैं, वे काम के नहीं हैं। ये गरीब किसानों को मुफ्त मिलना चाहिए। छोटे किसानों के लिए जो भी स्कीम्ज चलायी जाती है, वे बड़े लोगों तक चली जाती हैं, इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

सभापति महोदय, हमारे साथियों ने जो कहा, मैं उसका समर्थन इस रूप में करूंगा कि बगैर भूमि सुधार कार्यक्रम को पूरी तरह लागू किये पंचायती राज की कल्पना नहीं की जा सकती है और समाज को शोषण से मुक्त करना है तो इनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री थाईमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, भारत एक महान देश है? जिसके पास खेती के लिए बहुत अधिक भूमि है। कुल जनसंख्या का 70% से भी अधिक किसान हैं। अतः इस देश को किसानों की भूमि कहा जाता है। अतः हमारा यदि सारी खेती योग्य भूमि को सारा वर्ष हरा

[श्री थाईअर्मसिंह युमनाम]

भरा रखा जाए तो हमारा देश और अधिक सुन्दर लगेगा। किसानों की स्थिति सुदृढ़ होगी तो देश मजबूत होगा।

इस महान देश में, माणीपुर पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक हिस्सा है। लोगों के हित के लिए, विशेषतौर किसानों के लिए, मैं कृषि को उद्योग को दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव से सहमत हूं। मेरे विचार में यह किसानों को प्रोत्साहित करेगा तथा इससे किसानों के लिए बढ़ावा मिलेगा।

किसानों के लिए, जब वे बूढ़े हो जाएं तथा खेतों में काम करने में असमर्थ हो, उन्हें पेंशन देने की योजना का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। जैसाकि आप जानते हैं, सरकारी अथवा अर्ध सरकारी अथवा अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों को 30 वर्ष की नौकरी के पश्चात् और जब वे 60 वर्ष से अधिक हों, पेंशन दी जाती हैं। किन्तु जब किसान बहुत बूढ़े हो जायें और खेतों में कार्य करने में असमर्थ हों और यदि उनकी देखभाल करने के लिए उनके बच्चे न हों तो उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है। किसान बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। अत: मैं पेंशन अथवा किसी अन्य तरीके से पारिश्रमिक उपलब्ध करवाने की योजना का प्रस्ताव रखना चाहता हूं ताकि जब वे काम करने में अक्षम हों तो जीवन जी सके।

अब मैं मणिपुर के बारे में कहना चाहता हूं। मैं कृषि मन्त्रालय का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि उन्हें मन्त्रालय ने एक निर्णय लिया है, जिसकी सूचना इस में दी गई है कि मणिपुर में पूर्वोत्तर के लिये कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मैं मन्त्रालय का धन्यवाद करता हूं। इस क्षेत्र के लिए इसकी आवश्यकता बहुत लम्बे समय से महसूस हो रही थी। अब इससे इस क्षेत्र की जरूरत पूरी हो जायेगी।

पूर्वी भारत में मणिपुर को चावल के उत्पादन के सम्बन्ध में चावल का भण्डार समझा जाता था मणिपुर में काफी धान उत्पन्न होता है और यह नागालैंड तथा असम के अन्य देशों को भी धान की आपूर्ति करता था। किन्तु अब स्थिति बिलकुल विपरीत है। अब, राज्य को कुछ घाटा हुआ है। उत्पाद से लोगों की मांग पूरी नहीं होती क्योंकि भूमि सुधार के लिए उपलब्ध भूमि बहुत कम है और जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। अत: इस उत्पादन से बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता पूरा नहीं होती है। प्रौद्योगिकी के नए वैज्ञानिक के सन्दर्भ में, मेरे विचार में, किसाम को नए तरीकों के अनुसार खेती करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। केवल तभी किसान अधिक उत्पादन करने में सफल हो पाएंगे. इस संबन्ध में जिस महाविद्यालय की स्थापना की जाने वाली है वह काफी मददगार सिद्ध होगा।

मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मणिपुर में चाक हाओ नामक चावल की एक विशेष किस्म है। यह विश्व में अन्य किसी स्थान पर उपलब्ध नहीं है। यह केवल मणिपुर में उपलब्ध है। इस चावल का रंग काला है। मणिपुर में यदि किसी भोज की व्यवस्था की जाती है तो व्यंजन-सूची में चाक हाओ अवश्य सम्मिलित किया जाता है। इसमें पोषक तत्व बहुत अधिक होते हैं। यदि 'चाक-हाओ' चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाये और इसका निर्यात किया जा जाए तो इसके बहुत विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। मेरा यह प्रस्ताव है।

इस संदर्भ में, मैं वह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि इस किस्म के चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाये।

मेरा प्रस्ताव है कि देश में हर राज्य के प्रत्येक जिले में अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किये जायें। पूरे देश में सभी राज्यों में कृषि के विकास में यह मददगार सिद्ध होगा।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि यदि विकास के लिए उपलब्ध कुल धन का 50 प्रतिशत भाग विकास के कार्यक्रमों में लगाने के लिए अलग रख लिया जाये तो यह ग्रामीण जनसंख्या के हित में होगा। जैसाकि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किये बिना, ऐसा नहीं माना नहीं जा सकता कि भारत में कोई सुधार हुआ है। जैसा गांधी ने कहा था "यदि कोई भारत, वास्तविक भारत, देखना चाहता है तो उसे गांवों में जाना चाहिए।" अतः ग्रामीण जनसंख्या के लिए विकास किया जाना चाहिए तथा इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मुझे बोलने का समय देने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

* श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स (मैसूर) : सभापति महोदय, मैं खाद्य, कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इन अनिवार्य मुद्दों पर बोलने का अवसर दिया है। कृषि तथा ग्रामीण विकास पर बोलते हुए मैं माननीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्री के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

हमारे देश में मुख्य व्यवसाय कृषि है। अनेक लोग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कृषि पर तथा अन्य सहायक उद्योगों पर निर्भर हैं। अनेक कृषक कृषि के परम्परागत तरीकों को अपनाते हैं और वे पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा कृषि के तरीकों में परिवर्तन आए हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल ने कहा था कि हमें कृषि परियोजनाओं को पूजा स्थलों की तरह लेना चाहिए। हम अब भी शिलायासों पर इस तरह की तथा अन्यथा बातें लिखी हुई देख सकते हैं। यही वह विश्वास था जो कि हमारे स्वर्गीय पंडित नेहरू को कृषि परियोजनाओं में था। यदि हम वास्तव में किसानों की भलाई चाहते हैं तो हमें उनके पद चिह्नों पर चलना चाहिए।

कृषक आत्म निर्भर होना चाहता है तथा वह केवल न्यूनतम आवश्यकताओं के पूरा होने से ही संतुष्ट है। विज्ञान के विकास तथा पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन ने खेती करने के तरीकों में सुधार लाने में मदद की है। देश में गठित विभिन्न कृषि अनुसंधान केन्द्रों द्वारा कृषकों को लाभ हुआ है। इन दिनों कृषकों को परिष्कृत बीज दिए जा रहे हैं। पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग है। पशुपालन व्यवसाय तभी फलफूल सकता है जबकि वनों की रक्षा की जाए। जानवरों के चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। दुर्भाग्य से वनों का क्षेत्र प्रति दिन कम होता जा रहा है तथा इसे हमेशा के लिए रोकना होगा।

उर्वरकों तथा राज राहत के बारे में इस सदन में तथा इस सदन के बाहर काफी बहस होती है। ऐसा समझा जाता है कि रासायिक उर्वरकों का उपयोग करके उगाए गए कृषि उत्पाद अधिक पोषक होंगे यह बात सही है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई है। कृषि में खाद का उपयोग कम हो रहा है। अनेक युवा गांवों से शहरी क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं। शहरों में प्राप्त नौकरी के अवसर तथा मनोरंजन के साधनों इत्यादि ने ग्रामीण युवाओं को शहरों की तरफ आकर्षित किया है। इस पलायन को रोकने तथा कृषकों की मदद के लिए हमारी सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। अतः पशु पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, रेशम उत्पादन तथा अन्य कृषि से सम्बन्धित सहायक व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केवल तभी कृषक आत्म निर्भर बन सकते

*मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स]

हैं और कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम रेशम का उत्पादन बढ़ा दें तो हम अधिक विदेशों मुद्रा कमा सकते हैं। सरकार को वनस्पतिक खाद को भी बढ़ावा देना चाहिए। वानस्पतिक खाद गोबर, भेड़ के मल, पक्षियों की बीटों तथा गड्ढों में पड़ी हरी पत्तियों से बनाई जाती है यह वानस्पतिक खाद रासायनिक उर्वरकों से कहीं अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में वानस्पतिक खाद का उपयोग बहुत हो रहा है। वानस्पतिक खाद का उपयोग करने वाले कृषकों की संख्या प्रतिदिन घट रही है।

कृषको को संसाधित बीज दिए जा रहे हैं। उन्हें उर्वरकों के लिए भी राज सहायता दी जा रही है। फिर भी, हमारे देश के कृषकों को किसी ने पूरा संरक्षण नहीं दिया। एक ओर तो कृषक बाढ़ द्वारा प्रभावित होते हैं और दूसरी ओर भयंकर सूखे से। इसलिए अनेक ऋण के जाल में फंसे हुए हैं। कृषकों को इस संकट से बचाना होगा। कृषक ऋणी ही पैदा होता है, ऋणी ही बड़ा होता है और ऋणी ही मर जाता है। हमारे देश में कृषक की यही दयनीय स्थिति है। ऋण लेने की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि पहले तो ऋण लेकर मौज करो और ऋण की किस्तों की वापसी करने में अपना सब कुछ दे दो।

सर्वजन कहते हैं—

"सालावानु कोम्बागा हालोगरुन्दन्ते
मालीगानु बन्देलेवागा किनादिया कीलु मुरीदन्ते"

इस समय कृषकों को ऋण चुकाने के लिए अपना सब कुछ न्यौच्छावर करना पड़ रहा है। इसे रोकना होगा। कृषकों की मदद के लिए केन्द्र को आगे आना होगा। कृषकों को ऋण के जंजाल से मुक्त कराने के लिए नए कार्यक्रम आरम्भ किये जाने चाहिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। इस योजना में सिंचाई तथा बिजली उत्पादन को प्रमुखता दी जानी चाहिए। पिछले दस वर्षों से मेरे राज्य में बिजली उत्पादन में खास वृद्धि नहीं हुई है। सिंचित भूमि के क्षेत्र में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। जिस बिजली उत्पत्ति ताप विद्युत संयंत्र तथा पन विद्युत संयन्त्रों में हो रही है, वह बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी और मैं समझता हूं हमें भविष्य में पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर रहना होगा। यह अवश्यम्भावी है क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कृषकों की समस्याएं भी बढ़ रही है अतः कृषि विश्वविद्यालयों को वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने होंगे। इसी तरह तालुक तथा जिला स्तर पर कृषि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने होंग। इन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

हमारे शैक्षिक संस्थानों में कृषि को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। अनेक विद्यार्थियों की अपनी स्कूली शिक्षा के बाद भूमि, जल, मृदा इत्यादि में रूचि समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में कृषि सम्बन्धी विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए आज विरोधाभास यह है कि कुछ विद्यार्थी रागी के पौधे को पेड़ समझते हैं और नारियल के पेड़ को पौधा के समझते हैं। अतः इसे समाप्त करने के लिए हमें कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने चाहिए।

हम अनाज का निर्यात बढ़ा सकते हैं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। प्रत्येक कृषक यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकता। अतः केन्द्र को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करके कृषकों की सहायता करनी चाहिए। केन्द्र की

साथ ही यह भी देखना चाहिए कि बिचौलिये कृषकों का शोषण न करें। कपास तथा रेशम आदि उगाने वालों के लिए विपणन की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिएं। संसाधन हेतु कच्चा माल तुरन्त उपलब्ध होना चाहिए। भण्डारण सुविधाएं भी होनी चाहिए सिचाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि एक विस्तृत क्षेत्र है और मेरे अनेक साथियों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं।

एक बार हमने अमरीका से गेहूं का आयात किया था। इस गेहूं के साथ हमारे देश में अनिषेक भी आ गए। विभिन्न लोगों द्वारा प्रयत्न किए जाने के बावजूद अभी तक इन अनिषेक पौधों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका। सरकार ने इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया है।

यह पौधे न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं बल्कि फसलों के लिये भी हानिकारक हैं। केन्द्र और राज्यों को इस पारथेनियम सम्बन्धी समस्या का पूर्णतया निदान करने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

जल ही जीवन है। इसलिए जल की एक बून्द का उचित भण्डारण व उचित प्रयोग किया जाना चाहिये। पूरे देश में नलकूपों की व्यवस्था की गई है और जल स्तर नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए जल के भण्डारण तथा पुनः जल-प्राप्ति के लिए तालाबों का खोदा जाना बहुत आवश्यक है। लघु सिचाई कार्य तथा गाद निकालने के काम को वरीयता दी जानी चाहिए।

आज हम तिलहनों का आयात कर रहे हैं। तिलहनों के इस आयात पर बात करते हुए मुझे शर्म आ रही है। हमारी भूमि उपजाऊ भूमि है और हमारे अधिकांश लोग किसान हैं। हम सूरजमुखी बीज मूंगफली बीज आदि जैसे तिलहनों को पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं उगा सकते ?

हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने हमें 20 सूत्री कार्यक्रम दिया दुर्भाग्यवश इस कार्यक्रम को सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया है। हमारे राज्य में इस कार्यक्रम से लाखों गरीब लोगों को लाभ मिला है। खेत जोतने वाला भूमि का मालिक है। गरीब लोगों के लिए मकान बनाये जाने चाहिएं। कर्नाटक में अपनाये गये। भूमि सुधार उपायों मे भारी सफलता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण जल योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

हमारे स्वर्गीय प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्व पर बल दिया और वे चाहते थे कि सभी गरीबों को इससे लाभ हो केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दूरदराज तक के गांवों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे प्रधान मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव ने भी यही बात कही है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रयोजन के लिए वे उदारतापूर्वक धन उपलब्ध करायेंगे।

ग्राम पंचायत तथा जिला परिषदों को कार्यकुशलता से कार्य करने के लिये तैयार किया जाना चाहिए। जिला परिषदों तथा ग्राम पंचायतों में एक जैसा प्रशासन होना चाहिए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, नेहरू रोजगार योजना तथा अन्य कार्यक्रमों में पुनरावृति दूर की जानी चाहिए और इन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि गांवों के गरीब लोग इनका अधिकतम लाभ उठा सकें। पैसा गरीबों के पास सीधा पहुंचना चाहिए। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। पैसे का दुरुपयोग रोकने के लिए उत्तरोत्तर निगरानी की व्यवस्था चाहिये। इसमें जिम्मेदारी होना अनिवार्य है। गैर-योजनागत खर्च में भारी कमी की जानी चाहिये।

मुझे उम्मीद है कि केन्द्र तथा माननीय कृषि मन्त्री जी किसानों की रक्षा के लिए आगे आयेंगे और उनके कार्यों में उनकी सहायता करेंगे।

[श्री अमल दत्त]

किन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी व्याख्या क्यों की गई है कि कृषकों सीमान्त किसानों को प्रौद्योगिकी क्यों नहीं उपलब्ध करायी गई जिससे कि वे भी सम्पन्न हो सकें।

यह केवल कृषि कार्य ही नहीं है भोजन के लिए खेतों में कुछ उगाना ही है बल्कि उद्योग हेतु यह सम्पूर्ण कच्चा माल है। आपके पास कपास, पटसन तिलहन है आपके पास बहुत कुछ है ये सभी चीजें मिट्टी में उगायी जाती हैं, तब उसका प्रसंस्करण होता है और फिर वह औद्योगिक कच्चा माल बन जाता है। आज थाइलैंड तीन या चार वर्षों के प्रयास से ही 40,000 करोड़ रुपये तक के प्रसंस्कृत खाद्य एवं सब्जियों का निर्यात करने में सक्षम हो गया है। यह छोटे से जनसंख्या वाला एक छोटा सा देश है। वे ऐसा कर सकते हैं। तुर्की उससे 10 गुणा अधिक प्रसंस्कृत खाद्य एवं सब्जियों का निर्यात कर सकता है। हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि सरकार ने कभी भी इस ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया है, हमेशा अपना ध्यान उद्योग पर केन्द्रित किया है उस संभावना को कभी नहीं समझा है जो कृषि तथा सभी प्रकार के प्रारम्भिक उत्पादन में निहित है।

मैंने अपनी ही आंखों से स्वयं मेलबार्न, आस्ट्रेलिया में एक होटल के सामने एक सांड को देखा और चकित रह गया। केवल कलकत्ता और दिल्ली की गलियों में ही कोई व्यक्ति सांड को इस तरह से घूमते देख सकता है किन्तु वह इधर-उधर घूम नहीं रहा था, वह वहां पर खड़ा था।

मुझे बताया गया कि ऐसा नीलामी के दौरान अन्दर हुआ था। वे यह नीलामी शानदार कमरों और लांज में कर रहे थे। निलामी में सांडों के मूल्य अधिक लगाए जा रहे थे। सांडों का मूल्य आधा मिलियन आस्ट्रेलियन डालर था।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वह जब भी सांडों के बारे में उल्लेख करते हैं, आप इस पर आपत्ति करते हैं।

श्री अमल दत्त : महोदय, सांड का मूल्य आधा मिलियन डालर है। मुझे इस पर आश्चार्य हुआ और मैंने देश में कृषि विशेषज्ञों से इसका कारण पूछा।

इसका कारण जैव प्रौद्योगिकी ही है क्योंकि एक सांड से लाखों बछड़ों की उत्पत्ति की जा सकती है और यह केवल गत पांच वर्षों में सम्भव हुआ है। यह पहले सम्भव नहीं था। उससे उत्पन्न गाएं प्रतिदिन 100 लीटर तक दूध देगी। इसी कारण से यह सम्भव है। अब हम इस क्षेत्र में कहां हैं? अगर हमारे गांवों में कोई गाय प्रतिदिन पांच लीटर दूध दे देती है तो हम उसी से बहुत प्रसन्न रहते हैं। किसी ने भी 100 लीटर दूध देने की बात सुनी तक नहीं है। हम तो पांच लीटर दूध का उत्पादन भी नहीं कर सकते क्योंकि चारा नहीं है। एक फसल उगाने के अतिरिक्त हमारे देश में खेत बेकार खाली पड़े रहते हैं। आप जानते हैं कि भारत में केवल 30 से 35 प्रतिशत खेत दूसरी फसल के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, बाकि खेत तो सारे साल खाली पड़े रहते हैं। ऐसे खेतों में चारा उगाने की बजाय हम क्या करते हैं? हम चारा मशीनों का आयात करते हैं। आपको याद होगा कि 1989 में प्रभावशाली लोगों या उनका वरदहस्त पाए लोगों द्वारा चारा मशीनें आयात की गई थी। हम नहीं जानते कि उनका क्या हुआ। मुझे उम्मीद है कि कृषि मंत्री इन मशीनों के बारे में हमें जानकारी देंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए। अनेक सदस्यों को अभी बोलना है।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : इस झूठी कहानी का अब अन्त हो जाना चाहिए।

श्री अमल दत्त : महोदय मैंने तो केवल सांड के बारे में कहा है। लेकिन मेरे मित्र अन्य मुद्दों पर भी बोलने के लिए कह रहे हैं।

मैं यही कह रहा हूं कि भारत सरकार तथा सरकार के नेतागण इस तथ्य को मानें कि ऐसा संभव है। आज जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कृषि हमें छोटा मार्ग दिखला रही है और इसका अधिकांश ज्ञान हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है। हमें कुछ ज्ञान बाहर से भी प्राप्त करना होगा। मुख्य मुद्दा यह है कि इस जानकारी का प्रचार किया जाए और लोगों के विचार इस प्रकार बदले जाएं कि वे कृषि के क्षेत्र में आएं इससे विमुख न हों जैसे कि अभी तक होता रहा है। इसलिए सरकार इस पर तुरन्त ध्यान दे। मैं प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी इन नीतियों को ठीक करें जिन्हें वे अभी तक अपनाते आ रहे हैं और जहां तक इस मुद्दे का सम्बन्ध है, वे सही रास्ते को अपनाएं। यहां अगर निजी उद्यमों को लाया जाता है तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। निजी उद्यमों का मतलब बड़े उद्योगपति नहीं है। निःसन्देह निजी उद्यम पहले से इस क्षेत्र में हैं। लाखों छोटे किसान हैं। उनके उद्यम को ऐसी जानकारी और दृष्टिकोण दिया जाये जोकि समृद्धता पर आधारित कृषि के लिए आवश्यक हैं।

महोदय, वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि जहां तक खाद के मूल्यों का सम्बन्ध है, सीमान्त तथा छोटे किसानों को राजसहायता दी जाएगी। यह घोषणा की गई थी कि पश्चिम बंगाल को 37 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। लेकिन पश्चिम बांग्ला प्रदेशी कृषक सभा ने गणना की है कि यह आवश्यकता 60 करोड़ रुपये है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल को 60 करोड़ रुपये की राजसहायता दी जाये।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि कृषि के ऊपर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, कृषि हमारे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस देश की 75 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है और ग्रामीणवासी हैं। हमारी उपलब्धियां और हमारी सफलता 44 वर्षों में किस प्रकार से हुई है उसके विषय में मैं संक्षिप्त में यह कहना चाहूंगा कि जो हमारा पड़ोसी देश चाइना है, उसके पास भी जो कृषि योग्य भूमि है वह लगभग भारत के बराबर ही है, 14 करोड़ लाख हैक्टेयर और हमारे देश में भी प्रायः उतनी भूमि पर ही कृषि हो रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि चाइना उतनी भूमि पर 42 करोड़ टन अनाज पैदा कर रहा है जब कि हम पिछले 3-4 वर्षों में मात्र 18 और 19 करोड़ टन के आसपास चक्कर काट रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि निश्चित रूप से हम लोग कुछ विशेष कारणों से पीछे हैं, इसके परिणामस्वरूप हमारा उत्पादन जितना होना चाहिए उसमें बहुत कमी है।

मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह बताना चाहूंगा कि देश के कुल राष्ट्रीय आय का नेशनल इंकम, कृषि का योगदान उसमें 33 प्रतिशत है, इंडस्ट्री का योगदान उसमें 29 प्रतिशत है और सेवाओं का योगदान 38 प्रतिशत है। यदि हमें अपनी कृषि के योगदान को बढ़ाना है, जिसको इस देश के अन्दर पच्चास प्रतिशत बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह जो हमारी सरकार की गलत नीतियां हैं

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

और जो नीतियां हैं उनका प्रोपर इम्प्लीमेंटेशन न होना, इसका मुख्य कारण है। यदि हम अपने देश की नेशनल इंकम बढ़ाना चाहते हैं तो हमको कृषि का योगदान पचास प्रतिशत करना होगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रालय को यह बताना चाहूंगा कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो सबसे मुख्य फैक्टर कार्य करते हैं, उसके अन्दर सिंचाई और सिंचाई के साथ ही साथ फर्टिलाइजर उर्वरकों की श्रेणी में माना जायेगा। मान्यवर, जहां तक सिंचाई से सम्बन्धित कृषि है, इन 44 वर्षों के अन्दर, स्वतन्त्रता के उपरांत हमारी जितनी भी योजनाएं बनायी गयीं, हमारे देश के अन्दर 246 बड़ी एवं मध्य स्तर की सिंचाई योजनाएं हाथ में ली गयीं। 44 वर्षों के उपरांत जिसमें से मात्र 65 योजनाएं पूर्ण हुई हैं उसमें से 2300 बड़े बांध बन चुके हैं, 1800 बांध बनने हैं।

मान्यवर, आज के इस वैज्ञानिक युग में इस सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि 70 प्रतिशत पानी हमारे इन बांधों का भाप बनकर उड़ जाता है। आज के इस आधुनिक, वैज्ञानिक युग में, जब दूसरे देश इस पर व्यवस्था कर रहे हैं, इसकी कदाचित हमारे देश को चिन्ता नहीं है। यदि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए तो कृषि में उन्नति होगी और हमारा अधिक क्षेत्र सिंचित हो सकेगा।

मान्यवर, इस देश का सौभाग्य है कि ईश्वर ने इसको इतनी प्राकृतिक सम्पदा दे रखी है। अण्डरग्राउण्ड वाटर भी हमारे यहां इतना है, पूरे उत्तर भारत के अन्दर हम लोग छोटे ट्यूबवैल, नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की योजना को बढ़ावा दे सकते हैं उसमें यह जो आज हमारी सफलता है उसमें सबसे अधिक योगदान सरकार के अनुपात में किसानों का है। आज सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए विद्युत की आवश्यकता है, विद्युत की जो स्थिति देशव्यापी और विशेष रूप से हमारे उत्तरी भारत में और जिसके अन्दर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है, उसके विषय में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक हम लोग विद्युत का उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे तब तक हमारे सामने जो समस्याएं बनी हुई हैं, उनका समाधान नहीं हो सकेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं हाथ में ली जाती हैं, इनको लम्बे समय तक चलाना हमारे लिए अहितकर होता है, क्योंकि हर वर्ष लागत खर्च बढ़ता जाता है, परिणामस्वरूप योजना के पूरा होते होते दुगना और तिगुना व्यय करना पड़ता है। इस वजह से कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और लम्बे समय तक कार्य रुका रहता है। आज उत्तर प्रदेश में किन्हीं कारणों से जो परियोजनाएं रुकी हुई हैं, जिनमें केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इनमें सरयू नहर परियोजना, ड्रेनेज कंपोजिट योजना, शारदा सहायक परियोजना और कन्हर सिंचाई परियोजना, इनके बारे में मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध करवाए, समय पर धन उपलब्ध करवाए, ताकि ये परियोजनाएं पूर्ण कराई जा सकें और किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके, देश का उत्पादन बढ़ सके।

सभापति महोदय, कृषि से सम्बन्धित एक और बात कहना चाहता हूं। आज हमारे विशेषज्ञों की राय है कि 33 प्रतिशत भू-भाग वनों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन पिछले 44 वर्षों में लगातार वनों का कटान होने के कारण आज मात्र 6 प्रतिशत वन हमारे देश में बचा है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र को इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। सायल इरोजन बढ़ रहा है, इसका प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें कृषि से जुड़ी हुई हैं, इन पर सरकार को विशेष ध्यान देकर वनों को बढ़ावा देने का हर तरह से प्रयास करना चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसकी तरफ बहुत कम माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है। मुझसे पूछें तो यह सबसे मुख्य विषय है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम ओलंपिक्स में एक गोल्ड तो क्या तांबे के मैडल के लिए तरसते रहते हैं, इसका कारण क्या है। इस देश के अन्दर जहां 75 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, वहां लोगों को दूध नसीब नहीं है। गांवों में 40 प्रतिशत बच्चे जीवन में मां के दूध के अलावा दूसरे दूध की एक-एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। मैं इस सदन में आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इस देश के गरीब को हमने क्या दिया है और भविष्य में क्या देने वाले हैं, इसके विषय में मैं विशेष नहीं कहूंगा, लेकिन यह कहना चाहूंगा कि इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं का पालन-पोषण उसी तरह से होता है, जिस प्रकार से उनके परिवार के अन्य सदस्यों का पालन किया जाता है। हमें ग्रामीण अंचलों में पशुओं को पालने की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नस्ल सुधारने की आवश्यकता है। आज जिसके घर में 2 किलो दूध देने वाली गाय बंधी है, सरकार चाहे तो 20-25 किलो दूध वही गाय दे सकती है।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कैसे ?

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : आचार्य जी पूछ रहे हैं कि कैसे, क्या उनको इस विषय में जानकारी नहीं है। आचार्य जी जिस क्षेत्र से आते हैं, वह मत्स्य पालन की दृष्टि से उत्तम क्षेत्र है। 7000 किलो मीटर समुद्री क्षेत्र में लेटेस्ट टेक्नालाजी को अपनाकर करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। यदि सरकार इस दिशा में जुट जाए तो निश्चित रूप से करोड़ों लोगों को रोजगार में लगाया जा सकता है। आज हमारे देश में गाय औसतन डेढ़-दो किलो दूध देती है, जबकि विदेशी गाएं 15-20 किलो प्रतिदिन दूध देती हैं। अमरीका, जर्मन आदि देशों में बटर-माउंटेन बन जाते हैं और बहुतायत होने पर वहां की सरकार मुफ्त योजना के तहत वह बटर हमारे जैसे देशों को भेजती है।

जिस गरीब के घर में दूध होगा तो उसे दुनिया की हर चीज उपलब्ध होती है। दूध से दही और घी तथा विदेशी ऋण के माध्यम से हम लोगों को पलसेस मंगानी पड़ती हैं जो आयल्स के लिए इम्पोर्ट करनी पड़ती है। इन चीजों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। ग्रामीण अंचलों के अन्दर स्वास्थ्य सम्बन्धी किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। जब स्वस्थ नहीं होगा तो दवाई नहीं दे पायेंगे। हमारे देश के अन्दर रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों को ले लीजिए। आस्ट्रेलिया 18 करोड़ की भेड़ें पालता है। हरेक माननीय सदस्य कहता है कि गरीब लोग बेकार घूम रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 44 वर्षों में क्या किया। आज भी इन क्षेत्र के अन्दर भेड़ों को बढ़ावा देने के लिए बल दिया जा सकता है। इससे गरीबी को हटाया जा सकता है और इण्डस्ट्री का एस्टेबलिशमेंट किया जा सकता है। आज चाय की बगान के माध्यम से हम विदेशी मुद्रा अधिक से अधिक अर्जित कर रहे हैं। हमारे गढ़वाल प्रदेश के अन्दर टी-गार्डन आसाम से बैटर डवलप किया जा सकता है। लेकिन किसी के पास समय नहीं है जबकि इसका सर्वेक्षण हो चुका है। जगह-जगह हम लोग यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी खोलिये, लेकिन एक्सपर्ट्स और साइन्टिस्ट्स को गावों में और फील्ड में भेजिए। खाद के ऊपर हमारे साथियों ने प्रकाश डाला है। डयुअल पालिसी के कारण किसान के सामने भयंकर समस्या खड़ी हो गई है। जो खाद किसान को 115 रुपए का उपलब्ध हो रहा था तो सरकार की इस दोहरी नीति के परिणामस्वरूप छोटे किसान को 165 रुपये में प्राप्त हो रहा है। छोटे किसान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वह जब तक सहकारी समिति का सदस्य नहीं होगा तो उसको कम मूल्य पर खाद प्राप्त

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

नहीं हो सकता है। सहकारिता के क्षेत्र में जितना भ्रष्टाचार है तो इस चर्चा का समय नहीं है, वह किसान के साथ अन्याय है। खाद की जो दोहरी प्राइस नीति है, इसका हम विरोध करते हैं।

हमारे उत्तर प्रदेश में बीमा योजना थी। वह किसान के लिए अपनी खेती को बचाने का एकमात्र सहारा था। उसको सरकार ने समाप्त कर दिया है। किसान बैंक के माध्यम से जो बचाता है उसके ऊपर बीमा लागू होता था। आज से चार वर्ष पूर्व उसको समाप्त कर दिया गया है। हर व्यक्ति को अपने बीमा के माध्यम से अपनी चीज को सुरक्षित रखने का या नुकसान का पैसा देने का अवसर दिया जाता है, वह कृषकों को भी मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में शुगर केन प्राइस कोआपरेटिव और कारपोरेशन चीनी मिलों के ऊपर करोड़ों रुपया किसानों का बकाया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों का बकाया पैसा दिलवाने का प्रयास करें। प्रदेश सरकार के पास किसी प्रकार का अभाव है तो केन्द्र सरकार उसको दिलाने की कोशिश करे। दोहरी खाद की नीति पर कृषि मंत्री विचार करें और सभी माननीय सदस्यों की एक राय है कि दोहरी मूल्य नीति को समाप्त करना चाहिए।

श्री चुन चुन प्रसाद यादव (भागलपुर) : सभापति महोदय, कृषि, खाद्य और ग्रामीण विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसी कारण इन तीनों अनुदान मांगों को एक साथ वार्ता के लिए रखा गया है। मैं किसान हूं और ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। मुझे अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि से 75 प्रतिशत लोग जुड़े हुए हैं यानि तीन-चौथाई लोग कृषि पर निर्भर करते हैं।

तीन बटा चार लोग यहां के खेतीहर मजदूर और किसान हैं। जब तक किसानों की दशा में सुधार नहीं होगा, किसानों का विकास नहीं होता है तब तक हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि देश का विकास होगा। आज इन चवालीस वर्षों की आजादी के बाद भी किसानों का आर्थिक विकास नहीं हो सका है। इसका कारण है किसान उपेक्षित रहा। बचपन में आजादी के पहले हम लोगों ने पढ़ा था— उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। आज खेती की ऐसी अवस्था हो गई है कि वह तीसरे नम्बर पर क्या भीख निदान की जगह पर पहुंच गई है। क्योंकि भीख या चाकरी करने वाले अपने श्रम से कुछ कमा लेते हैं, लेकिन खेती करने वाले लोग, उनके परिवार को भी साथ में श्रम करना पड़ता है, आज दयनीय स्थिति में हैं। मैं बिहार की स्थिति की आपको जानकारी देना चाहता हूं। वहां दस बीघा जमीन पर खेती करने वाले से अच्छी स्थिति सरकारी विभाग में काम करने वाले आदेशपाल की है। हम दस बीघा में जमीन में खेती करने वाले पांच-दस प्रतिशत लोगों को छोड़ दें तो बाकी नब्बे प्रतिशत लोग जो दस बीघा जमीन में खेती करते हैं उनकी जमीन में सालाना बहुत अधिक हुआ तो सौ-सवा सौ मन अनाज पैदा होता है। जिसका दाम दस-बारह हजार रुपये होता है, उसमें कोस्ट आफ प्रोडक्शन भी जुड़ा होता है और पूरे परिवार सहित जो वह खटता है उसका श्रम भी शामिल होता है। जबकि सरकारी विभाग में काम करने वाले चपरासी या आदेशपाल की तनख्वाह प्रतिमाह बिना किसी कोस्ट के पन्द्रह सौ से दो हजार रुपये महीने तक होता है। इस अवस्था की तरफ आप ध्यान दें और सोचें कि किस स्थिति में आज दस बीघा जमीन वाले किसान हैं और चाकरी करने वाले लोगों की क्या स्थिति है।

मैं भी किसान हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज सारे देश को खिलाने वाले किसान की रोटी छोटी और दाल पतली हो गई है। आज छोटी सी जगह पर, शहर में एक कपड़े की दुकान या किसी तरह का व्यवसाय करने वाले आदमी को आप देखें वह पंखे के नीचे बैठकर अपनी दुकानदारी

करता है और उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। लेकिन किसान न तो अपने बच्चों को अच्छा खिला सकता है, न उन्हें अच्छा पहना सकता है और न ही उन्हें अच्छे स्कूल में भेज सकता है। यह हालत आज किसानों की बनी है। इसको दूर करने का उपाय सरकार को सोचना चाहिए। होता यह है कि किसानों को अपने उत्पादन के अनुसार उचित दाम नहीं मिलता। किसान अगर कर्जा लेकर खेती करता है और फसल काटता है तो वह तुरन्त कर्जा चुकाने के लिए कम दामों पर अपनी फसल बेच देता है। इसका नतीजा यह होता है कि बिचौलिये अधिक मार लेते हैं। बिचौलियों की जगह किसान को अधिक दाम मिले इसकी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

किसानों के लिए भण्डारण की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज भण्डारण की कमी से किसान बहुत दुखद स्थिति में है। भण्डार गृह में किसान अपना माल रखें, अनाज रखे और जब उसके अनाज का दाम उपयुक्त समय पर उपयुक्त दाम मिले तो वह उसको बेच सके, इसकी भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। खेती में उसकी आर्थिक सहायता दी जाये ताकि वह अपना कर्ज वगैरह चुका सके। इसके लिए सहकारी संस्थाओं को सबल और कारगर बनाना जरूरी है। उत्पादन बढ़ाने के लिए आज आवश्यकता है कि देश में सिंचाई की जगह-जगह पर व्यवस्था हो। आज देश में तीस प्रतिशत जमीन सिंचित रूप में है। 30 प्रतिशत जमीन सिंचित होती है और 70 प्रतिशत जमीन में बिना सिंचाई के पैदावार की जाती है। यह सारी जमीन वर्षा पर निर्भर करती है। यदि वर्षा हुई तो खेती हुई, वर्षा नहीं हुई तो सूखा पड़ गया। इसका अन्जाम किसानों पर बुरा पड़ता है। इसलिए सारी जमीनों पर सिंचाई की व्यवस्था सरकार करे।

तीसरी बात यह है कि बीमार उद्योगों को सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। जब बीमार उद्योगों को नाना प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन यदि किसानों की फसल नष्ट हो जाये और सूखा पड़ जाये तो उनको कोई खास सुविधा क्यों नहीं मिलती है? इसलिए किसानों की खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाये और फसल बीमा को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये।

आज गांव एवं शहर में विषमता में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होती जा रही है। इसका कारण यह है कि हस्तकला उद्योग गांव में चलते थे और अब बड़े-बड़े उद्योगों के कायम होने से ये उद्योग मारे गये, फलस्वरूप गांवों के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आज भी बिहार में देखता हूं कि बहुत से मजदूर पंजाब और हरियाणा में आकर काम करते हैं क्योंकि उन्हें वहां अधिक मजदूरी मिलती है। इसलिए इस पलायन को रोकने के लिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। पशु-पालन ग्रामीण रोजगार का एक प्रमुख अंग है, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क निर्माण करने की व्यवस्था है और जिसमें एक हजार तक की आबादी वाले गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने की व्यवस्था है फिर भी यह कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए राज्य सरकार अधिक पैसा खर्च नहीं पाती है, इसलिए केन्द्र सरकार को आधा खर्चा वहन करना चाहिए।

सभापति महोदय, सरकार ने खाद की दोहरी नीति अपनाई है। यह खेती का बहुत बड़ा अंग है। पहले रासायनिक खाद पर 40 प्रतिशत अनुदान घटाने की बात की और जब सर्वत्र विरोध हुआ तो सरकार ने मार्जिनल किसान और छोटे किसानों को यथावत् रखने का इन्तजाम किया और 40 प्रतिशत के बजाय बाकी किसानों के लिए 30 प्रतिशत घटाने की बात की। इस दोहरी नीति से उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि इस दोहरी नीति को खत्म करे। इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि इस अव्यवहारिक दोहरी नीति से उत्पादन घटेगा। बजट प्रस्तुत करते समय

[श्री चुन चुन प्रसाद यादव]

यह व्यवस्था नहीं की गई कि व्यापारियों के पास जो पुराना स्टाक है, वह बजट के पूर्व के दाम पर बेचे, यह व्यवस्था नहीं की गई और छोटे व्यापारियों पर खुदरा व्यापारियों पर कुछ अंकुश लगाया गया लेकिन थोक व्यापारियों पर न तो अंकुश ही लगाया और न स्टाक चैक ही कराया गया। इससे क्या इंगित होता है। साफ बात है।

सभापति महोदय, यह सरकार समाजवाद का सिर्फ ढोंग रचाती है और समाजवादी के बजाय सरकार की नीति पूंजीवादी अधिक है और समाजवाद को पूंजीवाद की चादर से ढक दिया गया है, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, मैं कृषि मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं थोड़े में ही अपनी बात कहूंगा और कुछ ही मुद्दों को उठाऊंगा।

वर्ष 1950-51 के दौरान राष्ट्रीय आय में कृषि का अंशदान 60 प्रतिशत था। 1989-90 के दौरान यह 30 प्रतिशत से भी कम हो गया। 70 प्रतिशत से भी अधिक लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। कृषि श्रम और और गैर कृषि मजदूरों की आय में अन्तर जो पहले भारत की स्वतंत्रता के समय 1:2 था वह अब 1:4 हो गई है। निर्यात में कृषि की सहभागिता 31 प्रतिशत से घटकर कुल निर्यात का 16 प्रतिशत रह गई है। इससे केवल यह जाहिर होता है कि व्यवसाय के रूप में कृषि कार्य अलाभकारी हो गया है। और इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए।

महोदय, यह भी कहा जाता है कि जहां जमीन का मूल्य बढ़ गया है वहां खेती करने के बजाय जमीन को बेचकर उससे प्राप्त रकम को बैंकों में जमा कर देना अधिक लाभदायक है। देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस पर गौर करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में नई कृषि नीति तैयार की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो कृषि नीति राज्यों के परिचालित की गई है वह पूरी तरह अपर्याप्त है।

महोदय, इन मुद्दों को और स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक जिले की प्रत्येक जलवायु क्षेत्र की कृषि उत्पादकता को देखना होगा। मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक जिले से कृषि मंत्रालय को जानकारी लेनी चाहिए। प्रत्येक जिले के लिए कृषि उत्पादकता योजना तैयार की जानी चाहिए और एक आंकड़ा बैंक तैयार करने के बाद आप उस आधार पर कृषि नीति तैयार करें ताकि अनाज का उत्पादन बढ़ सके।

माननीय मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए ठीक ही कहा था कि हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं। प्रदर्शन के लिए निश्चित किये गये प्लाटों की राष्ट्रीय औसत उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुणा अधिक है। इसलिए यह क्षमता हमारे पास है। यह क्षमता उन किसानों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो बहुत कम उत्पादन करते हैं। इसका प्रसार करना ही उत्पादन बढ़ाने का महत्वपूर्ण भाग है। हमने इजराईली सिद्धांत 'प्रशिक्षण और दौरा' प्रणाली को अपनाया वह टी० एण्ड वी० प्रणाली है। पहले हमने समझा कि यह एक अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन हमने यह पाया कि यह प्रशिक्षण एवं दौरा प्रणाली के बदले 'जाकर खानापूर्ति' करने वाला कार्यक्रम हो गया है। अब तो जाने की भी बात खत्म हो गई है केवल खानपूर्ति मात्र ही रह गया है और गांवों तक विस्तार की बात पूरी तरह खत्म हो गई है।

महोदय, इसीलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह ग्रामीण स्तर के श्रमिकों तक इसके विस्तार की बात भूल जायें, किसानों के सम्पर्क मजबूत बनायें, उनके संगठन को सशक्त बनायें, उनका चुनाव करके उन्हें प्रशिक्षण दें और तब वे ही खेती की उच्च तकनीक को बढ़ावा देने में आपके सबसे बड़े संदेश-वाहक होंगे।

निम्नलिखित कुछ बातों को यदि पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है :

—कृषि कार्य में काम आने वाले आदानों का कुशल उपयोग

—समन्वित कृषि

—भूमिगत जल को अधिक से अधिक निकाला जाना और अपव्यय होने वाले जल का संरक्षण

—कृषक सहकारी क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाना ताकि कृषि उत्पाद पर मिले लाभ किसानों को प्राप्त हो सकें

—कृषि निर्यात को अधिक प्रोत्साहन

—भूमिहीन बेरोजगारों के लिए अधिक काम

—देश में रोजगार गारन्टी योजना लागू करना

—न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना

—ग्रामीण कारीगरों और कुटीर उद्योग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी और

—रेशम उत्पादन का विकास।

4.43 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, दलहन का कृषि उत्पादन आज भी उतना ही है जितना तीस वर्ष पहले था। कोई प्रगति नहीं हुई। दलहनों में चना महत्वपूर्ण है। चना की औसत पैदावार आज भी उतनी ही है जितनी तीस वर्ष पहले थी।

महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की 'मिलियन वैल स्कीम' एक अच्छी योजना है। लेकिन पठारी इलाकों में अधिक कुओं की खुदाई के कारण वहां का जल स्तर कम हो रहा है। इसलिए फिर से जल का वहीं पर लाने के लिए कोई योजना होनी चाहिए।

खाद के अधिक उपयोग के सम्बन्ध में पहले अधिक ध्यान दिया गया था। लेकिन जब से उर्वरकों का उपयोग शुरू हो गया है मिश्रित कम्पोस्ट खाद जो पहली विकास योजना के लिए आवश्यक थी अब उसे नजरअन्दाज कर दिया गया है।

महोदय, परती भूमि में खेती के लिए जल निकास व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे मंत्रालय ने जल निकास की व्यवस्था करने के लिए लगभग दुगुनी रकम कर दी है। लेकिन महोदय, राष्ट्रीय जल निकास व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं जिसमें काफी समय लगता है। यहां तक कि पिछले वर्ष की परियोजनाओं को भी अभी स्वीकृति नहीं दी गई है। इसीलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि इसमें विकेन्द्रीकरण होना

[श्री दिग्विजय सिंह]

चाहिए, इसके लिए एक प्रकार का दल होना चाहिए जो राज्यों में रहे ताकि प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय जल निकास परियोजनाएं उस स्तर पर स्वीकृत की जा सकें। उत्पादन बढ़ाना है। छोटी किटें बड़े स्तर पर बांटी जा रही हैं। लेकिन कई बार यह बाजार में बेच दी जाती हैं। मेरा यह सुझाव है छोटी किटें कृषि सम्बन्धी प्राथमिक सोसाइटियों द्वारा ही बांटी जानी चाहिएं ताकि यह किसानों को मिल सकें।

प्रयोगशाला से लेकर भूमि कार्यक्रमों तक को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में और के० वी० के० शुरू किए जायें ताकि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषकों के बीच की दूरी को पाटा जा सके।

उर्वरक राजसहायता को सीमित कर दिया गया है। मैं सरकार के उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि से छोटे और सीमांत किसानों को छूट देने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। लेकिन राजसहायता की कुल मात्रा को सीमित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य में यह दोहरी मूल्य प्रणाली लागू करने के लिए हमें 40 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और केवल 13 करोड़ रुपये दिए गए हैं जिससे केवल एक तिहाई छोटे और सीमांत किसानों को ही लाभ मिलेगा।

मैं ऋण के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऋण माफी की योजना के कारण मध्य प्रदेश में ऋण सम्बन्धी ढांचा इतना कमजोर हो गया कि पिछले तीन सीजनों से हम किसानों को कृषि ऋण नहीं दे पाए हैं। अतः, ऋण देने की और सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं।

भारवाहक पशुओं की मूल किस्म में सुधार किया जाना है। मेरा माननीय मंत्री जी से पुरजोर आग्रह है कि वह भारतीय नस्ल के पशुओं की ओर अधिक ध्यान दें, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मालवी नस्ल के पशु हैं जो उत्कृष्ट नस्ल है। इनके लिए विशेष विकास फार्म होने चाहिएं। इस प्रजाति की रक्षा की जानी चाहिए और इस नस्ल के लिए प्रजनन केन्द्र हों।

भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र गो वध के बारे में बहुत चिन्तित हैं। उन्हें यह बात तभी याद आती है जब वह विपक्ष में होते हैं। जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर में एक गम्भीर घटना हुई थी नगर पालिका समिति गुलावठी में गो वध का मामला ध्यान में लाया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को आमन्त्रित किया गया लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह विचार है कि गो वध पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार ये लोग उसका फायदा उठाते हैं मुझे उस पर घोर आपत्ति है।

मैं झींगा मछली के पालन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं कृषि मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसे खारे पानी में भी मछली पालना शुरू कर दिया है। लेकिन, मध्य प्रदेश में ताजे पानी में भी झींगा मछलियां पाली जाती हैं। हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या झींगा मछलियां ताजे पानी में भी पाली जा सकती हैं। बालाघाट में बाण गंगा में भी हम झींगा मछलियां ताजे पानी में पालते हैं। मत्स्य पालन को को बढ़ावा देना है।

ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। अनेक जिलों से श्रमिक अभी भी बाहर जा रहे हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनेक जिलों से लोग बाहर जा रहे हैं। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह जैसा महाराष्ट्र में उन क्षेत्रों में जहां श्रमिक बाहर

जाते हैं, रोजगार गारन्टी कार्यक्रम शुरू किया गया है, वैसा ही यहां भी शुरू किया जाए। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उन जिलों को अधिक धन दिया जाए जहां से लोग बाहर जा रहे हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तिगत वित्त पोषण के स्थान पर परियोजना के रूप में लिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश आप किसी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए वित्त देते हैं। जब तक आप इसे एक परियोजना के रूप में नहीं लेंगे और प्रशिक्षण, उत्पादन और विपणन की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं कर सकते हैं।

अन्त में, मैं स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो कि बेरोजगार ग्रामीण युवक के लिए अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं पृष्ठ 30 की ओर दिलाना चाहता हूं। एक महत्व पूर्ण क्षेत्र के बारे में इसमें कहा गया है कि 78 प्रतिशत मामलों में स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लाभार्थियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उन कार्यों के लिए सहायता दी जाती है जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसका अर्थ यह है कि उन्हें प्रशिक्षण किसी और कार्य का दिया गया और वित्तीय सहायता किसी और काम के लिए दी जा रही है। सभी गांवों में ऐसा ही हो रहा है। अतः माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इसकी जांच करें।

स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपलब्धियां बहुत कम हैं। यह 1990-91 में 35.5% तथा 1989-90 में 44% थी। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में एक वर्ष में 10 मिलियन रोजगार देने का प्रावधान है। स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है बशर्ते कि वहां प्रशिक्षण सुविधाएं हों और उनके प्रति हमारा उचित दृष्टिकोण हो। इसी के साथ, मुझे अवसर देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि परिचालित की गई कृषि मंत्रालय की मांगों में मांग संख्या 4 में कुछ गलती है। इसमें राजस्व 222,0900 रुपये, पूंजी 534800 रुपये तथा कुल 2575700 रुपये दिखाया गया है जो कि गलत है। यह 2755700 रुपये होना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि इसमें सुधार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मेरे कक्ष में इस गणना की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था। माननीय मन्त्री महोदय इसकी जांच करें और यदि गणना में कुछ अंकगणितीय चूक है तो उसे ठीक किया जाये।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करौल बाग) : अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और 70 फीसदी से ज्यादा जनता कृषि पर निर्भर है। धूल मे धान पैदा करने वाला किसान आज 44 वर्ष की आजादी के बाद भी शोचनीय दशा में है।

[श्री कालका दास]

अध्यक्ष जी, आज सबसे बड़ी जरूरत कृषि वस्तुओं को बढ़ावा और कृषकों को लाभप्रद मूल्य देने की नीति को निर्धारित करने की है। हमारे देश का वह किसान जिसने हरित क्रांति के पहले देश में जब अनाज आयात किया जाता था, तो उस चुनौती को स्वीकार किया और निर्यात करने की स्थिति में आज ला दिया है, लेकिन आज भी नीति के दोष के कारण उनको लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष जी, अभी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है, सरकार को बताया है, बहुत से तरीके बताए हैं जिनसे किसानों की दशा सुधर सकती है, किसान को उपज का लाभ मिल सकता है, उसको उसकी उपज का लाभ दिया जा सकता है और किसानों की हालत ठीक हो सकती है, लेकिन महोदय, इसमें जिस दिशा में और जोर देने की जरूरत थी, उस पर कुछ कम जोर दिया गया है।

अध्यक्ष जी, गांवों मे कृषि होती है और कुछ भूमिधर किसान होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो भूमि पर काम करते हैं जिन्हें कृषि मजदूर कहते हैं।

मजदूरों का जीवन कृषि पर ही आधारित होता है। बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं कि कृषि में सुधार लाने के लिए अमुक सबसिडी दें, ऋण दें, कृषि उपज को बढ़ायें। आज भी जिन किसानों के पास छोटी-छोटी भूमि है उनको लाभप्रद मूल्य नहीं मिल पाता है। इस पर भी हम 44 सालों से चर्चा कर रहे हैं लेकिन अभी भी उनकी दशा नहीं सुधरी है। जो कृषि मजदूर हैं, कृषि करने वाले हैं उनकी आबादी भी गांव में कृषक से ज्यादा है। जब कोई भी सरकारी नीति बनती है तो वह कृषक तक ही निर्धारित रहती है, कृषक के आसपास ही पहुंचती है। यह बात ठीक है कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने इस बात को माना था कि जिस गांव में हम सहायता के रूप में एक रुपया देते हैं भ्रष्टाचार के कारण किसान को केवल 15 पैसे ही उपलब्ध हो पाते हैं और 85 पैसे उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन कृषि मजदूर जिसका जीवन कृषि पर आधारित है, जिसका रहन-सहन कृषि पर आधारित रहता है उसके लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है, उनकी दशा सुधारने का काम नहीं किया है। क्योंकि कृषक को पूरा लाभ नहीं मिला इसलिए वह भी कृषि मजदूर के साथ न्याय नहीं कर पाया। कृषि मजदूर और कृषक दोनों एक-दूसरे पर आधारित हैं, अगर कृषक की हालत सुधरेगी तो कृषि मजदूर की हालत में भी सुधार होगा। इस कारण सारे देश के गांवों का विकास रुक गया है। देश के सत्तर फीसदी लोग गांवों में रहते हैं, यदि उनका विकास रुक जाएगा तो हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज गांवों के कृषक के जीवन को सुधारने की आवश्यकता है। हमें कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके लिए सबसिडी देनी चाहिए, उनके आमूल-चूल जीवन को विकसित करना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें कृषि पर आधारित मजदूर की दशा को भी देखना है। आज गांव की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है जहां की सारी इकोनोमी कृषि पर आधारित है। कृषि पर अधिक से अधिक बल देकर इस सिस्टम को सुधारना होगा जिससे कृषि मजदूर और कृषक को भी न्याय मिले।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर दस घण्टे रखे गए थे और 18 घण्टे के करीब दिए गए हैं। इस पर करीब-करीब 60-70 लोगों ने चर्चा की है। जब माननीय सदस्यों ने 18 घंटे इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं तो वे कम से कम एक घण्टे तो इसका उत्तर सुनना चाहेंगे। मेरी मजबूरी है कि किसी दूसरे सदस्य को समय नहीं दे सकता। मैं मन्त्री जी से विनती करूंगा कि वे रिप्लाई दें।

5.00 म० प०

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद और धन्यवाद मेरे माननीय सदस्यों का जिन्होंने 18 घण्टे तक प्रयास किया और इस विषय पर इतने लाभदायक और उद्देश्य से भरपूर विचार रखे। उन विचारों से काफी नये विचार उत्पन्न होंगे और कुछ न कुछ उससे भलाई होगी, अच्छा कार्य होगा।

महामना, उस विषय पर माननीय सदस्य बोले हैं जोकि देश के तमाम जन-जीवन से सम्बन्धित है। कोई ऐसा हिस्सा देश का नहीं है जो कि कृषि से आधारित न हो, इससे सम्बन्धित न हो। यही काम ऐसा है जिसके लिए आपने कई बार और इस सदन ने अभिव्यक्ति की है, आभार किया है, उन किसानों के प्रति जिन्होंने देश को स्वावलम्बी बनाया, जिन्होंने हमें आत्मनिर्भरता दी और हमें यह बताया कि हम अथक परिश्रम करके देश को सम्मानपूर्वक स्थिति दे सकते हैं जो कि हमारा जन्मजात अधिकार है।

इस आभार के बाद मैं यह बताना चाहूंगा कि 70 माननीय सदस्य इस पर बोले हैं। मेरे ख्याल में उनके नाम बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें दस मिनट लग जायेंगे। मेरे पास इसकी पूरी की पूरी सूची है। उस सूची के साथ-साथ जो कुछ उन्होंने कहा है, उसका भी पूर्णतः मैंने विश्लेषण किया है। मुझे यह भी मालूम है कि किस-किस महानुभाव सदस्य ने क्या-क्या कहा है।

श्री राव नाईक (मुम्बई उत्तर) : कट-मोशन का जवाब भी साथ ही दे दीजिये।

श्री बलराम जाखड़ : इसको साथ ही कर देंगे। सब कुछ इसी के साथ मिला दिया है तो कट-मोशन भी साथ ले लेते हैं। आप कहेंगे, ठीक है, काम करना है तो मेरे ख्याल में आप इस चीज को देख कर कट-मोशन भी मेरी विनती के अनुसार वापस ले लेंगे।

सबसे पहले जो विषय खासतौर पर आता है वह कृषि नीति के बारे में है। इस पर ज्यादा विचार-विमर्श की बात सभी ने कही है। आदरणीय महानुभाव, हमारे मित्र और माननीय सदस्य व भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री वी० पी० सिंह जी ने भी यही चर्चा की, आपने भी चर्चा की, सभी ने की कि कृषि नीति होनी चाहिए और कृषि नीति आवश्यक है। किस प्रकार से हमने कृषि का संचालन करना है जिससे कृषि पर आधारित इस जन समुदाय का जो 75 प्रतिशत से भी अधिक है, उसका कुछ न कुछ आर्थिक तौर पर सुधार हो सके और वह अपना जीवन-यापन इस प्रकार से कर सके जिसमें कड़ुवाहट न रहे, एक दूसरे के प्रति भेदभाव न रहे। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, ठीक है, वक्त के अनुसार इन्सान बदलता है, वक्त के अनुसार नीतियां बदलती हैं। पुराने वक्त की बात की जाती थी तो मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे पास नीतियां नहीं थीं। यह बात कभी नहीं थी क्योंकि बिना नीति के कोई सरकार कभी नहीं चलती है। हां, यह बात है कि इसको प्रिन्ट नहीं किया गया, या पूर्ण-रूपेण प्रारूप उसे नहीं दिया गया, वह दोष हो सकता है लेकिन यह बात नहीं थी कि किस तरीके से पालिसी चली, यह सारा कुछ है क्योंकि जो हमारे दिग्गज थे, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति में सारा योगदान दिया, जिन्होंने देश के प्रति सब कुछ अर्पण करने के बाद इस देश को नीति प्रदान की। साथ ही उन्होंने कृषि नीति की बात की। मैं आपको 37 साल पहले की बात बता देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

37 वर्ष पहले पण्डित नेहरू ने जो राज्य सभा में कहा था मैं आपको वह बताना चाहता हूं। 37 वर्ष पहले दूसरे सदन में जवाहर लाल जी ने कहा था :

[श्री बलराम जाखड़]

"हम उद्योगों को महत्व देते हैं लेकिन आज के संदर्भ में हम कृषि, खाद्य और कृषि से सम्बन्धित मामलों को बहुत अधिक महत्व देते हैं यदि कृषि का आधार मजबूत नहीं होगा तो हम जो उद्योग लगाना चाहते हैं वे भी सुदृढ़ नहीं होंगे। इसके अलावा देश में आज ऐसी स्थिति है कि यदि हमारी खाद्य स्थिति बिगड़ जाती है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अतः हमें अपनी खाद्य स्थिति बिगड़ने नहीं देनी है। जैसा कि हम चाहते हैं कि यदि हमारा कृषि सम्बन्धी क्षेत्र सुदृढ़ रहता है तब औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास करना सरल होगा···

यदि हम केवल औद्योगिक विकास पर ही बल देते हैं और कृषि की ओर ध्यान न देते तो अन्ततः भी कमजोर हो जायेंगे। इसीलिए मेरा प्राथमिक ध्यान कृषि और खाद्य पदार्थों की ओर है और मेरे विचार से इस समय भारत जैसे देश के लिए यह आवश्यक भी है।"

[हिन्दी]

तो उस विचार को आप देखिये कि उस वक्त देश की स्थिति क्या थी, कितना हम मंगाकर खाते थे, पार्टिसन के समय हम 34 करोड़ थे और लाखों टन अनाज ई० एल० 480 के तहत मंगाकर हमने अपनी उदरपूर्ति की थी। लेकिन शाबाश है मेरे किसान को और मेरे साइंटिस्ट की और हमारी पोलिसीज की, किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया किसान को और किसान ने किस प्रकार खून और पसीना बहाकर इस बात का सार्थक बनाया कि 85 करोड़ 33 लाख आज हम हैं फिर भी हम सम्पूर्णतया आत्मनिर्भर हैं और यही नहीं इस वर्ष हमने 5 लाख टन चावल और 10 लाख टन गंदुम बाहर भेजने का निश्चय लिया है, हो सकता है बाद में करें। इस साल हमने चीनी का निर्यात भी 5 लाख टन किया है, अभी हमारे पास 19 मिलियन टन का भण्डार है। इसीलिए मैं शाबाशी के साथ-साथ अपना आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, देश के किसानों के प्रति, कि उन्होंने इतना उद्यम किया है और इतना सारा कुछ किया है। लेकिन इसके साथ-साथ यह नहीं है कि हम भूल जायेंगे कि हमने कृषि नीति को प्रारूप नहीं देना है।

अभी माननीय वी० पी० सिंह साहब ने कहा था कि अच्छा हो कि मुझे यह बतायें और आश्वासन दें कि आप इस नीति को बनायेंगे लेकिन, भगवत्, पहले तो मैं आपसे ही विनती करना चाहूंगा, क्षमा करेंगे, कि आपके पास समय भी था, आपने बनाया भी था, मैंने देखा भी है, रिकार्ड में। आपके पास समय भी था, आप कर भी सकते थे, आप आज जो आश्वासन मेरे से मांगते हैं, वह आप कर सकते थे लेकिन आपके कथनानुसार मैं कोशिश करूंगा कि मैं वह पूरा करूं, जो आप मेरे से चाहते हैं···

एक माननीय सदस्य : आप 40 साल में भी नहीं कर पाये।

श्री बलराम जाखड़ : नहीं, जो किया है, वह हमारे सामने है। जहां तक करने की बात है, किया नहीं होता तो आज हम जहां हैं, वहां नहीं होते और आज यह भण्डार नहीं भरे होते। लेकिन ठीक है, उनकी कोई मजबूरी होगी, अपनी कोई बात होगी कि वह नहीं कर पाये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : कृषि नीति का पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया था और शरद जोशी वगैरह की स्टैण्डिंग एडवाइजरी कमेटी वगैरह से इण्टरेक्शन चल रहा था, काफी कम्पलीट हो चुका था, वह सारे डाक्यूमैंट्स आपके पास हैं। यह नहीं कि कोई काम करने की इच्छा नहीं थी, वह तो सरकार चली गई···

श्री बलराम जाखड़ : मैंने डाक्यूमैंट्स के आधार पर ही बात कही । मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप मेरे से जो आश्वासन चाहते हैं, उसमें मैं एतराज नहीं करता कि क्यों नहीं किया ।

अभी वह हमने स्टेट्स को भेजा है, सारे प्रदेशों की सरकारों से हमने सलाह मांगी है । दूसरी एक और कमेटी भी बनी, उसका भी हमने भेजा है और वह वापस जब जायेगा, आप सब लोगों से सलाह करके ऐसा प्रारूप कैबिनेट में भी मैं रखूंगा, सबकी सलाह लेकर हम काम करेंगे, क्योंकि, यह भाईचारे की बात है, इसमें आप सभी सम्बन्धित हैं, निशाना तो एक है, पथ अलग-अलग हो सकते हैं । पहुंचना तो वहीं है, आप सारे भला करना चाहते हैं, जो भी पार्टी है, जो भी विपक्ष है या पक्ष है, दोनों का निशाना तो एक है कि कैसे भला करना है । इस भला करने में पथ अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन सलाह करके हम एक पथ पर भी चल सकते हैं, उसमें कोई आदेश या कोई चिन्ता की आवश्यकता नहीं है, न मेरा उसमें विवाद है । वह हम करेंगे और मैं आपको बिल्कुल आश्वासित करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ऐसी सार्थक नीति बने जिससे कि कुछ लोगों को आधारभूत फाउण्डेशन बन जाए जिससे हम आगे बढ़ सकें ।

इसके पश्चात् जो सबसे ज्यादा मुद्दा चला, वह मैं पहले ले लेता हूं और उसमें भी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं । आप क्षमा करेंगे कि जिस तरह से फर्टिलाइजर के मुताबिक बात करते हैं, खाद की बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खाद के विषय में आपकी और हम सबकी सोच किसान के हित के लिए ही हो सकती है । आप भी हित की बात ही सोचते हैं, हमारा पक्ष जो है, वह भी बिल्कुल उसी तरह से सोचता है । हर एक प्राणी, जिसने खाद की बात की है, अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले जब मैंने खेत में खाद देनी शुरू की थी तो गांव वालों ने मेरे घर में जाकर मेरी माता जी से कहा था कि यह खेत खराब कर देगा । इस छोकरे को पैसा पता नहीं कहां से मिल गया है, यह खेत का सत्यानाश कर देगा, इसको खाद मत डालने दो···

उसके पश्चात् सारे खाद डालने लग गए और सारा प्रोग्राम उसी हिसाब से चला, यह देखने की बात है । मुझे पता है खाद डालने से क्या होता है और न डालने से क्या होता है । मुझे यह भी पता है, खाद नहीं डालेंगे तो उत्पादन कहां से होगा और उत्पादन नहीं होगा, तो भंडारण कहां से भरेंगे । दोनों चीजें एक साथ मिलती-जुलती हैं । इसके लिए आपने कहा है कि नहीं करना चाहिए । ठीक बात है, आप सोचते हैं कि किसानों का भला होना चाहिए, लेकिन इसका एक दूसरा और पक्ष भी है । मैं किसान हूं, मुझे पता है कि जो दूसरी रबी की फसल आ रही है, उसके लिए भी खाद चाहिए । आज जितनी खाद की मांग है, मैं पूरा कर सकता हूं । और दे सकता हूं । जितनी खाद चाहिए, उतनी दे सकता हूं, लेकिन कल अगर मेरे से खाद मांगेंगे, तो मैं क्या करूंगा और किस तरह से चलाऊंगा । ये सारी बातें मुझे सोचनी पड़ती हैं ।

आप सब लोग यहां बैठे हैं, उन्होंने सब इतिहास देखा है । वह भी देखा है कि किस तरह से आजादी आई है और लोगों ने किस तरह आत्म-समर्पण किया है तथा कितनी निर्भीकता से इस देश में जीवन-दान दिया है । ये चीजें हमारे दिल-दिमाग में न हों और हम जीती-जिताई आजादी को थोड़ा सा भी विचारपूर्वक कायम न रख सके, तो गलत होगा । उसके लिए थोड़ी कुर्बानी भी करनी पड़ती है । वे इतनी कुर्बानी कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत हम भी कर सकते हैं । उसी हिसाब से देख कर हमने यह माना कि अगर यह ठीक हो सकता है, तो इसी हिसाब से करेंगे । लेकिन उसके पश्चात, जैसा कि सारे आप भाइयों का विचार था, उसके अनुसार हमने विचार किया और यह दोहरी नीति, जिसके मुताल्लिक

[श्री बलराम जाखड़]

इतना कुछ कहा जा रहा है कि चल नहीं पाएगी, शुरू की। इसमें संकट तो जरूर हो सकता है और संकट हर एक जगह होता है। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं—एक नैगेटिव और एक पोजिटिव। ये दोनों हर एक जगह मौजूद रहते हैं, कहीं पोजिटिव ऊपर ले जाता है और कहीं नैगेटिव ऊपर ले जाता है। अगर हम इस पर सोचें, तो सोचने के बाद ही पता लगता है कि इसमें फायदा क्या होगा। आंकड़े मेरे पास हैं और मेरे ख्याल में आप सभी के पास होंगे। इस देश में 76 प्रतिशत छोटे और मार्जिनल किसान हैं। अगर 76 प्रतिशत हैं, तो हमें इतना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।

इसमें एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि इनमें कुछ किसान ऐसे भी हैं, जिनके पास बेचने के लिए फालतू नहीं हैं। एक एकड़ वाले किसान, डेढ़ एकड़ वाले किसान और शायद सवा एकड़ वाले किसान शायद इतना पैदा नहीं कर सकें और उनको भी खाद का पैसा देना पड़ जाए, तो वह क्या करेगा। इसलिए यह विचार किया गया कि जो 76 प्रतिशतें हैं, उनका ख्याल रखा जाए। पांच एकड़ से ऊपर हो सकता है कि 17.5 एकड़ की सौ परसेंट इरिगेशन है, तो उसमें सीलिंग लगाई जाए। एक-आध भैंस कहीं हो सकती है, उनके अनुसार यह तो नहीं कह सकते हैं, जैसा कि लोग कह देते हैं कि यह छोटा है, इसको मत दो या यह बड़ा है। उन्होंने देश के लिए काम किया है और देश को आत्म-निर्भर किया है। जिस प्रकार उद्योग में ज्यादा पैदा करते हैं, तो आप उनको इनाम देते हैं। उसके लिए यह भी कहते हैं कि उसने इतना कुछ किया है और ट्रॉफी भी देते हैं। किसान ने पैदा करके दिया है, यदि उसका भी सम्मान कर दिया जाए, तो उसमें क्या हर्ज है। उसके साथ हममें यह सोचा कि यदि वह इतना पैदा कर लेगा, उसको अगर कुछ नहीं दिया तो बुरी बात होगी। इसलिए उसको बिल्कुल ही छूट 30 परसेंट की दे दी है। इसमें डबल फायदा होगा, तिलहन बोएगा या तिलहन बेचेगा या दलहन बोएगा, तो उसको वगैर कुछ दिए हुए बाजार में, पैसा फालतू नहीं देना पड़ेगा और यह फायदा भी उठा लेगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वायदा किया है किसानों के हितों की रक्षा करनी है। उसकी जेब में डाका नहीं डाला जाएगा। यह सारा कुछ हमने मिलकर बर्दाश्त करना है, क्योंकि वह हमारी रीढ़ की हड्डी है।

मैं पूरे सदन से एक बात और कहना चाहता हूं। पासवान जी, बिराजिए, आपके बगैर मजा नहीं आ रहा था। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हम लोग क्यों इतने असमर्थ हो गए हैं और यह सोचते हैं कि ये सारी चीज असफल हो जाएगी। हम सारे के सारे काम क्या करते हैं, हमारी पार्टी क्या काम करती है। हर एक गांव में हमारे वर्कर्स क्या काम करते हैं। अगर हम रिप्रजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं यहां आकर के, सारे गांव से आते हैं, सारे शहरों से आते हैं। शहरों और गांवों में हर एक पार्टी का कोई अस्तित्व होता है, तभी हम यहां आ पाते हैं। अगर हमारे वहां आदमी हैं, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं कि गांव में छोटा और बड़ा कौन है, जो अनर्गल काम कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक है, जैसा कि होना चाहिए, है, मुझे आप पर ऐसा मान है, तो आप क्यों नहीं इस बात को करते। अरे भाई, मिल कर काम करो। बांट कर खाओ कि इतना है। अगले साल फिर भगवान की कृपा रहेगी, तो और वारे-न्यारे कर देंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : मन्त्री जी, सीमान्त और लघु किसान जब कोओपरेटिव्ज में जाता है, तो खाद नहीं मिलती है। परेशान होकर वह ओपन दुकानों में जा रहा है, जहां उनको कीमत ज्यादा देनी पड़ रही है। (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : मैं यह विनती आप लोगों से कर रहा हूं। आप मेरे पास कोई अपनी मशीनरी नहीं है। मेरे पास साधन हैं और जो हथियार है वह सरकार का है, उनके पास है हथियार, हम

लोग आपकी और हमारी पार्टी के वर्कर अगर मिलकर पूरा करें तो जो गरीब किसान हैं 75 या 76 प्रतिशत, तो क्या उनके हितों की हम रक्षा नहीं कर सकते हैं। आप यह मत कहिए कि हम नहीं कर सकते हैं हम असहाय हो गए हैं, हम अकर्मण्य हो गए हैं। **(व्यवधान)** हम सोच सकते हैं हमारे में सार्थकता है, सोचने की क्षमता है, हम उनके लिए महसूस कर सकते हैं तो आप उनके साथ करिए और जो उससे ज्यादा पांच एकड़ से ऊपर वाला किसान है उसको चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज ही इसी क्षण थोड़ी देर में आपको बढ़ावा देकर के उनका घर पूरा कर दूंगा और साथ में उनको कुछ और दूंगा। दूसरे तरीके से जो मार पड़ी है, इनफ्लेशन आई है उसकी भी क्षतिपूर्ति करने की पूरी कोशिश करूंगा। **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : हम यह जानना चाहते हैं कि इस अनुदान मांगों के ऊपर माननीय मन्त्री जी बोल रहे हैं। हम यह जानकारी चाहते हैं कि मन्त्री जी ने कहा है कि लघु और सीमांत किसानों जो 70 प्रतिशत लघु और सीमांत किसान इस देश में है उनको हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं। क्या माननीय मन्त्री जी आपको व्यावहारिक अध्ययन जानकारी है कि आज भी गांवों में दाखिल-खारिज नहीं होने के कारण जमाबन्दी एक जगह है जिसके चलते अभी तक 8 एकड़ जमीन परिवार के बरीस सदस्य के नाम से पड़ी हुई है जबकि उसके पास जमाबन्दी फुटाने से मात्र एक एकड़ जमीन है। आप लघु और सीमान्त किसान की कैसे पहचान करेंगे, आइडेंटीफिकेशन करेंगे? उस दिशा में कोई प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है, 18 घंटे की डिबेट का जवाब मन्त्री जी एक घंटे में दे रहे हैं और उनमें भी अगर आप पूछेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा और बहुत सारे जो प्वाइन्ट हैं वह अनरगल रह पायेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप सहायता कीजिये क्योंकि यह एक देश के इम्तहान का समय है। एक, डेढ़ या सवा साल या उसके पश्चात्, मेरे ख्याल में हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वह सुधड़ हो जाएगी और हमें इसके लिये कोशिश करनी चाहिये। यह मजाक की बात नहीं है यह एक सार्थकता की बात है, व्यावहारिकता की बात है और इसलिये हमें प्राणपन से चेष्टा करनी होगी कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। इसलिये मै सारे हाउस से विनती कर रहा हूं।

[अनुवाद]

दलीय सम्बद्धताओं और वैचारिक भिन्नताओं को महत्व न देते हुये हमें वही कार्य करने का प्रयास करना चाहिये जो देश और समाज के कमजोर वर्गों के हित में है।

[हिन्दी]

मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसमें हम कोई बन्ध नहीं गये हैं, जैसा हमेशा समय बन्धता नहीं है।

[अनुवाद]

परिवर्तन हमेशा होता रहता है।

[हिन्दी]

चेंज तो आता है, कभी किसी प्रकार से आता है। अभी आर्थिक नीति में आपने चेंज किया,

कितने घरों में चेंज आ गया है। दुनिया बदल गई है, प्रारूप बदल गए हैं, देशों के प्रारूप बदल गए हैं, तो यह कौन-सी बड़ी बात है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

यह स्थायी नहीं है।

[हिन्दी]

और जो स्टेटिक होता है उसमें बदबू पैदा हो जाती है। (व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति दूंगा। कृपया इस प्रकार मुद्दा नहीं उठाइये। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं अपनी कठिनाई के बारे में जानता हूं। कुछ कठिनाइयां है। मैं अपनी आंखें बन्द नहीं कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री महोदय के लिये प्रत्येक व्यवधान का उत्तर देना अवश्य नहीं है।

(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। (व्यवधान)

हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह कही गई कि जो कृषि क्षेत्र है, उसके लिए कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस क्षेत्र में 50 प्रतिशत सारा का सारा इनवेस्टमेंट होना चाहिए क्योंकि सरकार ने इस बात को माना है, आप इस चीज को बताइये। आंकड़ों के अनुसार यदि सारा का सारा पैसा कृषि विभाग को दे दिया जाए तो यह उचित बात नहीं होगी और यह कभी हो नहीं पायेगा। कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें क्या-क्या नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं, उनके अनुसार सम्बन्धित सभी सेक्टर्स में 39329 करोड़ रुपया 1990-91 में खर्च किया गया और 1991-92 में 42969 करोड़ रुपया रखा गया है। इसमें 9 प्रतिशत की वृद्धि है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ-साथ बिजली भी है, पानी है, सिंचाई है, सड़कें हैं, हैल्थ है, सारा कुछ इसमें समाहित होता है, तब जाकर यह 50 प्रतिशत बनता है। यदि आप कहें कि 50 प्रतिशत सिर्फ मेरी मिनिस्टरी को दे दिया जाए तो बाकी मिनिस्ट्रीज क्या करेंगी, उनका काम कैसे चलेगा। इसलिये यह सामूहिक चीज है और सारी चीजों की तरक्की करके हमें इस चीज को थ्रस्ट पर ले जाने की जरूरत है। जैसाकि अभी रूरल डेवलमेंट मिनिस्टर बता रहे थे कि हमें सड़कें चाहिए, ठीक बात है, सड़कों की आवश्यकता है। जहां ट्रांसपोर्ट होता है, वहां तरक्की निच कर चली जाती है, मोटर पर चढ़कर चली जाती है। जहां सड़कें नहीं होतीं वहां अधोगति होती है। सड़कों के अभाव में लोगों को सातवीं शताब्दी में रहना पड़ता है।

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : राजस्थान में सड़कों की सबसे ज्यादा समस्या है !

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपसे शत-प्रतिशत सहमत हूं और मैंने श्री जगदीश टाइटलर, सरकेस ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर जी से हाथ जोड़कर विनती की है कि कम से कम जो 4 नेशनल हाइवेज हैं, उनको तो पूरा करवा दीजिए, बाकी सड़कों के बारे में स्टेट भी प्रयास करेगी। पानी का साधन और सड़कें ये दोनों अत्यावश्यक चीजें हैं। आज आजादी के 44 वर्ष बाद भी हमारे यहां पीने का पानी नहीं है, यह सुनकर शर्म सी आती है। इस बारे में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी जिक्र किया था और उन्होंने हाउस में भी कहा कि बलराम जी ने यह कहा है कि पीने का पानी नहीं मिलता है।

यह सच्ची बात है। जब हम वोट मांगने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है, गांव की बड़ी-बूढ़ी महिलायें आती हैं, सिर पर हाथ फेर कर कहती हैं कि बेटा और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ पानी पिलवा दे। आत्मा को बहुत कष्ट होता है, अन्दर से दर्द भरी चीख निकलती है। कितना प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर पानी नीचे चला जा रहा है गहरा होता जा रहा है। पम्प लगाते हैं, हैंडपम्प लगाते हैं, दूसरे पम्प लगाते हैं, लेकिन सब खुश्क हो जाते हैं, प्रकृति का प्रकोप हो जाता है। प्रकृति का भी एक सिलसिला है, उसके बारे में भी हमें करना पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी हालांकि यह सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य मालिक हैं, सदन में मैं उनसे बिनती करना चाहता हूं कि जब तक हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, वृक्षों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमारी भी हालत बुरी होती जाएगी। जब मां के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वह बच्चे की ठीक से देख-भाल नहीं कर सकती है। प्रकृति का और हमारा आपस में समन्वय, प्रेम होना चाहिए।

हम गांवों में जहां भी प्रचार करने के लिए या अन्य कामों से जाते हैं, हमें सब जगह एक बात अवश्य कहनी चाहिए कि वृक्ष लगाइये। एक किसान के नाते, एक नागरिक के नाते, एक सेवक के नाते, मेरी आपसे यही बिनती है। जहां पर नहाते हैं, वहीं पर अगर दरख्त लगा दें तो कम से कम दो दरख्त तो पनपेंगे।

अनुवाद]

यह पूरी संकल्पना को बदल देगा।

[हिन्दी]

यह शिक्षा ग्रामवासियों को अवश्य देनी है। राजस्थान में मैं ऐसी जगहों पर गया हूं जहां महिलायें हार डालने आईं, उनके हाथ काट दिए गए, मगर उन्होंने पेड़ नहीं काटने दिये। यह हुआ है। यह बात हर एक गांव में पैदा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहना चाहता हूं हमारा काम है 50 प्रतिशत के लिये जोर देना। मैं संतुष्ट नहीं हूं, यह 76 प्रतिशत 50 प्रतिशत पर क्यों आधारित रहे। इसलिये यह हमारा ध्येय होना चाहिये, सबको मिलकर इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। आज दोनों का आगे बढ़ना आवश्यक है, कृषि का भी और उद्योग का भी, दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं, यदि एक आगे बढ़ता है तो दूसरा भी आगे बढ़ता है। मैं कोई खाई पैदा नहीं करना चाहता, जैसे आमतौर पर कहते हैं कि यह शहरी है, यह ग्रामीण है, नहीं ये दोनों भाई हैं। यदि किसान की जेब में पैसा होगा तो शहर चमकेगा, यदि ग्रामीण की परचेजिंग पावर होगी तो वह रेडियो भी चलाएगा, कपड़ा खरीदेगा, मोटर-सायकल खरीदेगा, 100-200 का रेडियो सैट खरीदेगा, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो वह क्या करेगा।

जिसके पास कपड़ा नहीं तो क्या नहायेगा और क्या निचोड़ेगा इसलिये उसको जेब भरें जिससे काम बन सकता हो। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कृषि को उद्योग माना जाये। जब मैंने

राजीव जी से बात की तो उन्होंने हमें आखिरी पैकेज दिया था हालांकि मैं पहले अध्यक्ष था। मैं इस मामले में दिलचस्पी लेकर बात किया करता था। मैंने तपस्या इस बात की थी कि किसान चमकेगा। आपने शिलान्यास किया है आत्म-निर्भरता का भी, ढांचा इंडस्ट्री का भी खड़ा हुआ तो इंडस्ट्री अकेली क्या करती। कृषि के उद्योग उसी तरह से पनपाओ जिससे हम आगे काम कर सकें। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को बनाया था। अभी तक हम उनको बना रहे हैं। यह भी बात है कि हमने क्यों नहीं सोचा। उस वक्त का सवाल था कि किस तरह से पेट भरना है और बाहर से मंगाना पड़े और हमारी आत्मा को ठेस न पहुंचे कि हम फुटा लिए मांगते फिर रहे हैं। इसलिए कृषि और उद्योग नीति का एक समावेश करके एक नीति बनाना चाहते हैं। कभी-कभी डर लगता है कि किसानों को अगर इन्सपैक्टरों के हवाले कर दिया तो मुश्किल हो जायेगी।

मैं इसके लिये सोचूंगा और आपसे बात करूंगा कि इस नीति को किस तरीके से उद्योग का दर्जा दिया जाए। उद्योग के सारे मुनाफ लेकर घाटा न लिया जाए। फांसी लेने वाला आपके गले न पड़े बल्कि फायदा ही हो जाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि उसी तरह से यह काम चलाया जाए। देवगौड़ा जी और कई साथियों ने अच्छी बात कही है। बैंकों में जो बचत का पैसा है वह ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। आप, छोटे किसान और काम करने वाले मजदूरों से पैसे लेते हैं। उन्हीं के पैसे से इंडस्ट्री लगती है। मैं, जब पंजाब में मिनिस्टर था तो कहा करता था कि डिपोजिट में जो हमारा योगदान है, वह बहुत ऊंचा है। लेकिन उसका हमें 15 प्रतिशत तक भी नहीं मिलता जबकि 25-30 प्रतिशत के हम हकदार है, वह मिलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जो बचत कर रहे हैं तो वह पैसा गांव में लगाना चाहिए। इसी को आधारभूत मानकर कहता हूं कि मोमेन्टम बनाया जाए। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा लगाना चाहता हूं सब्जी, फूल पर वह आधारित है, यह मैं आपसे सलाह-मश्विरा करके करूंगा।

दूसरी बात प्रत्येक जिले के लिए टैक्नोलाजी विकसित करनी चाहिए, यह कहा गया था और कृषि विज्ञान केन्द्र भी स्थापित किए जाने चाहिए इसके लिए भी जोर दिया गया था। वह बिल्कुल सही बात है। जितना हम फैलाएंगे तो उतना ही बढ़िया होगा। इसका मुझे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हमारे यहां खेती होती थी लेकिन जब मैं कालेज छोड़कर आया तो कृषि विश्वविद्यालय से हमारा संबंध स्थापित हुआ और उनकी एक्सटेन्शन सर्विस से हमारा तालमेल बना। उन्होंने काम करके बताया और हमारे खेत में डिमान्स्ट्रेशन फार्म बनाया। इसको वजट से रेवोल्युशन आया और इसकी बजह से लोगों की कंसेप्ट और सोच बदल गई। मेरे पिताजी की जो जमीन थी तो वह मैंने आधी से ज्यादा शेयर होल्डरों को दे दी थी। मुफ्त में दी थी और एक पैसा नहीं लिया। जो मेरे हिस्से की जमीन थी तो मैंने तीस गुना ज्यादा खर्च किया। मैं, फोर-रनर था। वहां हमने अंगूर लगाए जहां पर पैदा नहीं होते थे।

हमने वहां बाग लगाये जहां 10-10 फीट ऊंचे टीले थे, भूमि ऊसर थी और सबसे बढ़िया बाग लगाये। मैं जानता हूं हमारी टेक्नोलोजी है, हमारा जो रेपर्ट है वह क्या कर सकता है। इसकी क्षमता इतनी बड़ी है कि जिसके तालमेल करने पर आप अन्दाजा नहीं लगा सकते कि हम क्या कर सकते हैं।

[अनुवाद]

देखने पर ही विश्वास होता है।

[हिन्दी]

बगैर देखे आदमी विश्वास नहीं करता, देखता है तो विश्वास करता है और हथेलियों पर सरसों जमाई जा सकती है।

मैं बिहार जाता रहा हूं। मुझे बिहार से बड़ा लगाव है। कोई भी सरकार हो मैं उसको कहता रहा हूं, पासवान जी, वह इतना बड़ा प्रदेश है पानी खूब है, फिर बिजली कहां है, पानी कहां है, मैंने कहा कि मुझे दीजिए पांच-पाच सौ एकड़ के फार्म पंजाब से लाकर यहां खड़े कर दूंगा, पांच साल के अन्दर नक्शा बदल दूंगा। अगर नहीं कर सका तो नाम बदल देना। ऐसा नहीं है कि इसमें न होने की कोई बात हो। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : इनको बिहार का चीफ मनिस्टर बना दो।

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सदस्यगण मुझे इस बात का कष्ट होता है, यह बड़ा गम्भीर विषय है। मैं यह कह रहा था कि यह चीज ऐसी है, आप देखिए हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की उना तथा कांगड़ा जिला की तहसीलें यह ऐसा क्षेत्र है, मैं आंखों देखी बता रहा हूं, आपबीती बता रहा हूं वहां 33 हजार टन अनाज डेफिसिट था और आज पंजाब और हरियाणा का 65 प्रतिशत किटी आफ इण्डिया है। क्योंकि नक्शा बदल गया, इस सारे क्षेत्र का। इसी तरह उड़ीसा, बिहार, बंगाल ईस्टर्न यू०पी०।

[अनुवाद]

इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है। यह केवल इच्छा, निष्ठा लोगों को जानकारी देने का प्रश्न है। यह बात इस पर निर्भर है कि क्या हम उन्हें कुछ दे सकते हैं।

मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। कोई भी न तो मुझे और न मेरे किसानों को इससे विचलित कर सकता है। एक बार आप उन्हें दिखा दें, वे इसे कर सकते हैं। सभा के समक्ष मैं आपको अपने सहयोग, मार्गदर्शक और मेरे समर्थकों के रूप में अपने साथ फिर से शामिल करता हूं और तब हम उनके लिए कुछ करें।

मैं सभी कृषि मन्त्रियों की एक बैठक बुलाऊंगा। मैं उन्हें यहां बुलाऊंगा। कृपया मेरी सहायता करें। उनके राज्यों के लिए जो भी जरूरी है वह हमें दें।

[हिन्दी]

मणिपुर के मुख्य मन्त्री कल मेरे पास आए थे और वहां यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि दूंगा, आपके लिये काम करूंगा। अरुणाचल प्रदेश के आए तो मैंने कहा कि करूंगा, नक्शा बदल दूंगा। छोटी-छोटी बातों के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बढ़िया बात होनी चाहिए। नया जलवा दिखाइए ···(व्यवधान)··· मेरे जीवन में जो साधना है सपनों का साकार करने के लिए वह मैं पूरा करूंगा। (व्यवधान)

श्री कालका दास (करौल बाग) : चालीस साल तक क्या करते रहे।

श्री बलराम जाखड़ : बीती सो बिसार दे आगे की सोच। पिछली के लिए क्या ढोल बजाते रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, नीतियां हैं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता : एक राज्य में एक से अधिक कृषि विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति नहीं है। आप दो या तीन कृषि विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दें।

श्री बलराम जाखड़ : पहले हम शुरू करें। एक कदम बढ़ाने पर ही दूसरा कदम उठाएं फिर शिखर पर पहुंचे, एक ही बार में सब कुछ नहीं किया जा सकता है।

श्री अमल दत्ता : विगत पचास वर्षों से हमारे पास एक विश्वविद्यालय है। हम एक और विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं।

[हिंदी]

श्री बलराम जाखड़ : विज्ञान केन्द्रों की बात कही गई है। जितना कपड़ा होता है उतना ही कोट सिलता है। अगर कपड़ा तीन मीटर हो तो मेरा सूट नहीं बनेगा, साढ़े तीन में बनेगा। लेकिन एक समय आता है, मैं शुरू करूंगा, मैं जरूरी पैसा योजना वालों से मांग रहा हूं।

[अनुवाद]

एक ही तरीका है। मैं उसे शुरू करूंगा। आगामी वर्षों में मैं पूरे देश के प्रत्येक जिला में एक कृषि विद्यालय स्थापित करके सभी को संतुष्ट कर दूंगा।

फिर मैं चाहता हूं कि आपका सीधा सम्पर्क हो, क्योंकि एक्सटेंशन सर्विसेज काम करे। वहां जाकर भी काम करें और लोगों के साथ मिलें और दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं।

इसमें एक जगह कहा गया कि कृषि उत्पादकों को बेचने की आजादी होनी चाहिए। कोई रुकावट नहीं है, कोई हो तो मुझे बतायें मैं उसको दूर करूंगा। जो समर्थन मूल्य देते हैं वह इसलिए है कि वक्त पर पैसा था 1966, 67 में अगर समर्थन मूल्य न देते तो क्रैश डाऊन हो जाता। और आज भी शायद हो सकता है कि यदि हम नहीं खरीदें तो व्यापारी दो-ढाई सौ के भाव उसको दे देगा, वह 175 में ले लेगा। तो यह ठीक है कि यदि फालतू ऊपर का भाव एकाध को छोड़कर मिले तो करें क्योंकि मैं समझता हूं कि आपने उसके लिए काम किया है।

दूसरी बात बागबानी के मुत्तलिक है। यह बहुत बढ़िया महकमा है, उसके लिए काम करना चाहिए। हमने हार्टीकल्चर बोर्ड बनाया है यूनिवर्सिटी नयी-नयी निकाल रही हैं लेकिन इनमें नई विचारधारा की आवश्यकता है। मैं पिछले दिनों हिमाचल में गया। मैंने वहां बाग देखे बाहर के बाग भी देखे जहां कई वैरायटी के सेब लगे हुए हैं। हमारे यहां तो 3-4 टन देते हैं, वहां 20-30 टन देते हैं। कहां हम और कहां वे? कैसे काम चलेगा? चेंज करना पड़ेगा। हमें प्लांट मैटिरियल देना पड़ेगा। हमें टिशू कल्चर बनाकर नए पौधे पैदा करने होंगे। हमने अभी पूसा की आई०सी०आर० की रिसर्च सैंटर को और टोकियो में देखा। वहां चार मंजिले मकान में एक छोटे से कमरे में टिशू कल्चर का काम हो रहा है और सारी दुनिया को सप्लाई हो रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे मनमें एक किलो भी नहीं पीसा गया। समुन्द्र में एक बूंद भी नहीं पड़ी है। इसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। इसको चेंज करना पड़ेगा। सरदार प्रताप सिंह कैरों ने कहा—बेटा अंगूर के बाग लगाओ, दो लाख कलमें कैलीफोर्निया से लाए, जिसको परलन वैरायटी कहते हैं। आज हरियाणा में उसका कोई आग्रह नहीं है। मार्किट पैदा करना तो आसान है, उथका बेचना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए पंजाबी में कहते हैं :

"सुरमा पाना बड़ा सौखा है,

पर चमकाणा बड़ा औखा है।"

आंख में सुरमा डालना तो आसान है लेकिन उसको चमकाना किसी-किसी के आर्ट की बात है। हमें तो वह करना है कि किस तरीके से वह चीज पैदा कर सकें, उसकी कीपिंग क्वालिटी भी है।

[अनुवाद]

इसका परिवहन हो सकता है और तब इस कार्य में बहुत कुछ अन्य बातें भी शामिल हो जाती हैं। इसमें कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी अर्थात पैकेट तैयार करना, वर्गीकरण, योजना पूर्व-प्रशीतन ढुलाई और प्रशीतन आदि हैं तब निर्यात प्रयोजनों के लिए अच्छी किस्म वाली वस्तु तैयार होगी।

[हिन्दी]

उसके लिए रेलवे भी चाहिए, एयरक्राफ्ट भी चाहिए। उसके साथ हमारा पक्का सम्बन्ध होना चाहिए। न तो हमारे पास ट्रक्स हैं, न रेलवे की रैफ्रिजरेटेड वैन है। जो चीज हमारे यहां पैदा होती है दक्षिण में नहीं होती है, तो क्या करें? दक्षिण में जो पैदा होता है, उसे हम यहां नहीं ला सकते हैं, उसका क्या फायदा हुआ? किसान को वहां नहीं मिलता है और कंज्यूमर को यहां नहीं मिलता है। अब 25 रु० टमाटर बिकता है, वहां ज्यादा होता है, उसे यहां नहीं ला सकते हैं तो क्यों नहीं हम इसे यहां कर सकते हैं? इसके लिए अनुबन्धित काम करना पड़ेगा, टाईम बाऊंड प्रोग्राम करना चाहिये। मैं अपनी मिनिस्ट्री के साथियों की एक मीटिंग बुलाना चाहता हूं जिसमें ट्रांसपोर्ट भी हो, फूड प्रोसैसिंग, पैकेज प्रोसैसिंग के, रूरल डेवलपमेंट वाले भी हों, फिर एक आधारभूत शिला बनायें जिससे हम कह सकें कि कल का निशाना हमें इतना मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जलगांव और भुसावल में केले पड़े रहते हैं। मैंने कई बार बात करवाई। पिछले दिनों मैं कानपुर में गया था और वहां से सन्तरे वाले मेरे पास आये और कहा कि हमारे पास ट्रक नहीं है, इसलिये कहा कि जितना खा सकते हो, खाओ, सन्तरे तोड़कर घर ले जा सकते हो क्योंकि तोड़कर दिल्ली पहुंचाना बहुत महंगा पड़ेगा। अतः इसलिये कहते हैं कि अगर किसान ज्यादा पैदा करे तो मार खाता है और कम पैदा करे तो भी मार खाता है। मैं इसको एश्योर करना चाहता हूं कि किस तरीके से उसकी मार्किटींग एश्योर कर सकते हैं। यह उस तरह की बात है वरना कोई बात नहीं है। इसके लिये कोशिश करनी पड़ेगी। मेरे दिमाग में बलबला है कि काम करने की इच्छा है, मैं चाहता हूं कि इसका नक्शा बदलें और किस तरीके से बदलेंगे, हम सब साथी मिलकर बात करें तो बनेगा।

इसके बाद ड्रिप इर्रीगेशन के लिए, स्प्रिंकल सिंचाई के लिये बहुत से किसान यहां आये। राजस्थान की बात लें। वहां पानी बहुत कम है, नीचे चला जा रहा है। थोड़ा बहुत निकल रहा है। अब कहें तो जितना डालेंगे, वह उतना ही निकलेगा। जब ऊपर वाला देगा ही नहीं तो निकलेगा कहां से? तो इसका मतलब यह है कि हम थोड़ा इस्तेमाल करें। ज्यादा मेहनत न करें और उसका ज्यादा फायदा लें।

तीन एकड़ का ड्रिप इरिगेशन और एक एकड़ की सिंचाई। कितना फर्क पड़ गया? पैसा जरूर लगता है लेकिन दो साल में क्या, एक-डेढ़ साल में पैसा पूरा हो जाता है।

[अनुवाद]

यह बहुत ही उपयुक्त निवेश है। मैं इस नीति को चलाना चाहता हूं। मैंने वित्त मन्त्रालय को इस

सम्बन्ध में लिखा है। मैं समझता हूं कि किसानों के लिए इस परियोजना को राजसहायता उपलब्ध कराने के लिए हमें इस वर्ष 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। कृपया उन्हें यह बताया जाए कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। इस प्रकार मैं स्प्रींकलर को आगे बढ़ाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

जितनी भी योजनाएं कृषि पर आधारित हैं। **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : हमारे सवालों का जवाब नहीं आ रहा है और आप नए सवाल खड़े कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : मेरे पास आपके ही सवाल हैं। कितने सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं, ये आपके ही पूछे गए सवाल हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ आपने ही यहां प्रश्न नहीं उठाए, दूसरों ने भी प्रश्न उठाए हैं। ये उनके जवाब दे रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि ये वही सवाल हैं जो आपने उठाए हैं, मैंने नहीं उठाए हैं। मैंने एक-एक का नोट रखा है और उसी का जवाब दे रहा हूं। आप चाहें तो देख लीजिए। आपका भी शायद जवाब आ जाए। **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : सवालों का जवाब नहीं आता है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया मत बोलें।

[हिंदी]

आप ऐसे मत बोलिये। सिर्फ आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

आप समय बर्बाद कर रहे हैं। सबके सवालों का जवाब दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा न डालें।

[हिंदी]

श्री राजवीर सिंह : मैं सवाल का जवाब नहीं मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मन्त्री जी खुद सवाल पैदा कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : झींगा मछली पैदा करने की बात है। उन्होंने खारे पानी में और दूसरे पानी में झींगा मछली पैदा करने की बात कही। हम अधिक उत्पादन की बात कर रहे हैं। यहां थोड़ा सा होता था वहां 2000 कि०ग्रा० प्रति एकड़ पैदा करने की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें आपने बताई,

उनका मैं जवाब दे रहा हूं । कृषि विज्ञान का भी आपने ही पूछा था, मैंने नहीं उठाया था । तिलहन और दालों की बात की । अभी विश्वनाथ जी ने कहा कि गेहूं और अनाज में तरक्की नहीं हुई । सिर्फ गेहूं और चावल में बात नहीं बनी, ज्वार में और मक्का में भी तरक्की हुई । मैं तिलहन की बात कर रहा हूं । आज से दो साल पहले 10.7 मिलियन था और इस साल 19.1 मिलियन टन है ।

[अनुवाद]

हमने 19.1 मिलियन के लगभग उत्पादन किया ।

[हिंदी]

यह मैं आपको देना चाहता हूं और इसमें नए-नए ···(**व्यवधान**)···आप कृषि नीति या कृषि की बात को मजाक समझते हैं । मुझे इसमें बड़ा कष्ट होता है । मैं आपको दत्तचित्त होकर जवाब दे रहा हूं । आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं बन्द कर देता हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है । मैं बताना चाहता हूं जो कुछ हम कह रहे हैं और जो हम करना चाहते हैं । मैं बीजों का प्रयोग देखकर आया हूं । अभी मैं कानपुर गया था वहां तेल वाले बीजों का उगाना देखकर आया था । दलहन का भी देखा । दलहन के लिए खेती 13 मिलियन पहुंची, अभी एक मिलियन टन और चाहिए । उसके लिए सूखी खेती करनी चाहिए । सूती खेती में कौनसा धान अच्छा हो सकता है, कौन सा दलहन अच्छा हो सकता है, कौन सी दाल और तेल अच्छा हो सकता है, उसके लिए कौन सी दाल और तेल चाहिए जो सूखे में स्टैण्ड कर सके, मॉइस्चर में पैदा हो सके, उसके लिए अनुसंधान करते हैं क्योंकि हम आत्म-निर्भर होना चाहते हैं । देखने की बात बताऊं कि ये तिलहन का है । हमने एक हजार कुछ करोड़ रुपए का निर्यात किया और सिर्फ 107 करोड़ का तेल हमने बाहर से मंगाया है ।(**व्यवधान**)

श्री दाऊ दयाल जोशी : राजस्थान में आपकी केन्द्रीय सरकार द्वारा नकली और घटिया बीज मिलते हैं । (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : अगर घटिया बीज होता तो 12 से 19 मिलियन टन नहीं होता । उसका भी हम जवाब देने जा रहे हैं कि जो हमारा सीड कार्पोरेशन है उसका मैं नवीनीकरण कर रहा हूं । उसमें नयी साधना पैदा करने की जरूरत है । किस तरह से हम नए बीज पैदा कर सकें क्योंकि बीज जब तक अच्छा नहीं होगा, खेती अच्छी नहीं होगी । यह बेसिक इनग्रेडिएंट है ।

कई लोगों ने बीमा की बात कही । बीमा की बात के बारे में मैंने उस दिन आपको जवाब दिया था कि यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरे पास इसका कोई सफल प्रारूप नहीं आया है । मैंने भी बड़ा प्रयास किया है, 15 साल से सोच रहा हूं लेकिन आज तक सफल बीमा के मुताल्लिक कुछ मेरे हाथ नहीं पड़ा है और जो कुछ किया गुजरात में 94 करोड़ और पैसा आया और 700 करोड़ की डिमांड हो गई । तो कौन सबसिडाइज करेगा ? किस प्रकार से हम सबसिडाइज कर सकते हैं ? इसलिए मैंने उस दिन भी सभी माननीय सदस्यों से एक अपील की थी कि आप मुझे ऐसी राय दें जिससे कि हम इस सम्बन्ध में कोई आधारभूत योजना बना सकें, जिससे लोगों को फायदा हो सके और किसान की बचत हो सके । मेरे दिमाग में एक बात आई थी और उस दिन भी मैंने कहा था, आज भी उसे फिर दोहराना चाहता हूं और वह यह है कि जिस प्रकार कैलेमिटी रिलीफ फण्ड हम देते हैं स्टेटस को, वह फाइनैंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर देते हैं, उसी तरीके से एक नया कैलेमिटी फण्ड होना चाहिए हरेक स्टेट में, जिसमें एक हिस्सा किसान दे दे, एक हिस्सा स्टेट दे दे और एक हिस्सा सेन्टर दे दे । यह मेरे दिमाग की, दिल की बात मैं आपसे कह रहा हूं, वैसे मैंने अभी इस बारे में बात नहीं की है, सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हूं ।

यदि इसका कोई प्रारूप आपके विभाग के अन्दर कोई आए तो मुझे बताइए क्योंकि ऐसी चीजें हर साल तो होती नहीं हैं, हर जगह होती नहीं हैं। कहीं किसी वक्त, किसी जगह हो जाती हैं।

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : मन्त्री जी, वह मेरा सवाल ही था, जो गुजरात के सम्बन्ध में मैंने उठाया था। आज मैं आपसे यही आश्वासन चाहता हूं कि गुजरात का इस सम्बन्ध में जो बकाया है, उसे आप शीघ्र भिजवाइए। (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : डॉन्ट वरी। आप पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। हम सब कुछ ध्यान में रखकर ही बोल रहे हैं। (**व्यवधान**)

साथ में, जो हमारे आदिवासियों के लिए नीति की बात यहां कही गई कि आदिवासियी क्षेत्रों में किस प्रकार की नीति हो, आपने इस सम्बन्ध में झूम कल्टीवेशन की बात की, उसमें हमने कुछ शुरू किया था लेकिन उसमें अभी कुछ पूरा बनता नहीं है जैसा हम चाहते हैं। मेरे पास आज कुछ लोग आए थे और मुझसे कह रहे थे कि आप हमारे यहां चलिए ताकि वहां वे मुझे दिखा सकें कि किस तरीके से खेती करते हैं, किस तरीके से खाद डाली जा सकती है, किस तरीके से टैरेस करके, उसकी खेती हो सकती है। इसका भी हम करना चाहते हैं और उस विषय में भी मैं कदम उठाना चाहता हूं।

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : मन्त्री जी, झूम की खेती में खाद की जरूरत नहीं है। जंगल में ही होती है। उसे साफ करने वाली बात है और बीज अच्छा होना चाहिए बस। (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : लेकिन उससे वन नष्ट हो जाते हैं, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। वह नुकसानदेह है। मैं वहां जाकर, उनको देखकर, उसे ठीक करने की बात कर रहा हूं, आप कुछ और कह रहे हैं। (**व्यवधान**) सीधी सी बात रह गयी। (**व्यवधान**)

सबसे बड़ा मुद्दा यहां वी०पी० सिंह साहब ने उठाया और मैंने पहले भी कहा था कि जो आपकी ऋण नीति थी, जिससे कि लोगों को उऋण करने वाली बात आपने करी थी, आपने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, मैंने उसके लिए कहा कि यह गलत नीति है। मैं यहां आइडिया गलत होने की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि नीति गलत होने की बात कर रहा हूं और मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, जो मेरे दिमाग में आया है। मैंने आपकी बात समझ ली और मैं कह सकता हूं कि दवा दी गई लेकिन वह दवा उल्टा काम कर गई। ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया। भगवन, आपने जो दवा दी, उस दवा ने फायदा नहीं किया। अब कितने आदमियों को आपने दवा दी, लाख, दो लाख, करोड़, लेकिन बाकी 50 करोड़ आदमियों का क्या हो गया। (**व्यवधान**)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा-बूंदी) : कुछ काश्तकारों का फायदा तो हुआ। दूसरी बात कि सरकार को काश्तकारों का कर्जा माफ करने की आदत तो पड़ी, जो अब तक नहीं थी। (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : अब आप गलत काम कर रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए।

श्री दाऊ दयाल जोशी : वरना अब तक पैसे वालों, उद्योगपतियों का कर्जा ही माफ होता था। (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : आप मुझे तो कुछ कहने दीजिए, गलत काम क्यों कर रहे हैं। मैं गलत आदत नहीं डालना चाहता। मैं देश का विघटन नहीं चाहता। (**व्यवधान**)

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : आपमें हिम्मत है तो खेती को उद्योग घोषित कर दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : आपने मेरी आर्ग्यूमैंट नहीं सुनी। पहले आप मेरी आर्ग्यूमैंट तो सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सदन पहले मेरी बात सुने। यू मस्ट लिसन टू मी फर्स्ट, आई एम क्रिपल्ड···(**व्यवधान**)

श्री फूल चन्द वर्मा : आप उद्योगपतियों को सबसिडी देना बन्द करिए। (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात पहले पूरी सुनिए। कहने की हिम्मत तो सब में होती है लेकिन सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मैं आपको सुनाना चाहता हूं और मैं साबित करके दिखाऊंगा। आई विल प्रूव बियंड ऐनी रीजनेबल डाउट कि वह ठीक नहीं है। (**व्यवधान**)

मेरा कोई विरोधाभास नहीं है। मैं आपकी बात कह सकता हूं और आप अपने विचार रखिए।

श्री कालका दास : आपने यहां जो तसवीर पेश की है, उसकी जिम्मेदारी आपकी ही है। (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : मैं जो कह रहा हूं, उसे आप सुनिए। आपकी बातों को मैंने 18 घंटे तक सुना क्या आप मेरी बात भी नहीं सुन सकते। मैं कहता हूं कोई आधारभूत नीति होनी चाहिए। आपकी नीति गलत थी इस मामले में। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह साबित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आधारभूत बात यह है कि किसान का फायदा होता, तो मैं उसे सैल्यूट करता। मैं भी जानता हूं कि किसान को ऋण मुक्त करना चाहिए। लेकिन इसका तरीका क्या है? (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : मैं चाहता हूं कि हम तरीके से बात करें। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें वह नहर ही कट गई, जिससे खेत में पानी पहुंचता था। नहर ही कट गई, तो पानी नहीं पहुंचेगा। 5 हजार 7 सौ करोड़ रुपए के हम ऋण दिया करते थे, इसके बाद 3 हजार पर आ गए, कहां गया और किसको दिया गया, मैं पूछना चाहता हूं, वी०पी० सिंह साहब ने यह नहीं देखा? आपने अपने विचार से अच्छा किया, मैं मानता हूं—

> "खुद ही थैली में जो हों मकरूज
> वह रहबरे कारवां नहीं होता"

समझे कि नहीं? सीधी सी बात है कि एक बात जो मैं सोच लूं, वह सही नहीं हो सकती, वह गलत हो सकती है, उसका असर भी गलत हो सकता है। एक डाक्टर है, वह गलत डायगनास करता है, गलत दवा देता है, तो आदमी उससे मर भी जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पैसा किसान को और तरीके से भी दिया जा सकता था, (**व्यवधान**) अगर हम एक आदमी को दो हजार, पांच हजार या दस हजार रुपए दे दें और उसका अगर सारी उम्र के लिए कल्याण हो जाता, तो मैं मान जाता, मैं सिर झुका लेता कि अब उसको सारी उम्र तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कितने आदमियों को हमने दिया, हमने उस प्रथा की छुट्टी करवा दी, बैंक डिफाल्टर होते जा रहे हैं, कर्जा नहीं दिया जा रहा है। आगे के लिए लोग कहते हैं कि इस आदमी का माफी हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। हमारे आदमी भी कहते हैं, हमारी पार्टी भी कहती है कि कर्जा माफ होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, यह गलत है। मैंने अपनों की सिफारिश नहीं की, इन्होंने भी कहा था कि हमें भी माफ करना चाहिए, लेकिन जो बात मैं सिंसियरली सोचता हूं और उसे उचित नहीं समझता उसे गलत समझता हूं, यह राँग पॉलिसी है और

इसका मैं विरोध करता हूं, तो उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं और आप यह कहते हैं कि मैं इसको कर दूं। आप करिए, ऋण मुक्त करिए। लेकिन उसे सतत् गंगा के नीर की तरह से जल मिलता रहे, उसका स्वास्थ्य बनता रहे, वे अपने पैरों पर खड़े हों, वह काम करना चाहिए, वह मैं देना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं कि उनको एक डोज देकर उनको एक वैसाखी के सहारे खड़ा कर दूं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। मैं किसानों को आदर देना चाहता हूं, उनके सम्मान की रक्षा करना चाहता हूं, लेकिन दूसरे ढंग से, **(व्यवधान)**

मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपकी बात सुनी है। मेरा अर्गूमेंट सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि हम सारे के सारे किसानों के फायदे की बात करें लेकिन मिलकर करें और ऐसे करें जिससे उनके घर में पानी पहुंचता रहे, खेती पकती रहे और हमेशा, हर साल उनको पैसा मिलता रहे।

अध्यक्ष महोदय, पैसा कितना माफ हुआ है, मैंने इसके आंकड़े निकलवाए हैं। जो 6/4 हैबिचुअल हैं, जो हैबिचुअल डिफाल्टर रहे हैं, उनका पैसा माफ हुआ है। जो बेचारे रोजाना देते रहे हैं, उनको बेचारों को कुछ नहीं मिला, उनका पैसा माफ नहीं हुआ है। ये मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे मन में कोई दोष नहीं है। मेरे मन में कोई दुराग्रह नहीं है। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं कि इतने पैसे से एक-एक गांव सड़कों से जोड़ दिया जाता। मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूं कि हमारा विचार किसान को स्वावलम्बी बनाना है, उसको किसी पर आश्रित नहीं होने देना चाहते हैं। **(व्यवधान)** मैं बन्दी नहीं बनाना चाहता हूं। मैं स्वावलम्बी बनाना चाहता हूं, उसको आजादी देना चाहता हूं। उसका जो हक है, वह उसको देना चाहता हूं। वह कहता है कि इसका तो माफ हो गया, मेरा नहीं हुआ। यह तो खा गया, मैं क्यों न खाऊं। हम बेईमान पैदा नहीं करना चाहते हैं।

खाद के मुतल्लिक आपने पूछा है, मैं बताना भूल गया। आपने कहा था कि कारखाने वाले 12 प्रतिशत ज्यादा पैसा ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप तीन दशक के हमारे साथी हैं, आप अच्छे काम के भी बराबर के हकदार हैं और बुराई के भी बराबर के हकदार हैं। आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप वित्त मन्त्री भी रहे हैं, आपकी भी उतनी ही भागीदारी है जितनी हमारी है। **(व्यवधान)**

आप जितने प्रशंसा के हकदार हैं उतना ही डंडे खाने के भी हकदार बनें। मैं कहना चाहता हूं कि जो बिगड़ा हुआ बच्चा है, जिसको पाल-पोसकर आपने बड़ा किया है, उसकी आदत खराब कर दी है। उन आदतों को ठीक करने के लिए मैं एक हाउस कमेटी बनाना चाहता हूं जो यह देखे कि उनका असली खर्चा कितना होता है, उत्पादन खर्च कितना आता है और कितना हमसे वसूल करते हैं। साथ में एक एक्सपर्ट होगा जो यह देखेगा।

एक माननीय सदस्य : कब तक बना देंगे।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने कह दिया है, देरी किस बात की है, चट मंगनी पट ब्याह। एक नई बात बनेगा। मैं उनका हिसाब बैठाऊंगा, जितना उनका बनता है उतना उनको देंगे।

[अनुवाद]

यही मेरा विचार है और इसे मैं लागू करने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

बिगड़े हुए बेटे को सुधारने के लिए स्कूल में दाखिला करवाकर डंडे का प्रयोग भी करेंगे।

यहां पर लोढा जी नहीं हैं, उमा भारती जी बैठी हैं। उन्होंने पशुपालन के कुछ आंकड़े दिए थे।

मैं पशुपालन की बात बतना चाहता हूं, गाय की बात बताना चाहता हूं, बैल की बात बताना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : मखाने की बात भी बताइए।

श्री बलराम जाखड़ : मखाने की बात भी बताऊंगा और उसको बाहर भेजने की बात भी करेंगे। **(व्यवधान)**

कई माननीय सदस्य : पान की खेती के बारे में भी बताइए।

श्री बलराम जाखड़ : पान के लिए मैं सोचूंगा। मुझे अभी इसका ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्राप्त करके फिर विशेषज्ञ भेजकर जो सहायता होगी करेंगे। मैं बताना चाहता था कि दूसरे देशों के 35-40 प्रतिशत के मुकाबले में हमारे यहां पर पशु वध 1.5 प्रतिशत है। मैं अहिंसक आदमी हूं, मैं मीट नहीं खाता शराब नहीं पीता हूं। मैं नहीं चाहता कि हिंसा हो। नागोरी, हरियाणवी अच्छी नस्ल के बैल हैं जो दस-दस हजार की जोड़ी आती है। हम उन्हें नष्ट नहीं होने देंगे, ऐसा मैंने स्टेटस में कहा है। हमने इस सिलसिले को बन्द कर रखा है, सिर्फ दो स्टेटस में है उसमें ऐसा है जिसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसी बात न हो जिससे अच्छी नस्ल के पशुओं पर कोई आघात हो।

6.10 म० प०

श्री बलराम जाखड़ : कास ब्रीडिंग तो करना चाहते हैं और जो असली नस्लें हैं, उनको हम पूरा संरक्षण देना चाहते हैं। दूध की उत्पादन बढ़ा है और हमने उसकी पूर्ति की है लेकिन फिर भी अभी दूध की कमी है। हमें दूध और पैदा करना पड़ेगा। हम अपने आप को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं यह मैंने देखा है। उमा जी ने कहा कि हमारी भारत को 60 प्रतिशत देन थी और आज वह 30 प्रतिशत रह गई। पूछो, क्यों हो गया, इस कारण कि वह सारा का सारा बंट गया, इनको हम और आप खा गए, हमें इस पर सोचना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि एक पर्यावरण के बारे में और दूसरा फैमिली प्लैनिंग के बारे में सारा हाउस कुछ न कुछ करे। यह समझ लीजिए कि भयानक आपके सामने भविष्य है। यह देखने की ही बात नहीं है बल्कि करने की भी बात है।

[अनुवाद]

यह सब हमारी दलगत भावना और किसी भी विचारधारा से अलग है। यदि आप भारत को नई पीढ़ी के हाथों सौंपना चाहते हैं तो इसे उज्ज्वल बनाना होगा। हमें इस सम्बन्ध में सोचना चाहिए। हमें यह कहना चाहिए कि हम देश के वासी है। यह राष्ट्र हमारा है। यही मेरा कहना है।

[हिंदी]

मेरे एक साथी ने यह पूछा कि मशीनों का क्या हुआ। मैंने कुछ लेकर दिया है, उस आदमी के दिलों और दिमाग में परेशानी होती है जिसने कुछ किया हो, बेईमानी की हो। मैं उस दिन जिन्दा नहीं रहना चाहता हूं जिस दिन मैं कोई बेईमानी करूंगा। अगर ऐसा होने पाया गया तो मुझे फांसी के फंदे पर लटका देना। इस देश में कई ऐसी चीजें हैं जो हम दान लेकर देते थे। वे सारी की सारी सड़ गई। न तो वह किसान के पास आई क्योंकि वह मैंने किसानों को लेकर दी थी और वह अपने घर से गायब थीं। मैंने उनसे कहा कि इसे इस्तेमाल करो, इसको लिए डेढ़ साल हो गए हैं। मेरे बड़े भाई दंडवते जी बोले कि इनको सम्भाल कर चराओ, देश के हित में चराओ। मुझे इसमें क्या लेना-देना था जब कोयले की दलाली की बात हुई। 6 स्टेटस ने इसको कहा, तीन साल तक कहा, हेगड़े साहब कहते हैं, बोम्मई

साहब कहते हैं, अन्य सरकारों की बात करते हैं। इस पर मैंने उनसे कहा दान दे दो, मैं सिफारिश करता हूं, मैंने क्या लेना-देना है। एक बात कही थी देश के लिए और किसानों के लिए···(व्यवधान)···

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि भाषण तो बहुत जोरदार हैं लेकिन 6 बजकर 2 मिनट हो गए हैं···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार करता हूं। मैं समझता हूं कि हमें कुछ और समय की आवश्यकता है और हम सभा की कार्यवाही पूरी होने तक बैठेंगे।

श्री अमल दत्ता : आप चारा के उत्पादन को किस तरह प्रोत्साहन देंगे। आपने चारा मशीनों को क्यों चुना ?

श्री बलराम जाखड़ : यही हमारा कहना है। इसका सही उपयोग होना चाहिए था। अकारण ही इसे इस तरह बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। यह तो मात्र राजनीतिक शत्रुता है।

श्री अमल दत्ता : यह बहुत ही खर्चीली प्रौद्योगिकी है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मैं केवल फोडर मशीन की बात कर रहा हूं। इस प्रकार की नई प्रणाली घर-घर में गरीब आदमी को दे सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। (व्यवधान)···मैं अभी तक शूगर तक पहुंचा ही नहीं हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

चीनी के सम्बन्ध में एक बात मेरे ध्यान में है। मेरा विचार एक शूगर काम्पलेक्स बनाने का है। मैं इस देश को एक ऐसा देश बनाना चाहता हूं जो निर्यात भी कर सके। मैंने पांच हजार संयंत्रों को देखा है।

श्री अमल दत्ता : फिर भी यह बहुत ही खर्चीली प्रौद्योगिकी है।

श्री बलराम जाखड़ : नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह एक ऐसा काम्पलेक्स होगा जिसमें उपोत्पाद से सभी कुछ पैदा की जा सकेगा और उनका उत्पादन किया जा सकेगा। कुछ इस दायरे से बाहर नहीं रहेगा। यह स्वयं ही विद्युत का उत्पादन करेगा। यह अपना संसाधन स्वयं पैदा करेगा। यह स्वयं ही नेप्था बनाएगा। यह कई प्रकार के अम्लों और अन्य वस्तुओं का उत्पादन करेगा। मैंने ऐसी मशीनों को कार्य करते देखा है।

[हिन्दी]

उमा जी कहने लगी कि मशीनीकरण न करो।

[अनुवाद]

हम कहां जायेंगे ? हम अपने लोगों को भोजन कहां से देंगे ? हम दोनों ही विकल्प उनकी आवश्यकता के अनुसार खुला रखना चाहते हैं। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : इसको गलत तरीके से क्वोट मत कीजिए, मैंने यह नहीं कहा था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : मैं इस देश को फिर से किसी अन्य देश पर आश्रित बनाने नहीं जा रहा हूं। मैं सातवीं सदी में लौटना नहीं चाहता। मैं उन्नत मस्तक के साथ आंखों में आशा की चमक लिए आगे 21वीं सदी की ओर देख रहा हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा था वह मुझे स्पष्ट रूप से शब्दशः याद हैं। इस देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हैं जो अभी मशीनें एफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसलिए उसके लिए गोवंश का संवर्धन होना चाहिए। मैंने यह भी नहीं कहा कि मशीनों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए।

श्री बलराम जाखड़ : सवाल यह पैदा होता है।

[अनुवाद]

हम किधर जा रहे हैं।

हम कभी भी विश्व की सभी बातों पर चर्चा नहीं की है। हम कहां जा रहे हैं? हम केवल किसानों को ही अलग करके बात क्यों कर रहे हैं। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने पहल की थी और मैं जानता हूं कि ऐसा किया जाना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं? हम सहकारी खेती, संयुक्त खेती का कार्य शुरू करें, हम किसानों को छोटी मशीनें या अन्य मशीनें अपनी सहायता देकर उपलब्ध करायें जैसाकि दक्षिण के हमारे मित्र ने कहा है। हमें यह सब करना होगा। (**व्यवधान**) आप इसे महसूस नहीं करते। यदि आप चाहते हैं कि वे अधिक से अधिक उत्पादन करें तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं हैं। मुझे ये सभी चीजें उन्हें उपलब्ध करानी होंगी। वे कहां से ये सभी चीजें प्राप्त करेंगे? कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि किसान उर्वरकों का उपयोग उचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। वह इनका उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे इसका खर्च वहन नहीं कर सकते। हमें उनकी सहायता करनी होगी ताकि वे उर्वरकों का उपयोग कर सकें। मैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं। यही हम कहना चाहते हैं।

6.06 म० प०

[**श्री शरद दिघे पीठासीन हुए**]

अब मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने जा रहा हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने मुझसे पूछा है कि मूल्य निर्धारण की नीति में किन-किन बातों पर विचार किया गया है। निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार किया गया है :

भाड़े पर लिये गये श्रमिकों का मूल्य
निजी बैलों के श्रम का मूल्य
किराए पर लिए गए बैल श्रम का मूल्य
किराए पर ली गई मशीनरी का शुल्क
अपनी मशीन श्रम का मूल्य
बीजों का मूल्य (खेतों में पैदा किए गए एवं खरीदे गए दोनों)
कीट नाशकों का मूल्य

खेतों में तैयार की गई खादों का मूल्य (निजी और खरीदा हुआ)

रासायनिक उर्वरकों का मूल्य

उपकरणों तथा कृषि भवनों का ह्रास मूल्य

सिंचाई शुल्क

भू-राजस्व, उपकर तथा अन्य कर

कार्य पूंजी पर ब्याज

विविध खर्चे (दस्तकारों को अदायगी इत्यादि)

पट्टे पर ली गई भूमि के लिए दिया गया किराया

निजी पूंजीगत परिसम्पत्ति के मूल्य पर ब्याज (भूमि के अतिरिक्त)

निजी भूमि पर प्रत्यारिपित किराये का मूल्य

(उस पर अदा किया कुल भू-राजस्व)

परिवार श्रम का प्रत्यारोपित मूल्य

प्रबन्धन तथा अन्य अधिकतम खर्चे अर्थात श्रम लागत को भी शामिल किया जाए। श्रम विभाग द्वारा घोषित मूल्य अथवा अधिकतम मूल्य लागू होगा।

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : यह अधिकतम है या न्यूनतम ?

[हिंदी]

श्री बलराम जाखड़ : मिनिमम तो है ही, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसकी गिनती न्यूनतम मजदूरी के आधार पर की जा रही है जबकि वास्तविक मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। इसलिए मैं इसे स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। क्या न्यूनतम मजदूरी की भी गणना की जाएगी ? और यदि वास्तविक मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से अधिक है तो वास्तविक मजदूरी क्या होगी। क्या मेरी बातें ठीक है।

एक माननीय सदस्य : यही बात वह कह रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब तक वह स्वयं न कहें इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि वह उनका उत्तर, हां, है तो इसे शामिल किया जाएगा।

श्री बलराम जाखड़ : यह पहले से ही कार्यवाही वृतान्त में शामिल है। पिछले दिन मैंने पूरा पैरा पढ़कर सुनाया था।

यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में है। सरकार ने खरीफ एवं मोटे अनाजों, दालों, तिलहनों और कपास की 1991-92 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। समर्थन मूल्यों के इन स्तरों का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करने तथा पुनरीक्षित सिफारिशों को प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार ने उर्वरकों के मूल्य में 40 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। इस वृद्धि को ध्यान में रखकर सरकार ने उर्वरकों के मूल्य 25-7-91 से 30 प्रतिशत कम कर दिये।

उचित औसत किस्म (फेयर ऐवरेज क्वालिटी) के धान का समर्थन मूल्य 1991-92 के लिए 230 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है जिसमें 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित मूल्य 205 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में दर्ज की गई। विगत वर्ष के अच्छी और अत्यधिक अच्छी किस्मों का मूल्य प्रति क्विंटल 215 रुपये और 225 रुपये क्रमशः थी जो बढ़कर 240 रुपये और 250 रुपये हो गई।

ज्वार, बाजरा और रागी के उचित औसत किस्म जैसे खरीफ अनाजों का समर्थन मूल्य वर्ष 1990-91 में 180 रुपये प्रति क्विंटल था और इसे वर्ष 1991-92 के दौरान 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 205 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मक्का के समर्थन मूल्य में 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान 30 रुपये की वृद्धि हुई अर्थात इसका मूल्य 180 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 210 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मक्का में अधिक वृद्धि की अनुमति दी गई है।

खरीफ दालों अर्थात अरहर (तुट), मूंग और उड़द में विगत मौसम की तुलना में वर्ष 1991-92 के समर्थन मूल्य 545 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जो विगत निर्धारित मूल्य की तुलना में 65 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

मुक्त औसत किस्म की छिलकों वाली मूंगफली का मूल्य वर्ष 1990-91 में 580 रुपये प्रति क्विंटल था जिसमें 65 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करके 645 रुपये कर दिया गया है।

पीली सोयाबीन तथा काली सोयाबीन के समर्थन मूल्यों को पिछले वर्ष के क्रमशः 400 रुपये तथा 350 रुपये से बढ़ाकर 445 रुपये तथा 395 कर दिया गया है।

वर्ष 1991-92 के लिए सूर्य मुखी के बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 670 रुपये प्रति क्विंटल है जो कि पिछले वर्ष के मूल्य से 70 रुपये अधिक है।

कपास की मूल किस्में अर्थात् एफ-414/एच-777 तथा एच-4 किस्मों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 695 रुपये तथा 840 रुपये प्रति क्विंटल है जिसमें वर्ष 1990-91 के समर्थन मूल्यों में क्रमशः 75 रुपये तथा 90 रुपये की वृद्धि हुई है।

मैं आशा करता हूं कि वर्ष 1991-92 के बढ़े हुए लाभकारी समर्थन मूल्य जिससे उर्वरकों के मूल्यों तथा अन्य दूसरे निवेश लागतों में हुई वृद्धि की क्षतिपूर्ति किसानों को हो सकती है, उससे किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य मिल पायेंगे। इससे कृषकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने तथा कृषि में और अधिक निवेश करने की योजना बनाने के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया जा सकेगा।

श्री वसुदेव आचार्य : आपने पटसन के समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की है। (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : वह एक अलग विभाग है। यह मेरा विषय नहीं है। उस पर बाद में विचार करेंगे।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : आपने कपास का समर्थन मूल्य पहले ही निर्धारित कर दिया है। पटसन के बारे में आपने क्या सोचा है? (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : पटसन मेरे विषय क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता। मैं आपको बाद में बताऊंगा। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने इसी सभा में यह आश्वासन दिया था कि समर्थन मूल्य में वृद्धि की जायेगी।

श्री बलराम जाखड़ : कृपया मेरी बात सुनिये। इस मूल्य-वृद्धि की घोषणा से पूर्व ही पटसन के मूल्यों में पहले ही वृद्धि हो चुकी थी। अतएव मुझे उनमें वृद्धि करनी ही होगी। मैंने यहीं कहा था। मैं इसमें संशोधन करूंगा।

ठीक है, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : आपने सहकारी समितियों के बारे में भी कुछ नहीं बताया है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपको बताऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : लघु तथा सीमान्त किसानों को राज सहायता देने के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया एक-एक करके बोलिये? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको एक-एक करके बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल में लघु तथा सीमान्त कृषकों को राज सहायता देने के सम्बन्ध में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, सभी विधान सभाओं में सांकेतिक तत्सम्बन्धी कटाव प्रस्तावों का उत्तर भेजते हैं। क्या माननीय मन्त्री जी उनका उत्तर देंगे? (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : आप कहें तो दोबारा पढ़ देता हूं। सारा का सारा इसी में है।...

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल राज्य में लघु तथा सीमान्त कृषकों को उर्वरक के लिए राज सहायता प्रदान करने के लिए न्यूनतम राशि जो चाहिए है वह 54 करोड़ रुपये है। परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केवल 30 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

श्री बलराम जाखड़ : इस समय सबाल यह नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसका उत्तर कौन देगा?

श्री बलराम जाखड़ : इसके पश्चात् मैं आपको बताऊंगा। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : जब तक 54 करोड़ रुपया मंजूर नहीं किया जाता, राजसहायता नहीं दी जा सकती।

श्री बलराम जाखड़ : आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : आपको उत्तर देना पड़ेगा। राजसहायता कैसे दी जाएगी? मैं यह जानना चाहता हूं कि सभी कृषकों को राजसहायता कैसे प्रदान की जा सकती है तथा सभी लघु तथा सीमांत कृषकों को सहायता देना कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है?

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

श्री राम नाईक : महोदय, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों से मन्त्री जी ने प्रस्ताव वापस लेने का विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया है (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : मैं अपने भाषण में उनसे पहले ही अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध कर चुका हूं।

सभापति महोदय : अब मैं कृषि मन्त्रालय की अनुदान मांगों से सम्बन्धित सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं जब तक कि कोई माननीय सदस्य यह इच्छा व्यक्त नहीं करता कि उसके किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

सभी कटौती प्रस्ताव रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों को मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है—

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से 4 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	29 जुलाई, 1991 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3		4	
	कृषि मन्त्रालय				
1.	कृषि	1731,23,00,000	2,24,00,000	406,43,00,000	9,56,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	47,47,00,000	60,06,00,000	90,65,00,000	111,90,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और कृषि विभाग	182,00,00,000		182,00,00,000	
4.	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	102,62,00,000	24,45,00,000	119,47,00,000	29,03,00,000

सभापति महोदय : जब तक कि कोई भी माननीय सदस्य यह इच्छा व्यक्त नहीं करता कि उसके किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से मतदान के लिए रखा जाए। अब मैं खाद्य मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं खाद्य मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगें मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में खाद्य मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 38 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए खाद्य मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	29 जुलाई, 1991 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3		4	
खाद्य मन्त्रालय					
38.	खाद्य मन्त्रालय	1374,87,00,000	68,20,00,000	1374,86,00,000	68,20,00,000

सभापति महोदय जब तक कोई माननीय सदस्य अपने किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से मतदान के लिए रखने की इच्छा व्यक्त नहीं करता मैं ग्रामीण विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांग के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। ग्रामीण विकास मन्त्रालय के दौरान जो अनुदान मांगें हैं उस पर सरकार का अलग से जवाब नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पहले ही उत्तर दे दिया गया था। अब कोई व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय : अब मैं ग्रामीण विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांग मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में ग्रामीण विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 69 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	29 जुलाई, 1991 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की राशि		लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3		4	
ग्रामीण विकास मन्त्रालय					
69.	ग्रामीण विकास मन्त्रालय	176,01,00,000	25,00,000	1761,03,00,000	25,00,000

कार्य मंत्रणा समिति

चौथा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय मैं कार्य मन्त्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.22 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 4 सितम्बर 1991/13 भाद्र, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : प्रिन्ट वैल, पटपड़गंज दिल्ली